खाने पीने
की
सुन्नतें
लेखक
अनीस अहमद
नूरी
प्रकाशक
रज़वी किताब घर
423 - माटिया महल जामा मस्जिद दिल्ली - 6
Mobile.: 9350505879 - Phone.: 23264524
Bilal

अहकाम दावते तआम

इस्लामी भाई बहनों के नाम

खाने पीने की सुन्नतें

लेखक

अनीस अहमद नूरी

प्रकाशक :

रज़वी किताब घर

425, उर्दू मार्केट, मटिया महल, जामा मस्जिद

दिल्ली-110006

Phone : 011 - 23264524

ISBN 01-89201-39-8

नाम किताब	:	खाने पीने की सुन्नतें
लेखक	:	अनीस अहमद नूरी
बइहतमाम	:	अल्हाज हाफ़िज़ मुहम्मद क़मरुद्दीन रज़वी
कम्पोज़िंग	:	रज़वी कम्प्यूटर प्वाइंट, दिल्ली-6
प्रूफ़-रीडिंग	:	मंज़ूरुल-हक़ जलाल निज़ामी
हिन्दी एडीशन	:	पहली बार 2009
प्रकाशक	:	रज़वी किताब घर, दिल्ली-6
सफ़हात	:	304
तादाद	:	1100
क़ीमत	:	

मिलने के पते :

रज़वी किताब घर
425, मटिया महल,
जामा मस्जिद,
दिल्ली-110006
फ़ोन: नं० : 011-23264524

महाराष्ट्र में मिलने का पता :
रज़वी किताब घर
114, गैबी नगर, भिवंडी,
ज़िला : थाणा (महाराष्ट्र)
फ़ोन: नं० 02522-220609

न्यू रज़वी किताब घर
वफ़ा कम्पलैक्स, गैबी पीर
रोड, भिवंडी (महाराष्ट्र)

शर्फ़े इंतेसाब

उस महबूबे खुदा के नाम जिसने और अलावा करोड़ों एहसानों के ज़िन्दगी गुज़ारने का तरीक़ा सिखाया।

इंतिसाब : उस अज़ीम हस्ती के नाम जिसने खाने पीने का सलीक़ा सिखाया।

इंतिसाब : उन शमअ के परवानों के नाम जिन्होंने अपने हादी के अफ़आल व आमाल को सजाने के वास्ते अपनी जान व रूह पेश की।

इंतिसाब : उन क़लम कारों के नाम जिन्होंने उन्हें महफ़ूज़ किया जिसका अल्लाह अज़्व व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम को जमा करना महबूब व मतलूब था।

इंतिसाब : उन उलमा की मुज्तहिद जमाअत के नाम जिन्होंने आमाल व अफ़आल व गुफ़्तार के असरार व रुमूज़ की गहराईयों से रोशनास किया।

इंतिसाब : उलमा की उस जमाअत के नाम जिन्होंने इन बिखरे हुए अनमोल मोतियों की अलग-अलग क़िस्मों को यक्जा करके उसे लड़ियों में पिरोया।

इंतिसाब : उन दुनियादारों के नाम जिन्होंने दीन की इशाअत को अपनी रोज़ी का ज़रिया बनाया।

इंतिसाब : उन मुबल्लिग़ों के नाम जिन्होंने अपने तक़रीरों के ज़रिया दीन की आगाही को अपना शिआर बनाया।

इंतिसाब : उन मुदर्रेसीन (टीचर) के नाम जिन्होंने मसाजिद व

दर्सगाहों (पढ़ने की जगह) के हल्क़ों, इस्लामी महफ़िलों में दीन की शमा रौशन करना, रौशन रखना अपनी ज़िन्दगी का मक़सद जाना।

इंतिसाब : उन मीलाद ख़्वाँ मर्द और ख़्वातीन (औरतों) के नाम जो महाफ़िल और मजालिसे शरईया में इन सुन्नतों का ब्यान करके हमारे इस्लामी भाई बहनों को रूहानी ग़िज़ा मुहैया कीं।

इंतिसाब : उन तलबा व तालिबात के नाम जो स्कूल व कॉलेज वग़ैरह में अपने साथियों को इन अनमोल इस्लामी उसूलों से वाक़िफ़ करने में मददगार साबित हों।

नाचीज़ :

अनीस अहमद **नूरी अफ़्फ़ी अन्ह**

विषय सूची

(शीर्षक) पृष्ठ

(शीर्षक) पृष्ठ

(शीर्षक)	पृष्ठ

(शीर्षक) पृष्ठ

(शीर्षक)	पृष्ठ

(शीर्षक) पृष्ठ

(शीर्षक)	पृष्ठ

(शीर्षक) पृष्ठ

(शीर्षक)	पृष्ठ

❖❖❖

दीबाचा

हम्द है उस ज़ाते करीम की जिसने हमें ऐसा अपनी मिसाल आप कनाअत (सब्र) का पैकर रसूल इनायत फरमाया कि वह महबूबे ख़ुदा सारी ख़ुदाई का बादशाह होकर हफ्तों, महीनों कुछ न खा पी कर जहाँ यह दुनिया पर ज़ाहिर फरमाए कि मुझे खाने, पीने की हाजत नहीं बल्कि सारी ख़ुदाई को मेरी हाजत है, वहाँ इस शफ़ीक़ मेहरबान रसूल ने यह भी रौशन फरमाया कि अगर मैं पीता हूँ तो इस लिए कि उम्मतियों को पीने का तरीक़ा आ जाए। और अगर खाता हूँ तो इसलिए कि गुलामों को खाने का सलीक़ा आ जाए।

मगर अफ़सोस! सद् अफ़सोस! हमारे इस्लामी भाई! इस्लामी किताबों में मुश्किल अल्फ़ाज़ होने की वजह से मज़हबी किताबों को हाथ लगाना भी पसन्द नहीं करते। जिसके सबब यह किताब आम ज़ुबान में लिखने की कोशिश की गई है ताकि अवाम बख़ूबी खाने पीने की सुन्नतों पर अमल के फ़वाइद व हिकमत और अहकामात से वाक़िफ़ हों। और यह कि कुंबा के घरों में खाने पीने से मुतअल्लिक़ क्या क्या ख़राबियाँ पैदा हो गईं हैं? और दावतों में मर्द व ख़्वातीन! मेज़बान से किस किस तरह पेश आते हैं? या मेज़बान से क्या क्या कोताहियाँ ज़ाहिर होती हैं? और इस्लाम ने उनके क्या उसूल ब्यान फ़रमाए हैं? हालों में दावत का तक़द्दुस (पाकी) किस तरह पामाल होता है? तकल्लुफ़ कब जाइज़ और कब ना जाइज़? कसरत खोरी (ज़्यादा खाना) और दीगर खाने पीने में बद एहतियाती के नुक़्सानात और इलाज बिल-ग़िज़ा किस चीज़ के बाद किस चीज़ को न खाना, पीना चाहिए ? आज पकेगा का हल ? नीज़ अक़ीक़ा का सस्ता आसान हल – घरों में बोले जाने वाले कुफ़्रिया कलिमात और खाने पीने में पचहत्तर हराम अशिया महबूबे ख़ुदा की महबूब ग़िज़ाएं, अहकाम दावते तआम इलाजे गुनाह में नेकों को खाना खिलाना। तौबा

का इस्लामी तरीका नीज़ तंगदस्ती के अस्बाब वग़ैरह से अपने इस्लामी भाईयों को आगाह करने में आपके अनीस ने मुख़्लेसाना कोशिश की है।

लिहाज़ा मुताला फ़रमाएं और जहाँ ग़लती पाएं मुत्तलअ (बताए) फ़रमाएं।

दुआ है कि अल्लाह तआला अहकामे इस्लाम पर अमले ख़ुलूस की तौफ़ीके रफ़ीक़ अता फ़रमाए आमीन!

अनीस अहमद नूरी

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

इब्तिदाइया

ऐ अज़ीज़ जान कि ज़रिआ इबादत भी इबादत में दाख़िल है। और ज़ादे राह भी राह ही में शामिल है तो राहे दीन में जिस चीज़ की ज़रूरत है वह भी दीन में से है। और राहे दीन में खाना खाने की ज़रूरत है। क्योंकि ख़ुदा का दीदार सब सालिकों (इबादत करने वाले) का मक़्सूद व मतलूब (चाहत) है। उसका तुख़्म इल्म व अमल है। और इल्म व अमल पर हमेशगी बदन सलामत रहे बेग़ैर मुहाल है। और बदन की सलामती खाने, पीने के बेग़ैर मुम्किन नहीं। लिहाज़ा राहे दीन के लिए खाना खाने की ज़रूरत है। तो यह भी दीन में से होगा। इसीलिए हक़ तआला ने फरमाया। "हलाल व तैय्यब (पाक) खाना खाओ और अच्छे अमल करो"

खाने और अच्छा काम करने को इस आयते मुबारका में हक़ सुबहानहू तआला ने एक साथ ब्यान फरमाया कि जो कोई इस नीयत से खाना खाता है कि मुझे इल्म व अमल की कुव्वत (ताक़त) और आख़िरत की राह चलने की कुदरत हासिल हो उसका खाना भी इबादत होगा। इसी लिए रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फरमाया है कि मुसलमान को हर चीज़ पर सवाब मिलता है। यहाँ तक कि उस लुक़्मा पर भी जो वह अपने मुंह में रखे या अपने अह्ल व अयाल के मुंह में रखे। और यह इसलिए फरमाया कि इन सब कामों से राहे आख़िरत ही मुसलमानों को मक़्सूद होती है। और खाना खाना राहे दीन से है। उसकी अलामत यह है कि आदमी हिर्स से न खाए बल्कि कसबे हलाल से बक़द्रे ज़रूरत खाए और खाना खाने के आदाब मल्हूज़ (ख़्याल) रखे।

(इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह)

खाना खाना, फ़र्ज़, वाजिब और कब सुन्नत है

फ़र्ज़ : भूख की वजह से जान के ख़तरा पर इतना खाना कि जान बच सके। खाना फ़र्ज़ है। ख़्वाह हलाल दस्तियाब न होने पर पर हराम शय (चीज़) ही हो। (शराब, मुरदार, सड़ा गोश्त, हराम जानवर, चोरी करके खाना वग़ैरह। अल्बत्ता चोरी का तावान (जुर्माना) देना पड़ेगा। हद नहीं लगेगी। यानी हाथ नहीं कटेंगे।) याद रहे यह रिआयत इस वजह से है कि हलाकत से बचना फ़र्ज़ है। अल्लाह तआला अपने महबूब के सदक़ा मुसलमानों को ऐसी तंगदस्ती, क़हत साली (सूखा) वग़ैरह से महफ़ूज़ फरमाए आमीन।

वाजिब :

नमाज़, रोज़ा में सहीह अदाइगी, भूख की वजह से न होने पर हलाल शय का खाना वाजिब है। (रोज़ा के लिए सहरी खाना)

सुन्नत :

दीनी या दुनियावी मशाग़िल, ज़रिआ मआश, (रोज़ी रोटी का जरिआ) सेहत की ख़ातिर तिहाई पेट खाना सुन्नत है। और यह कि खाना खाने की हर सुन्नत की अदाइगी पर मज़ीद सवाब भी

एहतियात :

ग़ल्ब-ए-शहवत के ख़ौफ़ से खाने में कमी करना। सेहत व शिफ़ा यानी इमराज़ (बीमारी) का इलाज भी।

मसला : खाना खाने वाले को यह नीयत करनी चाहिए कि इसलिए खाता हूँ कि इबादत की कुव्वत (ताक़त) पैदा हो कि इस नीयत से खाना भी एक क़िस्म की ताअत है। खाने से उसका मक़्सद लज़्ज़त पाना और नेमत हासिल करना न हो कि यह बुरी बात है। कुरआन मजीद में कुफ़्फ़ार की बात यह ब्यान की गई है कि खाने से उनका मक़्सूद फ़ायदा व नेमत हासिल करना होता है। और हदीस पाक में कसरत खोरी (ज़्यादा खाना) कुफ़्फ़ार की सिफ़त (ख़ूबी) बताई गई है। (रद्दुल-मुख़्तार)

खाना खाने की सुन्नतें

(१) खाना खाने के इरादे से हाथों का धोना। (२) खाने से पहले हाथ धो कर न पोंछना। (३) दावत में खाने से क़ब्ल जवानों के पहले ही हाथ धुलाना। (४) खाने के बाद बूढ़ों के ही पहले हाथ धुलना। (५) खाने के वक़्त बायाँ पाँव बिछा कर और दाहिना घुटना खड़ा करके या **सुरीन** पर चार ज़ानों बैठे। **या** दोनों घुटने खड़े रखें। (कि थोड़ा खाना किफ़ायत करे) (६) रोटी पर कोई चीज़ यानी नमक दानी, चटनी की प्याली या सालन की प्लेट न रखना। (७) खाना **बिस्मिल्लाह अल्लज़ी ला यज़ुर्रु मआ इस्मेही शैयुन फ़िल-अर्ज़े वला फ़िस्समाइ वहुवस्समीउल-अलीम।** पढ़ कर शुरू करना। (८) अगर खाने में ज़्यादा लोग शामिल हों तब बिस्मिल्लाह बुलन्द आवाज़ से कहना ताकि भूले लोग भी पढ़ लें। अगर बिस्मिल्लाह शुरू में भूल गए तब याद आने पर **बिस्मिल्लाह फ़ी अव्वलेही व आख़िरेही।** पढ़ें। (९) दाहिने हाथ की तीन अंगुली मआ अंगूठे की मदद से खाना। (१०) खाने की इब्तिदा (शुरूआत) नमक ही से करना। (हदीस पाक में नमक से मुराद नमकीन चीज़) (११) हाथ या छुरी को रोटी से न पोंछना। (१२) अगर सामने पहले रोटी आ जाए तब बग़ैर इंतिज़ार किए रोटी खाना शुरू करना। (१३) सालन क़रीब के किनारे से खाना। (१४) एक क़िस्म का खाना एक जगह से और अगर तश्त, टरे वग़ैरह में कई तरह के खाने हों तब मुख़्तलिफ़ जगह से खाना। **मसलन** खुजूर, फल, मेवे, मिठाई, अल्बत्ता बेसबरी का मुज़ाहरा, लालची होने का सुबूत न दे। (१५) खाने को न फूंकना। (१६) गरम खाना न खाना। (१७) खाना खाते वक़्त बातें करना। (ज़ूद हज़्म, और बातें न करना मजूसियों की पहचान है अल्बत्ता बेहूदा बातें न की जाएं।) (१८) हाथ से गिरे लुक़्मा को उठा कर खाना। (ज़मीन से उठा कर झाड़ कर और दस्तरख़्वान से बेग़ैर झाड़े ही खाना) (१९) खाने के बाद उंगलियाँ चाटना। (२०) खाने के बर्तन उंगलियों से चाटना। (कि बर्तन को शैतान से आज़ाद कराना और जहन्नम की आग से आज़ाद होना है) (२१) खाने

की इंतिहा (खत्म) नमक से करना। (बज़ाज़िया रद्दुल-मुख़्तार में है कि खाने की इब्तिदा नमक से की जाए और ख़त्म भी नमक पर, इससे सत्तर बीमारियाँ दफ़ा हो जाती हैं) (२२) खाने के बाद **अल्हम्दुलिल्लाह** पढ़ना, तनहा शख़्स आहिस्ता पढ़े। अगर चन्द अश्ख़ास खाने से फ़ारिग़ हों तब बुलन्द आवाज़ से पढ़ना ताकि शुक्रे खुदा में दूसरे भी शरीक हों। **दुआ : अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी अतअम्ना व सक़ाना व जअलना मिनल-मुस्लेमीन।** फ़राख़ी रिज़्क़ का सबब भी। और यह दुआ-ए-सुन्नत भी। (२३) खाने के बाद हाथ धोना। (२४) खाने के बाद हाथ धो कर ज़रूर पोंछना। ताकि खाने के असरात बाक़ी न रहें। आँख, या कपड़ा, या तहरीर, काग़ज़, ख़राब न हो। (त्रिमिज़ी आलमगीरी, बहारे शरीअत, जन्नती ज़ेवर)। (२५) तर (भीगा) हाथ चेहरे वग़ैरह पर फेरना। (२६) खाने के बाद मिस्वाक करना। एक गुलाम आज़ाद, दूसरी हदीस में दो गुलाम आज़ाद करने के बराबर सवाब है। (२७) दांतों का ख़िलाल करना। (२८) दोस्त अहबाब या घर के अफराद खाना मिल कर सब एक साथ खाएं। (कि बरकत हो, थोड़ा खाना ज़्यादा किफ़ालत करे, बर्बाद भी न हो।) (२९) (१) मेहमान की एक दिन रात हैसियत भर ख़ातिरदारी करना। (२) ज़्याफ़त तीन दिन यानी जो मयस्सर हो पेश करे। (दावते शीराज़ी) (३) तीन दिन से ज़ाइद सदक़ा है, मेहमान के लिए यह हलाल नहीं कि उसके यहाँ ठेहरा रहे और उसे हरज में डाले **(बुख़ारी व मुस्लिम)** (३०) मेज़बान पर पाँच बातें ज़रूरी हैं कि (१) मेहमान को खाना खाने पर इसरार करता रहे, (२) मेहमान से दिल ख़ुश करने वाली बातें भी करता जाए। (३) मेहमान के सामने अह्ले खाना या ख़ादिम पर नाराज़ न होना। (४) मेहमान अगर थोड़े हों तो मेज़बान उनके साथ खाने पर बैठे कि यही तक़ाज़-ए-मुहब्बत है और मेहमान ज़्यादा हों तो उनकी निगहदाश्त (देखभाल) और ख़िदमत में मश्ग़ूल रहे। (५) मेहमानों के साथ ऐसे को न बिठाए जिसका बैठना उन पर गिरां हो। (३१) मेहमान को पाँच बातें ज़रूरी हैं। (१) जहाँ बिठाया जाए वहीं बैठ जाए। (२) जो कुछ उसके सामने पेश किया जाए उस पर ख़ुश हो। (३) कोई ऐसी हरकत न करे जिससे मेज़बान को तक्लीफ़ हो। इस तीसरी में बेशुमार बातें पोशीदा हैं इस का ख़ास ख़्याल रहे। (४) मेज़बान की बेग़ैर इजाज़त मेहमान न

उठे। (५) मेहमान जब रुख़सत हो तो साहिबे खाना के हक़ में दुआ करे। रिज़्क़ में उसअत व फ़राख़ी और आफ़ात व बल्लियात से हिफ़ाज़त की। अरबी में मज़ीद मुस्तहब का सवाब है।

अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल-मुस्लेमीन। अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी वस्क़ि मन सक़ानी।

खाने के आदाब : (१) नंगे सर न खाना। (२) तीन उंगली मअ अंगूठे की मदद से खाना सुन्नत भी (पाँच उंगलियों से खाना मअयूब, गंवारों का तरीक़ा) (३) लुक़्मे छोटे-छोटे, चबा कर खाना (४) खाते वक़्त हाज़िरीन के चेहरों को न तकना। (५) खाने के दौरान मौत का ज़िक्र न करना। वरना दूसरे मेहमानों पर उसका असर होगा और वह भूखे उठ जाएंगे। (६) दावत वग़ैरह में इब्तिदा करने का हक़ बुज़ुर्गों को देना। यह हुस्ने अदब, तअज़ीम और सुन्नते सहाबा भी हैं।

ख़िलाफ़े अदब : (१) पाँव फ़ैला कर खाना। (२) लेट कर खाना। (३) इधर उधर देखना। (४) खाते हुओं को देखना। (५) उनके खाने पर नज़र जमाना। (६) नंगे सर खाना। (७) पाँचों उंगलियों से खाना। (८) बड़े लुक़्मे खाना। (९) जल्दी जल्दी खाना। (१०) दावत में पहले बुज़ुर्गों से शुरू करना। (११) दरवाज़े पर बैठ कर खाना। ख़्याल रहे कि फुक़रा व मसाकीन को भी एज़ाज़ व इकराम से खिलाना चाहिए। और अगर किसी वक़्त मज़्बूरी है तब भी दरवाज़े के बाहर एज़ाज़ से खिलाया जाए।

इसराफ़ : इसराफ़ बर्बाद करने को कहते हैं और यह हराम है। (१) फूली रोटी का हिस्सा खाना बक़िया छोड़ देना। (२) रोटी के किनारे तोड़ कर फेंकना। (३) गिरे लुक़्मे को उठा कर न खाना और फेंकना। (४) सालन बीच या किनारे से खा कर बक़िया को ज़ाए (बर्बाद) करना। (५) इसराफ़ दर इसराफ़ यह कि भरे पेटों का और ग़ैर इस्तेमाल शुदा खाने से बचा सालन, रोटी, चावल वग़ैरह मज़हबी अख़्बार में लपेट कर तीसरी या चौथी मंज़िल से बीच सड़क पर फेंकना। जल्दी में कभी राहगीर के अमामा बाज़ बाअदब कहलाने के ख़्वाहिशमन्द हज़रात उसी तरह अख़्बारों में खाना बड़ी मिक़्दार में नाली से निकले हुए कचरे पर, वह अपने तौर पर अदब से रखते हैं। अल्लाह जल्ला शानुहू ऐसा अदब किसी

को भी अता न फरमाए। रिज़्क ही क्या, हर क़ाबिले एहतराम चीज़, शख़्सियत, का हक़ीक़ी अदब, एहतराम, तअज़ीम की अल्लाह तआला तौफ़ीक़ इनायत फरमाए आमीन।

इजाज़त :

(१) इतना पेट भर खाना कि रोज़ा आराम से अदा हो। (२) मेहमान का साथ देने की ग़रज़ से जब कि मेअ़दा के ख़राब होने का अन्देशा न हो।

खाने के मक्रूहात :

(१) बाएं हाथ को ज़मीन वग़ैरह पर टेक कर खाना। (२) तकिया वग़ैरह पर टेक लगा कर खाना। (३) कुर्सी वग़ैरह पर पैर लटका कर खाना। (४) गरम खाना, पीना। (५) खाने को फूंकना। (६) खाने को बुरा कहना। (७) प्लैट वग़ैरह रोटी पर रखना। (८) रास्ते या बाज़ार में खाना। (६) बेग़ैर मज्बूरी चलते हुए खाना। (१०) पस खुर्दा रास्ते में फेंकना। (११) खाते हुए बातें न करना। (१२) भूख और झूठ को मिलाना। (१३) खाना खा कर बेग़ैर धोए, या धोकर हाथों, और मुंह को, दामन, आस्तीन, दुपट्टा या बेग़ैर इजाज़त मेज़बान के दस्तरख़्वान वग़ैरह से पोंछना। साफ करना। (१४) हर सुन्नत का तर्क। (१५) भूख से पहले खाना खाना।

बरकात से महरूमी, फ़ाक़ा, तंगदस्ती, बीमारी के अस्बाब

यूं तो बरकात से महरूमी, फ़ाक़ा, तंगदस्ती और बीमारी के अस्बाब हज़ारों हैं। मगर यहाँ सिर्फ़ खाने से मुतअल्लिक़ चन्द अर्ज़ किए जाते हैं।

(१) बेग़ैर हाथ धोए खाना। (२) फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट, बेग़ैर धोए खाना। (३) बेग़ैर बिस्मिल्लाह पढ़े खाना, पीना, (४) पाँव लटका कर खाना, पीना। (५) बेग़ैर उज़्र बाएं हाथ से खाना, पीना। (६) अव्वल आख़िर बेग़ैर नमक या नमकीन खाना। बीमारी व सख़्त मुज़िर भी। (७) खड़े होकर खाना मुज़िरे (नुक़सान) सेहत और बीमारी भी। (८) खड़े खड़े पानी पीना वग़ैरह, दर्दे जिगर का मूरिस (वजह) भी। (९) गरम खाना तक्लीफ देह भी। (१०) खाने में फूंक मारना यानी गन्दी सांस खाने या पीने की शय में छोड़ने से ख़ालिस बीमारी मुज़िरे सेहत भी। (११) खाने के आख़िर में, उंगलियों और बर्तन को न चाटना बर्तन की मग़्फ़िरत की दुआ से भी महरूम होना। (१२) खाने के इख़्तिताम (ख़त्म) पर **अल्हम्दुलिल्लाह** न पढ़ने से बरकत से महरूमी और नाशुक्री की वजह से नुहूसत भी, नुक़सान भी। (१३) खाने के बाद हाथ न धोना। या धोकर तौलिया वग़ैरह से न पोंछना। रिज़्क़ की तंगी के अलावा आंख काग़ज़, कपड़े ख़राब होने का सबब भी। और खाने से फ़ारिग़ होकर बेग़ैर हाथ मुंह धोए सोने से शैतान हाथ, मुंह चाटता है। और मर्ज़े बरस का बाइस भी। (१४) खाना खाकर या धोकर हाथों का दामन, आस्तीन, दोपट्टा से पोंछना बरकात से महरूमी। (१५) मुंह, दांत न साफ़ करने से बेशुमार बीमारियों के अलावा ख़ैर व बरकत से महरूम भी। (१६) खाने, पीने की शय को ठोकर मारने से रिज़्क़ को ठुकराना, फ़ाक़ा, तंगदस्ती को दावत देना भी। (१७) जनाबत (नापाकी) का गुस्ल फ़र्ज़ ज़िम्मा होते हुए खाना खाना। (१८) बेग़ैर बुलाए दावत में जाना। (१९) मैय्यत के क़रीब बैठ कर खाना। दिल की सख़्ती भी। (२०) नंगे सर खाना। (२१) अंधेरे में बेग़ैर

उज़्र खाना। (२२) सामने खाना होते हुए खाने में देर करना गोया खाने को इंतिज़ार कराना कहत मुसल्लत कराना भी। (२३) रोटी, सालन हकीर जगह रखना। हत्ता कि सफर के दौरान रेल, बस में भी मजबूरी में अल्लाह तआला से माफ़ी की उम्मीद। (२४) दरवाज़े में बैठ कर कुछ खाना पीना। (२५) मिट्टी, चीनी या शीशे के टूटे बर्तन में खाना, पीना। (२६) मेहमान को हिकारत से देखना और उसके आने से नाख़ुश होना। (२७) खाते हुए सिला रहमी न करना यानी दूसरों का ख़्याल न करना। (२८) पड़ोसी को ख़ास कर तंगदस्त पड़ोसी को खाने में शरीक न करना यानी प्याले, प्लैट में खाना न भेज कर। (२९) तंगदस्त ग़रीब पड़ोसी के बच्चों वग़ैरह को तलने, बघारने और भुनने की ख़ुश्बू से बेचैन करना। **हदीस :** अपनी हांडी से पड़ोसी को ईज़ा न दो। कुछ उसे भी दो। (३०) चार पाई या बिस्तर पर बेग़ैर दस्तरख़्वान बिछाए खाना खाना। (३१) चारपाई पर खुद सरहाने बैठना और खाना पाइंती रखना। (३२) दांतों से रोटी कुतरना। (३३) जिस बर्तन में खाना खाया उसी में हाथ धोना। (३४) खाने के बाद बर्तन साफ न करना। उंगली से या उसको यूंही बेक़दरी की हालत में छोड़ना। (३५) फ़कीर को झिड़कना। (३६) दांतों को बिला वजह कपड़े से मिस्वाक की तरह मलना। (३७) हर क़िस्म की लकड़ी से दांतों का ख़िलाल करना यानी पाक वग़ैरह का ख़्याल किए बेग़ैर इस्तेमाल करना। (३८) खाने पीने के बर्तन खुले रखना। शैतान और हशरातुल-अर्ज़ (बरसात में पैदा होने वाले कीड़े मकोड़े) से महफूज़ न करना। सुन्नत तरीक़ों के ख़िलाफ़ के अलावा फ़ाक़ा तंगदस्ती का बाइस भी। (३९) फ़कीरों से रोटी ख़रीदना। (४०) रोटी को ख़्वार रखना कि उसकी बे-अदबी हो और पैरों में आए।

(४१) बेग़ैर उज़्र जूते पहने खाना। (४२) आड़े, तिरछे लेटे हुए खाना। (४३) बेग़ैर उज़्र पैर फ़ैला कर बैठे खाना। (४४) क़हत की नीयत से ग़ल्ला रोकना कि महंगा होगा, जब बेचेंगे। (सुन्नी बहिश्ती ज़ेवर, जन्नती ज़ेवर, मेअ़दने अख़्लाक़, बहारे शरीअ़त)

परेशानी का बाइस सिर्फ़ क़िस्मत ही नहीं होती
कुछ अपनी लग्ज़िशों की कार फरमाई भी होती है

❖❖❖

नुहूसत व इफ्लास, फ़ाक़ा तंगदस्ती के चन्द दीगर असबाब

❖ नमाज़ क़ज़ा कर देना। ❖ नमाज़ में सुस्ती या काहिली करना। फज्र की नमाज़ पढ़ कर मस्जिद से जल्द निकल आना। ❖ कुरआन पाक को बेवज़ू हाथ लगाना। ❖ मस्जिद में दुनिया की बातें करना। ❖ झूठ बोलना ❖ झूठी क़स्में खाना। ❖ ज़िना करना। गुनाहों में मश्गूल रहना। ❖ बरहना पेशाब करना। ❖ नंगे सर बैतुल–ख़ला जाना। ❖ नहाने की जगह पेशाब करना। ❖ नाखुन दांत से काटना। ❖ खड़े होकर पाइजामा पहनना। ❖ बायाँ पाँव पहले पायजामा में डालना। ❖ बाएं हाथ की आस्तीन पहले पहनना। ❖ बैठ कर दस्तार (अमामा) बांधना। ❖ टूटा कंघा इस्तेमाल करना। ❖ मां बाप का नाम लेकर पुकारना। ❖ मां बाप को ईज़ा देना। ❖ कैंची से मूए ज़ेरे नाफ़ (ढ़ोढ़ी के नीचे का बाल) काटना। ❖ बुज़ुर्गों के आगे चलना। ❖ दरवाज़े पर बैठने की आदत करना। ❖ लेहसुन प्याज़ के पोस्त जलाना। ❖ जूं को ज़िन्दा छोड़ना। ❖ फटे हुए कपड़े को न सीना। ❖ सुबह के वक़्त सोना। ❖ मग़्रिब और इशा के वक़्त सोना। ❖ बरहना होकर सोना। ❖ औलाद पर बावजूद मालदारी, तंगी करना। ❖ अह्ल व अयाल से लड़ते रहना। ❖ औलाद को गाली देना। या लानत करना। ❖ चिराग़ मुंह की फूंक से बुझाना। ❖ बाज़ार में सबसे पहले जाना और बाद में आना। ❖ क़ब्रिस्तान में हंसना। ❖ कूड़ा कर्कट घर में जमा रखना। ❖ गाने बजाने में दिल लगाना। ❖ बेग़ैर हाजत सवाल करना। ❖ अमानत में ख़्यानत करना। ❖ टूटा हुआ या गिरह दार क़लम से लिखना।

❖ रात में झाड़ू देना – ख़ुसूसन कपड़े से झाड़ना।
❖ सूखे बालों में कंघा करना – या खड़े होकर बाल काटना।
❖ चालीस रोज़ से ज़्यादा ज़ेरे नाफ़ (ढोढ़ी के नीचे) के बाल रखना।
❖ बकरियों के गले में घुस कर चलना – ख़ुसूसन शाम के वक़्त –
❖ सुबह होते ही, ख़ुदा व रसूल का नाम लेते हुए – ज़िक्र किए बेग़ैर दुनिया में मश्ग़ूल हो जाना।
❖ बिला वजह शरई अपनों से रिश्तेदारी ख़त्म कर लेना –
❖ जनाबत (नापाकी) की हालत में नाख़ुन काटना या सर मुंडाना या मूए ज़ेरे नाफ़ वग़ैरह साफ़ करना।
❖ रास्ता में पेशाब करना – और बेसतरी हो तो हराम व गुनाह भी।
❖ हमेशा बेहूदा गोई मसख़रापन और हज़लियात (मज़ाक़ दिल्लगी) में मस्रूफ़ रहना।
❖ सज्द-ए-तिलावत न करना। या बावज़ू होते हुए उसमें देर लगाना।
❖ तिलावते कुरआन के दौरान आयते सज्दा छोड़ कर आगे पढ़ना।
❖ बिला ज़रूरत बिस्तर के पास पानी का लोटा, सलफची पेशाब के लिए रखना।
❖ कुरआन मजीद घर में मौजूद होते हुए न पढ़ना।
❖ सही रिश्ता मिलने के बावजूद जवान लड़कियों को न ब्याहना।
❖ वज़ू करते वक़्त दुनिया की बातें करना (उस वक़्त दुआएं पढ़े या ख़ामोश रहे।) –
❖ बिला वजह शरई किसी के तोहफ़ा, हदिया, या नज़राना को रद कर देना।
❖ वज़ू की जगह पर पेशाब या पेशाब की जगह पर वज़ू करना।
❖ उस्ताज़ की अज़्मत व तौक़ीर (इज़्ज़त) में कमी करना – (न कि मआज़ल्लाह उसकी तौहीन –)

❖ क़लम का तराशा (कटा हुआ) टुकड़ा इधर उधर डालना। जो पैरों में आए।

❖ बैतुल-ख़ला (पाखाना की जगह) में बातें करना। या वहां किसी दीनी बात में ग़ौर व तअम्मुल (सोच विचार) करना –

❖ मर्दों को छोटा इस्तिंजा करते वक़्त आम गुज़रगाह पर टहलना और बातें करना।

❖ ज़ुल्म करना – किसी को नाहक़ बिला वजह तक्लीफ़ ईज़ा देना। अगर चेह जानवर को।

❖ गुनाहों के कामों में ज़िद करना और अपनी बात पर उड़ जाना।

❖ मां, बाप, उस्ताज़, मुर्शिद की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम करना।

❖ दरवाज़े की दहलीज़ पर तकिया लगाना या सर रख कर सोना।

❖ सब्ज़ दरख़्त काट कर उसकी लकड़ियाँ फ़रोख़्त करना।

❖ बिला ज़रूरत जानवर ज़बह करने का पेशा एख़्तियार करना।

❖ औंधे जूते को देखना और उसको सीधा न करना – दौलत बे ज़वाल में लिखा है कि अगर रात भर जूता औंधा पड़ा रहा तो शैतान उस पर आन कर बैठता है। वह उसका तख़्त है।

❖ ज़कात या सदक़ाते वाजिबा मसलन क़ुरबानी व कफ़्फ़ारह क़सम वग़ैरह के अदा करने में बुख़्ल (कंजूसी) करना। या ख़्वाह मख़्वाह उन्हें टालते रहना।

❖ बरहना (नंगे) सर बाज़ार में फिरना – (और औरतों का नंगे सर रहना और अजनबियों के सामने उसी हालत में आना जाना हराम हराम हराम और सख़्त गुनाह है।) –

❖ दूसरे शख़्स का कंघा आरियतन (थोड़ी देर या क़र्ज़ के तौर पर) मांग कर इस्तेमाल करना। (ख़ुसूसन साफ किए बेग़ैर के दूसरे बाल के उसके बालों में उल्झें)

❖ सोते वक़्त पायजामा या तहबन्द सर के नीचे रख कर सोना (दौलत बे ज़वाल में लिखा है कि इससे ख़्वाब ख़ौफ़नाक नज़र आता है)

❖ मंगल और बुध की दरम्यानी शब या हफ़्ता और इतवार की दरम्यानी शब में बीवी से सोहबत करना अगर इस सोहबत में हमल भी रहा तो बच्चा बेहया और बदनसीब पैदा होगा और हमेशा मुफ़्लिस (ग़रीब) और हरीस (लालची) रहेगा। मौलाए करीम अपना फ़ज़्ल फरमाए ग़ालिबन इसी बिना पर सनीचर और मंगल के दिन, दुल्हन विवाह कर नहीं लाते। बुज़ुर्गों और घर की बड़ी बूढ़ियों का यह अमल यह फ़क़ीर (मुफ़्ती मुहम्मद ख़लील ख़ाँ बरकाती रहमतुल्लाह तआला अलैह) अपने बचपन से देखता आ रहा है।

❖ हौज़ या तालाब या बहते पानी में पेशाब करना। इससे निस्यान (भूलने की बीमारी) भी पैदा होता है।

– (दौलते बेज़वाल में लिखा है कि पाँच चीज़ों से भूल पैदा होती है : (१) हौज़ वग़ैरह में पेशाब करना। (२) क़िब्ला की तरफ मुंह करके पेशाब करना। (३) राख पर पेशाब करना। (४) चूहे का जूठा खाना। (५) ज़िन्दगानी हराम ख़ोरी में गंवाना। बल्कि ग़ौर कीजिए तो यह आख़िरी एक मुस्तक़िल बला व अज़ाब है)।

खाने पीने की चन्द हराम अशिया

(१) इतना ज़्यादा खाना जिससे फर्ज़ इबादात में कमी आए, दस्त आएं या जिगर ख़राब हो या दीगर बीमारियाँ पैदा हों, हराम है।

(२) हराम जानवर मसलन कव्वा, चील, दरिन्दे वग़ैरह का गोश्त खाना। हराम है।

(३) हराम जानवर तक्बीर से ज़बह करके खाना हराम है।

(४) हलाल जानवर बेग़ैर शरई ज़बह खाना हराम है।

(५) मुर दार यानी मरा हुआ हलाल जानवर का गोश्त खाना हराम है।

(६) शरई ज़ब्ह शुदह हलाल जानवर का सड़ा गोश्त खाना हराम है।

(७) काफिर का अगरचे तक्बीर से ज़ब्ह करदा (बजुज़ अह्ले किताब) गोश्त खाना हराम है।

(८) मुरतद यानी वह इस्लाम का दावेदार जो अपने बातिल अक़ाइद की वजह से मुसलमान न रहा हो मसलन गुस्ताख़े रसूल या हज़रत अली करमुल्लाह वज्हहू को अंबिया-ए-साबेक़ीन से अफ़्ज़ल जानने वाले का ज़ब्ह करदा जानवर का गोश्त खाना हराम है।

(९) ग़ैर ज़ब्ह शुदा ज़िन्दा हलाल जानवर के जिस्म का कोई हिस्सा या टुकड़ा मसलन दुंबह की चक्की या ऊँट का कोहान काट कर खाना हराम है।

(१०) चाँदी या सोने के बर्तन में मर्द औरत को खाना पीना हराम है।

(११) हलाल जाइज़ शय (चीज़) रमज़ान के रोज़ा की हालत में जबकि रोज़ा याद भी हो और इज्तिरारी (मजबूरी) हालत भी न हो कफ़्फ़ारा लाज़िम और खाना पीना हराम है।

(१२) माहिर तबीब हाज़िक़ मुसलमान हकीम या डॉक्टर के हलाल व तैय्यिब शय, खाने पीने से मना करने पर कि जिसके खाने से जान खतरा में पड़ जाए। फिर मरीज़ को खाना पीना ना जाइज़ है। और अगर अज़ीम नुक़सान का अन्देशा हो तब मरीज़ को खाना पीना हराम है।

❖❖❖

हलाल जानवर के सही ज़ब्ह शुदा जिस्म का वह हिस्सा या जुज़, जिसका शरीअ़त ने खाना पीना हराम फरमाया

(१३) जुगाली खाना हराम है।

(१४) जमा, या बहता ख़ून (बजुज़ कलेजी, तिल्ली और वह ख़ून जो गोश्त में हो।) नजिस है और खाना पीना हराम है।

(१५) पेशाब नजिस है। पीना हराम है।

(१६) मनी नजिस है पीना हराम है।

(१७) पाखाना नजिस है खाना हराम है।

(१८) सींग खाना हराम है।

(१६) खुर खाना हराम है।

(२०) दांत खाना हराम है।

(२१) जिस हड्डी से नुक़्सान पहुंचे उसका खाना हराम है।

(२२) बाल हदे ज़रर (नुक़्सान) तक खाना हराम है।

(२३) सख़्त पट्ठा (जिससे मेअदा को हाज़मा में दिक़्क़त पेश आए) हदे ज़रर तक खाना हराम है।

हलाल जानवर के वह हिस्से जिनको बाज़ उलमा हराम और बाज़ मक्रूहे तहरीमी यानी क़रीब हराम फरमाते हैं।

(२४) अज़्वे तनासुल खाना क़रीब हराम है।

(२५) कपूरे खाना क़रीब हराम है।

(२६) मादा जानवर के पेशाब का मक़ाम खाना हराम है।

(२७) पाखाना का मक़ाम खाना हराम है।

(२८) मेअदा यानी छोटी ओझ, मसाना खाना क़रीब हराम है।

(२६) पित्ता नजिस और खाना या पीना क़रीब हराम है।

(३०) ग़दूद खाना क़रीब हराम है।

(३१) फरज़ खाना क़रीब हराम है।

(३२) पेशाब की नाली खाना क़रीब हराम है।

(३३) पाखाना खारिज होने तक की नाली खाना क़रीब हराम है।

(३४) ओझ और उसके अन्दर का चार खाना (जिसमें पाखाना होता है)

(३५) उसका खाना क़रीब हराम है।

(३६) हराम मग्ज़ खाना क़रीब हराम है।

(३७) जो मछली बेग़ैर मारे अपने आप मर कर पानी की सतह पर उलट गई उसका खाना क़रीब हराम है।

(३८) मछली के सिवा दरिया, समुन्द्र के तमाम जानवर खाना हराम है दांतों या ज़ुबान की जड़ को दिमाग़ या दीगर आसाव को नुक़सान पहुंचाने वाली निस्वार या नास का खाना या सूंघना क़रीब हराम है।

(४०) शराब बनाने की उजरत के एवज यानी तबादला से हासिल कर्दा शय खाना, पीना, हराम है।

(४१) शराब की फ़रोख़्त की रक़म से कोई शय ख़रीद कर खाना पीना हराम है।

(४२) सूदी इज़ाफी रक़म के एवज़ कोई चीज़ लेकर खाना हराम है।

(४३) चोरी करके खाना पीना हराम है।

(४४) चोरी से हासिल करदा रक़म के एवज़ शय खाना पीना हराम है।

(४५) डाका या ज़बरदस्ती छीनी दौलत के एवज़ कोई चीज़ खानी पीनी हराम है।

(४६) जूए की हासिल करदा रक़म के एवज़ किसी चीज़ का खाना पीना हराम है।

(४७) शर्त (दो तरफ़ा) की जीती रक़म के एवज़ शय खाना, पीना हराम है।

(४८) लाटरी जिसमें सबसे लेकर एक फ़र्द को या चन्द अफराद को रक़म मिलती है, इस रक़म के एवज़ कोई चीज़ खानी, पीनी, हराम है।

(४९) मुअम्मा जिस में सबसे फ़ीस लेकर एक को या चन्द को रक़म मिलती है, इसके एवज़ कोई चीज़ खानी, पीनी, हराम है।

(५०) झूठ बोल कर हासिल करदा रक़म के बदले किसी शय का खाना, हराम है।

(५१) चकलों, हस्पतालों, कल्बों, होटलों, कुहबा खानों में या निजी तौर पर ज़िना या इग़लाम से हासिल करदा रक़म के एवज़ किसी शय का खाना पीना हराम है।

(५२) किसी मुसलमान या ज़िम्मी काफिर (वह काफिर जो इस्लामी हुकूमत में रहे) का माल ग़सब करदा के एवज़ से खाना पीना हराम है।

(५३) साहिबे निसाब को ज़कात से या ज़कात लेकर उसके एवज़ कोई शय खाना पीना हराम है।

(५४) मिस्कीन सैयद को ग़ैर इज़्तिरारी (बिना मजबूरी) हालत में ज़कात मांग कर उसके एवज़ कोई चीज़ खानी पीनी हराम है।

(५५) ऐसी किताब लिखनी, छापनी या फ़रोख़्त करनी जिस से इस्लाम को कमज़ोरी और मुसलमान को गुमराह, बेदीन मुर्तद बनने में मददगार साबित हो उसकी रक़म से खाना पीना हराम है।

(५६) और ऐसी ही गुमराह किताब पर एवार्ड देना, लेना व नीज़ इंआम से खाना पीना हराम है।

(५७) हुकूमत ने अवाम की जिस मुश्किल को दूर करने की ग़रज़ से किसी को रखा और उसे उसकी ड्यूटी की तन्ख़्वाह भी मिले फिर भी कसीर रक़म अवाम से लेकर काम करना इस रक़म के बदले कोई चीज़ खाना हराम है।

(५८) जिस हराम पेशे से रोकने की ग़रज़ से हुकूमत जिस अमले या फ़र्द को रखे और उसको इस ड्यूटी की तन्ख़्वाह भी मिले फिर भी वह शख़्स कसीर रक़म के एवज़ मसलन ज़िना के अड्डे जारी रखे, शराब बनाने, फ़रोख़्त करने, पीने, पिलाने में किसी भी तरह की मदद करे, या नक़ली शय को असली बता कर या ज़रर देने वाली शय की मिलावट करके फ़रोख़्त करने वाले को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, इस तरह की दोनों कमाई यानी तन्ख़्वाह और रिश्वत से हासिल करदा रक़म के एवज़ खाना पीना हराम है।

(५६) नक़ली शय को असली बता कर या ज़रर (नुक़्सान) देने वाली शय की मिलावट करके फ़रोख़्त से हासिल करदा रक़म के एवज़ कोई शय खाना पीना हराम है।

(६०) किसी मुसलमान या मुसलमानों को नाजाइज़ हलाक मसलन हथौड़ा ग्रुप बम के धमाकों या फायरिंग करने से हासिल करदा रक़म के एवज़ किसी शय का खाना पीना अशद हराम है।

(६०) किसी मुसलमान या मुस्लिम रियासत को नुक़सान पहुँचाने के लिए नाजायज़ मुख़्बिरी से हासिल कर्दा रक़म के एवज़ कोई चीज़ खानी हराम है।

(६२) इस्लामी हुकूमत के सरबराह को गुस्ताख़े रसूल हज़रात के कुफ़िया इबारात दिखाने के या उनकी निशानदेही करने के बावजूद गुस्ताख़े रसूल अफराद से और अल्लाह तआला के अता करदा इख़्तियारात से उनकी इस अज़ीम दिलेरी पर कुछ क़दम न उठाना, बल्कि उनको अपना मुशीर (मशवरे देने वाला) बनाना, उनको अवाम में इज़्ज़त देना यह सब हरकात अशद हराम व क़रीबे कुफ्र के अलावा इसका इस्लाम और बानी-ए-इस्लाम से बेपरवाही व अदम ग़ैरत पर हर हर सांस लेना और सलतनते इस्लामी की सरबराही की तन्ख़्वाह से खाना पीना तक हराम है।

(६३) शराब बनाना, पिलाना, पीना हराम है।

(६४) गांजा बमिक़्दार नशा पीना हराम है।

(६५) भंग बक़दरे नशा पीना हराम है।

(६६) रस बक़दरे नशा पीना हराम है।

(६७) इस्प्रिट नापाक भी है और पीना हराम है।

(६८) मिट्टी का तेल बक़दरे ज़रर पीना हराम है।

(६९) हिरूइन खाना पीना हराम है।

(७०) अफ़्यून बक़दरे नशा व ज़रर खाना हराम है।

(७१) संखिया बेग़ैर इस्लाह किए बक़दरे ज़रर खाना हराम है।

(७२) ज़हर बक़दरे ज़रर खांना हराम है।

(७३) नीला थोता बक़दरे ज़रर खाना हराम है।

(७४) जमाल गोटा बक़दरे ज़रर खाना हराम है।

(७५) जिस क़दर मिट्टी से ज़रर पहुंचे खाना हराम है।

हराम लुक़्मा : अगर यह साबित किया जाए कि जिस तरह सूद को मुनाफ़ और प्रोफ़िट का नाम देकर हम हराम को हलाल करते हैं इसी तरह

दीगर हराम भी हम किस-किस तरह हलाल समझ कर खाते पीते हैं तब यक़ीनन इन चन्द हराम पर ही एक ज़ख़ीम किताब तैयार हो सकती है। आज कल जब हम हलाल रिज़्क़ को भी झूठ वग़ैरह के ज़रिआ हराम करके ही खाने के आदी हो चुके हैं तो आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगायें कि फिर हम हराम को किस शौक़ व रग़बत से खाते पीते होंगे? हद तो यह है कि रिवश्त और ग़बन तक को हम हक़ हलाल बल्कि उसको अल्लाह तआला का फ़ज़्ल तक कह गुज़रते हैं।

हम दोनों की कमाई रही हक़ हलाल की
रिश्वत से तुम अमीर बने और ग़बन से हम
अल्लाह ने तो अपने करम से बहुत दिया
काफी था उम्र भर को जो चलते चलन से हम

अल-कोहल यानी शराब का अंग्रेज़ी दवाइयों में होना, और घिन खाने वाली ओझड़ी को क़स्साबों (क़साई) का हौदी में इस तरह धोना कि जैसे पाखाने को पाखाना से धोया जा रहा है। फिर इस धोने को यह कहना कि हम पाखाना धोकर खाते हैं और यह कि फिर इसको बट का नाम दिया जाना किस को नहीं मालूम? – कपूरों के मुतअल्लिक़ बच्चे तक जानते हैं कि यह क्या हैं मगर जब हराम मुंह को लग जाए फिर किस तरह छूट सकता है ?

रात दिन का मुशाहिदा (देखना) है कि हराम लुक़्मा हराम काम कराने से भी नहीं चूकता। हत्ता कि ज़िना, इग़्लाम से तजावुज़ करके क़त्ल व ग़ारत गरी करना, कराना तक पेशा इख़्तियार कराता है। कभी हुकूमत के इशारों पर हथौड़ा गुरुप का काम अंजाम देता है। तो कभी हुकूमत इन बमों के धमाकों का काम लेती है तो कभी टोपी चादर तब्दील करके मुंह पर ढाटे बांध कर बे गुनाहों के मज्मा पर फ़ाइरिंग से अवाम को शहीद व ज़ख़्मी करके मुल्क व क़ौम के ग़द्दारों को ख़ुश करते और "लगा के आग चले आप ही बुझाने को" का पाट अदा करके फिर चन्द हमदर्दाना ब्यान व "मगरमछ के आंसू बहा कर" अवाम की हमदर्दियों और चर्ब ज़ुबानी से लीडर बनते हैं, तो कभी खरबों रुपया का अस्लेहा (ओझड़ी कैम्प) तबाह करते हैं याद रखें! ऐसे अश्ख़ास (लोग) ख़ुद तो कुत्ते से बदतर मौत मरते ही हैं। अपने साथ दूसरों के भी बेड़ा ग़र्क़ के सबब बनते

हैं, बल्कि हराम कमा, खाने वाले अपनी दुनिया व आख़िरत दोनों तबाह करते हैं। ऐसे अश्ख़ास दुनिया में तो बेचैनी, बेक़रारी, इज़्तिरारी कमाते ही हैं, मगर आख़िरत में भी अज़ाबे अलीम की दौलत से माला माल होते हैं। कुछ अरसा पहले हराम की दौलत कुफ़्फ़ार व मुश्रेकीन के पास हुआ करती थी मगर अब ऐसी दौलत पर इंआम का एलान किया जाए तो नाम से मुसलमान ट्राफ़ी हासिल करने पर कम और छीनने पर ज़्यादा ज़ोर देते दिखाई देंगे।

अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त ने हक़ हलाल की कमाई पर इंआम व इकराम और हराम कमा, खाने पर अज़ाब व सज़ा सुना कर बार–बार आगाह फरमाया। फिर भी हराम कमाई को अल्लाह का करम और हक़ हलाल की कमाई कहना और ख़ास कर रिश्वत को अपना हक़ जता कर हासिल करना शरीअ़त व साहिबे शरीअ़त पर जुरअत व दिलेरी है। और यह दिलेरी

ले के रिश्वत फंस गया है दे के रिश्वत छूट जा

वाले उसूल ने पैदा की है। ऐसी कमाई खा कर ग़ौस व क़ुतुब पैदा नहीं होंगे, बल्कि लड़ाओ और हुकूमत करो वाले ज़हन पैदा होंगे

नहीं गुंजाइश खाना माल हराम इस्लाम के अन्दर
गवारा हो नहीं सकता यह काम इस्लाम के अन्दर

जबकि इस्लाम और बानी-ए-इस्लाम पर मर मिटने वाले, बहादुर, मुत्तक़ी, परहेज़गारी, नेक सालेह और फरमांबरदार औलाद हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि –

पयम्बर जिस अमल का हुक्म दे करने पर झुक जाओ
पयम्बर रोक दे जिस काम से फ़िल्फ़ौर रुक जाओ
मुसलमानों के हिस्से में फ़क़त अकले हलाल आए
कमी बेशी की सूरत हो तो राज़िक़ का ख़्याल आए

हराम खाने से यही नहीं कि सिर्फ़ हलाकू, चंगेज़ ख़ाँ या हिन्दू नवाज़ काँग्रेसी ही ज़हन पैदा होंगे।

हराम ख़ोर की इबादत मक़्बूल नहीं

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि अल्लाहु तआला अन्हुम फरमाते हैं। अगर नमाज़ पढ़ते-पढ़ते कमान की तरह झुक जाओ और रोज़े रखते-रखते

चिल्ला ताँत या तीर की तरह दुबले हो जाओ तो भी अल्लाह तआला तुम्हारे यह आमाल कुबूल न करेगा। जब तक हराम से न बचो –

सब्र, खुद्दारी, दिलेरी, हक़ परस्ती अब कहाँ?
रख लिया अच्छा सा इक नाम और मुसलमां हो गए

मसला : जो चीज़ नजिस (नापाक) हैं उनका खाना, पीना भी हराम है। ऐसी शय अगरचे क़लील (थोड़ी) भी हलाल अशिया में शामिल की जाए, या हलाल अशिया के साथ पकाई जाए तब वह हलाल अशिया भी खाना, पीना हराम है। मसलन शराब या पेशाब वग़ैरह का एक क़तरा शर्बत या लेमन में या किसी खाने की शय में हो, या कुरबानी की कलेजी या खीरी के साथ कपूरे पकाए गए यह तमाम खाने पीने की अशिया नजिस व नापाक और इनका खाना, पीना नाजाइज़ व हराम है। इसी तरह आँत, ओझड़ी खाने से भी परहेज़ चाहिए।

तोबा और कफ़्फ़ारह : तौबा से पहले आइंदा हराम अशिया न खाने का अहद और अगर अल्लाह तआला के बन्दों का मुज्रिम हो तो उनके हुकूक़ अदा करे या माफ़ करा ले या किसी की चुग़ली, ग़ीबत की हो तो उससे उसकी माफ़ी चाहिए ताकि आख़िरत में मक़्बूल नेकियों से भी महरूम न हो। एलानिया गुनाह की एलानिया तौबा, और खुफ़िया की खुफ़िया तौबा करे। फिर अल्लाह तआला से आइंदा गुनाह न करने का अहद पिछले गुनाहों पर शर्मिन्दगी व निदामत के साथ माफ़ी की इल्तिजा और अल्लाह तव्वाबुर्रहीम से तौबा कुबूलियत की उम्मीद रखे।

तौबा का तरीक़ा : अल्लाह तआला ने अपने महबूब के गुलामों की तौबा की कुबूलियत का तरीक़ा इस आयते मुबारक में यूं इरशाद फ़रमाया।

तरजमा : और अगर जब वह अपनी जानों पर ज़ुल्म करें। तो ऐ महबूब! तुम्हारे पास हाज़िर हों फिर अल्लाह से माफ़ी चाहें, और रसूल उनकी शफ़ाअत फरमाए तो ज़रूर अल्लाह को बहुत तौबा कुबूल करने वाला मेहरबान पाएं।

कव्वा खाना हराम : जिस तरह गुस्ताख़े रसूल फ़िर्क़े ने मुसलमानों में हुज़ूरे अनवर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शाने पाक में सैंकड़ों सड़ी सड़ी गालियाँ लिख-लिख कर छाप-छाप कर इंतिशार पैदा किया

इसी तरह बेशुमार मसाइल में उल्झा कर मुसलमानों की वहदत को पारा-पारा करने के सबब बने। चुनांचे गुस्ताख़े रसूल फ़िर्के के एक बड़े आलिम ने फ़तावा रशीदीया सफ़ा २६६ में मशहूर व मारूफ़ कव्वा खाना सवाब लिखा है। मुसलमानों को धोखा देने की ग़रज़ से सुर्ख़ी यह लिखी कि "हलाल कव्वा।"

तक़रीबन अस्सी साल उलमा-ए-अह्ले सुन्नत ने मुसलमानों को दलाइल की रोशनी में बावर कराया कि कव्वा खाना जाइज़ नहीं इसका खाना हराम है। इस अरसे गुस्ताख़े रसूल फ़िर्के के उलमा या जो लोग उन उलमाओं से बहुत मानूस थे सिर्फ़ वही कव्वा शौक़ से खाते रहे और कव्वा ख़ोर कहलाने पर फ़ख़ महसूस करते रहे। मगर ६ / अगस्त १६७६ ई० नवाए वक़्त अख़्बार में एक सुर्ख़ी छपी कि उलमा-ए-देवबन्द आज शब कव्वा हराम या हलाल पर ग़ौर करेंगे। चुनांचे ७ / अगस्त १६७६ ई० को गुरुप फोटो बल्कि महफ़िल में कव्वा खाते हुए फोटो छपवाया ताकि उनके अपने फ़िर्के के अफराद और लाइल्म मुसलमान भी इसको खाने में आर महसूस न करें और शब के फ़ैसले से भी आगाह किया कि फ़ैसला कव्वे के हलाल का हुआ है।

यह आजिज़ यहाँ सुनने इब्ने माजा शरीफ़ की दो हदीसें तहरीर करता है ताकि क़ारेईन ख़ुद अंदाज़ा लगालें कि कव्वा खाना हराम है या कव्वा खाना सवाब ?

बाब ४३७ अल-ग़ुराब हदीस नम्बर १०३६ अहमद बिन अल-अज़हर, हशीम बिन जमील, शरीक हिशाम, उरवा इब्ने उमर ने फरमाया कि कोई शख़्स ऐसा भी है जो कव्वा खाए?

हलांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इसका नाम फ़ासिक़ रखा है। ख़ुदा की क़सम यह पाक चीज़ों में से नहीं है।

(सुनने इब्ने माजा जिल्द दोम सफ : २६४)

साँप, बिच्छू, चूहा, कव्वा, बदकार फ़ासिक़ हैं

मुहम्मद बिन बशार अंसारी मस्ऊदी अब्दुर्रहमान बिन क़ासिम बिन मुहम्मद बिन अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने वालिद क़ासिम बिन अबू बकर सिद्दीक़ से रिवायत की और क़ासिम हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फरमाया साँप फ़ासिक़ है बिच्छू फ़ासिक़ है चूहा फ़ासिक़ है और कव्वा फ़ासिक़ है। किसी ने क़ासिम से दरयाफ़्त किया कव्वा खाया जा सकता है ? उन्होंने फरमाया जब हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने उसे फ़ासिक़ क़रार दिया है तो उसके बाद उसे कौन खा सकता है?

इस हदीसे पाक में कव्वे को साँप, बिच्छू, चूहे के साथ ही ज़िक्र किया है अगर फ़ासिक़ बदकार के माना हलाल के हैं तब तो साँप, बिच्छू, चूहे के साथ कव्वा खाना बक़ौल गुस्ताख़े रसूल के सवाब होगा। और अगर साँप, बिच्छू, चूहे का खाना हराम है तब कव्वा खाना भी हराम होगा।

गुस्ताख़े रसूल की अय्यारी : गुस्ताख़े रसूल! इमामे आज़म रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से कहते हैं कि इमामे आज़म ने अक़ अक़ को हलाल कहा है और साथ ही फिर अक़ अक़ को खुद ही देसी बताते हैं। जबकि अक़ अक़ जंगली परिन्दा है। मुन्तख़बुल्लुग़ात के सफ़: ३३२, ३४७ में दश्ती लिखा है दश्ती के माना जंगली के हैं।

फतावा आलमगीरी सफ़: २६० जिल्द ५ में जहाँ अक़-अक़ को हलाल लिखा है। उसकी चन्द सतर बाद ही गुराबुल-कुबा को ख़बीसुत्तुबा लिखा है। क़ुरआन मजीद ने पारा ६ रुकूअ ६ आयत **युहर्रिमु अलैहिमुल-ख़बाइस** में हर ख़बीस चीज़ को हराम क़रार दिया है।

तफ़्सील के लिए माहनामा रज़ाए-मुस्तफ़ा ज़ीक़ादा १४०६ हिज. सफ़: नम्बर ६ और ७ मुताला फरमाएं। हदीस में कव्वे को ख़बीस कहा लिहाज़ा कव्वा भी हराम हुआ।

नियाज़ को शिर्क बताते यह हैं
कव्वे शौक़ से खाते यह हैं
इमाम हुसैन के नाम का शर्बत
साफ हराम फरमाते यह हैं
बुतों के नाम की खेलें पताशे
ख़ुद जाइज़ ठहराते यह हैं
ग्यारहवीं की नियाज़ का खाना
शिर्क बता के खाते यह हैं
गोया अह्ले सुन्नत पर बस
शिर्क का डंडा घुमाते यह हैं

(अनीस अहमद नूरी)

ख़बरदार! ओझड़ी और कपूरे मत खाइए

अज़ : अल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद शरीफ़ुल-हक़ अम्जदी
जामिया अशरफ़ीया मुबारकपुर

ओझड़ी और आँतों का खाना मक्रूहे तहरीमी है और मक्रूहे तहरीमी का इर्तिकाब नाजाइज़ और गुनाह। दुर्रे मुख़्तार में हैं। "हर मक्रूहे तहरीमीं इस्तिहक़ाक़े जहन्नम का सबब होने में हराम के मिस्ल है।" आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ाँ क़ुदुस सिर्रहू ने अपने फ़तावा में बदलाइल साबित फरमाया कि ओझड़ी और आँतों का खाना मक्रूहे तहरीमी यानी क़रीब हराम है। खुलासा यह है कि हदीस में सात चीज़ों की मुमानिअत वारिद है। नर और मादा की शर्मगाहें, कपूरे, ग़ुदूद, मसाना, पित्ता और ख़ून।

हदीस शरीफ़ : शामी में हज़रत मुजाहिद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने इन चीज़ों से कराहत फरमाई। अल्लामा शामी हदीसे मज़्कूरा के नक़ल के बाद फरमाते हैं। कि "इमाम आज़म ने फरमाया। ख़ून हराम क़तई है और बक़िया छेः मक्रूह हैं। और यह इसलिए कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का इरशाद है। तुम पर मुरदार और ख़ून हराम किया गया। तो चूंकि ख़ून को नस शामिल है इसलिए वह हराम क़तई है। ख़ून के अलावा बक़िया चीज़ों के मक्रूह होने की इल्लत यह है कि उन से घिन आती है और यह नापसन्द हैं। और किसी चीज़ का घिनावना होना कराहत का सबब है इसलिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने फरमाया यह "नबी उन पर गन्दी चीजें हराम करते हैं।" (ज़ेलई) बदाए आख़िर किताबुज़्ज़ाइह में है कि जो मुजाहिद से मरवी है इससे मुराद मक्रूहे तहरीमी है। इन चीज़ों के मक्रूह होने की इल्लत इनका ख़बीस गन्दा घिनावना होना है। लिहाज़ा जो चीज़ भी इनकी तरह गन्दी घिनावनी होगी मक्रूहे तहरीमी होगी। ग़ौर कीजिए! अज़्वे तनासुल क्यों ख़बीस है? इस वजह से कि यह नजासत की गुज़र गाह है और ओझड़ी और आँतें गुज़रगाह ही नहीं मख़्ज़न हैं। मसाना क्यों ख़बीस है इसलिए कि यह मख़्ज़ने बौल (पेशाब) है। तो ओझड़ी और आँतें लीद के

मख़्ज़न होने की वजह से ज़रूर मसाना की तरह ख़बीस और ज़िक्र व फ़रज से ख़बाइस में ज़ाइद होने की वजह से नाजाइज़ व मकरूहे तहरीमी होंगी।

आला हज़रत कुद्दुस सिर्रहू ने निहायत वाज़ेह ग़ैर मुब्हम अल्फ़ाज़ में दोनों बातों की तस्रीह की है कि यह ओझड़ी और आँतें, मसाना व ज़क्र व फ़रज की तरह मकरूह हैं। और यह भी कि यह मकरूहे तहरीमी हैं। आमए कुतुब में इन्हीं सात पर इक्तिफ़ा फ़रमाया। मगर बहुत सी कुतुब में इन पर इज़ाफ़ा भी है। मसलन हराम मग़ज़, वह पट्ठे जो दोनों शानों तक खिंचे होते हैं। इससे मुस्तफ़ाद हुआ कि कराहत इन्हीं सात में मुन्हसिर नहीं। बल्कि इल्लते कराहत के पाए जाने के बाद दूसरी चीज़ें भी मकरूह होंगी।

और ज़ाहिर है कि इन सातों चीज़ों में इल्लते कराहत इनका ख़बीस होना है। यानी घिनावना पन और हर घिनावनी चीज़ नब्ज़े कुरआन हराम इरशाद है। **व युहर्रेमु अलैहिमुल-ख़बाइस** और ख़बाइस की तफ़्सीर में आरिफ़ बिल्लाह मुल्ला अहमद ज्यून कुद्दुस सिर्रहू फ़रमाते हैं। मा **युस्तख़्बिसु कद्दमे**। जिससे घिन की जाए। अलमुंजिद में ख़बाइस के माना हैं। **मा कानतिल-अरबु तसतक़्ज़िरहू वला ताकुलहू**। जिस से अरब घिन करते थे और खाते न थे। **वल्लाहु व रसूलुहू आलम**।

बशुक्रिया माहनामा रज़ा-ए-मुस्तफ़ा गोजरांवला।

❖❖❖

पानी पीने की सुन्नतें

(१) पानी कुदरती ठण्डा या मस्नूई ख़ुशगवार पीना
(२) मिट्टी के बर्तन या लकड़ी के प्याले या दोनों हाथों के लप से दीगर ६ ।ातों के बर्तन से भी जवाज़ यानी इजाज़त के लिए आक़ा ने नोशे जान किया।
(३) बैठ कर (४) आबे ज़म ज़म और बर्तन में वज़ू का बचा हुआ पानी खड़े हो कर।
(५) देख कर कि कचरा, तलछट, गाद, मच्छर, च्यूंटी, कीड़ा वग़ैरह न हो।
(६) कचरा अगर गिरा कर ही पीना कि हदीस में फूंकना सख़्त मना और मक्रूह है।
(७) बिस्मिल्लाह शरीफ़ पढ़ कर। (८) सीधे हाथ से।
(६) तीन साँस में वरना हर घूँट पर सांस लेकर पीना।
(१०) साँस मुंह के सामने से बर्तन को हटा कर लेना।
(११) पानी चूस कर पीना (१२) बाद पीने के **अल्हम्दुलिल्लाह** सही अदा करना।
(१३) पानी पिलाने वाला ख़ुद आख़िर में पिए। नर्म ख़ुजूर को ठण्डे पानी में हल करके पीना शहद को ठण्डे पानी हल करके पीना। सत्तू ठण्डे पानी में हल करके पीना भी सुन्नत है।

नोट : इन तमाम सुन्नतों पर अमल पानी की मिस्ल पर भी है। मसलन दूध लस्सी जूस मश्रूबात सोडा लेमन थादल चाय कॉफ़ी सूप नखीनी वग़ैरह और दवा को हिला कर सुन्नतों की पाबन्दी के साथ **अल्लाह शाफ़ी** का इजाफ़ा करके पीना चाहिए।

यहाँ पानी पीने की सुन्नतों पर चन्द अहादीस नक़ल की जाती हैं। मज़ीद हदीसें दीगर मज़ामीन में मुलाहिज़ा फरमाएं इसी तरह मक्रूहात भी।

पानी पीने से मुतअल्लिक़ अहादीस

दाहिने हाथ से पीना

हदीस : सही मुस्लिम में इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फरमाया जब खाना खाए तो दाहिने हाथ से खाए और पानी पिए तो दाहिने हाथ से पिए।

हदीस : इब्ने माजा ने अबू हुरैरह रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि दाहिने हाथ से खाए। और दाहिने हाथ से पिए। और दाहिने हाथ से ले और दाहिने हाथ से दे। क्योंकि शैतान बाएं से खाता है। बाएं से पीता है और बाएं से लेता है और बाएं से देता है।

भूल कर खड़े हो कर पीने पर क़य कर दे

हदीस : सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरह रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फरमाया। खड़े होकर हरगिज़ कोई शख़्स पानी न पिए और और जो भूल कर ऐसा कर गुज़रे वह क़य कर दे।

हदीस : सही बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत अनस रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने खड़े होकर पानी पीने से मना फरमाया है।

फूंकना मना, कचरा गिरा दो, सांस पानी से मुंह जुदा करके लो :

हदीस : तिर्मिज़ी ने अबू सईद ख़ुदरी से रिवायत की है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने पीने की चीज़ में फूंकने से मना फरमाया। एक सहाबी ने अर्ज़ की कि बर्तन में कभी कूड़ा दिखाई देता है। फरमाया उसे गिरा दो। उसने अर्ज़ की एक सांस में सैराब नहीं होता हूँ। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फरमाया बर्तन को मुंह से जुदा करके सांस लो।

बिस्मिल्लाह व हम्द और तीन सांस

हदीस : तिर्मिज़ी ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि एक सांस में पानी न पियो। जैसे ऊंट पीता है। बल्कि दो और तीन सांस में पियो तो बिस्मिल्लाह पढ़ लो। और जब बर्तन को मुंह से हटा लो तो अल्लाह की हम्द करो!

पानी चूस कर पीना :

हदीस : दैलमी ने हज़रत अनस रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फरमाया, पानी चूस कर पियो। कि यह ख़ुशगवार और ज़ूद हज़म है। और बीमारी से बचाओ है।

खाने पीने के बाद हम्द ब्यान करना :

हदीस : सही मुस्लिम में हज़रत अनस रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फरमाया अल्लाह तआला उस बन्दे से राज़ी होता है कि जब लुक़्मा खाता है तो उस पर अल्लाह की हम्द करता है और पानी पीता है तो उस पर उसकी हम्द करता है।

दोनों हाथों के लिप से पानी पीना :

हदीस : इब्ने माजा ने इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फरमाया, हाथों को धोओ और उन में पानी पियो, कि हाथ से ज़्यादा पाकीज़ा कोई बर्तन नहीं। "बक़िया खाने पीने से मुतअल्लिक़ अहादीस दीगर मज़ामीन में मुताला फरमाएं।"

पानी पीना फ़र्ज़ : प्यास से हलाक होने का अन्देशा हो तब किसी चीज़ को पी कर अपने को हलाकत से बचाना फ़र्ज़ है। पानी दूर–दूर तक दस्तियाब नहीं। और शराब मौजूद है। और मालूम है कि इसके पीने से जान बच जाएगी। तब इतनी पी ले जिससे जान की हलाकत का अन्देशा जाता रहे। **(बहारे शरीअत)**

नोट : बिस्मिल्लाह पढ़ कर शराब पीना और ज़िना करना कुफ़्र है।

मसला : खाने पीने पर दवा और इलाज को क़्यास न किया जाए, यानी हालते इज़्तिरार (मजबूरी) में मुरदार और शराब को खाने पीने का हुक्म है मगर दवा के तौर पर शराब जाइज़ नहीं क्योंकि मुरदार का

गोश्त और शराब यक़ीनी तौर पर भूख और प्यास का दफ़ीआ (दूर करना) है। और दवा के तौर पर शराब पीने में यह यक़ीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि मर्ज़ का इज़ाला ही हो जाएगा। (रद्दुल-मुख़्तार)

अफ़्ज़ल : पानी के हर घूँट पर **अल्हम्दुलिल्लाह** पढ़ना। और अगर एक ही मज्लिस में मुख़्तलिफ़ क़िस्म (कई तरह) के खाने, पीने की अशिया (चीजें) हों तो हर शय (चीज़) खाने, पीने से पहले **बिस्मिल्लाह** पढ़ना। कि हर शय का ज़रर जुदा है। इसी तरह हर शय के आख़िर में **अल्हम्दुलिल्लाह** पढ़ना अफ़्ज़ल है।

मसला : मुश्क के दहाने में मुँह लगा कर पानी पीना मकरूह है। क्या मालूम कोई मुज़िर (नुक़सान) चीज़ उसके हलक़ में चली जाए। (आलमगीरी) इसी तरह लोटे की टोंटी से पानी पीना। मगर जब लोटे को देख लिया हो कि उसमें कोई चीज़ तो नहीं। सुराही को मुँह लगा कर पानी पीने का भी यही हुक्म है। यही हुक्म बरमे और नलके की टोंटी को मुँह लगा कर पीने का है। **(बहारे शरीअत)**

मसला : जुन्बी या बेवज़ू, हाथ धोए बग़ैर अगर पाक पानी में उंगली या हाथ का कोई हिस्सा भी डाल दे तो वह पानी वज़ू या ग़ुस्ल के लिए तो इस्तेमाल हो ही नहीं सकता बल्कि उस पानी का पीना भी मकरूह हो जाता है। उमूमन रोज़ मर्रह या दावतों में जब पानी से भरे जग का दस्ता पकड़ कर उठाते हैं तो अंगूठा जग में दाख़िल करके उठाना पड़ता है। इस तरह जुन्बी या बेवज़ू या बे धुला हाथ पानी को लगने से तमाम पानी वज़ू और ग़ुस्ल के क़ाबिल नहीं रहता और पीना मकरूह।

पानी पीने के फ़वाइद :

तीन साँस में पानी पीना प्यास को ख़ूब बुझाता है। और खाना ख़ूब हज़म करता है। और ख़ूब तन्दुरुस्त रखता है, खाना हज़म होने के बाद पानी पिया जाए तो मेअदा में हरारत पैदा करता है, और बदन को फरबा करता है, बशर्तेकि अल्लाह तआला के महबूब की ब्यान करदा सुन्नतों पर अमल करते हुए पानी पिया जाए।

हदीस : मुस्लिम व अहमद, व तिर्मिज़ी ने अबू क़तादा रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि साक़ी (जो लोगों को पानी पिला रहा है) वह सब के आख़िर में पिएगा।

हदीस : दैलमी ने हज़रत अनस रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की है, कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया पानी को चूस कर पियो, कि यह खुशगवार और ज़ोद हज़्म है और बीमारी से बचाव है।

पानी देख कर, बैठ कर, दाहिने हाथ से, तीन सांस में, चूस कर, पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना, हर बार सांस बर्तन से मुँह हटा कर लिया जाए, अगर पानी में कचरा हो तब उसको फूंक कर न हटाया जाए, बल्कि कचरा गिरा दिया जाए।

हदीस : अबू दाऊद और इब्ने माजा ने इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने बर्तन में सांस लेने और फूंकने से मना फरमाया है।

पानी पीने के नुक़्सानात :

अतिब्बा का कहना है कि एक सांस में पानी पीने से सीने में दर्द पैदा होता है। खड़े होकर या लेट कर पानी पीने से मअदा कमज़ोर होता है, और खाने से क़ब्ल पानी पीना मअदा की हरारत को बुझा देता है। हम्माम के बाद पानी पीना मना है, नीज़ मुजामेअत (हमबिस्तरी) के बाद पानी हरगिज़ नहीं पीना चाहिए, इससे रअ़शा (कपकपाहट) का मर्ज़ पैदा होता है, मेवा जात खाने के बाद भी पानी न पीना चाहिए कि मुँह और ज़ुबान में ज़ख़्म पैदा हो जाने का ख़तरा है, बारिश का पानी, चश्मा का पानी, झील का पानी, तालाब का पानी, दरिया का पानी, कुएं का पानी, बरमे वग़ैरा के पानियों में ज़म, ज़म शरीफ़ के बाद बारिश का पानी अफ़्ज़ल व बेहतर है।

मुन्दरजा बाला में से किसी एक का पानी पिया जाए। और उनमें किसी दो पानियों को मिला कर हरगिज़, हरगिज़ न पिया जाए, कि उससे सख़्त अमराज़ (बीमारी) पैदा होते हैं।

गुढ़, मिठाई, फल, फ्रूट, खुसूसन, ख़रबूज़ा, तरबूज़, सेब, अंगूर, डराई फ्रूट, (बादाम पिस्ते वग़ैरह) चावल, घी, तेल की चिकनी अशिया तल्ली, बेग़ैर तल्ली और अचार, खाने के बाद पानी का परहेज़ लाज़मी, और उनके खाने के बाद नमक खाना ज़रूरी, वरना अचार, तेल, खटाई, की चीज़ रात को ऐसी बोलेगी कि उसकी आवाज़ डॉक्टर या हकीम के मतब तक जाएगी –

अगर ख़ून कम बने, बल्ग़म ज़्यादा
तो खा गाजर, चने, शल्ग़म ज़्यादा

पानी कब पीना चाहिए :

यहाँ यह बताना मक़सूद है कि पानी कब पीना बेहतर है, बाज हज़रात पानी खाने के शुरू में ही पीते हैं और फिर खाने के बाद भी नहीं पीते, और बाज़ शुरू में और खाने के आख़िर में पानी पीते हैं। और बाज़ हज़रात खाने के शुरू और खाने दौरान पानी बिल्कुल नहीं पीते। सिर्फ़ खाने के आख़िर में पानी पीते हैं। और उज़्र यह ब्यान करते हैं कि अगर खाने के दरम्यान पानी पी लें तो फिर खाना नहीं खाया जाता। एक क़ाबिले रहम वह हज़रात हैं ख़ुसूसन स्कूल, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे की सारी शब प्यासे रहने के बावजूद नाश्ता में रोटी तली हुई या पराठा चाय से खाते हैं, जिसकी वजह से पानी अव्वल, दरम्यान और आख़िर में भी नहीं पीते। उज़्र यह ब्यान करते हैं कि चिकनी रोटी पर पानी नहीं पिया जाता। इसी तरह चाय के दरम्यान और आख़िर में पानी नहीं पिया जाता।

जहाँ तक पानी के उसूल ब्यान करते हैं वह तक़रीबन ठीक हैं। मगर क्या हकीम, डॉक्टरों ने कहा है कि चिकनी रोटी चाय से ज़रूर खाओ? इस पर घर के सरबराह हज़रात जवाब इनायत करते हैं कि स्कूल में दिमाग़ के काम से वास्ता है लिहाज़ा दिमाग़ तर रहे। इस वजह से इस क़िस्म का नाश्ता कराया जाता है। और ताईद में सैंकड़ों ग़रीब, अमीर घरानों की मिसालें भी पेश करते हैं। कि उनके बच्चे भी ऐसा ही नाश्ता करते हैं। गोया इन तालीम के दीवानों के नज़्दीक तमाम शब और सुबह तक प्यासे और ख़ुश्की लाने वाले नाश्ता में भी पानी से महरूम रखने का नाम दिमाग़ की तरी है।

इफ़रात व तफ़्रीत : इसी का नाम है। कि पानी खाना खाने के अव्वल, दरम्यान, आख़िर में भी नहीं पिया जाए। और जब पानी पीने पर उतरेंगे तो मिठाई, फ्रूट चिकनी अशिया पर पानी बेग़ैर बिस्मिल्लाह पढ़े, खड़े–खड़े ही एक ही सांस में ग़ुट-ग़ुट बजाए पीने के पेट में उंडेलते हैं। और फिर ख़ुद पर मज़ीद ज़ुल्म यह करते हैं कि नज़ला पहुँचाने वाली अशिया पर पानी पी कर नमक या नमकीन शय भी नहीं खाते। जबकि **हिक्मत का उसूल** यह है कि खाने के शुरू में पानी पीना बेहतर है। ख़ुसूसन, चावल, मिठाई, फ्रूट, चाय वग़ैरा के और खाना खाने के दरम्यान में ज़रूरी, आख़िर में पानी पीना बीमारी, हकीमों के बादशाह हज़रत **लुक़मान अलैहिस्सलाम** इरशाद फ़रमाते हैं कि खाने के अव्वल पानी पीना दवा, दरम्यान में शिफ़ा, आख़िर में पानी पीना **वबा**। कि मेअदे की

हरारत बुझ जाती है। जिसके सबब मेअदे को खाना, हज़म करने में दुशवारी होती है। अल्बत्ता खाना खाने के एक घन्टा बाद हकीकी प्यास लगती है। कि मेअदे की हरारत से खाना पकता है। जिस के सबब पानी के स्टॉक में कमी आ जाती है। अलामत प्यास महसूस होना। उस वक़्त पानी पीना ज़रूरत के तहत ज़रूरी है।

अगर यह मर्ज़ आम है तो बद परहेज़ी भी आम है :

खाने के आखिर में पानी पीने की आदत से दाइमी क़ब्ज़ रहेगा। अगर क़ब्ज़ नहीं हुआ तब दाइमी नज़्ला, सर का दर्द रहेगा। लिहाज़ा बचना ज़रूरी है।

कंगे के साए में हम पल कर जंवां हुए हैं
नज़्ला, जुकाम, खांसी, क़ौमी निशां हमारा!

क़ब्ज़ और नज़्ला तमाम मरज़ों की मां हैं यही वजह है कि डॉक्टरों, हकीमों के मतब (दवाखाना) में अक्सर मरीज़ पेट, सर दर्द, नज़्ला, ज़ुकाम और खांसी के पाए जाते हैं, और कम इल्मी, बेइल्मी, बद परहेज़ी की वजह से बावजूद इलाज के डॉक्टरों, हकीमों से शाकी होते हैं कि नज़्ला, ज़ुकाम, सर दर्द में कमी नहीं आई, आपके इलाज और दवा से पाखाना मज़ेदार नहीं हुआ। गोया बद परहेज़ पाखाने में भी मज़ा तलाश करते हैं –

बद अमल बीमार को अमृत भी ज़हर आमेज़ है
सच कहा है सौ दवाओं की दवा परहेज़ है

एक वह वक़्त था कि हमारे आक़ा व मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर खाना नमक से शुरू करो और नमक पर इख़्तिताम करो –

मिसरा :

खुदा रहमत करे उन आशिक़ाने पाक तीनत पर

कि सहाबा ने अपने हादी के इस हुक्म पर भी दिल की गहराई, यानी ख़ुश दिली से अमल किया तो यह अमराज़ कहीं देखने, सुनने में नहीं आए।

मिसरा :

यह कहने से भी लेकिन बाज़ हरगिज़ रह नहीं सकते

कि आज हम ने अपने हादी के बताए हुए उसूलों को छोड़ा तो तमाम दुनिया के अमराज़ तूफ़ान की तरह हम पर उमडे पड़े हैं। और

हम हर मरज़ को सीने से चिमटाए हुए हैं। खारा कर नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी, सर दर्द को। अगर कब्ज़ खत्म करने पर तवज्जोह न दी गई तब नज़्ला, सर दर्द के अलावा कराखते इहतिलाम जैसी मूज़ी (खतरनाक) बीमारी और उसके बाद जिरयान (पेशाब के बाद अव्वल आख़िर माद्दा कतरा वगैरह) और जिरयान की इंतिहा, टी.बी की इब्तिदा है। टी बी का दूसरा नाम तपेदिक़ भी है।

तपेदिक़ से अगर चाहे रिहाई
बदल पानी के गन्ना चूस भाई

और इन तमाम अमराज़ की मां क़ब्ज़, जो कि अक्सर खाने के आख़िर में पानी पीने से पैदा होता है। अल्लाह तआला के महबूब के हर हुक्म पर अमल करने में बेशुमार फाइदे हमारे ही हक़ में हैं।

मिसरा :

हमारी अक़्ल पर पर्दे पड़े हैं इसको क्या कहिए

ठण्डा पानी : जिस तरह गुस्सा की हालत में ठण्डे पानी के वज़ू से गुस्सा ठण्डा पड़ता है, इसी तरह जब दिल बैठने और दिल डूबने लगे तो यही ठण्डा पानी पीने से दिल कुव्वत (ताक़त) पाता है। बल्कि जब कोई बेहोश होता है उस वक़्त भी ठण्डा पानी ही उसे होश में लाने में मदद देता है।

हदीस : तिर्मिज़ी ने ज़हरी से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम को पीने की वह चीज़ ज़्यादा पसन्द थी जो शीरीं (मीठी) और ठण्डी हो।

हदीस : सही बुख़ारी में हज़रत जाबिर रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि "हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने एक अंसारी के घर बासी पानी पीने के लिए तलब फरमाया। पीने की हाजत में कुदरती ठण्डा पानी हो तो बेहतर वरना मस्नूई ठण्डा, इस क़द्र कि खुशगर लगे। वरना सख़्त ठण्डा पानी भी अपना असर ज़रूर दिखाएगा, कम अज़ कम मुन्दरजा बाला नज़्ला, ज़ुकाम, खांसी, दांत का दर्द, कान का दर्द, गले का दर्द, गले लगेगा, और सख़्त मीठे से शूगर, फालिज, रअशा, (कपकपाहट) हार्ट फेल जैसी मूज़ी (खतरनाक) बीमारियाँ, या इन से दो तीन और कम अज़ कम कोई एक तो ज़रूर पैदा होगी।

जो हज़रात चाय आदत की वजह से या मश्रूब के तौर पर पीते हैं उनको भी मीठे की इहतियात तो लाज़मी करनी चाहिए। सख़्त मीठे, ठण्डे के नुक़्सानात का इलाज भी अव्वल, आख़िर नमक या नम्कीन ही है।

हवा के मुक़ाबिल पानी पीना

सर्दियों में मटके का ठण्डा पानी हवा के मुक़ाबिल और गर्मियों में बर्फ़ वग़ैरा का ठण्डा पानी पंखे वग़ैरा की हवा के सामने हो कर पीने से बचा जाए। कि पानी की बरूदत, (ठण्डक) ठण्डक हवा से मुतअस्सिर हो कर नज़्ले के मरकज़ तालवे या हलक़ के ज़रिआ नज़्ला को मदद दे सकती है। ख़ास कर गले को नुक्सान पहुंचा सकती है।

और यूं भी न चाहिए कि पानी सही तौर पर पिया भी नहीं जाता। और हवा और पानी का फन्दा भी मुम्किन है। धुले, कोरे मटके के एक दिन, या एक शब के ठण्डे पानी से भी परहेज़ चाहिए कि कोरे मटके एक दो मरतबा के पानी से कोई दूसरा काम लिया जाए। ठण्डे और कोरे मटके की ख़ुश्बू , सख़्त बीमारी में मुब्तला करेगी। ख़ुसूसन दमे वाले मरीज़ को सख़्त इहतियात की ज़रूरत है।

इसी तरह पानी पी कर लेटना नहीं चाहिए। कि पलट कर दिमाग़ को चढ़ कर नज़्ला बनाता है यह इहतियात क़य के मर्ज़ में अशद ज़रूरी है। वरना पानी या दवा खा पी कर लेटने से फ़ौरन क़य उलटी के ज़रिआ दवा बाहर आ जाएगी। लिहाज़ा पानी वग़ैरा पीने के बाद चन्द मिनट बैठना भी ज़रूरी है।

जग से पानी निकालना : दावत में जग वग़ैरह से टंकी या ड्राम का पानी निकालना जबकि जग को अन्दर, बाहर से धो लिया गया हो। दुरुस्त है। टंकी से पानी निकालने वाले जग को पाक जगह रखे, कि ज़मीन पर रखने की कोई भी तहज़ीब याफ़्ता पसन्द नहीं करता। जिस तरह ज़मीन और उसकी मिट्टी, थूक, बल्ग़म, और पसीना अगरचे पाक हैं मगर कोई खाने पीने में इस्तेमाल नहीं करता।

जबकि ज़मीन ख़ुद भी पाक है। और इससे तहारते असग़र, वज़ू, तहारते अकबर भी तयम्मुम के ज़रिआ हासिल किया जाता है। सिवाए उस ज़मीन के हिस्सा के जिस पर पेशाब या पाखाना किया गया हो, कि ज़मीन ख़ुश्क (सूख़) होने पर जगह पाक है, नमाज़ पढ़ सकते हैं मगर तयम्मुम नहीं कर सकते।

बर्तन टप में धोना : होटल या दावत के दौरान खाने के इस्तेमाल किए हुए बर्तन पानी के टप में डाल कर निकालना फिर कपड़े से पोंछ कर बर्तन इस्तेमाल करना, यह अमल जाइज़ है, कि जो सालन अभी खाया गया वह ही बर्तन को लगा होता है और ख़ुद बर्तन प्लेट, प्याले वग़ैरह भी पाक ही इस्तेमाल होते हैं। दावत में हर तरह के आदमी होते हैं। बेहतर यह है कि बर्तन पानी की धार से ही धोए जाएं, ताकि किसी को कराहत न हो। यह इहतियात घर के बर्तन धोने में भी चाहिए।

सफ़ाई का काम करते हुए भी सफाई चाहिए : और यह कि राख, कोयले चिकनाई से लगे हाथ से ग्लास का किनारा पकड़ना, फिर मटके से पानी निकाल कर बर्तन धोना, इसी इहतियात से ही यह सब काम किए जाएं, मगर यह सब देखने के बावजूद उस मटके का पानी पीना तो क्या? पहले का खाया पिया भी निकालने में मदद देगा। लिहाज़ा सफ़ाई का काम करते हुए भी सफ़ाई चाहिए और जिस साफ़ी से बर्तन साफ किए जाएं वह भी गन्दी न हो, वरना वह अपनी गन्दगी से बर्तनों को भी गन्दा करेगी। और जिस पानी और साफी से बर्तन साफ किए जाएं वह पाक ही हो। वरना उसकी मिसाल ऐसी होगी कि बारिश की छींटों से बचने की ख़ातिर नाले के नीचे खड़ा होना, कि सालन वग़ैरह के बर्तन पाक ही होते हैं। सिर्फ़ चिकनाई वग़ैरह साफ़ करने की ग़रज़ से धोए जाते हैं।

जबकि नापाक पानी या नापाक साफ़ी से बर्तन धोने साफ करने से इन पाक बर्तनों को नापाक करना होगा। अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त का इरशाद है कि तैय्यिब तैय्यिबों के लिए और ख़बीस ख़बीसों के लिए। चूंकि नजिस शय ख़बीस होती है यूं भी ऐसे अमल से बचना ज़रूरी है। और यूं भी सफाई का काम करते हुए सफाई चाहिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि सफाई निस्फ़ (आधा) ईमान है।

पानी पीना कब मुज़िर है :

अगर तन्दुरुस्ती दरकार है तो अच्छी तदबीर पर अमल करना, और मुज़िर उमूर (नुक़्सानदेह) से बचना चाहिए। चुनांचे खाने के बाद पानी न पीना चाहिए, क्योंकि मेअदे की ताक़त कमज़ोर होती है। खाने के डेढ़ घण्टे बाद पानी पीना चाहिए। खाने के दरम्यान भी पानी न पीना चाहिए, क्योंकि इस से भी हाज़मा की क़ुव्वत ख़राब हो जाती है, और अंजाम को तक्लीफ़ उठानी पड़ती है, लेकिन अगर मेअदा गर्म हो तो खाने के बीच

में पानी पीना दुरुस्त है। मुबाशरत (हमबिस्तरी) के बाद पानी न पीना चाहिए, बल्कि किसी क़दर ठहर कर पीना चाहिए, क्योंकि मुबाशरत करते ही पानी पी लेने से बहुत से मर्ज़ पैदा होते हैं। नहार मुँह पानी न पीना चाहिए क्योंकि वह भी मुज़िर (नुक़सान) है। हम्माम (गुस्लखाना) के अन्दर ठण्डा पानी पीना भी मर्ज़ और दर्द में मुब्तला करता है और हम्माम से निकलते ही पानी न पिएं, बल्कि कुछ तवक़्क़ुफ़ (देर) करें। मेवों के खाने के बाद भी पानी पीना मुज़िर है, इस से रतूबतें (नमी) बढ़ जाती हैं जिन से मुख़्तलिफ़ क़िस्म के मर्ज़ पैदा होते हैं। मसहलों यानी दस्तों के बाद भी पानी पीना तक्लीफ़ देह अमराज़ का सबब हो जाता है रात के वक़्त ज़्यादा पानी पीना कमज़ोर करता है। गर्म पानी पीने की आदत से रफ़्ता-रफ़्ता दक़ (एक बीमार) पैदा हो जाती है। गर्म और सर्द ठण्डा पानी मिला कर पीना दर्द में मुब्तला करता है। खारी और गदले पानी से भी परहेज़ करना चाहिए – ज़्यादा समझ की बात यह है कि कुएं और चश्मे का पानी भी न इस्तेमाल करें, क्योंकि दोनों क़िस्म के पानी ग़लीज़ होने से बरी नहीं, इसी वजह से बदन को मर्ज़ों से आशना करता है। दरिया और कुएं का पानी मिला कर न पीना चाहिए, क्योंकि वह अंतड़ियों में नफ़ख़ (सूजन) और दर्दे दिल पैदा करता है। जब पानी की ज़रूरत हो तो नहरों का पानी लेना चाहिए, जिसको सूरज और हवा ने साफ किया हो उस पानी में से खुद पिए, और दोस्तों को भी दें। जिसमें आठ सिफ़तें हों वह पानी हर दाना के नज़्दीक बेहतरीन है।

.१ यह कि पानी पत्थर पर बहता हो। .२ बुलन्दी से नशीब की जानिब आता हो। .३ उसका वज़न हल्का हो। .४ बहुत तेज़ हवा की तरह बता हो। .५ कसीर मिक़्दार में हो, ताकि खराबी पैदा करने वाली चीज़ों का असर उस पर न पड़ता हो। .६ शीरीं और ख़ुशगवार हो। .८ बहुत दूर दराज़ जगह से बहता हुआ आता हो। .९ उत्तर की तरफ से आता हो पस ऐसा पानी सेहत को बरक़रार रख सकता है।

तन्दुरुस्ती के ज़माने में बीमारियों से बचने के वास्ते चाहिए कि ज़्यादा दूध पीने की आदत न रखें वरना मर्ज़ बरस (चर्मरोग) के लाहिक़ होने का अन्देशा है, और जो शख़्स गोश्त बरियां के साथ खायेगा उसकी ज़िन्दगी मौत से तब्दील हो जाएगी। अगर सर्दी ग़ालिब हो तो शहद ख़ूब खाएं, ख़ुदा का फरमान है कि शहद में शिफ़ा है। रंगतरा का ज़्यादा अर्क़ पीना

ज़ुअ़फ़े जिगर (जिगर की कमज़ोरी) पैदा करता है। शराब पीने से बेइज़्ज़ती और बेहयाई लाहिक़ होती है, हालांकि शराब ख़ोरी के फ़वाइद से शर्म व हया के फ़वाइद बदरजहा बेहतर हैं ज़्यादा पानी पीने की आदत बहुत जल्द लाग़र और कमज़ोर कर देती है।

मसला : जो पानी गर्म मुल्क में – गर्म मौसम में – सोने चाँदी के अलावा किसी और धात के बर्तन में धूप में गर्म हो गया तो जब तक गर्म है इसे किसी तरह इस्तेमाल न करना चाहिए यहाँ तक कि अगर उस से कपड़ा भीग गया तो जब तक ठण्डा न हो जाए उसके पहनने से भी बचें कि उस पानी के इस्तेमाल में बरस (सफ़ेद दाग़) का अन्देशा है **मगर** फिर भी अगर वज़ू या ग़ुस्ल कर लिया तो हो जाएगा। (बहारे शरीअत) याद रहे ऐसा पानी खाने पीने में बहुत मुज़िर (नुक़्सान) है।

कसरत ख़ोरी

बेतहाशा खाने वाला अब बड़ा बेचैन है
हाज़मे के वास्ते कुछ उसको चूरन चाहिए

हदीस : तिर्मिज़ी, इब्ने माजा ने मिक्दाम बिन मअदीकरिब रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की, कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम को यह फरमाते सुना कि "आदमी ने पेट से ज़्यादा बुरा कोई बर्तन नहीं भरा। इब्ने आदम को चन्द लुक़्मे काफी हैं जो उसकी पीठ (कमर) को सीधा करें। अगर ज़्यादा खाना ज़रूरी हो तो तिहाई पेट खाने के लिए और तिहाई पानी के लिए और तिहाई सांस के लिए।"

उलमा फरमाते हैं कि तिहाई पेट खाने से तन्दुरुस्ती ख़ूब क़ाइम रहती है हाफ़िज़ा तेज़ होता है अक़्ल तेज़ हो जाती है। नींद कम आती है। सांस की आमद व रफ़्त में आसानी रहती है। नमाज़ में ओंघ नहीं आने पाती। और फरमाते हैं कि खाना ज़िन्दगी के लिए हो, ज़िन्दगी खाने के लिए न हो। खाने पर सवार होना अक़्लमन्दी, और खाने को अपने ऊपर सवार करना बेवकूफ़ी है।

कसरत ख़ोरी मुज़िरे सेहत :

हदीसे पाक में कसरत खोरी (ज़्यादा खाना) कुफ़्फ़ार की सिफ़त बताई है। और यह कि कसरत ख़ोर पर ग़िज़ा सवारी करती है। जबकि क़लील (थोड़ा) ख़ूराक वाला ग़िज़ा पर सवारी करता है। कसरत ख़ोरी तवानाई (ताक़त) में मदद नहीं देती। एनर्जी नहीं बनाती। अल्बत्ता जिस्म पर बोझ बन कर सुस्त, काहिल, आराम तलब ज़रूर बनाती है। ज़्यादा खाने से मुख़्तलिफ़ अमराज़ जन्म लेते हैं। बद हज़्मी फ़सादे ग़िज़ा से रियाह, हैज़ा का मर्ज़ हर वक़्त हमले का आदी हो जाता है। कसरत ख़ोरी से खाने में लज़्ज़त भी हासिल नहीं होती। और मुताला में दिल नहीं लगता। और उसकी औलाद भी कुन्द ज़हन (कम अक़्ल) पैदा होती है। अल्लाह तआला की तरफ से उसके दिल में हिक्मत भी नाज़िल नहीं

होती। ज़्यादा खाने वाले को दूसरों पर शफ़्क़त नहीं रहती। और दूसरे लोग तो नमाज़ के वक़्त मस्जिद का रुख़ करते हैं और कसरत ख़ोर बैतुल-ख़ला की तरफ दौड़ता है। और यह कि मोटे होने के सबब उठने बैठने में कराहत महसूस करता है। रिफ़ा-ए-हाजत के वक़्त क़दमचूं पर बैठना तो दुश्वार होता ही है, मगर बड़े इस्तिंजा की जगह तक हाथ बदिक़्क़त भी नहीं पहुंचता। और अगर पहुंचा भी तो आख़िरी हिस्सा की नजासत धुलने से रह जाती है। इसको अपना जिस्म बार गुज़रता है। फ़राख़ी हो या तंगदस्ती।

फ़िराक़े क़ौम में घुल घुल के हो गए हाथी

इरशाद हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु

कम बोलना हिकमत। कम खाना सेहत, कम सोना इबादत, कम आमेज़ी (मिलावट) आफ़ियत है।" ख़ुसूसन मुसन्निफ़ हज़रात के लिए। वरना लोगों की मुलाक़ात और दुआ व सलाम में वक़्त पूरा होगा। सुडोल, तन्दुरुस्त, सेहत मन्द जिस्म बनाने के लिए अगर वालिदैन बच्चे को सुबह की सैर, वर्ज़िश, ग़ुस्ल के बाद वक़्त पर खाने की आदत और हसद से परहेज़ी की तालीम पर ख़ास ख़्याल रखें कि हसद से बच्चा में चिड़ चिड़ा पन आता है। बच्चा दिल ही दिल में कुढ़ता है। उस पर गोश्त नहीं चढ़ता। क़द नहीं बढ़ता। कमज़ोरी हमेशा रहती है। सुडोल जिस्म, तन्दुरुस्त, सेहत मन्द, और ख़ूबसूरती के लिए सस्ता नुस्ख़ा। शेअर

शहर की गन्दी हवा से तुमको डरना चाहिए
रोज़ सुबह व शाम बाहर सैर करना चाहिए
कि बच्चे बत्ने मादर से जवां पैदा नहीं होते
बनाए जाते हैं, सब पहलवां पैदा नहीं होते

वरना ख़ाली कसरत ख़ोरी सेहत (ज़्यादा खाना) की तबाही के साथ-साथ चुस्ती ख़ूबसूरती को भी ले डूबेगी। कसरत ख़ोर हर जगह मुँह मारनें की वजह से आहिस्ता-आहिस्ता हर हराम को अपने लिए हलाल समझने लगता है। फिर हराम खाने से ज़ेहनियत तख़रीबी (ख़ुराफ़ाती दिमाग़) बना लेता है। कसरत ख़ोरी की वजह से ख़ुद्दारी तो रहती ही नहीं। तअने, तन्ज़ छींटे सुन-सुन कर ग़ैरत भी रुख़्सत हो जाती है। ग़र्ज़

कि कसरत ख़ोरी हिर्स (लालच) को क़रीब। ग़िना (दौलतमन्दी) को दूर करती है।

डकार तक खाना : छरेरे व सुडोल बदन के वास्ते भी क़लील (थोड़ा) ख़ूराक ज़रूरी है। क़ाइदे अह्ले सुन्नत हज़रत अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीक़ी और मुफ़्ती-ए-आज़म सिंध हज़रत मुफ़्ती मुहम्मद हुसैन साहब क़ादरी व दीगर उलमा-ए-अह्ले सुन्नत की क़लील ग़िज़ा ज़रबुल-मिस्ल है। जिसकी वजह से माशाअल्लाह सेहत भी क़ाबिले रश्क है। ख़िदमते दीन, ख़िदमते ख़ल्क़ में दिन रात मस्रूफ़ रहने के बावजूद सुस्ती, काहिली उनके क़रीब से नहीं गुज़रती। आप ख़ुद मुशाहिदा कर सकते हैं।

अक्सर उलमा-ए-अह्ले सुन्नत डकार तक खाने को बहुत बुरा समझते हैं। और कहते हैं कि लोग खाने से जब तक हाथ नहीं रोकते जब तक डकार न आ जाए। जब कि अनीस अहमद का मुशाहिदा यह है कि डकार से पहले से जितना खा चुके होते हैं जब तक इतना ही डकार के बाद भी न खा लें तब तक खाने से हाथ नहीं रोकते। इस नाचीज़ ने दावतों के दौरान तो ऐसा ही महसूस किया है, मगर लोग अपने घरों पर कितना खाते हैं। वल्लाहु तआला आलम, कसरत ख़ोरों की दलील।

हदीस : तिर्मिज़ी ने इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने एक शख़्स की डकार की आवाज़ सुनी। फ़रमाया अपनी डकार कम कर। इसलिए कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा भूखा वह होगा जो दुनिया में ज़्यादा पेट भरता है।

खाना स्टॉक की नीयत से भी न खाया जाए। जिस तरह ऊँट अपने कोहान में आइन्दा के लिए पानी स्टॉक यानी जमा कर लेता है और ज़रूरत पर वहाँ से ज़रूरत पूरी करता है। स्टॉक की नीयत से ज़्यादा खाने से भी ऐसी बदहज़्मी हो जाती है कि सेहत के लेने के देने पड़ जाते हैं कि अगला, पिछला खाया, पिया भी निकल जाता है।

बद हज़्मी में गर चाहे इफ़ाक़ा
दो इक वक़्त का कर ले तू फ़ाक़ा

स्टॉक की नीयत से खाया जाए या हिर्स व मुक़ाबला की नीयत से खाया जाए यह सब इंसानियत के दुश्मन, शैतानी धोखे, कहलाते हैं।

हमारे लिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम का फरमान भी बेहतर है, कि अगर ज़्यादा ही खाना मक़सूद हो तो तिहाई पेट खाने के लिए, तिहाई पेट पानी के लिए, और तिहाई पेट सांस के लिए।

इस क़दर खाना बुरा है जिस से बीमारी लगे
इस क़दर फाक़ा बुरा है जिस से कमज़ोरी बढ़े

हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम के तमाम फरमूदात पर अमल ज़िन्दगी के हर शोअबे में हमारे लिए पनाह गाह है। लिहाज़ा ज़रूरी है और यूं भी कि

नहीं आएं जो भेड़ें गिल्ला बानों की पनाहों में
सहर को हड्डियाँ उनकी मिला करती हैं राहों में

जिस्म व सेहत की मुहाफ़िज़त : खाना जब ही खाया जाए जब भूख की वजह से खाने की ख़्वाहिश हो कि ऐसी हालत में जो भी खाया जाएगा जल्द हज़म होगा और खाना तवानाई (ताक़त) भी लाएगा। खुश दिली से खाना सेहत व ख़ूबसूरती में इज़ाफ़ा लाता है। बशर्तेकि इतना खाया जाए कि कुछ भूख बाक़ी रहे और हर खाना अपने सहीह वक़्त पर खाया जाए। भूख में आधा पक्का खाना भी लज़ीज़ लगता है। और ख़ूब पेट भर खाने से लज़ीज़ और क़ीमती खाने में भी ऐब व नुक़्स नज़र आते हैं। ऐसे ही मौक़ा पर यह मुहावरा बोला जाता है कि "यह सब पेट भरे की बातें हैं"।

नेअमत हुई सिवा तो हुई शुक्र में कमी
मिक़्दार जितनी बढ़ गई , क़द्र उतनी घट गई!

हदीस : हज़रत अनस बिन मालिक रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फरमाया "ऐ लोगो! रात को खाना खाया करो कि रात का खाना तर्क करने से बुढ़ापा लाता है।" यानी रात को ख़्वाह थोड़ा ही खाया जाए। खाओ ज़रूर, रात को न खाने की आदत अच्छी नहीं।

हदीस : बुस्तान में हज़रत फ़क़ीह अबुल्लैस समरक़न्दी ने तहरीर फरमाया है कि हज़रत अली करमुल्लाह वज्हहू ने फरमाया। जो शख़्स बदन और सेहत की मुहाफ़िज़त का ख़्वाहिशमन्द हो उसे चाहिए कि सुबह

के वक़्त खाया करे और इशा के वक़्त खाया करे। और ख़ुद को क़र्ज़ से आज़ाद रखे। और नंगे पाँव न फिरा करे। और औरत से मुजामेअत (हम बिस्तरी) कम किया करे।"

❖❖❖

तकल्लुफ़ करना जाइज़ व नाजाइज़

❖ जब कोई शख़्स मुलाक़ात को आए तो जो कुछ हाज़िर हो उसके सामने लाकर रख दे। अगर अपने अह्ल व अयाल की ज़रूरत के मुताबिक़ हो तो कुछ तकल्लुफ़ न करे। बल्कि उसे अयाल के लिए रख छोड़े।

❖ एक शख़्स ने हज़रत अली रज़ि अल्लाहु अन्हु की दावत की आपने फरमाया, तीन शराइत से तेरे घर आऊंगा एक यह कि बाज़ार से कुछ न लाए दूसरी यह कि जो कुछ घर में हो उसमें से कुछ (उसको हक़ीर जान कर) फेर न ले जा तीसरी यह कि अपने अह्ल व अयाल का पूरा हिस्सा बचा।

❖ हज़रत फुज़ैल रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया है, कि लोग जो एक दूसरे से छूट गए हैं तकल्लुफ़ के सबब छूट गए हैं। अगर दरम्यान से तकल्लुफ़ उठ जाए तो बेधड़क एक दूसरे से मिल सकता है।

❖ एक दोस्त ने एक बुज़ुर्ग से तकल्लुफ़ किया उन्होंने फरमाया तुम जब अकेले होते हो तो ऐसा नहीं खाते और मैं भी अकेले में ऐसा नहीं खाता। तो जब हम और तुम इकट्ठे हों तो यह तकल्लुफ़ करना क्यों चाहिए? या तुम तकल्लुफ़ ख़त्म कर दो या मैं आना मौक़ूफ़ (बन्द) कर दूँ।

❖ हज़रत सलमान रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं। जनाब सरवरे काइनात सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हमें फरमाया है कि तकल्लुफ़ न करना, और जो कुछ हाज़िर हो उससे भी दरेग़ न करना।

❖ सहाबा रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन रोटी का टुकड़ा और ख़ुश्क छोहारे एक दूसरे के सामने लाते और फरमाते हम

नहीं जानते कि वह शख़्स बड़ा गुनहगार है जो मा हज़र (जो मौजूद हो) को नाचीज़ जान कर सामने न लाए या वह शख़्स जिसके सामने हाज़िर करें और वह उसे हक़ीर (कमतर) जाने।

❖ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम रोटी का टुकड़ा और जो तरकारी बोते वही दोस्तों के सामने रखते। और फरमाते अगर हक़ सुबहानहू व तआला तकल्लुफ़ करने वालों पर लानत न करता तो मैं तकल्लुफ़ करता।

❖ जब मेहमान ख़ातिर दारी में दो चीज़ों का इख़्तियार दे तो मेज़बान आसान चीज़ इख़्तियार करे। (यानी परेशानी में मुब्तला न हो) इसलिए कि हुज़ूरे अनवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम भी हर काम में ऐसा ही किया करते थे।

(इमाम ग़ज़ाली कीमीया-ए-सआदत)

तकल्लुफ़ में इफ़रात व तफ़्रीत

इस मज़्मून में बताना यह मक़्सूद है कि कोई शख़्स भूख की ख़्वाहिश होने पर भी तकल्लुफ़ से काम ले यह तकल्लुफ़ बुरा है। इसी तरह किसी से इतना बेतकल्लुफ़ भी न हो जाए कि अपनी दावत उस पर ज़बरदस्ती मुसल्लत करे। शरीअते मुतह्हरा की रू से यह दोनों तरीक़े ग़लत हैं। क़ारेईन! पहले तकल्लुफ़ में तफ़्रीत (हद से घटना) मुलाहिज़ा फरमाएं।

इफ़्रात : किसी पर अपनी दावत ज़बरदस्ती मुसल्ल्त करने के भी अजीब-अजीब फन, गुर, तरीक़े ईजाद (पैदा) हो गए हैं। यह तरीक़े कॉलेज या सिर्फ़ यूनिवर्सिटी की तर्बियत गाहों से ही नहीं हासिल होते, बल्कि ग़ैर मुहज़्ज़ब सोहबत से भी हासिल होते हैं। ऐसे ज़बरदस्ती के मेहमानों को अगर ऐसे ही मेज़बानों से साबेक़ा पड़ जाए तो फिर वह मंज़र देखने के क़ाबिल होता है। लिहाज़ा एक मुकालमा ज़रीफ़ाना (मज़ाहिया) तबीअतों के लिए पेशे ख़िदमत है।

❖ अहमद यार ख़ाँ ने ग़ुलामुल्लाह खान से कहा। आइए चाय पीजिए।

❖ ग़ुलामुल्लाह ख़ाँ ने कहा। चाय खाने के बाद ही पीता हूँ।

❖ अहमद यार ख़ाँ ने कहा. खाना भी खाइएगा। फरमाइए क्या खाना पसन्द फरमाएंगे।

❖ गुलामुल्लाह खाँ ने कहा। चरग़ा, तिक्का और कुछ कबाब भी खा ही लेंगे। और दरम्यान खाने के अगर फ़्रिज या बर्फ़ का पानी न हो तो लेमन की ठण्डी बोतलें ही पी लेंगे।

❖ अहमद यार खाँ ने दरयाफ़्त किया। फरमाइए तिक्का कबाब में गोश्त बड़े का पसंन्द फरमाएंगे या छोटे का ?

❖ गुलामुल्लाह खाँ ने कहा। गोश्त बकरे का न हो तो हिरन, मुर्ग़े या तितर का ही सही।

❖ अहमद यार खाँ ने दरयाफ़्त किया। यह भी फरमाएं कि स्टील के बर्तनों में तनावल फ़रमाएंगे या ख़ास के बर्तनों में ?

❖ गुलामुल्लाह खाँ ने कहा। मैं सच्ची चीनी के ही बर्तनों में खाता हूँ।

❖ अहमद यार खाँ ने दरयाफ़्त किया। तो यह भी इरशाद फरमाएं कि बर्तन सादा हों या फूलदार ?

❖ गुलामुल्लाह खाँ ने कहा। फूलदार में ही खाएंगे।

❖ अहमद यार खाँ ने कहा। बर्तन पाकिस्तानी हों या विलायती ?

❖ गुलामुल्लाह खाँ ने कहा। विलायती बर्तनों में नफ़ासत होती है इस वजह से मैं विलायती बर्तनों में ही खाता हूँ।

❖ अहमद यार खाँ ने कहा। विलायती बर्तन तो नहीं हैं, और मैं मेहमान की पसन्द के ख़िलाफ़ कोई काम करता नहीं।

ऐ ज़ौके तकल्लुफ़ भी शराफ़त का निशाँ है
वह लोग बुरे हैं जो तकल्लुफ़ नहीं करते

क़ारेईन ! आपने मुताला फरमाया कि ऐसी बेतकल्लुफ़ी भी नहीं करनी चाहिए जैसा कि ऊपर लिखी बातों से से ज़ाहिर है। और न भूख होते हुए तकल्लुफ़ से काम लेना चाहिए।

तफ़रीत : बाज़ हज़रात से खाने को दरयाफ़्त (पूछा) किया जाता है तो फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाह पढ़ो। ख्याल रहे! जवाब में बिस्मिल्लाह पढ़ो कहने से उलमा-ए-किराम मना फरमाते हैं। और अगर खाना मक़्सूद न हो तो जवाब में बरकत की दुआ या साफ इनकार का जुमला कहने की ताकीद फरमाते हैं।

आज के दौर में जब कि बिस्मिल्लाह पढ़ कर खाना शुरू करना अक्सर के इल्म में नहीं और अगर इल्म हो भी तो अमल नहीं है। और

कुछ भूल का भी दखल है। जिसकी वजह से खाने से क़ब्ल बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती। लिहाज़ा आज के हालात में जवाब में बिस्मिल्लाह पढ़ो कहना मुनासिब है कि जो हज़रात बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गए होंगे उसके याद दिलाने से वह भी बिस्मिल्लाह पढ़ लेंगे। मगर उलमा का फरमान अपनी जगह वज़न रखता है कि जवाब में मना साफ लफ़्ज़ों में ही होना चाहिए। और ऐसा भी न हो कि खाने की ख़्वाहिश होते हुए भी कहे कि अभी खा कर आया हूँ। या पेट भरा हुआ है। हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम का इरशाद है कि भूख और झूठ इकट्ठा न करो।

हदीस : इब्ने माजा ने अस्मा बिन्ते यज़ीद रज़ि अल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है। "कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में खाना हाज़िर लाया गया हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हम पर पेश फरमाया। हमने कहा हमें ख़्वाहिश नहीं है। फरमाया भूख और झूठ दोनों चीज़ों को एक जगह जमा न करो।"

यानी भूख के वक़्त कोई खाना खिलाए तो खा ले। यह न कहे अभी भूख नहीं है कि खाना भी न खाना और झूठ भी बोलना। दुनिया और आख़िरत दोनों का ख़सारा है। बाज़ तकल्लुफ़ करने वाले ऐसा भी किया करते हैं।

हदीसे पाक पर अमल न करने का नतीजा दुनिया में बाज़ मरतबा यह निकलता है कि झूठ बोलने के सबब एक दो वक़्त मज़ीद फ़ाक़े का भी साबेक़ा पड़ता है फिर ज़मीर झूठ पर मलामत करता है। कि फुलां शख़्स ने खाने पर बहुत इसरार किया और मैंने झूठ बोल दिया कि पेट भरा हुआ है। और अगर मैं उस वक़्त खाना खा लेता तो इस वक़्त इतना ज़ुअफ़, (कमज़ोरी) नक़ाहत और कमज़ोरी जिस्म में पैदा न होती –

ऐ ज़ौक़े तकल्लुफ़ में है तक्लीफ़ सरासर
वह लोग हैं अच्छे जो तकल्लुफ़ नहीं करते

करबला में झाड़ू :

हिकायत : दावत में, गवर्नर, वज़ीर, कमिश्नर, हाकिम, इसी तरह आलिम, पीर, या बुज़ुर्ग के हमराह बाज़ नदीदे (लालची) भी साथ हो लेते हैं। यह नदीदे यह भी ख़बर रखते हैं कि किसकी दावत कहाँ और कब

होगी। ऐसे नदीदे हर मुल्क, हर शहर में जाने पहचाने जाते हैं। इन मख़्सूस हस्तियों से लोग बख़ूबी वाक़िफ़ भी होते हैं। इनमें तो बाज़ मेज़बान पर धोंस, रुअब डालने और तरह-तरह की फरमाइश करने का भी फन रखते हैं। यही सबब है कि ऐसे फन्कार मेज़बान पर सारी महफ़िल से ज़्यादा भारी यानी गिरां गुज़रते हैं। गोया इनको खिला कर फ़ारिग़ हो गए तो तमाम महफ़िल को खिला कर फारिग़ हो गए। चुनांचे यहाँ एक शर्मिन्दा नदीदे का वाक़या पेशे ख़िदमत है कि जब वह साहिबे उलमा व मशाइख़ के हमराह मेहमान खाने में दाख़िल हो गए। तो दस्तरख़्वान से अलग रहे। मेज़बान ने कई तरह के खाने चुने। इतने खानों से थोड़ा-थोड़ा ही खाया जाता है। लिहाज़ा जिस खाने से मेहमान हाथ उठाता और दूसरे खाने में मश्ग़ूल होता तो वह ज़बरदस्ती के नदीदे मेहमान साहब पस ख़ूरदा खाने यानी बचे हुए खाने को मक्का मदीना में झाड़ू लगा दूँ कह कर खाने में मश्ग़ूल हो जाते इस तरह तमाम अक़्साम (तरह) के खाने तमाम हज़रात के आगे से साफ करते। जिस मेज़बान ने तमाम ही खाने अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की दिल्जूई की ख़ातिर उनके सामने रखे थे और अपने घर के अफ़्राद के वास्ते यह नीयत की कि जो कुछ मेहमानों से बचेगा वह घर वाले खाएंगे। तो ज़ाहिर है कि ज़बरदस्ती के मेहमान की यह हरकत उस मेज़बान पर गिरां गुज़रेगी। चुनांचे ऐसे ही मौक़ा पर मेज़बान ने उन से प्लेट साफ करने पर दरयाफ़्त किया कि यह क्या कर रहे हो। तो वह साहब फरमाने लगे कि यह मक्का में झाड़ू लगा रहा हूँ। फिर दूसरे बर्तन की सफ़ाई पर दरयाफ्त किया तो फरमाया कि मस्जिदे नब्वी में झाड़ू दे रहा हूँ। इसी तरह मुख़्तलिफ़ मक़ामात के नाम लेते रहे। मेज़बान ने जब देखा कि घर वालों के वास्ते कुछ नहीं छोड़ा तो जल कर नमक की प्लैट की तरफ इशारा करते हुए मेज़बान ने कहा कि लीजिए कर्बला में भी झाड़ू लगा दीजिए। इस तरह आइंदा झाड़ू देने का सिलसिला बन्द हुआ।

हदीस : सही बुख़ारी व मुस्लिम में अबू मस्ऊद अंसारी रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि एक अंसारी जिनकी कुन्नियत अबू शुऐब थी उन्होंने अपने ग़ुलाम से कहा कि इतना खाना पकाओ जो पाँच शख़्सों को किफ़ायत करे। मैं नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम की मअ चार अस्हाब के दावत करूंगा। थोड़ा सा खाना तैयार किया और हुज़ूर

अलैहिस्सलाम को बुलाने आए। एक सहाबी हुज़ूर के साथ हो लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फरमाया अबू शुऐब! हमारे साथ यह शख़्स चला आया अगर तुम चाहो उसे इजाज़त दो और चाहो तो न इजाज़त दो। उन्होंने अर्ज़ की मैंने उनको इजाज़त दी।"

इसी तरह : ऐसा बेतकल्लुफ़ न हो जाए कि महफ़िल में कोई शय खाने की प्लैट में या काग़ज़ वग़ैरह का मुँह खुला थैला मेज़बान हर शख़्स के आगे इसलिए बढ़ाता है कि हर-हर शख़्स थोड़ी-थोड़ी चीज़ इसमें से खाने के लिए ले ले। तो अब ऐसे हज़रात की कसरत पैदा होती जा रही है कि बराए तकल्लुफ़ पहली बार मेहबान कहता है कि आप खाइए। जब मेज़बान कहता है कि आप कुछ तो लें। तब मेहमान वह प्लैट या थैला हाथ में लेकर ख़ुद ही खाने लगता है। और पूरी महफ़िल उसका मुँह तकती रह जाती है। यह अमल अक्सर वह हज़रात करते हैं जो पहली बार के मुलाक़ाती हों। और दुकान पर गाहक की हैसियत से हों। या क़िसी महफ़िल में किसी के साथ आये हों। बहरहाल जो साहब भी दानिस्ता या ना दानिस्ता ऐसा करें किसी तौर भी मुनासिब नहीं।

और यह कि जिस तरह किसी बेवह ख़ातून से दूसरी शादी की जाए और उसके साथ पिछले शौहर से कोई बच्चा भी साथ आए उसको हक़ारत से देखा जाता है या कम अज़ कम इतना ज़रूर होता है कि ससुराल वाले वह इज़्ज़त नहीं देते जो बाद के पैदा होने वाले बच्चे को देते हैं। इसी तरह कभी लिहाज़, मुरव्वत में दोस्त! दोस्त के घर वालों की भी दावत करता है। तब इसके साथ अगरचे एक उसका छोटा भाई खाने की महफ़िल में जाए। उसके साथ भी ऐसा ही बर्ताव होगा। कि हक़ारत की नज़रें उसका पीछा करेंगीं। और एक का जाना सारे घर की दावत शुमार होगी।

लिहाज़ा घर के सरबराह (मालिक) को चाहिए कि अपने इसी लड़के को उस महफ़िल में जाने दे जो साहिबे महफ़िल का दोस्त हो। दूसरे बच्चों को न जाने दे। और अगर भेजना मक़सूद हो तब दीगर अफ़राद के साथ साहिबे महफिल को देने की ग़रज़ से कोई तोहफ़ा ज़रूर साथ करे।

इरशादाते सूफ़िया : ज़िन्दगी को बरक़रार रखने के लिए खाना, पीना ज़रूरी है। लेकिन शर्त यह है कि उसमें मुबालग़ा (ज़्यादती) न करे। और दिन रात इसी फ़िक्र में सरगरदाँ (लगा) न रहे सालिक के लिए ज़्यादा खाने से ज़्यादा कोई चीज़ मुज़िर नहीं।

एक दिन लोगों ने हज़रत सुलतानुल-आरिफ़ीन सरकार **बायज़ीद** बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से दरयाफ़्त किया कि आप भूखे की इतनी तारीफ़ क्यों करते हैं? तो उन्होंने फरमाया कि इसलिए कि फ़िरऔन भूखा होता तो कभी **अना रब्बुकुमुल-आला** का नारा न लगाता और अगर क़ारून भूखा होता तो हरगिज़ बाग़ी न होता अल्लाह तआला ने भी क़ुरआने करीम में ज़्यादा खाने की मज़म्मत फरमाई है, और उसे कुफ़्फ़ार का अमल बताया है, चुनांचे इरशादे रब्बानी है।

तरजमा : कुफ़्फ़ार दुनिया से फ़ायदा उठा कर इस तरह खाते हैं जैसे चौपाए खाते हैं। और आग उनका ठिकाना है। (सूरः मुहम्मद आयत नम्बर-१२)

खाना खाने का अदब यह है कि जब खाए तो तन्हा न खाए। बल्कि अपने खाने में ईसार करे और दूसरे भाई को उसमें शरीक करे। दस्तरख़्वान पर बैठे तो पहले बिस्मिल्लाह कहे। और दस्तरख़्वान पर कोई ऐसी चीज़ न खाए और न रखे जिसे देख कर साथी कराहत करें। और लुक़्मा शुरू नमकीन चीज़ से करे। और अपने साथी के साथ इंसाफ करे। यानी यह कोशिश न करे कि सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें मैं खा जाऊं। और मेरा साथी महरूम रह जाए।

लोगों ने एक मरतबा हज़रत सहल बिन अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह तआला अलैहि से **इन्नल्लाहा यामुरू बिल-अद्‌ले वल-इहसान**। सूरः नहल आयत नम्बर ६।

तरजमा : बेशक अल्लाह तआला अद्‌ल (इन्साफ़) व एहसान करने का हुक्म देता है का मफ़्हूम (मतलब) दरयाफ़्त किया तो आपने फरमाया कि अद्‌ल (इन्साफ़) यह है कि अपने रफ़ीक़ (दोस्त) के लुक़्मे में रफ़ीक़ से इंसाफ़ करे और एहसान यह है कि लुक़्मा में रफ़ीक़ का ज़्यादा हक़ समझे।

हज़रत दातागंज बख़्श अली हिजवेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया कि मेरे शैख़! (हज़रत अबुल-फ़ज़ल अल-ख़तली रहमतुल्लाह तआला अलैह) ने मुझ से फरमाया कि मैं इस मुद्दई (दावा करने वाला) पर तअज्जुब करता हूँ जो कहे कि मैं तारिकुद्दुनिया (वह आदमी जिसने दुनिया रिश्ता ख़त्म कर दिया हो) हूँ, और लुक़्मा की फ़िक्र में रहे। और फरमाया कि अपना खाना खाए और दूसरे के लुक़्मे पर नज़र न करे। खाने के दौरान ज़्यादा पानी न पिए। अल्बत्ता जब पूरी प्यास लग रही हो तो मुज़ाइका (परेशानी) नहीं। खाना खाए तो कम खाए। ख़ूब चबा कर

खाए जल्दी न करे। वरना बदहज़्मी का अंदेशा है। जब खाने से फ़ारिग़ हो तो हाथ धोए और अल्हम्दुलिल्लाह कहे।

सूफ़िया को चाहिए !

सूफ़िया को चाहिए कि दुर्वेश की दावत रद्द न करें। और दुनिया दार की दावत क़ुबूल न करें, न उनके घर जाएं, न उन से कुछ मांगें। कि ऐसा करने से फ़ुक़्र रुसवा होता है। और अह्ले तरीक़त की इस में तौहीन है। क्योंकि दुनिया दार मुहरिम नहीं हैं। ऐसा शख़्स! जो फ़ुक़्र को ग़िना से अफ़ज़ल समझता हो दुनिया दार नहीं है चाहे वह बादशाह क्यों न हो। और जो फ़ुक़्र की अज़्मत का मुन्किर हो वह दुनिया दार है चाहे बज़ाहिर वह नंगा भूखा हो। खाने का एक **अदब** यह है कि जब दावत में जाए तो खाने **या** न खाने में **तकल्लुफ़** न करे। दावत में यह बात ज़रूर मल्हूज़ (ध्यान) रख कर मुहरिम (अज़ीज़ दोस्त) के हां दावत में जाए। और अपने साथियों को भी ले जाए अगर उनको मदऊ (बुलाया) किया जाए। और यह भी लिहाज़ चाहिए कि जो मुहरिम तरीक़ (हम मसलक, हम ख़्याल) न हों, उनके घर दावत में शरीक नहीं होना चाहिए। (माहनामा फ़ैज़ुर्रसूल भारत, जुलाई १६८८ ई०)

❖❖❖

सुन्नतों पर अमल क्यों ज़रूरी है ?

जिस तरह कि हमारे जिस्म को नूरे नज़र (आंख की रौशनी) की ज़रूरत है। अन्धा इंसान गोया मजबूर महज़ है फिर नूरे नज़र नूर (रौशनी) होने के बावजूद एक दूसरी ख़ारजी रौशनी का हाजतमन्द है कि हमारी आँख अन्धेरे में काम नहीं कर सकती। ग़र्ज़ कि अन्दरूनी और बैरूनी दो नूर मिल कर हमारी हाजत पूरी करते हैं और इस दुनिया की चीज़ें दिखाते हैं। इसी तरह हमारी रूह व क़ल्ब (दिल) को नूरे अक़्ल की ज़रूरत है। दीवाना व पागल आदमी अपनी किसी क़ुव्वत (ताक़त) से सही काम नहीं ले सकता। फिर नूरे अक़्ल अगरचे नूर है लेकिन इसके लिए भी नूरे नुबुव्वत अज़बस ज़रूरी है बे-नूरे नुबुव्वत इंसानी अक़्ल बाइसे कुफ़्र व तुग़्यान है। इंसान अक़्ल से मशीन, इंजन, बिजली बना सकता है हवा और पानी पर राज और क़ब्ज़ा कर सकता है। मगर ईमान व इरफ़ान तैयार नहीं कर सकता। अगर ईमान के लिए महज़ अक़्ले इंसानी काफ़ी

होती तो उक़ला युनान (यूनान के अक़्लमन्द लोग) में कोई बेदीन न होता। मौलाना रूम फरमाते हैं –

चन्द ख़्वानी हिक्मते यूनानियाँ
हिक्मते ईमानियाँ रा हम बख़्वाँ

लिहाज़ा ज़रूरी है कि आक़िल इस्लामी और ईमानी बातों में अपनी अक़्ल पर एतमाद न करे बल्कि बारगाहे अंबिया व औलिया में अपनी नाक़िस व नाकारा अक़्ल बालाए ताक़ रख कर तिफ़्ले मक्तब बन कर हाज़िर होता कि वहाँ का फ़ैज़ पा सके वही डोल कुएं से पानी लाता है जो खाली हो कर जाता है। यह तरीक़ा निहायत ही बेहतर और सहल (आसान) था और है। इस पर सहाबा किराम और बुज़ुर्गाने दीन आमिल रहे जिस से उन्होंने बारगाहे मुस्तफ़्वी से जो फ़्यूज़ व बरकात हासिल किए वह दुनिया को मालूम है लेकिन मौजूदा ज़माना के मुसलमान अपनी अक़्ल व दानिश पर ऐसे नाज़ाँ हुए कि हर दीनी हुक्म में अक़्ल को दख़ल देने लगे। कि जो अक़्ल में आ जाए वह ठीक वरना उसमें तअम्मुल है चाहिए तो यह था कि अगर किसी दीनी हुक्म की हिक्मत अक़्ल से समझ में आ जाती तो ख़ुदा का शुक्र करते अगर समझ में न आती तो बिला चूं चरा कुबूल करते और यही इस्लाम के माना हैं। मगर अफ़्सोस ऐसा नहीं हो रहा है।

मुझे ख़्याल पैदा हुआ कि बक़द्रे उस्अत (ज़्यादा) खाना खाने की सुन्नतों की मुख़्तसर तश्रीह (खोल कर ब्यान करना) और अक़्ली हिक्मतें ब्यान करूं ताकि मुख़्लेसीन को सुरूर हो और मुख़ालिफ़ कुबूल करने पर मज्बूर हो। अल्लाह तआला हक़ बोलने हक़ मानने की तौफ़ीक़ दे और मेरी इस नाचीज़ ख़िदमत को कुबूल फरमा कर इसे सदक़ा जारिया और मेरे गुनाहों का कफ़्फ़ारा बनाए। आमीन

खाने से क़ब्ल दोनों हाथ गट्टों तक धोना

सुन्नत १ : खाने से पहले अल्लाह तआला के महबूबे आज़म को हाथों का धोना बहुत पसन्द है। और यह साबेक़ा (पहले के) रसूलों की सुन्नत भी है। **हदीस :** तिबरानी इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फरमाया : "खाने से क़ब्ल और बाद में वज़ू करना (हाथ मुँह धोना) मुहताजी को दूर करता है और यह मुर्सलीन की सुन्नतों में से है।"

हदीस : इब्ने माजा ने हज़रत अनस रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की है कि फरमाया "जो यह पसन्द करे कि अल्लाह तआला उसके घर में ख़ैर ज़्यादा करे तो जब खाना हाज़िर किया जाए वज़ू करे और जब उठाया जाए उस वक़्त वज़ू करे।" यानी हाथ मुँह धो ले।

अगर वज़ू था या हाथ धुले हुए थे तो खास खाने के इरादे से दोबारा हाथों को धोना सुन्नत है। और अगर पहले जो धुले हुए थे उसमें नमाज़ वग़ैरह की नीयत के अलावा खाने की नीयत भी थी तब ऐसी सूरत में दोबारा हाथों को धोने की ज़रूरत नहीं उसी में हाथ धोने और कई नीयतों का अलग-अलग सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनायत फ़रमाएगा। हाथों को धोने के बाद अगर रियाह (हवा) ख़ारिज हुआ। ऐसी हालत में हाथ बे धुले ही हो जाते हैं। यह खाने से क़ब्ल या खाने के दौरान ही नहीं बल्कि वज़ू गुस्ल के दौरान भी यही मसला है कि तहारते अस्ग़र जाता रहता है। यानी गुस्ल रहता है और वज़ू टूट जाता है। **सुन्नत :** यह है कि क़ब्ल पहले तआम (खाना) और बाद तआम दोनों हाथ गुट्टों तक धोए जाएं। बाज़ हज़रात सिर्फ़ एक हाथ या फ़क़त उंगलियां धो लेते हैं। बल्कि सिर्फ़ चुटकी धोने पर किफायत करते हैं। इस से सुन्नत अदा नहीं होती। **"आलमगीरी।"**

मुस्तहब यह है कि हाथ धोते वक़्त खुद अपने हाथ से पानी डाले दूसरे से इसमें मदद न ले यानी इसका वही हुक्म है जो वज़ू का। (आलमगीरी)

हदीस : मतालिबुल-मुमिनीन में हज़रत अली रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि फरमाया अगर किसी को गुस्ल (जनाबत) की हाजत हो तो वह कुल्ली किए बग़ैर खाना न खाए कि इसमें मुहताजी (फ़ुक्र व फ़ाक़ा) का अन्देशा है।

खाने से क़ब्ल हाथ धो कर न पोंछना

सुन्नत २ : खाने से पहले हाथ धो कर न पोंछना सुन्नत है। कि जिस कपड़े से हाथ पोंछे जाएंगे उस कपड़े को भी इसी पानी ने पाक किया। और वह कपड़ा इस हाथ के पानी से अफ़ज़ल नहीं। अगर ग़ौर से देखा जाए तो जो खाना खाना है वह भी इसी पानी से तैयार किया फिर यह कि इस पानी को पीना भी है। फिर हाथ के पानी से नफ़रत क्यों? हदीसे पाक में तर हाथ को झटकना शैतान का पंखा फरमाया है। यह एतराज़ कि खाना खाने के बाद हाथ धोना और फिर हाथों का पोंछना भी सुन्नत है कि आख़िर क्यों? तो अर्ज़ है कि उसके बाद चूंकि खाना पीना ख़त्म और फिर मुम्किन है कि आंख वग़ैरा में ख़ारिश (सुगर भी) हो और अचानक हाथ आंख को लगे जिस से तक्लीफ़ पहुँचे। या कपड़ों पर, काग़ज़ या तहरीर पर, आलूदा हाथ लग कर नुक़्सान पहुंचाए।

प्रोफ़ेसर डॉक्टर मुहम्मद मस्ऊद अहमद साहब

फरमाते हैं कि हुज़ूर पुर नूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम की आदते शरीफ़ा थी कि खाने से क़ब्ल और खाने के बाद हाथ धोते खाने से क़ब्ल हाथ धो कर न पोंछते। इस सुन्नत की हिक्मत एक अज़ीज़ ने समझाई फरमाया कि एक सर्जन हाथ धो कर सीधे आप्रेशन थेटर में तशरीफ़ ले गए, जब उन से पूछा कि हाथ धो कर क्यों न पोछे? तो उन्होंने जवाब दिया कि हर चीज़ पर जरासीम मौजूद हैं, तौलिए पर भी जरासीम होते हैं, अगर पोंछ लेता तो ऐन मुम्किन था कि जरासीम मुन्तक़िल हो कर मेरे हाथ पर आते और फिर मरीज़ के ज़ख़्म में मुन्तक़िल हो जाते।

हक़ीक़त तो यह है कि फाइदे में वही रहे जिन्होंने आंखें बन्द करके सुन्नत पर अमल किया जिन्होंने आंखें खालें और अक़्ल को काम पर लगाया नुक़्सान में रहे, जो बात आंख वालों और अक़्ल वालों को चौदह सौ बरस बाद समझ में आई वही बात दिल वालों को उसी वक़्त समझ में आ गई थी। अल्लामा इक़्बाल ने कैसी दिल लगती बात कह दी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने "इंसानी मसाई (कोशिश) को बहुत ही मुख़्तसर (कम) कर दिया" यानी जो बात सदियों में समझ में आ सकती थी, मिन्टों, सिकण्डों में समझा दी। इसी लिए तो बुज़ुर्ग कहते

थे कि शरई मुआमलात में अक़्ल को काम में न लाओ, दिल को काम में लाओ। इसका मक़्सद यह न था कि बात अक़्ल के मुताबिक़ नहीं। बल्कि मक़्सद यह था कि अक़्ल से समझाने में वक़्त और दौलत दोनों का ज़िया है और इस मुख़्तसर ज़िन्दगी में यह ज़िया निहायत नामाकूल बात है। खाने के आदाब में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने यह भी फरमाया।

बिस्मिल्लाह पढ़ो और जो कुछ सामने रखा हुआ हो उसको दाहिने हाथ से खाओ।

तहज़ीबे जदीद में इस सुन्नत का कैसे मज़ाक़ उड़ाया जा रहा है?

अग़्यार (ग़ैर) नहीं हम ख़ुद मुज्रिम हैं। कैसी बिस्मिल्लाह? किस की बिस्मिल्लाह! बैठे-बैठे खड़े हो गए। और इस पर फ़ख़्र महसूस करते हैं। और खड़े होकर चलते फिरते खाते पीते हैं, किस का दाहिना हाथ और कैसा दाहिना हाथ? अपने आगे से? सबके आगे से। **इन्ना लिल्लाहे व इन्ना इलैहि राजिऊन।**

सुन्नत ३ : दावत में खाने क़ब्ल जवानों के पहले हाथ धुलाना।

सुन्नत ४ : दावत में खाने के बाद बूढ़ों के पहले हाथ धुलाए जाएं।

ज़रूरी वज़ाहत : इंशाअल्लाह तआला दावत के अहकाम सुन्नत नम्बर २६-३० और सुन्नत ३१ में ब्यान होंगे।

खाना खाने से क़ब्ल पहले जवानों के हाथ और उनके बाद बूढ़ों, बुज़ुर्गों, उलमा, मशाइख़ के हाथ धुलाने में मुम्किन है यह हिक्मत हो कि जवान! मेहमान खाना में बुज़ुर्गों का इंतिज़ार करके सवाब हासिल करें, और बुज़ुर्गों को इंतिज़ार न करने देने पर मज़ीद सवाब, व नीज़ जब बुज़ुर्ग खाना खाने की इब्तिदा करें तब ही जवान खाना शुरू करके मज़ीद दर मज़ीद सवाब हासिल करें।

और इसी तरह खाना खाने के बाद पहले बुज़ुर्गों के हाथ धुलाने में मुम्किन है। यह हिक्मत हो कि बुज़ुर्ग हज़रात इत्मीनान से खाते हैं। ज़ाहिर है कि वह तक़रीबन आख़िर में ही खा कर फ़ारिग़ होंगे। उनका साथ देने की ग़रज़ से दीगर हज़रात भी कुछ न कुछ खाते रहें। और अगर कुछ न भी खाएं सिर्फ़ बुज़ुर्गों के खाने से फ़राग़त के इंतिज़ार में बैठना गोया इस हदीसे पाक पर ही अमल करना है।

हदीस : इब्ने माजा ने हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ि अल्लाहु तआला

अन्हा से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने "खाने पर से उठने की मुमानिअत (मना) की है। जब तक खाना उठा न लिया जाए।" इसी तरह दीगर अहादीस से भी पहले उठने की मुमानिअत मिलती है। और अगर खाना खाने के बाद पहले जवानों के हाथ धुलाए जाएं या जवान! बुज़ुर्गों के उठने का इंतिज़ार किए बेग़ैर ही उठ जाएं तब बुज़ुर्ग खाते हुए ख़िफ़्फ़त (शर्म) व शर्मिन्दगी महसूस करेंगे। या ख़िफ़्फ़त से बचने की ग़रज़ से बुज़ुर्गों को भूखे पेट ही खाने से उठना पड़े। लिहाज़ा बुज़ुर्गों के पहले हाथ धुलाने में मुम्किन है यह भेद, यह राज़ हो कि जब तक बुज़ुर्गों के हाथ न धुल जाएं। तब तक बुज़ुर्गों का साथ देने की ग़रज़ से दूसरे हज़रात चाहे कुछ खा कर या इंतिज़ार करके सवाब कमाएं।

बैठ कर खाना खाना

सुन्नत ५ : खाने के वास्ते जूते उतार कर बैठना। **हदीस** : हाकिम ने अबू अबस बिन जबीर रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की है कि इरशाद फरमाया खाने के वक़्त जूते उतार लो कि यह सुन्नते जमीला (अच्छा तरीक़ा) है। और हज़रत अनस रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत में है कि खाना रखा जाए तो जूते उतार लो कि इसमें तुम्हारे पाँव के लिए राहत है।

खाना खाने के लिए बैठने के तीन तरीक़े हैं। इनमें से किसी भी तरीक़े पर बैठा जा सकता है। (१) सुरीन पर बैठे। यानी चार ज़ानों या जिस तरह पेड़ी या पटरी पर बैठा जाता है। (२) दोनों घुटने खड़े रखें कि थोड़ा खाना किफ़ायत करे। (३) बायाँ पाँव बिछा कर दायाँ पैर खड़ा करके बैठा जाए। याद रहे कि बायाँ हाथ ज़मीन पर टेक कर या कमर तकिया वग़ैरह से टेक लगा कर बेग़ैर उज़्र मकरूह है। **(बहारे शरीअत)**

अच्छी तरह दाहिना ज़ानो उठा कर बाएं पिस्ली दबा कर बैठे तकिया लगा कर न खाए इसलिए कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फरमाया है कि मैं तकिया लगा कर खाना नहीं खाता। कि मैं बन्दा हूँ और बन्दों की तरह बैठता और बन्दों के तरीक़ों से खाता हूँ।

और यह कि जब तक भूख न हो खाने की तरफ हाथ न बढ़ाए। खाने

से पहले जो चीज़ें सुन्नत हैं उन में से बेहतरीन सुन्नत भूख है। इसलिए कि भूख से पहले खाना मकरूह भी है। और मज़मूम (बुरा) भी। जो कोई खाना शुरू करते वक़्त भी भूखा हो और खाने से हाथ खींचते वक़्त भी भूखा रहता हो वह हरगिज़ तबीब का मुहताज न होगा। (इमाम ग़ज़ाली)

कुर्सी पर पैर लटका कर खाना खाना नसारा यानी ईसाईयों का तरीक़ा। ग़ुरूर की अलामत। और बीमारी का सबब भी है। और मुसलमान फ़र्श वग़ैरह पर बैठ कर खाते हैं। मुसलमानों का हर काम सलफ़े सालेहीन (पहले के नेक लोग) के तरीक़ों पर होना चाहिए। न कि इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों के तरीक़ा पर। अगर कोई उज़्र, मज्बूरी है तब कुर्सी पर बेग़ैर पाँव लटकाए यानी चार ज़ानों या सीधा पैर लटका कर बायाँ पैर बिछा कर या बायाँ लटका कर और दायाँ बिछा कर बैठे। अल्बत्ता उस वक़्त भी ग़ुरूर, तकब्बुर दिल में न आने पाए। और कमर कुर्सी से टेक लगा कर भी न खाएं और दावत में इसका ख़ास ख़्याल रखें कि कुर्सी पर हरगिज़ न खाएं। वरना नई नस्ल या आप से छोटों पर इस बदअमली से बुरा असर पड़ेगा। और इस ग़ैरे सुन्नते अमल को वह बुज़ुर्गों का अमल जानते हुए ख़ुद भी करेंगे। और फ़िर वह अपने छोटों को भी यही अमल बुज़ुर्गों का बता कर तरग़ीब देंगे।

लटके हुए पैर की रान पर दूसरा पैर रख कर बैठना : जिस तरह टेक लगा कर खाना मकरूह है इसी तरह टांग पर टांग रख कर खाना न खाया जाए। यह जो अवाम में टांग पर टांग रख कर बैठने को हराम कहा जाता है। मुम्किन हो कि ग़ुरूर व तकब्बुर रऊनत की वजह से हराम कहा जाता हो। दरासल ग़ुरूर व तकब्बुर रऊनत (घमण्ड) हराम है, ख़्वाह टांग पर टांग रख कर हो या बेग़ैर टांग रखे तकब्बुर हो। अल्बत्ता चार ज़ानों बैठने में एक पैर दूसरे पैर की रान पर आ जाए जिस तरह मशाइख़े इज़ाम व उलमा-ए-किराम बाज़ वक़्त बैठते हैं। मगर उन से ग़ुरूर के बरअक्स आजिज़ी ज़ाहिर होती है हदीसे पाक में जो टांग पर टांग रखने को मना किया है। दरासल हुज़ूर अलैहिस्सलाम और सहाबा किराम अक्सर तहबन्द इस्तेमाल फरमाते, चूंकि लेटे हुए एक घुटना खड़ा करके उस पर दूसरा पैर रखने से पेशाब, पाखाने के मक़ाम सामने वालों पर बे-पर्दा हो जाते हैं। और बिल्कुल इसी तरह एक टांग लटका कर और उसकी रान पर दूसरी टांग का पैर रख कर बैठने से

भी शर्मगाह की बे-पर्दगी होती है। गुरूर व तकब्बुर के अलावा बे-पर्दगी भी जुदा हराम है। मुम्किन है इसी वजह से मना फरमाया हो। लिहाज़ा तहबन्द बांधे बैठने में खास कर टांग पर टांग रखने से गुरूर और उरयानी (नंगापन) का ख़्याल रखा जाए। ख़ून के दौरे को सही करने की ग़रज़ से आधा जिस्म नीचे और टांगें ऊंची करके लेटने या लेटे हुए एक घुटना खड़ा करके दूसरा पैर घुटने पर रख कर लेटने में हरज नहीं जबकि तहबन्द पहने न हो। खुद हुज़ूर अलैहिस्सलाम से दोनों टांगें लेटी हुई इस तरह कि एक पैर दूसरे पैर पर था साबित है।

लेटे हुए खाना : इस तरह खाना और तो और फ़ैशन के तौर भी दुरुस्त नहीं कि अगर किसी ने खाने की सलाह ली तब जूते पहने ही आड़े, तिरछे पैर फैला कर नीम बैठे ही खाना शुरू कर देना, या जूते पहने-पहने एक कुहनी ज़मीन पर टिका पर हथेली कर सर रख कर एक करवट से लेटे हुए खाना। यह शरीअत, तहज़ीब, और हिक्मत के उसूल से भी बहुत ख़राब तरीक़ा है। घर के बड़ों को चाहिए कि ऐसी हरकात से रोकें। वरना कुछ ही अरसे बाद तंगदस्ती के बोहरान (अड़चन) से भी गुज़रना होगा।

अल्बत्ता बीमारी, कमज़ोरी की हालत में कोई कमर को सहारा देकर बिठाए और फिर उसी सहारे की हालत में खिलाया, पिलाया जाए। और बाद खाने, पीने के कुछ देर मज़ीद बैठे रहना ज़रूरी है यह इहतियात दवा पीने के बाद भी चाहिए वरना क़य होने का इहतिमाल (वहम-शक) या दिमाग़ को खाया, पिया चढ़ना मुम्किन है।

बाज़ार और राह चलते खाना : शरीअते मुतह्हरा ने बाज़ारों में खाने को मक्रूह और ख़िलाफ़े तहज़ीब फरमाया है जिसकी वजह से तीस चालीस साल क़ब्ल तक राह चलते और बाज़ारों, दुकानों पर खाने को आम इस्लामी भाई भी बहुत बुरा समझा करते थे। मगर अब सिवाए उलमा-ए-किराम, मशाइख़ अह्ले सुन्नत के यह बुराई, बुराई में शुमार ही नहीं करते। अफसोस कि इंक़िलाबे तहज़ीब ने ऐसे खाते फिरने को आला तहज़ीब की अलामत बना दिया। और यह कि बद तहज़ीबी को तहज़ीब का नाम दे दिया।

हदीस : सहीह मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरह रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने

फरमाया "खड़े हो कर हरगिज़ कोई शख़्स पानी न पिए और जो भूल कर ऐसा कर गुज़रे वह क़य कर दे।" लिहाज़ा याद रखें कि बाज़ारों, स्टेशन के स्टालों पर चाय और रहड़े पर दही बल्ले, आलू छोले, हलीम, खोंचे पर गोल गप्पे सोंठ के पताशे, लस्सी, लेमन, शरबत, जूस, यख़नी, खड़े-खड़े न खाना पीना चाहिए। इसी तरह अंगूर फाल्से, गन्डेरी, चने, चिलग़ोज़े, ड्राई फ्रूट वग़ैरह भी राह चलते न खाने चाहिएं जिस तरह टेक लगा कर खाने से हकीम बद हज़्मी ब्यान करते हैं इसी तरह सवारी पर खाने से बदहज़्मी होती है।

बदहज़्मी में गर चाहे इफ़ाक़ा
दो इक वक़्त का कर ले तू फ़ाक़ा

मुसाफरत, (सफर) जंग, जिहाद, या दीगर उज्लत (जल्दी) वग़ैरह उज़्रों की वजह से इजाज़त है। मगर मुसाफ़िर किसी ख़ास जगह बैठ कर खाए। मक़ामी हो या मुसाफिर अगर कुछ आड़ करके, बैठ कर खाए तो यह उसके हक़ में ही बेहतर है।

नज़रे बद से गर है बचना
तन्हा आड़ से खाना पीना

इसी तरह दरवाज़े में बैठ कर न खाना चाहिए कि नज़रे बद लगने, बरकात से महरूमी, फ़ाक़ा, तंगदस्ती, बीमारी के भी यह अस्बाब हैं। इसी तरह खड़े हो कर पा[illegible] पीना **दर्दे जिगर** का मूरिस है, नंगे सर, या मैय्यित के क़रीब बैठ कर खाना, अन्धेरे में बेग़ैर उज़्र खाना, चारपाई, बिस्तर पर बेग़ैर दस्तरख़्वान के खाना, और चारपाई पर ख़ुद सरहाने बैठना और खाना पाइन्ती रखना, ख़िलाफ़े अदब, बरकत से महरूमी और तंगदस्ती को दावत देना है।

उज़्र की एक क़िस्म : उज़्र उसे कहते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी को फरमाया कि यह सहाबी तुम्हारी मेज़बानी में देता हूँ। वह सहाबी ख़ुश-ख़ुश मेहमान को जब घर पर लाए तो मालूम हुआ कि खाना सिर्फ़ एक आदमी के पेट का है। फिर उन्होंने इस हिक्मते अमली से खिलाया कि मेज़बानी का हक़ शायद क़यामत तक कोई अदा कर सके। कि जब खाना मेहमान के आगे रखा गया। और उस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत। और अख़्लाक़न, तहज़ीबन भी मेहमान के साथ

बैठना ज़रूरी। लिहाज़ा जब मेज़बान भी साथ बैठा और रोटी की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि उसकी रफ़ीक़-ए-हयात (बीवी) ने चिराग़ गुल (बुझा) कर दिया। मेज़बान सिर्फ़ रोटी की जानिब हाथ बढ़ाता और खाली हाथ मुँह तक ले जाता रहा, खाना जब मेहमान शिकम शेर होकर खा चुका तब चिराग़ भी जला दिया गया। ग़र्ज़कि मेज़बान ने वह तमाम काम किए जिस से मेहमान यह समझे कि हक़ीक़त में खाना खाया है। उज़्र और भी हो सकते हैं मसलन खाते हुए बिजली चली जाना। सहरी का वक़्त तंग है और रोशनी वाफिर (ज़्यादा) नहीं। दरासल अन्धेरे में खाने वाले को मालूम नहीं हो सकता कि खाने में हशरातुल-अर्ज़ (कीड़े-मकोड़े) से खाना महफ़ूज़ है कि नहीं। कभी दूध में छिपकली या ज़िस जगह पर बिच्छुओं की कसरत (ज़्यादती) होती है वहाँ खाने में बिच्छू या दूसरे कीड़े खाने की शय में मौजूद हों। अल्लाह तआला महफ़ूज़ फरमाए। आमीन

रोटी पर कोई चीज़ न रखना

सुन्नत ६ : रोटी पर कोई चीज़ न रखना। लिहाज़ा रोटी का एहतराम का हम पर लाज़िम है कि उस पर बर्तन वग़ैरह भी न रखें। जिस तरह औलाद के हुकूक़ वालिदैन (मां-बाप) पर और वालिदैन के हुकूक़ औलाद पर हुज़ूर पुर नूर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने मुकर्रर फरमाए। इसी तरह रोटी को हक़ीर जगह पर न रखा जाए। रेल और बस के सफर में खुसूसन खुद चारपाई पर सरहाने और रोटी पाइंती की तरफ रखना एहतराम के ख़िलाफ़ है। खाने पीने की चीज़ को ठोकर मारना गोया रिज़्क़ को ठुकराना ही है। और खुद तंगी को मुसल्लत करना है। अल्लाह तआला उन्हें हिदायत अता फरमाए जो हज़रात मामूली मिर्च, नमक तेज़ होने पर सालन रोटी बीवी या बहन के मुँह पर मारते हैं। या दूर फेंक देते हैं। इन्हीं हरकात पर बन्द बांधने की ग़रज़ से शरीअते मुतह्हरा ने रोटी पर कोई चीज़ रखने तक से मना फरमा दिया। कोई चीज़ में हर शय आ गई मगर आज कल नमक दानी चटनी की प्याली, सालन की प्लेट वग़ैरह रखना आदत में दाख़िल है। कि अक्सर देखा गया है कि खाना सामने रखने वाला जब खाना लाता है तो रोटी पर सालन की प्लेट रख कर लाता है, और जब खाने से फ़राग़त के बाद बर्तन उठाता है तब भी प्लेट या दूसरी चीज़ो को रोटी

पर रख कर ले जाता है। यह रोटी की अज़्मत के ख़िलाफ़ है। और यह अमल मक्रूह भी है। और तंगी-ए-रिज़्क़ का सबब भी। चुनांचे इसकी अहमियत हमारे दिलों में बिठाने की ख़ातिर हमारे आक़ा हमारे हादी ने अल्लाह तआला की अता से तमाम काइनात के मालिक व मुख़्तार होते हुए हमारी तर्बियत की ग़रज़ से अमली तौर पर ग़ुलामों को दिखाया।

हदीस : इब्ने माजा ने उम्मुल-मुमिनीन हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ि अल्लाहु ताआला अन्हुमा से रिवायत की कि "नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम मकान में तशरीफ़ लाए रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ देखा उसको उठा कर पोंछा फिर खा लिया। और फ़रमाया आइशा अच्छी चीज़ का एहतराम करो कि यह चीज़ (रोज़ी) जब किसी क़ौम से भागी है तब फिर लौट कर नहीं आई।" यानी अगर नाशुक्री की वजह से रिज़्क़ चला जाता है तो फिर नहीं वापस आता। ग़र्ज़ यह कि एहतराम हर लिहाज़ से करना हमें लाज़िम है कि रोज़ी, रोटी की बेक़दरी फ़ाक़ा तंगी-ए-रिज़्क़ का सबब भी है।

सोने चाँदी के बर्तन में खाना

हदीस : सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं न पहनो और न सोने और चाँदी के बर्तन में पानी पियो और न उनके बर्तन में खाना खाओ। कि यह चीज़ें दुनिया में काफ़िरों के लिए हैं। और तुम्हारे लिए आख़िरत में हैं।

लिहाज़ा चाँदी सोने के बर्तनों में खाना पीना जाइज़ नहीं बल्कि इन धातों का किसी तरह भी इस्तेमाल दुरुस्त नहीं। जैसे सोने, चाँदी का चमचा या उनके बने हुए ख़िलाल से दाँत साफ़ करना, गुलाब पाश से अर्क़ गुलाब छिड़कना खासदान से पान खाना, चाँदी की सिलाई से सुर्मा लगाना, चाँदी की प्याली में तेल रख कर तेल इस्तेमाल करना। यह सब हराम। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल-मुख़्तार) अल्बत्ता बर्तन पर सोने चाँदी का मलम्मा (पानी चढ़ा हुआ) जाइज़ (हिदाया)।

खाने पीने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ़ पढ़ना

सुन्नत ७ : खाने पीने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ़ का पढ़ना। बहुत सी अहादीस से साबित है।

हदीस : दैलमी ने हज़रत अनस रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से

रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फरमाया जब खाए पिए तो यह कह ले।

पढ़ कर खाना शुरू करे। फिर इस से कोई बीमारी न होगी। अगरचे इसमें ज़हर ही हो।" चुनांचे इस हदीसे पाक पर सहाबा किराम को इतना यक़ीन था कि **हिकायत :** हज़रत ख़ालिद बिन वलीद रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु के पास कोई शख़्स ज़हर लाया और कहा कि आप इस ज़हर को पी कर सही सलामत रहें तो हम जान लेंगे कि इस्लाम सच्चा मज़्हब है। आपने बिस्मिल्लाह कह कर ज़हर पी लिया और ख़ुदा के फ़ज़्ल से कुछ असर न हुआ। वह शख़्स यह देख कर इस्लाम ले आया।

हिकायत : नक़ल है कि अबू मुस्लिम ख़ौलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह की एक बांदी (नौकरानी) ने उनको मुतअद्दिद (कई) मरतबा ज़हर पिलाया लेकिन ज़हर ने कुछ असर न किया। कुछ मुद्दत के बाद उस बांदी ने उन से कहा। कि मैंने आपको मुद्दत तक ज़ेहर पिलाया मगर आप पर उसका कुछ भी असर नहीं हुआ। आख़िर इसकी क्या वजह है? उन्होंने पूछा। तूने मुझको ज़हर क्यों पिलाया था? वह बोली तुम बूढ़े हो गए हो और मुझे हड्डियां पसन्द नहीं आईं। उन्होंने फरमाया। मेरी यह आदत है कि मैं हमेशा खाने पीने की हर चीज़ से पहले दुआ के कलिमात पढ़ता हूँ।" और फिर उस बांदी को आज़ाद कर दिया।

हदीस : सहीह मुस्लिम में हज़रत जाबिर रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फरमाया जब कोई शख़्स मकान में आया और दाख़िल होते वक़्त और खाने के वक़्त उसने बिस्मिल्लाह पढ़ ली तो शैतान अपनी जुर्रियत (औलाद) से कहता है कि इस घर में न तुम्हें रहना मिलेगा न खाना। और अगर दाख़िल होते वक़्त बिस्मिल्लाह न पढ़ी तो कहता है अब तुम्हें रहने की जगह मिल गई। और अगर खाने के वक़्त भी बिस्मिल्लाह न पढ़ी तो कहता है कि रहने की जगह भी मिली और खाना भी मिला।"

लिहाज़ा हदीस व हिकायात की मंशा व मतलब से यह ज़ाहिर हुआ कि हम जो कुछ भी खाएं पिएं उसके अव्वल बिस्मिल्लाह शरीफ़ ज़रूर पढ़ें ताकि ज़रर (नुक़सान) से महफ़ूज़ रहें। और अगर अल्लाह तआला के महबूब की सुन्नत जान कर कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम खाने के अव्वल बिस्मिल्लाह शरीफ़ पढ़ते थे हम उनके गुलाम हैं, उम्मती

हैं। और यह कि खुद भी आक़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने हमें हुक्म दिया है। कि खाने पीने के अव्वल में बिस्मिल्लाह पढ़ा करो। उनके हर हुक्म पर उम्मती के लिए अमल करना लाज़िम और ज़रूरी है। इस वजह से ही अगर बिस्मिल्लाह पढ़ी तो फिर मज़ीद अज़ीम सवाब की उम्मीद है।

मुन्दरजा बाला (ऊपर लिखी) दुआ अगर याद नहीं और सिर्फ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी, तब भी फज़ीलत हासिल हो गई। और अगर मुन्दरजा बाला दुआ पढ़ी तब इंशाअल्लाह तआला दो गुना सवाब पाए। अगर खाना खाने के अव्वल बिस्मिल्लाह शरीफ़ पढ़ना भूल गए और दरम्यान खाने के याद आया तब अल्लाह तआला के महबूबे आज़म ने इसका कफ़्फ़ारा यह इरशाद फरमाया। **हदीस** : अबू दाऊद व हाकिम. व तिर्मिज़ी, में हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ि अल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फरमाया जब कोई शख़्स खाना खाए तो अल्लाह तआला का नाम ज़िक्र करे यानी बिस्मिल्लाह पढ़े। और अगर शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गया तो यूं कहे। **बिस्मिल्लाहे अव्वलहू व आख़िरहू।**

हदीस : इमाम अहमद, व इब्ने माजा, व इब्ने हिब्बान, व बैहक़ी की रिवायत में इस तरह है **बिस्मिल्लाहे फ़ी अव्वलेही व आख़िरेही**। और अगर आख़िर में याद आया तब हमारे हादी व रहबर ने यूं इरशाद फरमाया।

हदीस : इब्ने असाकिर नें उक़्बा बिन आमिर रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि जिस खाने पर अल्लाह तआला का नाम जिक्र न किया हो वह बीमारी है। और इसमें बरकत नहीं। इसका कफ़्फ़ारा यह है कि अभी अगर दस्तरख़्वान न उठाया गया हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ कर और कुछ खा ले और अगर दस्तरख़्वान उठा लिया गया हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ कर उंगलियां चाट ले।"

बिस्मिल्लाह शरीफ़ पढ़ने की फ़ज़ीलत कई सौ अहादीस से साबित है। लिहाज़ा हम पर हर-हर एतबार से लाज़िम है कि हम कोई थोड़ी शय भी खाएं उसके अव्वल बिस्मिल्लाह शरीफ़ ज़रूर पढ़ लें। बुज़ुर्गों का इस पर अमल रहा कि हर-हर मुख़्तलिफ़ शय पर जुदा-जुदा बिस्मिल्लाह पढ़ते और दलील में फरमाते कि हर शय, हर रोटी वग़ैरह का नफ़ा

नुक़्सान उसका अपना जुदा जुदा है। और हो सकता है जिस अव्वल रोटी पर बिस्मिल्लाह पढ़ी उसके नुक़्सान से हिफ़ाज़त हो गई। और दूसरी रोटी के नुक़्सानात के अक़्साम ही दूसरे हों। इसी तरह दूसरे सालन के नुक़्सानात के अक़्साम जुदा हों। यही हज़रत अली रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु के फरमान से ज़ाहिर होता है। ग़र्ज़ कि अल्लाह तआला के महबूब की हर अदा और हर हुक्म पर चलने से सवाब के अलावा अज़ीम बेशुमार फवाइद हमारे ही हक़ में होते हैं। क़ुरूने ऊला (इस्लाम का पहला ज़माना) के बुज़ुर्ग हज़रात बिस्मिल्लाह शरीफ़ के ज़बरदस्त आमिल होते। जिस तरह दरूद शरीफ़ के आमिल हुआ करते थे कि लोगों में मशहूर होता कि फलां बुज़ुर्ग इस्मे आज़म के आमिल हैं या उनको इस्मे आज़म हासिल है। वह जो जिसके जिस भी काम के लिए दुआ करें उसी वक़्त वैसा ही हो जाता है। जिस तरह दरूद शरीफ़ आक़ा मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम के अल्क़ाबात और बरकात की दुआ का नाम है बिस्मिल्लाह शरीफ़ में भी अल्लाह तआला के महबूबे आज़म का जिक्र है।

बिस्मिल्लाह शरीफ़ की सहीह अदाइगी : बाज़ हज़रात वक़ार को विक्क़ी, अब्दुर्रहमान को माना इक़्बाल को बाला। और **कुल हुवल्लाह** को। **कुल वल्लाह**। इसी तरह **बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम**। को **बिस इल्ला**। अदा करते हैं। अगर बिस्मिल्लाह शरीफ़ पढ़ते हुओं को तवज्जोह से सुना जाए तो अजीब-अजीब अन्दाज़ से पढ़ने वाले मिलेंगे जबकि इस तरह पढ़ने से सवाब तो क्या बल्कि गुनाहे अज़ीम है। जिस तरह क़सदन बिस्मिल्लाह पढ़ कर शराब पीना व ज़िना करना कुफ़्र है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त की दानिस्ता (जान बूझ कर) बे-अदबी, गुस्ताख़ी, उसका नाम बिगाड़ना कुफ़्र है। वल्लाह तआला आलम।

बिस्मिल्लाह बुलन्द आवाज़ से पढ़ना

सुन्नत ८ : अगर खाने में चन्द अश्ख़ास (कई लोग) शामिल हों तब बिस्मिल्लाह शरीफ़ बुलन्द आवाज़ से पढ़ना। ताकि जो अहबाब पढ़ना भूल गए थे वह भी पढ़ लें। लिहाज़ा जो भी भूले हुए अश्ख़ास बुलन्द आवाज़ से बिस्मिल्लाह पढ़ने में शामिल होंगे, उनकी तादाद के बराबर बुलन्द आवाज़ से पढ़ने वाले को मज़ीद सवाब की ख़ुशख़बरी। जिस तरह एक शख़्स को एक बार दरुद शरीफ़ पढ़ने का सवाब मसलन तीस नेकियाँ हैं। अगर वही दरूदे पाक दस (१०) अफराद मिल कर सिर्फ़ एक बार ही पढ़ें।

तब हर हर शख्स को तीन-तीन सौ नेकियाँ मिलेंगी कि इन दस अफ़राद में का हर-हर फ़र्द दस का सब है। कि अगर उनमें का हर शख़्स यह सोच कर न जमा हो कि मेरे न जाने से कुछ फ़र्क़ न आएगा। तो ज़ाहिर है कि उस जगह इज्तिमा का अलिफ़ भी न होगा। अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त इतना मेहरबान है कि अगर दस अश्ख़ास (लोग) हों या एक हज़ार अश्ख़ास उन तमाम की शुमार (गिनती) जितनी नेकियाँ हर-हर शख़्स को इनायत फरमाता है। यही वजह है कि जुम्अतुल-मुबारक की नमाज़ के बाद इज्तिमा की शक्ल में दुरूद शरीफ़ और सलाम पढ़ा जाता है कि जुमा के दिन दरूद शरीफ़ पढ़ने की हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़ज़ीलत भी बहुत ब्यान फरमाई है। दूसरी वजह इज्तिमा जितना ज़्यादा होगा हर-हर शख़्स को उसकी शुमार से ज़रब (गुणा) लगा कर सवाब मजीद मिलता है। तीसरी वजह यह कि इज्तिमा-उल-मुमिनीन यह एक अलग अज़ीम नेकी है। लिहाज़ा खाना बिस्मिल्लाह शरीफ़ से शुरू करना भी नेकी और बुलन्द आवाज़ से पढ़ने में उन सबकी बराबर भी नेकियों का हक़्दार हो कि अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त की वह बेनियाज़ जात है कि तक़्सीम उसके दरबार में नहीं ज़रब ही ज़रब है। सुब्हानल्लाह।

दाहिने सीधे हाथ की तीन उंगलियों से खाना

सुन्नत ६ : दाहिने हाथ की तीन उंगलियों से खाना। **हदीस** : इब्ने माजा ने हज़रत अबू हुरैरह रज़ि अल्लाहु ताअला अन्हु से रिवायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फरमाया कि दाहिने हाथ से खाए, और दाहिने हाथ से पिए, और दाहिने हाथ से ले, और दाहिने हाथ से दे। क्योंकि शैतान बाएं से खाता है, बाएं से पीता है, और बाएं से लेता है। और बाएं से देता है।

इस सुन्नत पर भी आला हज़रत अज़ीमुल-बर्कत इमामे अह्ले सुन्नत मौलाना अहमद रज़ा खाँ रहमतुल्लाह तआला अलैह जिस इहतिमाम से अमल फरमाते कि मुरीदीन, मोतक़दीन देख कर शश्दर (हैरान) रह जाते थे। इस ख़ादिम अनीस अहमद नूरी के मोहतरम वालिद हाजी मुहम्मद याक़ूब साहब ने मुरीद होने की हैसियत से मुजद्दिदे वक़्त आला हज़रत की ज़िन्दगी पाक को क़रीब से देखा। और आज के दौर में इस ख़ादिम ने भी आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह के शहज़ादे हुज़ूर मुफ़्ती

आज़मे हिन्द हज़रत मौलाना अश्शाह मुस्तफ़ा रज़ा खाँ क़ुद्दुस सिर्रहू और उनके ख़लीफ़ा मुफ़्ती मुहम्मद हुसैन क़ादरी साहब को बारहा इज्तिमाई हालत यानी अज़ीम हुजूम के आलम में भी गुफ़्तगू और मुसाफ़ा के दौरान देखा कि अगर किसी ने बाएं हाथ से कुछ देना चाहा तो इन्कार। इसी तरह रुपया या क़लम कागज़ पेन वग़ैरह ख़ुद दिया, और लेने वाले ने लेने के लिए बायां हाथ बढ़ाया तब भी इन्कार, दीगर हज़रात के दुआ सलाम के जवाब के हुजूम में भी उसको दाएं हाथ की ही तल्क़ीन फरमाते हैं। काश कि तमाम मुसलमान फर्ज़ व वाजिब के साथ-साथ हर-हर सुन्नत का भी ऐसा ही ख़्याल रखें। आमीन

मुन्दरजा बाला हदीस से साबित हुआ कि जब हम कोई चीज़ भी खाएं, पिएं ख़्वाह वह थोड़ी हो या ज़्यादा। एक लुक़्मा हो, या पानी का एक घूंट, एक ख़ुर्मा, ख़ुजूर, चने या नुकती का दाना ही हो सीधे हाथ से ही खाएं, पिएं। और यह कि खाना खाते वक़्त सीधे हाथ की तीन उंगलियां अंगूठे की मदद से ही खाएं। हदीस में है कि आक़ा व मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने पूरे हाथ से खाने को गंवारों का तरीक़ा फ़रमाया है। और आज की तहज़ीब के भी, और खाने के आदाब के खिलाफ़ है। और पांचों उंगलियों से खाना सुन्नत तरीक़ा के ख़िलाफ़ होने के सबब मक्रूह भी है।

हदीस : इब्ने नज्जार ने हज़रत अबू हुरैरह रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की है कि हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फरमाया, तीन उंगलियों से खाना अंबिया अलैहिमुस्सलाम का तरीक़ा है। और हकीम ने इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फरमाया: तीन उंगलियों से खाओ कि यह सुन्नत है। और पांचों उंगलियों से न खाओ कि आराब (गंवारों) का तरीक़ा है।

लुक़्मा सालन में तर करते वक़्त, लुक़्मा मुँह में रखते वक़्त, अंगूठा और दो उंगलियाँ ही काम में आती हैं। अल्बत्ता रोटी तोड़ते वक़्त बाज़ मरतबा तीन उंगलियाँ मस्रूफ़ होती हैं। मगर उस वक़्त अंगूठा इलाहिदा रहता है। और जो शय आज के दौर में उंगली से खाइ जाती हो मसलन फ़ीरनी, दलिया, पतली खिचड़ी, हलवा, हलीम वग़ैरह वह एक ही उंगली से खाना सुन्नत है अगर यह अशिया पतली न हों तब दो तीन उंगलियाँ

भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी महफ़िल में चमचा से ही यह अशिया खाई जा रही हों तो सुन्नत के मज़ाक़ से बचने की ख़ातिर चमचा से खाएं, उसमें भी चुटकी से चमचा पकड़ने में तीन उंगलियां ही इस्तेमाल होती हैं। अल्बत्ता पुलाव, बिरयानी वग़ैरह में लुक़्मा बनाते वक़्त चौथी उंगली भी इस्तेमाल होती है लिहाज़ा जो अशिया तीन उंगलियों से खाना मुम्किन हैं तो वह तीन ही से इस्तेमाल की जाएं कि पांचों उंगलियों का इस्तेमाल हदीसे पाक में गंवारों का अमल इरशाद फरमाया है। और है भी हक़ीक़त कि गंवार लिप भर कर इस तरह मुँह में रखते हैं कि चेहरा भी खाने से मुतअस्सिर होता है।

खाने की इब्तिदा नमक या नम्कीन चीज़ से ही करना

सुन्नत १० : खाने की इब्तिदा (शुरू) नमक या नम्कीन चीज़ से ही करना। रद्दुल-मुख़्तार में है कि खाने की इब्तिदा नमक से की जाए और ख़त्म भी नमक पर। कि इससे सत्तर बीमारियां दफ़ा (दूर) होती हैं।

हदीस : जामे कबीर हज़रत अली रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने हज़रत अली रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया। "ऐ अली! खाने की इब्तिदा (शुरूआत) भी नमक से किया करो। इसलिए कि नमक में सत्तर बीमारियों से शिफ़ा रखी गई है।" इन अमराज़ में जुनून, जुज़ाम (कोढ़), कोढ़, पेट का दर्द और दाँतों का दर्द भी शामिल है।

नमक से शुरू करने में एक यह भी हिक्मत है कि वह पहले ही हिर्स को इस तरह तोड़े कि ख़्वाहिश के ख़िलाफ़ एक लुक़्मा ले, छोटा नवाला उठाए, और ख़ूब चबाए। जब तक पहला नवाला न निगल जाए दूसरे लुक़्मा की तरफ हाथ न बढ़ाए। याद रखें कि सलाद या प्याज़, मूली वग़ैरह मुर्ग़ की तरह मुँह आसमान की तरफ उठा कर चुटकी से मुँह में रखने की क़बीह आदत से परहेज़ किया जाए।

खाना नमक यानी नम्कीन से ही शुरू किया जाए। अगर दस्तरख़्वान पर ज़र्दा, पुलाव या कोर्मा रोटी मौजूद हो तब ज़र्दा को शुरू में न खाएं। इसी तरह पुलाव, बिरयानी, फीरनी को भी रोटी के बाद ही खाएं। फिर उन अशिया के खाने के बाद चन्द लुक़्मे रोटी के सालन के साथ या बग़ैर सालन के ज़रूर खा लें। जिन अहबाब को चावल नुक़्सान देने हों तो बेहतर तो यही है कि अपनी जान को हिलाकत में न डालें और अगर

खाने पर दिल माइल व मजबूर हो तब उनको भी यही मश्वरा है कि वह भी और वह हज़रात भी जिनको मीठा, या तली हुई चिकनी अशिया नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी पैदा करती हो, रोटी सालन के दरम्यान ही खाएं। यानी आख़िर में रोटी, सालन ज़रूर खाएं। किस चीज़ को किस चीज़ के साथ न खाई जाए। या उनके दरम्यान तीन घन्टे का वक़्फ़ा ज़रूरी है। वह "किस चीज़! को किस चीज़ के बाद खाना मुज़िर (नुक़्सान) है।"

यहाँ इतना अर्ज़ करना ज़रूरी है कि मिठाई, फल, फ्रूट, खुसूसन ख़रबूज़ा, तरबूज़ा, सेब, अंगूर, इसी तरह डराई फ्रूट, बादाम, पिस्ता या किशमिश, घी, तेल की चिकनी अशिया तली और बेग़ैर तली, और अचार, खाने के बाद पानी का परहेज़ लाज़मी है। वरना हैज़ा, नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी, गला ख़राब वग़ैरह जैसी बीमारियाँ से मुक़ाबले के लिए तैयार रहना होगा। अगर आप यह चाहते हैं कि सीने पर बल्ग़म का कारखाना, फैक्ट्री न लगे तो फिर मुतज़्किरह अशिया खाने के बाद भी नमक ज़रूर खा लें कि कभी तो ज़रूर पानी पीना ही होगा। उस वक़्त भी पानी ज़रूर अपना कुछ असर दिखाएगा।

नमक से मुतअल्लिक़ ग़लत फ़हमी : बाज़ हज़रात अपनी दावत इस शर्त पर मन्ज़ूर करते हैं कि मेरा खाना बेग़ैर नमक के तैयार किया जाए। और जब दावत पर बैठते हैं तो अपनी जेब से नमक निकाल कर सालन वग़ैरह में डालते हैं। गोया उनके नज़्दीक खाना सिर्फ़ नमक का ही नाम है। बक़िया शय खाने में दाख़िल नहीं। या नमक हराम कहलाने के बचाव की ग़रज़ से। या यह कि मेज़बान का नमक खाने के बाद यह ग़ीबत, चुग़ली को हराम जानते हैं। और नमक न खाने पर सवाब या ज़रूरी। जबकि इस्लाम में किसी मुसलमान की चुग़ली, ग़ीबत बेग़ैर शरई मज्बूरी के हराम है। अब चाहे उसका नमक या खाना खाया हो या नहीं हर तरह हराम है।

नमक! खाना खाने के अव्वल व आख़िर इस्तेमाल पर अहादीसे मुबारका, बुज़ुर्गाने दीन का अमल, उलमा-ए-किराम की ताकीदें, हुकमा और डॉक्टरों के अक़्वाल बेशुमार मिलते हैं। मगर अफ़्सोस कि आज मुसलमानों के अमल उसके बरख़िलाफ़ पाए जाते हैं। ख़ास कर घरों में मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अगर मामूली सा नमक भी सालन में तेज़ हो गया, तो सालन की प्लेट बीवी या बहन के मुँह पर मार दी जाती है। और मिनट

में सारे घर को सर पर उठा लेना तो जैसे कोई वात ही नहीं। ऐसे हज़रात की इबरत की ग़रज़ से एक वाक़्या तहरीर करना मुनासिब समझता हूँ।

मिसरा :

शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात

हिकायत : हज़रत औरंगज़ेब आलम गीर रहमतुल्लाह तआला अलैह का बावर्ची किसी दूसरे मुल्क का था। उस मुल्क से आने वालों में किसी एक शख़्स के हाथ बावर्ची की बीवी ने एक रुक़आ के ज़रिया पैग़ाम भेजा कि लड़कियों के रिश्ते तय कर दिए गए हैं। रक़म की सख़्त ज़रूरत है। और तुम्हारा भी यहाँ होना ज़रूरी है।

बावर्ची ने बादशाह से मुलाक़ात की तदबीर (रास्ता) निकाली कि सालन में नमक तेज़ कर दिया जाए। चुनांचे ऐसा ही किया। मगर औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह तआला अलैह ने तवज्जोह नहीं दी। फिर हर रोज़ सालन में मज़ीद नमक का इज़ाफ़ा करता गया, यहाँ तक कि सालन के बराबर नमक डाला गया। चूंकि यह मुआमला बादशाह की अपनी ज़ात से मुतअल्लिक़ था। दरगुज़र से काम लिया। चश्म पोशी (देख कर टाल मटोल कर जाना) की। मगर जब बावर्ची ने बतदरीज नमक में कमी करते-करते यहाँ तक़ कमी की कि नमक बिल्कुल ही सालन में डालना ख़त्म कर दिया। तब बावर्ची को बादशाह ने तलब किया और नमक का सालन में इज़ाफ़ा और फिर नमक बिल्कुल ख़त्म की वजह दरयाफ़्त की। तब बावर्ची ने कहा कि यह आप से बारयाबी (मुलाक़ात) की तदबीर थी। और बावर्ची ने वतन से आया हुआ रुक़आ पेश किया। बादशाह ने अपनी रियाज़ (मेहनत) की कमाई की सन्दूक़ची से दो पैसे बावर्ची को इनायत किए। और नसीहत की कि ख़्याल से ख़र्च करना।

बावर्ची ने सोचा कि बीवी बच्चे मुझे बादशाह का बावर्ची समझे हुए हैं मैं उनको क्या मुँह दिखाऊँ। क़ासिद के हाथ वह दो पैसे बीवी बच्चों को भेजवा दिए। और कहला भेजा मेरा आना मुश्किल है। क़ासिद जब अपने कामों से फ़ारिग़ हुआ तो वतन वापस जाने की तैयारी की और बावर्ची के घर वालों के लिए उन दो पैसों से चन्द अनार खरीद लिए। जब जहाज़ दूसरे मुल्क में लंगर अंदाज़ हुआ तो देखा कि इस मुल्क के

शाही हुक्काम किनारे पर खड़े हैं। और हर मुसाफिर से दरयाफ़्त करते हैं कि आपके पास क्या अनार है? हम मुँह माँगी क़ीमत अदा करेंगे। इसलिए की शहज़ादे की तबीअत खराब है। हकीमों ने अनार इलाज बताया है।

इसी तरह उस क़ासिद से भी पूछा, क़ासिद ने मज़ाहन (मज़ाक़ से) दो अनारों के दो लाख रुपये कहे। उन हुक्कामों ने उसी वक़्त दो लाख रुपये अता कर दिए, और शुक्रिया बजा लाए, क़ासिद ने बक़िया अनार और वह रुपए बावर्ची के घर पहुंचा दिए। जब कुछ अरसा बाद बावर्ची अपने वतन वापस आया तो अपना घर देख कर पहचान न सका। लोगों से दरयाफ़्त किया तो सब ने यही जवाब दिया कि यह बावर्ची का ही मकान है। ग़रज़ कि मकान में जाकर बीवी बच्चों के ठाठ बाट ही अजीब देखे। शक हुआ कि मेरी घर वाली ने शायद दूसरा निकाह कर लिया है। दरयाफ़्त करने पर मालूम हुआ कि क़ासिद ने दो लाख रुपए और अनार दिए थे, सब उसी का करिश्मा है। बच्चियों की शादी भी बख़ूबी अंजाम पाई। फिर क़ासिद से दो लाख रुपये का सबब दरयाफ़्त किया। उसने पूरा वाक़या ब्यान किया। जब बावर्ची शाही दरबार में पहुँचा तो उन दो पैसों की करामत ब्यान की हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह तआला अलैह सुन कर सर पकड़ कर रह गए। और बहुत अफ़सोस किया और कहा कि तुम ने उन दो पैसों से कुछ भी हासिल न किया। तुमको मालूम नहीं कि वह दो पैसे किस मेहनत की कमाई के थे? और किस रियाज़त के थे। फिर आबदीदा लेहजे में फरमाया कि वह दो पैसे कुरआन मजीद लिख कर हदिया करने की बचत से थे। और वह भी फुलां महाज़ पर दिन भर जंग और शब को कुरआन शरीफ़ ऐसी हालत में लिखता कि ब्याबान में बमुश्किल दिया (चिराग़) जलाता। एक लफ़्ज़ लिख पाता कि हवा उसको बुझा देती।

मिसरा –

जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है

आज भी हम देखते हैं कि बाज़ चन्द सिक्के लाखों रुपये से बढ़ कर अहम साबित होते हैं। और लाखों रुपये ग़बन, चोरी से हासिल करदह बजाय नफ़ा के नुक़्सान देह साबित होते हैं। ऐसे रुपया की आमद का पता चलता है। मगर ख़र्च का पता नहीं चलता कि कब ख़र्च हुए कहाँ हुए?

इस वाक़्या से जहाँ ख़ुलूस मेहनत की कमाई की बरकत मालूम हुई, साथ ही साथ मालूम हुआ कि बादशाहे वक़्त हो कर सालन में बराबर नमक खा रहे हैं और पेशानी पर बल भी पैदा नहीं हुए। जबकि हमारा यह हाल है कि बीवी, बहन ही क्या ख़ुद मां पर गरजने, बरसने के लिए बहाने तलाश करते हैं। अगर नमक सालन में तेज़ हो गया तो गोया मकान सर पर उठाने का बहुत बड़ा जवाज़ (इजाज़त) हाथ आ गया। फिर नतीजा भी कुछ ही दिनों बाद सामने आ जाता है। कि पैसे-पैसे को दाने-दाने को मुहताज। दुनिया की नज़रों में ज़लील। अल्लाह तआला हिदायत नसीब फरमाए।

हाथ या छुरी वग़ैरह को रोटी से न पोंछना
बेग़ैर सालन के इंतिज़ार किए रोटी खाना शुरू करना

सुन्नत ११ : हाथ या छुरी वग़ैरह को रोटी से न पोंछना।

सुन्नत १२ : अगर सामने पहले रोटी आ जाए तब बेग़ैर सालन के इंतिज़ार किए रोटी खाना शुरू करना। इन दोनों सुन्नतों के ख़िलाफ़ अमल करना मक्रूह भी है। कि इससे रोटी की अहमीयत मज्रूह होती है। इसको हक़ीर समझना भी। और रोटी की हुरमत (इज़्ज़त) व ताज़ीम के ख़िलाफ़ भी। और यह कि सालन का इंतिज़ार बता रहा है कि रोटी भूख को मिटाने और तवानाई (ताक़त) लाने वाली नहीं। "सालन है।" जब कि तवानाई लाने और भूख को मिटाने वाली रोटी ही है। और सालन ज़ाइक़ा तब्दील करने के लिए और यह कि ख़ुश दिली से खाना खाने के लिए होता है क्योंकि एक ही चीज़ खा-खा कर कहीं दिल न उकता जाए। सालन का इंतिज़ार। रोटी की अहमीयत के ख़िलाफ़ इस वजह से है कि जिस तरह कोई तोहफ़ा पर चढ़े हुए गुलाबी काग़ज़, डोरी को सराहे, सिर्फ़ उसकी ही तारीफ़ करे और उसको अहमीयत दे। और तोहफ़ा से लापरवाही से काम ले।

लिहाज़ा दस्तरख़्वान पर रोटी आख़िर में रखी जाए ताकि रोटी के बाद इंतिज़ार न करना पड़े। इसी तरह हाथ या छुरी को जो चीज़ लगी हुई हो रोटी से पोंछने के माना यह हैं कि उसका लगा रहना हाथ या छुरी पर तो नागवार है मगर रोटी के ज़रिया मुँह के रास्ते जिस्म में जाना

गवारा। जबकि यह मक्रूह है। और सालन लगी उंगलियाँ चाटना सवाब। और रोटी से सालन लगी प्लेट साफ की ही जाती है। मगर यह साफ करना सुन्नत पर अमल और शैतान से बर्तन को महफ़ूज़ रखने की नीयत से प्लेट साफ करना सवाब है। कि नीयत बदली अहकाम बदले **अल-आमालु बिन्नियात** आमाल का दारो मदार नीयत पर है। और यह कि जो कुछ हाज़िर हो उस पर क़नाअत (सब्र) करे। उम्दा खाना न ढूंढे। इसलिए कि मुसलमान को इबादत की हिफ़ाज़त मक़्सूद होती है। न कि ऐश व इशरत, रोटी की ताज़ीम सुन्नत है कि आदमी की बक़ा इसके ज़रिया है। और रोटी की ताज़ीम यह है कि उसे सालन वग़ैरह के इंतिज़ार में न रखें। बल्कि नमाज़ के इंतिज़ार में भी न रखें। जब रोटी हाज़िर हो तो पहले उसे खाए फिर नमाज़ पढ़े।

सालन वग़ैरह क़रीब के किनारे से खाना

सुन्नत १३ : सालन वग़ैरह क़रीब के किनारे से खाना। **हदीस :** सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में उमैर बिन अबी सलमा रज़ि अल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है कहते हैं कि मैं बच्चा था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम की परवरिश में था (यानी यह हुज़ूर अलैहिस्सलाम के रबीब और उम्मुल-उमुमिनीन उम्मे सलमा रज़ि अल्लाहु तआला अन्हुमा के फ़रज़न्द हैं।) खाते वक़्त बर्तन में हर तरफ हाथ डाल देता। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। "बिस्मिल्लाह पढ़ो और दाहिने हाथ से खाओ और बर्तन की उस जानिब से खाओ जो तुम्हारे क़रीब है।"

सालन, फ़िर्नी, चावल, चाट, हलीम, दलिया, हलवा वग़ैरह अपने आगे से ही खाना चाहिए बीच दरम्यान से नहीं कि तहज़ीब के भी ख़िलाफ़ है और सुन्नत के ख़िलाफ़ भी। कि अगर क़सदन दानिस्ता (जान बूझ कर) या न दानिस्ता खाने के सामने से किसी काम के लिए या खाने से फ़राग़त पा कर उठे तो फिर उसे कोई खा न सकेगा। तब वह बक़िया खाना ज़ाए (बर्बाद) हो जाएगा कि अक्सर उसकी क़दर नहीं करते। अल्बत्ता अगर एक जानिब से खाया गया होगा तब ज़ाए होने से महफ़ूज़ रहेगा। बेहतर तो यही है कि इतना खाना लिया जाए कि जितना बख़ूबी खा सकें। और वह भी एक जानिब से यानी अपने आगे से ही खाया जाए। कि अगर बच भी जाए तो दूसरे हज़रात बेग़ैर कराहत के खा सकें बाज़ मरतबा ऐसा बचा हुआ खाना बहुत अहम ज़ियाफ़त (दावत) के काम आता

है। जिस तरह खोटी औलाद और खोटा सिक्का अहम मुश्किल ज़रूरत पर काम देता है। कि कुछ ही देर बाद अगर कोई अहम दोस्त, रिश्तेदार आ जाए तब क़लील वक़्त में उसकी ज़ियाफ़त बहुत उम्दा तौर पर अंजाम पाती है।

तश्त, ट्रे में मुख़्तलिफ़ खाने मुख़्तलिफ़ जगह से खाना

सुन्नत १४ : एक क़िस्म का खाना सालन फिर्नी, चावल वग़ैरह एक जगह से और अगर तश्त, ट्रे वग़ैरह में मुख़्तलिफ़ क़िस्म के खाने हों तब मुख़्तलिफ़ जगह से मसलन खुजूर, फल, फ्रूट, मेवे, मिठाई वग़ैरह यह सब एक जगह हों या एक चीज़ की मुख़्तलिफ़ अक़्साम हों तब मुख़्तलिफ जगह से खाना सुन्नत है।

हदीस : तिर्मिज़ी ने इक्राश बिन ज़ुवेब रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की है। कहते हैं हमारे पास एक बर्तन में बहुत सी सरीद (सालन में घुली रोटी) और बूटियाँ लाई गईं। मेरा हाथ बर्तन में हर तरफ पड़ने लगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने अपने सामने से तनावुल फरमाया। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपने बाएं दस्ते अक़्दस से मेरा दाहिना हाथ पकड़ लिया। और फरमाया कि इक्राश एक जगह से खाओ कि यह एक ही क़िस्म का खाना है इसके बाद तबक़ (थाल) में तरह-तरह की ख़ूजूरें लाई गईं। मैंने अपने सामने से खाना शुरू कीं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम का हाथ मुख़्तलिफ़ जगह तब्बाक़ में पड़ता। फिर फरमाया कि इक्राश जहाँ से चाहो खाओ कि यह एक क़िस्म की चीज़ नहीं। फिर पानी लाया गया हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने हाथ धोए और हाथों की तरी से मुँह और कलाइयों और सर का मसह कर लिया। और फरमाया कि इक्राश जिस चीज़ को आग ने छुआ। यानी जो आग से पकाई गई हो उसके खाने के बाद यह वज़ू है।

एक शुबह का इज़ाला : बाज़ क़बीलों, बिरादरियों, बुज़ुर्गों के उर्स और लंगर के दौरान पांच, छे अफ़राद के बीच बड़े थाल में चावल वग़ैरह खिलाए जाते हैं। उस वक़्त भी यह ज़रूरी है कि हर शख़्स अपने ही आगे से खाए। और दूसरे साथियों के आगे से बोटियाँ चुन-चुन कर न खाए। अल्बत्ता जब सब खा चुकें और बाज़ हज़रात के आगे से पस ख़ूर्दा (बचा हुआ) जैसा कि आज कल फैशन में कुछ छोड़ना लाज़िम समझा जाता

है। इसको समेट कर खाने से अल्लाह तआला बहुत ख़ुश होता है। और ऐसे शख़्स को अपना मुक़र्रब और दुनिया की नज़रों में मुअज़्ज़ज़ फरमाता है। और क्यों न हो कि आक़ा व मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम का इरशादे गिरामी है। कि मोमिन के झूठे में शिफ़ा है। अमराज़े नुख़ुव्वत व रऊनत (घमन्ड) हो या अमराज़े बदन व रूहानी हो। सभी से शिफ़ा पाना है।

इस पर खानदाने आला हज़रत ख़ुसूसन हुस्न व जमाल के पैकर हुज्जतुल-इस्लाम हज़रत अल्लामा मुहम्मद हामिद रज़ा ख़ाँ फ़ाज़िल बरैलवी रहमतुल्लाह तआला बहुत ख़ूब अमल फरमाते दिखाई देते थे।

गर्म खाना न खाना न पीना न फूंकना

सुन्नत १५ : खाने पीने की शय को न फूंकना। **हदीस** : तिर्मिज़ी ने अबू सईद ख़ुदरी रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की है कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने पीने की चीज़ में फूंकने से मना फरमाया है। एक शख़्स ने अर्ज़ की कि बर्तन में कभी कूड़ा दिखाई देता है। फरमाया उसे गिरा दो। उसने अर्ज़ की कि एक सांस में सैराब नहीं होता हूँ। फरमाया बर्तन को मुँह से जुदा करके सांस लो। **हदीस** : तबरानी ने इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने खाने और पीने में फूंकने से मुमानिअत (मना) फरमाई।

सुन्नत १६ : गर्म खाना न खाना न पीना। **हदीस** : हाकिम जाबिर रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से और अबू दाऊद अस्मा रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि इरशाद फरमाया "खाने को ठण्डा कर लिया करो कि गर्म खाने में बरकत नहीं है।"

बाज़ कुतुब (किताबों) में मरकूम (लिखा) है कि गर्म खाने से मेअदा कमज़ोर पड़ जाता है। लिहाज़ा ज़रूरी है कि गर्म खाना खाने से इहतियात की जाए। और सुन्नत भी यही है।

फूंकने की ज़रूरत अक्सर दो वजह से होती है। और तीसरी वजह शिफ़ा की नीयत से दम करना। जो कि आगे अर्ज़ किया जाएगा। अव्वल वजह गर्म चीज़ को ठण्डा करने की ग़रज़ से और दोम वजह पानी या दूध वग़ैरह में कचरा तिनका हटाने की ग़रज़ से। जबकि फूंकने से हटता भी नहीं है। अल्लाह तआला के महबूब और उम्मतियों पर मेहरबान सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने गरम चीज़ को ठण्डा करके खाने,

पीने की और कचरा निकाल कर फेंकने या पानी वगै़रह से कचरा निकाल कर, इस्तेमाल करने की हिदायत फरमाई है।

इसमें क्या राज़ है और क्या हिक्मत पोशीदा (छुपी) है यह तो अल्लाह तआला और उसके हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ही बेहतर जानते हैं। अल्बत्ता आज के साइंसदान यह कहते हैं कि सांस के ज़रिया अन्दर के जरासीम बाहर आकर तवाना (ताक़तवर) हो जाते हैं। और फिर गिज़ा के ज़रिया जिस्म में दाखि़ल होते हैं तो मज़ीद मुज़िर (नुक़सान) साबित होते हैं। हदीसे पाक का एक मतलब यह भी हो सकता है कि अन्दर से बाहर आई हुई गन्दी हवा फिर से खाने में शामिल न हो। और यह कि पानी वग़ैरह में सांस लेना, फूंकना बीमारी हो। हदीसे पाक में पानी को तीन सांस में पीने की तल्क़ीन में भी यह ताकीद फ़रमाना कि "सांस बर्तन को मुँह से हटा कर लो।" में भी बज़ाहिर मालूम होता है कि जरासीम या बीमारी सांस पानी में लेने से होती है। इसी तरह यह इरशादे गिरामी कि फल फ्रूट वग़ैरह को धो कर खाओ।

ग़रज़ कि फूंकना मुज़िर भी है और यह कि कचरा भी फूंकने से उस चीज़ में से नहीं निकलता। जब तक हाथ से ही न निकाला जाए। ऐसी सूरत में फूंकना बिल्कुल बेमाना है। फूंकना अक्सर काहिल पसन्दी और बेसब्री की वजह से आदत में शामिल होता है। जबकि फूंकने से मुश्किल भी हल नहीं होती। कि वह अपने ही वक़्त में ठण्डा होता है। और तिन्का, कचरा भी निकालने से ही निकलता है। याद रखें ऐसी दुआ और उस पर अमल किसी तरह भी जाइज़ नहीं।

या रब लबे मुस्लिम को वह चाय का प्याला दे
जो दाँत को गरमा दे जो आंत को तड़पा दे

और यूं भी कि गर्म खाना मुँह, ज़ुबान और हलक़ के साथ-साथ जिस्म के अन्दर नाज़ुक आज़ा को भी अज़ीम नुक़्सान पहुंचाता है। लिहाज़ा जो चीज़ें बख़ास गर्म खाने पीने में लाज़मी हैं। उनमें भी यह लिहाज़ ज़रूरी है कि मुनासिब गर्म हो तक्लीफ़ देह न हो। मसलन नज़्ला में पतली गर्म सेवइयाँ, गर्म चाय, काफ़ी, यख़्नी, जड़ी बूटियों या भूसी का जोश दिया हुआ गर्म पानी, यह सब जोशांदा यानी इन सब का इलाज बिलग़िज़ा में ही शुमार है। ज़रूरी है लबे दोज़, दहन सूज़ न हो। इन पर से सिर्फ़ ठण्डे, खाने पीने की पाबन्दी ख़त्म है। बाक़ी न फूंकने की, और अव्वल

व आख़िर अल्लाह तआला की हम्द, बजा लाने वग़ैरह और यह कि सीधे ही हाथ से बैठ कर कम से कम तीन सांस में पीने की पाबन्दी रहेगी। इसी तरह गर्म खाने, पीने के बाद ठण्डी यख़ (बर्फ़ की तरह) चीज़ें न खाने, पीने की पाबन्दी चाहिए कि अलावा दीगर बीमारियों के दांतों के लिए इंतिहाई मुज़िर और जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं।

खाने पीने की शय पर दम करना : दम करने से क़ब्ल शिफ़ा के इरादे, नीयत से बिस्मिल्लाह शरीफ़, अल्हम्दु शरीफ़, दरूद शरीफ़ वग़ैरह पढ़ा जाता है। फिर पानी वग़ैरह पर दम करके पिलाया, खिलाया जाता है, और यह इस वजह से भी कि बहुक्मे कुरआन।

तरजमा : और हम कुरआन में उतारते हैं। वह चीज़ जो ईमान वालों के लिए शिफ़ा और रहमत है।

(२) फ़ीहे शिफ़ाउन लिन्नासे।

का असर रखता है। लिहाज़ा बरकत और शिफ़ा की नीयत से जाइज़ है। **अल-आमालु बिन्नियात।** आमाल का दार व मदार नीयत पर है। नीयत बदली हुक्म बदला, तासीर बदली, अल्बत्ता कोई भी किसी क़िस्म का तबर्रुक या दम किया हुआ पानी, मस्जिद में बग़ैर एतकाफ़ की नीयत किए खा, पी नहीं सकता। नीयत एतकाफ़ यह है। **नवैतु सुन्नतुल-एतकाफ़** मैं सुन्नते एतकाफ़ की नीयत करता हूँ।

दम करना चूंकि हदीसे पाक और बुज़ुर्गों के अमल से साबित है। बल्कि खुद कुरआने हकीम से दमे ईसा अलैहिस्सलाम के फूंकने से अक्ल को आजिज़ कर देने वाले वाक़ेआत का रूनुमा होना साबित है।

जिस क़दर मिट्टी से ज़रर पहुँचे मिट्टी खाना हराम : हमारी बहू, बेटियाँ, माँ, बहनें, आम हालत में या हमल के अय्याम (दिनों) में आम मिट्टी, चूल्हे की मिट्टी या मुल्तानी मिट्टी खाती हैं। इसी तरह छोंटे बच्चे मिट्टी खाने के आदी होते हैं। इस क़दर मिट्टी खाना जिससे नुक़सान पहुंचे खाना हराम है। यह इहतियात खाके शिफ़ा और मज़ारात की मिट्टी में भी चाहिए। औरतों और बच्चों की ज़िम्मेदारी घर के बड़े अफ़राद पर है। कि इनको मिट्टी खाने से रोकें। मिट्टी खाने की कम अज़ कम खराबी यह है कि नौमौलूद (पैदा हुआ) बच्चा कमज़ोर, ग़ैर सेहतमन्द, हुस्न व जमाल से बेनियाज़, पैदाइशी मरीज़ पैदा होता है। और खुद खाने वाले पीले ज़र्द और कुछ ही दिनों में ख़ून की क़मी से लाग़र होना लाज़मी और यूं भी कि केचुए

कीड़े हत्ता कि सांप तक पेट में जन्म लेते हैं। और चेहरा बद रौनक हो जाता है।

खाके शिफ़ा : मिट्टी कसरत से खाने के चन्द नुक़सानात तहरीर किए गए। अब खाके शिफ़ा पर भी मुख़्तसर अर्ज़ है कि ख़ास निस्बत पाने से मिट्टी में शिफ़ा बख़्शने की ख़ासियत पैदा हो जाती है। ग़ज़व-ए-उहुद में सत्तर ज़ख़्मी सहाबा जिनमें बाज़ सहाबी तो सत्तर-सत्तर ज़ख़्मों के मालिक थे। आक़ा व मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने उन ज़ख़्मियों को एक मख़्सूस ज़मीन पर लौटने का हुक्म फरमाया। लौटते ही ज़ख़्म ग़ायब हो गए। जब ही से वह मिट्टी खाके शिफ़ा के नाम से मशहूर हो गई। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मदीना मुनव्वरह की गर्द यानी खाक को मर्ज़े जुज़ाम (कोढ़) के हक़ में शिफ़ा फरमाया।

हदीस :

ग़ुबारुल मदीनते शिफ़ाउन्नास।
ग़ुबारुल मदीनते शिफ़ाउल जुज़ाम।

(मिश्कात)

गोया मदीना मुनव्वरह की मिट्टी जुज़ामियों को शिफ़ा इनायत करती है। या यह कहिए कि मदीना मुनव्वरह में चलने फिरने से जो गर्द व ग़ुबार पैदा हो जब वह जुज़ामियों के हक़ में शिफ़ा हो सकती है। फिर उसी मदीना मुनव्वरह की उस मिट्टी के शिफ़ा का आलम क्या होगा जिसके तअल्लुक़ हुज़ूरे अनवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम के मज़ारे अक़्दस से हो।

रहा यह कि शिफ़ा की ख़ासियत नज़र न आना। तब उसके मुतअल्लिक़ इतना ही अर्ज़ करना काफी है कि इस्लाम के बुनियादी अक़ाइद भी ग़ैब पर हैं। जन्नत, दौज़ख़, फरिश्ते, और ख़ुद अल्लाह तआला की ज़ात बाबरकात ग़ैबुल-ग़ैब पर मुसलमान का ईमान बुनियाद की हैसियत रखता है।

हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ठोकर से जारी हुआ आबे ज़मज़म शरीफ़ जिस भी इरादा से पिया जाए उसके लिए वह काफी है। इसमें भी शिफ़ा की ख़ासियत नुमायां नज़र नहीं आती। और यह कौन नहीं जानता कि जड़ी बूटियों की असल हक़ीक़त मिट्टी है। और पिस कर खाक होने पर मामूली शक भी ख़त्म हो जाता है। हुकमा के इस्तेलाही जड़ी बूटियों नुमा सुफूफ़ यानी मिट्टी में शिफ़ा व ज़रर की तासीर भी ग़ैब (पोशीदह)

है जब कि हज़ारों साल से अतिब्बा (हकीम) अमराज़ का इलाज कर रहे हैं। कि अगर इस मिट्टी नुमा सुफूफ़ में शिफ़ा (फ़ायदा) व ज़रर (नुक़सान) की तासीर (असर) न हो, तब हुकमा का वजूद बे माना साबित होगा।

इसमें शक नहीं कि शिफ़ा व ज़रर देने की तासीर अल्लाह तआला ही अता करता है। वह क़ादिरे मुतलक़ है कि शिफ़ा जिस चीज़ के ज़रिया चाहे अता करे। ख़ाके शिफ़ा को अल्लाह व जल्ला के वलियों और मदीना मुनव्वरह से और मदीना मुनव्वरह को अल्लाह तआला के महबूबे आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने निस्बत है। जबकि जड़ी बूटियों को बज़ाहिर यह निस्बत नहीं। फिर जड़ी बूटियों के सुफूफ़ का खाके शिफ़ा से क्या मुक़ाबला? **हदीस** : हदीसे पाक में है हुज़ूरे अनवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फरमाया।

तरजमा : अल्लाह के नाम से शुरू। रब के हुक्म से "हमारे बीमार" हमारी मिट्टी, हमारे थूक से शिफ़ा पाते हैं।

हदीसे पाक के यह अल्फ़ाज़ शिफ़ा हासिल करने के सिलसिले में दुआ भी मुजर्रब हैसियत रखते हैं।

तबीबों ने जिसको किया ला इलाज।
उसको तैबा की खाके शिफ़ा चाहिए।

(अनीस अहमद नूरी)

उश्शाक़ : मदीना शरीफ़ की खाके मुबारक का इस्तेमाल इस तौर फरमाते हैं।

कफन पहनाओ तो खाके मदीना मुँह पे मल देना
कि बस इक यह ही सूरत है खुदा को मुँह दिखाने की

(मुनव्वर बदायूनी)

इश्क़ और इहतियाते शरीअत : हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम के उश्शाक़ (आशिक़ों) और आपके गुलाम ज़ुबान पर यह नहीं लाते कि मदीना मुनव्वरह की मिट्टी कसरत (ज़्यादा) से खाना हराम है। अगर कभी ज़रूरत पेश आ जाए तब इश्क़ व अदब और शरीअत का दामन भी हाथ से न छूटे। और बात भी मुकम्मल हो। मसलन –

क़तअ़

क्या पाक है, खाके दरे शाहे लौलाक
पाकी के सबब है, सजदा गाहे अफ़्लाक

मैं और यह आरज़ू! कि चादूं उसको
ख़ाकम बदहन, मेरा दहन, और वह खाक
उनके दर की खाक से पत्थर से जब उल्फत नहीं
दिल में फिर ईमान ही क्या खाक पत्थर रह गया

तबर्रुक पर अहादीसे मुबारका : बुज़ुर्गों से जो चीज़ निस्बत पा जाए उसको तबर्रुक की हैसियत से अहमीयत देना, मुतबर्रक समझना कुरूने ऊला बल्कि खुद सहाबा के अतवार (तरीक़ा) से साबित है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के थूक मुबारक को सहाबा किराम ज़मीन पर न गिरने देते बल्कि हर-हर सहाबी की यह तमन्ना होती कि मैं हासिल करूं जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के आशिक़ इस तबर्रुक से महरूम रहते वह दूसरे के हाथों को मस करके अपने चेहरों पर फेर लेते। पीने की अशिया से मुतअल्लिक़ दो हदीसें जहाँ दीगर अहकाम से आगाह फरमा रही हैं वहाँ तबर्रुक के तसव्वुर का भी पता देती हैं।

हदीस : तिर्मिज़ी ने कब्शा रज़ि अल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की है। कहती हैं "मेरे यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम तशरीफ़ लाए। मश्क (पानी भरने की खाल) लटकी हुई थी उसके दहाने से खड़े होकर पानी पिया (हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इस फेअल को उलमा ने ब्याने जवाज़ पर महमूल किया) मैंने मश्क के दहाने को काट कर रख लिया।"

हज़रत कब्शा ने बग़र्ज़ तबर्रुक काट कर रखा था। चूंकि इससे हुज़ूर अलैहिस्सलाम का दहने (मुँह) मुबारक लगा था। यह बरकत की चीज़ है। इससे बीमारों को शिफ़ा होगी। **(बहारे शरीअत)**

हदीस : बुख़ारी और मुस्लिम में सहल बिन सईद रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि "नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में प्याला पेश किया गया हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने नोश फरमाया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की दाहिनी जानिब सबसे छोटे एक शख़्स थे (अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु) और बड़े-बड़े असहाब बाएं जानिब थे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया लड़के अगर तुम इजाज़त दो तो बड़ों को दे दूँ? उन्होंने अर्ज़ की हुज़ूर अलैहिस्सलाम के उवेश (तबर्रुक) में दूसरों को अपने पर तरजीह नहीं दूँगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उन (अब्दुल्लाह बिन अब्बास) को दे दिया।" **(बहारे शरीअत)**

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा जिससे बहुत ही मोजज़े ज़ुहूर पज़ीर हुए। वह ख़ुद तबर्रुक था कि आदम अलैहिस्सलाम से हज़राते अंबिया किराम तक होता हुआ हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम के पास आया। और वह असा लड़की और दामाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रुख़्सत पर इनायत किया।

इसी तरह हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कुर्ता तावीज़ की शक्ल में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बाज़ू मुबारक पर था जो बाद में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई (आँखों की रौशनी) वापस लाने का सबब बना।

संगे अस्वद शरीफ़ को जन्नत का शर्फ़ हासिल है। मगर फ़ारूके आज़म रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु उसको मुख़ातब होकर फरमाते हैं कि उमर इस वजह से तुझे चूमता है कि मेरे आक़ा व मौला के लब हाय मुबारक तुझे लगे। आज भी वह इतना मुतबर्रक है कि अगर रश का आलम हो तो दूर से ही उसकी तरफ दोनों हथेलियाँ करके (अपने ही काले करतूतों वाले) हाथों को बोसा देना भी सवाब है।

नजिसुल-ऐन खाना हराम : सुन्नत १५ : यानी खाने, पीने की शय को न फूंकना, और **सुन्नत १६** में गर्म न खाने पीने से यह भी मालूम हुआ कि जब कोई उज़्र (परिशानी) न हो तब खाने, पीने में सुन्नत, जाइज़, हलाल तरीक़ों को अपनाना चाहिए। और इलाज में भी हत्तल-मक्दूर पहले जाइज़, हलाल तरीक़ों को ही तरजीह दी जाए। इलाज के तौर पर शराब पीने की इजाज़त नहीं कि अल्लाह तआला के महबूब का साफ फरमान है कि शराब में शिफ़ा नहीं। इसी तरह शहवत की ज़्यादती की वजह से बतौरे इलाज बेग़ैर निकाह सोहबत भी ज़िना शुमार की जाएगी।

जादू, काला इल्म सीखने में जहाँ अंबिया व रुसुल, मुक़र्रब फ़रिश्तों की शाने पाक में गुस्ताखियों का विर्द कुफ़्र है वहाँ जादू सीखने वालों का यौमिया (रोज़) पाखाना खाने वालों को, पाखाना खाना भी हराम है। और यह वज़ीफ़े के तौर पर ही नहीं बल्कि एक बार (अगरचह) क़लील (थोड़ा) ही हो हराम है।

खाने के दौरान गुफ्तगू करना

सुन्नत १७ : खाने के दौरान गुफ़्तगू (बातचीत) करना, जिस तरह यहूद व नसारा का क़िब्ला बैतुल-मक़्दिस है। और मुसलमानों का क़िब्ला

हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह शरीफ़ अल्लाहु रब्बुल इज़्ज़त से ऐन नमाज़ की हालत में तब्दील कराया। यहूद दस मुहर्रमुल-हराम का रोज़ा रखते। तो मुसलमानों को आक़ा व मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने नौ और दस मुहर्रमुल-हराम के दो रोज़े रखने की हिदायत फ़रमाई। ग़ैर मुस्लिम सर में आड़ी मांग निकालते। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उनके मुक़ाबले यानी मुख़ालिफ़त पर सीधी माँग निकालने का हुक्म फ़रमाया। ग़ैर मुस्लिम बेग़ैर टोपी के सर पर साफ़ा, पगड़ी बांधते, हुज़ूर पुर नूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने टोपी पर साफ़ा, एमामा बांधने का हुक्म फ़रमा कर मुस्लिम और ग़ैर मुस्लिम के एमामा में फ़र्क़ क़ाइम किया। इसी तरह मजूसी, आतिश परस्त, (आग की पूजा करने वाले) चूंकि खाते वक़्त बातें न करते। कि यह उनके मज़्हब के शिआर व अलामत में शामिल है। हमारे हादी ने इसमें भी बातें करने का हुक्म फ़रमा कर फ़र्क़ क़ाइम फ़रमाया यानी मुसलमान खाना खाते हुए अच्छी गुफ़्तगू करें।

जिस तरह दूसरे इस्लामी अहकामात में हमारे इस्लामी भाई इफ़्रात व तफ़्रीत (कमी बेशी) के शिकार हैं कुछ मग़रेबी तहज़ीब के दीवाने खाने के दौरान गुफ़्तगू करने में भी इफ़्रात व तफ़्रीत में मुब्तला होते हैं। चुनांचे जब तफ़्रीत (कमी) पर उतरते हैं तो लब कुशाई (बोलने) को तहज़ीब के ख़िलाफ़ नाम देते हैं। और जब इफ़्रात (ज़्यादती) में मुब्तला होते हैं। तो झूठ बोलने, बेहूदा गुफ़्तगू करने का गोया खाने के लवाज़िमात (चीज़ों) में शुमार करते हैं।

हिकायत : कुंबा के घरों में जब एक जगह बैठ कर खाते हैं तब किसी न किसी बहाने पेशाब, पाखाने का तज्किरा आ ही जाता है। मुम्किन है जिस तरह उस बच्चे को जो शब (रात) में बिस्तर पर पेशाब कर लेता है। शैतान ख़्वाब में सैर व तफ़्रीह के बहाने किसी नाली पर बिठा कर उसे पेशाब कराता है। उसी तरह खाने के दौरान किसी गन्दी घिनौनी चीज़ों का तज़्किरा करने में भी मुम्किन है उसी का हाथ हो। याद रखें ख़ुसूसन खाने के दौरान किसी शख़्स का इस तरह जी मतली हो सकता है। न आम ज़ुबान में और न शाइस्ता ज़ुबान में उनका तज़्किरा होना चाहिए। मसलन जिस तरह चिर्किन शाइर हर महफ़िल में अपना फन दिखाता था। एक दिन उसके दोस्त ने सोचा कि मुम्किन है खाने के दौरान पेशाब

पाखाने के तज़्किरे से परहेज़ रखे। चुनांचे दोस्त बतौर मेहमान उसके घर दाख़िल हुआ तब चिर्किन साहब ने ख़ातिरदारी में किसी तरह की कसर न उठा रखी। कभी लुक़्मे बना-बना कर ख़ुद उसके मुँह में देता तो कभी इशारे पाते ही पानी पेश करता। मेहमान ने फरमाइश की कि दोस्त हस्बे हाल कोई शेअर हो जाए। चिर्किन तो पहले ही शेअर सुनाने को बेक़रार था। फ़ौरन हस्बे हाल शेअर पढ़ा।

दोस्त को खाना खिलाया मैंने अपने दस्त से
प्यास जब उसको लगी पेशाब मैंने कर दिया

ऐसे हज़रात अपनी आदत ख़स्लत से बाज़ नहीं आते वह ऐसे मुहज़्ज़ब वक़्त में भी किसी न किसी तरह अपनी आदत ख़स्लत का इज़्हार किए बेग़ैर नहीं चूकते। लिहाज़ा दौराने तआम (खाना) भी गुफ़्तगू मुहज़्ज़ब करनी चाहिए कि सुन्नत भी है। और मजूसियों, आतिश परस्तों की मुख़ालिफ़त और इस्लामी शिआर भी। ज़ोद हज़्म और जिस्मानी नश्व नुमा में मददगार भी। जबकि रंज व ग़म, गुस्सा की हालत में खाना खाने से क़ब्ज़ या बदहज़्मी, दस्त और दीग़र ख़राबियों का एहतमाल भी। **याद रहे** कि बेहूदा गुफ़्तगू हर वक़्त ख़ुसूसन खाने के दौरान करनी मना है। और शाइस्ता ना शाइस्ता तौर पर भी ऐसी गुफ़्तगू न चाहिए कि जिससे मेहमान या किसी का भी दिल मज्रूह हो। मसलन दाग़ की उनके दोस्त ने दावत की, खाने में मुर्ग़ियों का इहतिमाम किया। दाग़ जब मेहमान खाने पहुंचे तो मेज़बान ने अज़राहे मज़ाक़ कहा। शेअर –

दाग़ की आज दावत है
खाएगा गोश्त मुर्ग़ी का

दाग़ ने बरजस्ता शेअर में जवाब दिया। शेअर –

दालों पे मुझे नाज़ है
खिलाएगा गोश्त मुर्ग़ी का

यह दाग़ अलैहिर्रहमा थे जो जवाब देकर ज़ेहन को मुतअस्सिर होने से बचा लिया। याद रखें जो शख़्स हस्सास होगा तो वह आइंदा ऐसी महाफ़िल व मजालिस में जाने से कतराएगा। और यह भी मुम्किन है कि ऐसे इस्लामी भाई से नफ़रत भी कर बैठे –

दोस्तो! अच्छा नहीं आपस में बेहूदा मज़ाक़
इसका हासिल है फसाद इसका नतीजा है निफ़ाक़

और न मज़ाक़ में इस तरह हंसा जाए कि सांस का फन्दा लग जाए। खुसूसन चावल या उसके मिस्ल खाते वक़्त कि बाज़ मरतबा चावल का दाना दिमाग़ को चढ़ जाता है। या खाते हुए बसबब हंसी से पेट पर ज़ोर पड़ने के आंत फोतों में उतर आती है। और हर नए का मर्ज़ हमेशा के लिए साया की तरह साथ रहता है। ऐसी हंसी से पेट वग़ैरह के ताज़ा आप्रेशन के टांके तक टूट जाते हैं। गुर्दा, पिल्ली, नस दुंबे से सख़्त तक्लीफ़ होती है। ऐसी हंसी से आंतों में बल पड़ने से शदीद दर्द पैदा होता है। भरी महफ़िल में रियाह तक ख़ारिज हो जाती है। और यह तो ज़रूर होता है कि ज़्यादा हंसी चेहरे की रौनक़ ख़त्म करती और रंज व ग़म लाती है–

कह दो नज़ीर खार भी गुल से जुदा नहीं
मज़्बूत है बहार का रिश्ता ख़ज़ां के साथ
रोते-रोते अब तलक टूटा नहीं
हंसते हंसते बढ़ गया जो सिलसिला
खिल खिला कर ज़ोर से हंसते नहीं अह्ले शुऊर
इस से हो जाता है कम दिल का सुरूर आंखों का नूर

अक्सर देखा गया है कि मज़ाक़ से झगड़े और लड़ाई तक की नौबत आ जाती है। गोया हंसी, ग़मी में तब्दील हो जाती है। और खांसी, दमे वालों के लिए हंसी बहुत ही मुज़िर है। उस वक़्त वह मिसाल सादिक़ आती है कि "रोने की बैठी थी। ऊपर से आ गया भैइया।" कि ऐसे दमे का फन्दा लगता है कि काफी देर में सांस आता है। मरने में जो तक्लीफ़ होती है, वह होती है मगर मरना फिर बाक़ी ज़िम्मा रहता है।

जिस तरह नमाज़ की हालत में, दर्स, वाइज़ व नसीहत के दौरान और वज़ू करते हुए को सलाम करना मना है इसी तरह खाते हुए को सलाम करना मना है कि सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना वाजिब। जिस तरह वज़ू करते हुए सलाम का जवाब देने में तवज्जोह हटने पर वज़ू नाक़िस तो नमाज़ नाक़िस हो सकती है। इसी तरह खाने के दौरान हलक़ में लुक़्मा फंसने, फन्दा लगने, सांस रुकने का एहतमाल है। क्योंकि सलाम का जवाब फ़ौरी फितरतन देना पड़ता है। जिसके सबब फन्दा वग़ैरह सब कुछ मुम्किन है जबकि खाने के दौरान गुफ़्तगू करने में यह एहतमाल (शक)

नहीं, कि खाने वाला जब मुनासिब समझता है जभी गुफ़्तगू करता है। या जवाब देता है।

अल-हासिल अफ़्सर व हाकिम हों या आलिम व बुज़ुर्ग, आम हज़रात हूँ या ख़्वास, खाते हुए चुप न रहें, क्योंकि चुप रहना यह अह्ले अजम और मजूसियों का अमल है। चाहिए यह कि मुत्तक़ी और परहेज़गारों के क़िस्से हिकायात और कलामे हिक्मत व शरीअत से अच्छी-अच्छी बातें करें जब कि वाहियात व ख़ुराफ़ात व ग़ैर मुहज़्ज़ब गुफ़्तगू करने से अह्ले मज्लिस के दिलों से वक़ार जाता रहता है। और अगर सुन्नतों पर अमल करते हुए, खाएं, पिएं और अदबी गुफ़्तगू, मसले या पुर नसीहत बातें की जाएं तब देखने और सुनने वालों के दिलों में उनकी जगह मज़ीद मुहब्बत व एहतराम पैदा हो। और यही इस्लाम को मक़्सूद व मतलूब है।

इसी तरह बुज़ुर्गों के खाने का मज़ाक़ उड़ाना, उनके मुँह चलाने की नक़्ल उतारना और उस मज़ाक़ में दूसरों को भी शरीक करना। रास्ते भर और दूसरे मुक़ामों पर उसका चर्चा करना। इस तरह की गुफ़्तगू अपने मुसलमान भाई की हिजो, (बुराई) हतक (बेइज़्ज़ती) में शुमार होती है। जो नाजाइज़ व हराम भी है। किसी मुसलमान पर चोट, तंज़ भी न किया जाए जो कि अक्सर औरतों में तंज़ कसे जाते हैं।

हर सआदत मन्द करता है बुज़ुर्गों का अदब
इस से बढ़ कर कुछ नहीं, हर दिल अज़ीज़ी का सबब

हाथ से गिरे लुक़्मा को उठा कर खाना

सुन्नत १८ : हाथ से गिरे लुक़्मा को उठा कर खाना। ज़मीन से उठाने में झाड़ कर खा लेना चाहिए और दस्तरख़्वान से बेग़ैर झाड़े ही खाना चाहिए कि दस्तरख़्वान बिछाया ही इस वजह से जाता है।

हदीस : इब्ने माजा ने उम्मुल-मुमिनीन हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ि अल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की कि "नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम मकान में तशरीफ़ लाए। रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ देखा। उसको उठा कर पोंछा फिर खा लिया। और फरमाया आइशा अच्छी चीज़ का एहतराम करो कि यह चीज़ (यानी रोज़ी) जब किसी क़ौम से भागी है तो लौट कर नहीं आई।" यानी अगर नाशुक्री की वजह से किसी क़ौम से रिज़्क़ चला जाता है तो फिर वापस नहीं आता। यह उस

ज़ाते मुक़द्दस का अमल है जिसके गुलाम यानी अब्दाल मुल्कों के सरबराहों को माज़ूल और यह कि मुल्कों का सरबराह मुक़र्रर करते हैं। जिस ज़ाते गिरामी की अर्श से तहतुस्सरा तक हुकूमत व नुबुव्वत है। और ख़ालिक़े काइनात के दरबार में यह एजाज़ कि उसके महबूब आज़म यानी ख़ालिक़ खुद सबसे ज़्यादा उन्हें चाहता है –

मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब
यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा

और इसमें भी शक नहीं कि आक़ा व मौला का अपनी अज़ीज़ तरीन शरीके हयात से यह इरशाद फरमाना दर हक़ीक़त अपनी उम्मत को तर्ग़ीब देना था। जिस तरह होशियार सास अपनी लाडली बेटी को डांटती है। और हक़ीक़त में बहू को समझाना मक़्सूद होता है। मगर हम गुलामों को इस तरफ तवज्जोह देनी है कि अल्लाह तआला ने अपने महबूबे आज़म को ऐसे अज़ीम इख़्तियारात अता फरमाए कि सिर्फ़ आक़ा ने इतना ही फरमाया था कि अगर मैं चाहूँ तो यह पहाड़ सोने के बन कर मेरे साथ चलें। मगर मैं इसमें ख़ुश हूँ कि एक वक़्त खाऊं तो अल्लाह तआला का शुक्र अदा करू, और दूसरे वक़्त न खाऊं तो सब्र करूं। सिर्फ़ इतने कहने पर ही पहाड़ सोने के हो गए। और सोना उगल रहे हैं। (१)

ऐसे अज़ीम इख़्तियारात का मालिक गो कि तर्ग़ीब के ही लिए रोटी का टुकड़ा ज़मीन से उठा कर खाए किया यह कमाल दरजा की अपने रब के हुज़ूर आजिज़ी इंकिसारी नहीं? और क्या उम्मत पर कमाल दरजा की मुहब्बत व शफ़्क़त नहीं? कि ख़ुद अमल फरमा कर गुलामों का हिजाब तोड़ा। हमारे लिए इतना ही काफी है कि अल्लाह तआला के बाद जो ज़ात अज़ीम है। जब वह रोटी का टुकड़ा उठा कर खाए तो हमारी क्या हैसियत कि हमें शर्म या कराहत आए? अब आक़ा व मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम के सहाबा का अमल भी मुलाहिज़ा करें कि उन्होंने इस सुन्नत को किस मुहब्बत से अपनाया।

हदीस : इब्ने माजा ने हसन बसरी रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की है कि माक़ल बिन यसार रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु खाना खा रहे थे उनके हाथ से लुक़्मा गिर गया उन्होंने उठा लिया और साफ

करके खा लिया। यह देख कर गंवारों ने आंखों से इशारा किया (कि यह कितनी हक़ीर व ज़लील बात है कि गिरे हुए लुक़्मा को इन्होंने खा लिया) किसी ने उनसे कहा ख़ुदा अमीर का भला करे (माक़ल बिन यसार वहाँ अमीर व सरदार की हैसियत से थे) यह गंवार कंधियों से इशारा करते हैं कि आपने गिरा हुआ लुक़्मा खा लिया, जबकि आपके सामने यह खाना मौजूद है। उन्होंने (अमीर ने) फरमाया। इन अज्मियों की वजह से मैं उस चीज़ को नहीं छोड़ सकता हूँ जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम से सुना है कि हम को हुक्म था "जब लुक़्मा गिर जाए तो उसे साफ करके खा लिया जाए शैतान के लिए न छोड़ो।"

इस हदीसे पाक से चन्द बातें मालूम हुईं। (१) कि इस इलाक़े के अमीर का यह अमल लोगों के दरम्यान। (२) इशारे से बड़ा जानने वाले गंवार थे। (३) किसी का पास लिहाज़ किए बेग़ैर साफ दो टोक फरमाना कि कभी हरगिज़ यह सुन्नत नहीं छोड़ सकता। (४) गंवारों की इशारे वाली हरकत दीगर सहाबा को इतनी नागवार लगी कि अमीर से शिकायत की। इसको ग़ीबत, चुग़ली न जाना। (५) सहाबी-ए-रसूल के वाक़या में आख़िरी जुमला हदीस का था। जिसकी वजह से तमाम ही इबारत हदीसे पाक शुमार की गई।

अब अज़ीम बशारतें भी मुलाहिज़ा करें। **हदीस :** तबरानी ने अब्दुल्लाह इब्ने हराम रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि "रोटी का एहतराम करो कि वह आसमान व ज़मीन की बरकात से है। जो शख़्स दस्तरख़्वान से गिरी हुई रोटी को खा लेगा उसकी मग़्फ़िरत हो जाएगी।"

अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम के दरबार में नक़्द सौदा है। अब हमारी मर्ज़ी है कि हम गंवार होना पसन्द करें और शर्म व कराहत को ज़बरदस्ती आड़ बनाएं। या फिर अपने आक़ा व मौला की हक़ीक़ी गुलामी इख़्तियार करके दुनिया व आख़िरत में सुर ख़ुरूई, (क़ामयाबी) और दुनिया में बरकात, और आख़िरत में बख़्शिश व मग़्फ़िरत को पसन्द करें।

हदीस : सही मुस्लिम में हज़रत जाबिर रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फरमाया। शैतान तुम्हारे हर काम में हाज़िर हो जाता है खाने के वक़्त भी हाज़िर हो

जाता है। लिहाज़ा अगर लुक़्मा गिर जाए और उसमें कुछ लग जाए तो साफ करके खा ले। उसे शैतान के लिए छोड़ न दे। और जब खाने से फारिग़ हो जाए तो उंगलियां चाट ले। क्योंकि यह मालूम नहीं कि खाने के किस हिस्सा में बरकत है।"

दीगर अहादीस से भी यह साबित है कि जो शख़्स दस्तरख़्वान पर गिरे लुक़्मा, बोटी वग़ैरह को उठा कर खा ले वह हमेशा रिज़्क़ की फराख़ी में रहता है। और एक बड़ा फायदा यह भी हासिल होता है कि तकब्बुर टूट जाता है।

हूराने जन्नत का महर :

हदीस : कंज़ुल-इबाद की बाज़ रिवायात में आया है कि जो "शख़्स दस्तरख़्वान पर गिरा हुआ खाना खा ले तो वह हूराने बहिश्त का महर हो जाएगा। और अल्लाह तआला उसको और उसकी औलाद को जुज़ाम, बरस (सफ़ेद दाग़) और जुनून से महफ़ूज़ रखेगा।" —

मुसलमा है वही जो दीन पर कुरबान होता है
मुसलमां हूँ! यह कह देना बड़ा आसान होता है

खाना खाने के बाद उंगलियाँ और बर्तन चाटना

सुन्नत १६ : खाने के बाद उंगलियाँ चाटना।

सुन्नत २० : खाने के बर्तन उंगलियों से चाटना।

जैसा कि पेश्तर **हदीस :** सहीह मुस्लिम में हज़रत जाबिर रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फरमाया। "शैतान तुम्हारे हर काम में हाज़िर हो जाता है। लिहाज़ा अगर लुक़्मा गिर जाए और उसको कुछ लग जाए तो साफ करके खा ले। उसे शैतान के लिए न छोड़ दे। और जब खाने से फ़ारिग़ हो जाए तो उंगलियाँ चाट ले। क्योंकि यह मालूम नहीं कि खाने के किस हिस्सा में बर्कत हो।"

इस हदीसे पाक में दो सुन्नतों की तरफ इशारा है। **अव्वल** : ज़मीन

से गिरे लुक़्मा को झाड़ कर खाना। उसके मुतअल्लिक़ पेश्तर भी मुख़्तसर तहरीर किया जा चुका है। **दोम :** सुन्नत यह कि खाने के आखिर में उंगलियाँ चाटना। अगली हदीसे मुबारका में बर्तन चाटने से मुतअल्लिक़ इरशाद है।

हदीस : इमाम अहमद तिर्मिज़ी इब्ने माजा ने नबीसा रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फरमाया, "जो बर्तन को (उंगली से) चाट लेगा वह बर्तन उसके लिए इस्तिग़फ़ार (तौबा) करेगा।

हदीस : रज़ीन की रिवायत में यह है कि वह बर्तन यह कहता है कि "अल्लाह तआला तुझको जहन्नम से आज़ाद करे। जिस तरह तूने मुझे शैतान से नजात दी।"

आख़िर की दोनों अहादीसे मुबारका बर्तन को चाटने पर अज़ीम बशारतें दे रही हैं। इस्तिग़्फ़ार मुग़्फ़िरत की दुआ से मुशर्रफ़ होना जबकि हम अपने वास्ते भी इस्तिग़्फ़ार करने से महरूम रहते हैं कि शैतान इसके लिए वक़्त ही नहीं निकालने देता। फ़ुर्सत ही नहीं मिलती। जब हम अपनी इस्तिग़्फ़ार करने में भी बख़ील हों तो कम अज़ कम बर्तन को इस्तिग़्फ़ार से न रोकें कि इसमें हमारी अपनी भलाई है। बर्तन और उंगलियां चाट लिया करें कि बर्कत भी हासिल हो, और इस्तिग़्फ़ार व बख़्शिश का सबब भी और ख़ाना जल्द हज़्म भी हो। अक्सर हमारे इस्लामी भाई खाने के आख़िर में चाय इस वजह से पीते हैं कि खाना सीने पर कई घन्टे तक रहता है। अगर खाना खाने के बाद चाय पी ली जाए तो वह सीने से नीचे उतर जाता है और बाज़ हजरात दो वजूहात और भी ब्यान करते हैं कि हज़्म होने की डकार आती है जिससे खाने का बोझ जाता रहता है। तबीअत की गिरानी ख़त्म हो जाती है। दोम यह कि मिठास या चिकनाहट के असरात को चाय ज़ाइल करती है।

काश कि इस्लामी भाई! अपने प्यारे नबी की सुन्नतों पर अमल करें कि बचा हुआ सालन, शोरबा पी लिया करें। फिर उंगलियों से बर्तन और उंगलियाँ चाट लिया करें। तो मुन्दरजा बाला तमाम ख़ुसूसियात भी हासिल हों यानी खाना भी सीने से नीचे उतर जाए और सालन की मिर्च, नमक, मिठास और चिक्नाई के असरात को भी ख़त्म कर दे। इस तरह चाय बेज़रूरत पीने की आदत के बेशुमार नुक़्सानात से भी महफ़ूज़ रहें।

और अलावा इस्तिग़फ़ार व बख़्शिश और बरकत हासिल होने के क्या यह कम ख़ुसूसियत है कि अपने प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत के आमिल सुन्नी कहलाएं? जिनकी इताअत को अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त अपनी इताअत की बशारत अता फरमाए। जिनकी फरमाबरदारी के सबब अल्लाह तआला अपना महबूब बना ले।

तरजमा : ऐ महबूब आप फरमा दीजिए अगर तुम अल्लाह से मुहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो अल्लाह तुम्हें महबूब बना लेगा।

अल्लाह का महबूब बने जो तुम्हें चाहे
उसका तो बयाँ ही नहीं कुछ तुम जिसे चाहो

जब अल्लाह तआला ने ही अपने महबूबे आज़म के ग़ुलामों को अपना महबूब बना लिया तो फिर मख़्लूक़ से कौन है जो उन्हें न चाहेगा? अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त का गुस्ताख़ और गुस्ताख़े रसूल शैतान के सिवा गोया सब ही उसके हो गए। और यह कि उसका अन्दाज़ा कौन लगा सकता है कि आक़ा व मौला अपनी सुन्नतों पर दिल व जान से अमल करने वाले उम्मती से किस दरजा मुहब्बत फरमाएंगे? और मुन्दरजा बाला शेअर के दूसरे मिसरे पर ग़ौर किया जाए तो मालूम होता है कि अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त ने हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम के फरमाबरदार को महबूब बनाने का वादा फरमाया और अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त के महबूबे आज़म अगर किसी से मुहब्बत फरमाएं। यानी महबूब के महबूब से अल्लाह तआला किस दरजा मुहब्बत फरमाएगा उसका बज़ाहिर ब्यान कुरआन व हदीस में नज़र नहीं आता। गोया अल्लाह तआला के महबूब से मुहब्बत करने वाले तो अल्लाह तआला के महबूब और महबूबे आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम जिसे चाहें उसका अल्लाह तआला के दरबार में क्या दरजा है वह ब्यान से बाहर है। और जिसकी वजह से इसका दरजा ब्यान से बाहर है। ख़ुद उसको अल्लाह तआला कितना चाहता है उससे कितनी मुहब्बत फरमाता है वह सिर्फ़ अल्लाह तआला ही जानता है। इस मुख़्तसर इशारे से यह मालूम हुआ कि मुन्दरजा बाला फ़वाइद सुन्नतों पर अमल करने के अलावा असल फ़ायदा उम्मती को यह हासिल होगा कि अल्लाह तआला का महबूब बनेगा यानी ख़ुद रब उसे चाहेगा। और उम्मती की यही मेअराज है, कि उसका रब उसे चाहे। कि

रिज़्क़ में बरकत, रिज़्क़ की तंगी से नजात, और फराख़ी-ए-रिज़्क़ सब ही गुलामी-ए-मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम के तुफ़ैल हासिल। और यह कि अल्लाह तआला और उसके फ़रिश्ते रहमत भेजते हैं उन पर जो खाना खाने के बाद उंगलियाँ चाट लेते हैं और इसमें एक यह भी फ़ायदा है कि आदमी का तकब्बुर दूर होता है। अल्लाह तआला हमें अपने महबूब का सच्चा ग़ुलाम बनाए आमीन।

खाने का इख़्तिताम नमक पर करना

सुन्नत २१ : खाने की इंतिहा यानी ख़त्म नमक पर करना। बज़ाज़ियां और रद्दुल-मुख़्तार में है कि खाने की इब्तिदा (शुरूआत) नमक से की जाए और ख़त्म भी नमक पर, इससे सत्तर बीमारियाँ दफा हो जाती हैं। नमक या नम्कीन खाने से मुराद यह है कि पानी वग़ैरह से भी बिल्कुल फ़राग़त पाने पर आख़िर में नमक या नम्कीन चीज़ ही खा ले। उंगली से सालन चाट ले यानी प्लेट उंगली से या सिर्फ़ उंगली ही चाट ले। सालन न हो तो खाली रोटी का टुकड़ा, लुक़्मा ही खा लिया जाए कि सुन्नत का सवाब भी पाए। और खाना हज़्म ज़ल्दी के अलावा सर दर्द, नज़ला, ज़ुकाम, सीना पर बोझ, तबीअत पर गिरानी से भी नजात हासिल हो।

अक्सर हज़रात खाना खाने के दरम्यान के बजाए आख़िर में पानी पीते हैं। ख़ुसूसन चावल खाने के आख़िर में। याद रहे कि यह पानी नज़ला, बल्ग़म तैयार करता है। दाढ़ या दाँत में दर्द और आँखों, गले, हलक़, कानों वग़ैरह में ख़ारिश, यह सब नज़ला ही है। नाक का बहना, बालों की सफ़ेदी, पैर के तलुवों से पसीना खारिज होना। यह नज़ला का ख़ारिज होना है। और यह इख़राज बेहतर है। कान, आँख, फेफड़ों पर नज़ला गिरने से कि, कान पर गिरा तो बहरा करता है। अगर बहरा नहीं तो कम से कम ऊंचा सुनना तो लाज़मी है। अगर नज़ला आँख पर गिरा तो अन्धा करेगा। या कम अज़ कम निगाह कमज़ोर करेगा। अगर नज़ला का असर गले पर हो तो गले हलक़ के बारे में हर बच्चा और बड़ा जानता है कि चने बराबर शय भी हलक़ से फंसती हुई उतरती है। और कभी ऐसा भी होता है कि मुँह से बात तक नहीं की जाती। हलक़ की खाल कमज़ोर पड़ जाती है। जिसके सबब छालिया के मामूली दाने की रगड़ से अक्सर हलक़ का कैंसर हो जाता है।

इसी तरह अगर नज़ला फेफड़ों पर गिरा तो तपेदिक़ जिसको टीबी

भी कहते हैं। यही वजह है कि कोई चीज़ खा कर अगर खांसी पैदा होती है तो बुज़ुग हज़रात, बच्चे बड़े को उसी वक़्त हलक़ में उंगली डलवा कर क़ैय कराते हैं, ताकि सीने से नज़ला का पैदा हुआ बल्ग़म, जाल, सब निकल जाए।

वरना वही जाल बल्ग़म खांसी के ज़रिया थोड़ा-थोड़ा होकर बड़ी ही तक्लीफ़ से निकलेगा। और शब का आराम उस पर और तमाम घर के अफ़राद पर बेचैनी में तब्दील कर देगा। और फिर यह कि उस दौरान जो कुछ भी खाया, पिया जाएगा सबका नज़ला ही तैयार होगा। और ऐसा मालूम होगा जैसे कि सीने में बल्ग़म तैयार करने की फैक्ट्री या कारखाना लगा है। अगर इसी तरह कुछ अरसे क़ाबू न पाया गया तो फिर टी बी या तपेदिक़ डेरा जमा लेता है।

तपेदिक़ से अगर चाहे रिहाई
बदल पानी के गन्ना चूस भाई
अगर ख़ूँ कम बने, बल्ग़म, ज़्यादा
तो खा गाजर, चने, शल्ग़म, ज़्यादा

शिफ़ा चाहे अगर खांसी से जल्दी
तो पी ले दूध में थोड़ी सी हल्दी
दमा में यह गिज़ा बेशक है अच्छी
खटाई छोड़, खा दरिया की मच्छी

अगर नज़ला, ज़ुकाम की रोक थाम या नज़ला से नजात की ग़रज़ से नास वग़ैरह इस्तेमाल की तब तो ठीक है बसूरते दीगर इसको नशा की आदत के तौर इस्तेमाल करना किसी तरह भी मुनासिब नहीं। मकरूह है।

अगर दस्तरख़्वान पर चावल और रोटी मौजूद हो तब चावल आख़िर में खाएं। और जिस इस्लामी भाई को मीठा और चावल नुक़्सान देते हों या बल्ग़मी मिज़ाज हो उसके लिए ज़रूरी है कि वह रोटी के बाद ही चावल खाए और बाद में रोटी के चन्द लुक़्मे भी खा ले। क्योंकि अव्वल चावल और मीठा खाना जल्द असर अन्दाज़ होता है। और यूं भी कि मीठा और चावल अगरचे थोड़े ही खाए जाएं फिर रोटी की जानिब हाथ नहीं बढ़ता। खाने के आख़िर तक या नम्कीन का इस्तेमाल रोज़ा की अफ़्तार में भी ज़रूरी है। और यह कि मिठास, तेल की तली बेग़ैर तली अशिया

पर पानी न पीने की इहतियात रमज़ान में भी चाहिए। और अगर बेइहतियाती पर कुछ नुक़सान न पहुंचे तब रोज़ा की बरकत तसव्वुर करें। खुसूसन पाकिस्तान में मुन्दरजा बाला इहतियातें ज़रूरी हैं कि कश्मीर से कराची तक बीच मुल्क में भी दरिया और जुनूब में सुमन्द्र की लहरों से हवा टकरा कर यहाँ के बाशिन्दों को अपने असरात से मुतअस्सिर करती है, यही वजह है कि यहाँ कि बाशिन्दों का कहना है।

कंगे के साये में हम पल कर जवां हुए हैं
नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, क़ौमी निशां हमारा

खाने के बाद अल्हम्दु लिल्लाह पढ़ना

सुन्नत २२ : खाने के बाद अल्हम्दु लिल्लाह पढ़ना। तन्हा शख़्स आहिस्ता, अगर चन्द अहबाब खाने से फ़ारिग़ हों तब बुलन्द आवाज़ से पढ़ें ताकि शुक्रे खुदा में दूसरे इस्लामी भाई भी शरीक हों।

हदीस : तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, इब्ने माजा में हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम खाने से फ़ारिग़ होकर यह पढ़ते।

अलहम्दु लिल्लाहिल-लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लेमीन।

अल्लाह तआला के महबूब ने हमें तल्क़ीन व हिदायत फरमाई है कि मुनइम (नेअमत देने वाला) व मुहसिन (एहसान करने वाला) का शुक्रिया अदा करो। अल्लाह तआला की हम्द और उसकी नेअमत की तारीफ़ ही अल्लाह जल्ला शानुहू का शुक्रिया है। यूं तो हर वक़्त, हर आन अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त की हम्द व तारीफ़ करना उसकी बन्दगी है, मगर नेअमत के हुसूल पर यह बन्दगी सुन्नत भी है। और सवाबे अज़ीम भी, और यह कि फ़राख़ी-ए-रिज़्क़ के दरवाज़े शाकिर पर खुल जाते हैं। और रोज़ अफ़ज़ूं तरक़्क़ी हासिल होती है। कि एक नेअमत का शुक्रिया दूसरी नेअमतों के हुसूल का सबब हुआ करता है। लिहाज़ा खाने से फ़ारिग़ होने पर उसकी हम्द बजा लाना हमारे ही हक़ में बेहतर है। अल्बत्ता अल्हम्दु का तलफ़्फ़ुज़ हलक़ से सही अदा करना चाहिए कि छोटी ही से **अल्हम्दु** अदा करने से बजाए तारीफ़ के तौहीन अल्लाहु रब्बुल-इज़्ज़त की होगी जिसके माना नऊज़ुबिल्लाह "टुकड़े होना, गलना, सड़ना, है। और यह इहतियात नमाज़

वग़ैरह हर जगह चाहिए। इसी तरह हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम के इस्म ख़ास मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम के अदा करने में भी इहतियात लाज़िम है।

खाना खाने के बाद हाथ धो कर पोंछना

सुन्नत २३ : खाने के बाद हाथ धोना।

सुन्नत २४ : खाने के बाद हाथ धो कर पोंछना (तौलिया या रूमाल से) ताकि खाने का असर बाक़ी न रहे। यानी चिकनाई वग़ैरह (तिर्मिज़ी, आलमगीरी, बहारे शरीअत, जन्नती ज़ेवर)।

हदीस : इब्ने माजा ने हज़रत अनस रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की है कि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने "जो यह पसन्द करे कि अल्लाह तआला उसके घर में ख़ैर ज़्यादा क़रे तो जब खाना हाज़िर किया जाए वज़ू करे। और जब उठाया जाए उस वक़्त भी वज़ू करे।" (यानी हाथ मुँह धो ले)

हदीस : तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, इब्ने माजा, ने हज़रत अबू हुरैरह रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फरमाया "जब किसी से हाथ में चिक्नाई या बू हो और बेग़ैर हाथ धोए सो जाए, और उसको कुछ तक्लीफ़ पहुंच जाए तो वह ख़ुद अपने ही को मलामत करे।" इसी की मिस्ल हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ि अल्लाहु तआला अन्हा से भी मरवी है।

इस्लामी भाईयो! सुन्नत के सवाब के अलावा यह हमारे ही हक़ में दीगर सुन्नतों की तरह फाइदा मन्द है कि बच्चे बड़े बेधुले हाथ आँख या ज़ख़्म वग़ैरह पर लगने से किस तरह मुतअस्सिर होते हैं? जिस पर गुज़रती है वह ख़ूब जानना है। सालन का हाथ, दामन, जेब, आस्तीन वग़ैरह पर लगने से लिबास किस तरह आलूदह (नापाक) होता है? या वही हाथ उंगलियाँ किसी ख़ास तहरीर पर नक़्श क़ाइम कर दे तो उस वक़्त दिल का क्या आलम होता है? चिकने मिर्चों के हाथ धोने के बाद भी अपने अन्दर मिर्चों के असरात रखते हैं। लिहाज़ा पूछने से असरात ख़त्म किए जाएं। और यूँ भी कि खाना खा कर फौरन काम में मसरूफ़ होना होता है। जबकि खाना खाने से पहले हाथ धोने के बाद सिर्फ़ खाना खाना होता है। जिसकी वजह से उस वक़्त न पोंछना ही सुन्नत है। और

खाना खाने के बाद हमारे हादी, हमारे रहबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने हमारे ही तहफ़्फ़ुज़ की ख़ातिर कमाले शफ़क़त से हाथों का धोना और फिर उसकी चिकनाहट को पोंछना हम पर पहले ही लाज़िम फरमा दिया।

तर हाथ चेहरे और सर पर फेरना

सुन्नत २५ : तर (भीगा) हाथ चेहरे वग़ैरह पर फेरना। **हदीस :** तिर्मिज़ी ने इक्राश बिन ज़ुवैब रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की है। कहते हैं "हमारे पास एक बर्तन में बहुत सी सुरैद और बोटियाँ लाई गईं। मेरा हाथ बर्तन में हर तरफ़ पड़ने लगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने अपने सामने से तनावल फरमाया। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपने दूसरे सीधे हाथ से मेरा दाहिना हाथ पकड़ लिया और फरमाया कि इक्राश एक जगह से खाओ कि यह एक ही क़िस्म का खाना है। इसके बाद तबक़ में तरह-तरह की ख़ुजूरें लाई गईं। मैंने अपने सामने से खानी शुरू कीं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम का हाथ मुख़्तलिफ़ जगह तबक़ में पड़ता। फिर फरमाया कि इक्राश जहाँ से चाहो खाओ। कि यह एक क़िस्म की चीज़ नहीं। फिर पानी लाया गया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हाथ धोए और हाथों की तरी से मुँह और कलाइयों और सर पर मसह कर लिया। और फरमाया कि इक्राश जिस चीज़ को आग ने छुआ यानी जो आग से पकाई गई हो उसको खाने के बाद यह वज़ू है।" इस हदीसे पाक में उन सुन्नतों से मुतअल्लिक़ भी हुक्म है जिन सुन्नतों का पहले ब्यान हुआ। इसमें शक नहीं कि तर हाथ चेहरा वग़ैरह पर फेरने से एक ताज़गी सी पैदा होती है। चेहरा पुर रौनक़ और हश्शाश बश्शाश नज़र आता है।

खाने के पहले व बाद में हाथ मुँह धोना मुहताजी दूर करता है

हदीस : तबरानी इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रावी है कि इरशाद फरमाया। "खाने से पहले और बाद में वज़ू करना (हाथ मुँह धोना) मुहताजी को दूर करता है, और यह मुर्सलीन की सुन्नतों से है।"

आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम की हर हदीस, हर फरमान से हमारे ही हक़ में हर क़िस्म की भलाइयाँ फूटी पड़ती हैं। **काश** कि हम दिल से अपनाएं भी।

खाना खाने के बाद मिस्वाक करना

सुन्नत २६ : खाना खाने के बाद मिस्वाक करना। मुँह चूंकि बदन में हर खाने पीने की चीज़ दाख़िल करने का ज़रिया है। और इसी तरह सांस का बदन में आना जाना मुँह से ही होता है। लिहाज़ा उसकी सफाई का सारे बदन की सफ़ाई पर दार व मदार है वरना मुँह में दाख़िल होने वाली ताज़ा हवा भी मुँह की बदबू से मुतअस्सिर हो कर बदन में बजाए फ़ाइदे और नफ़ा के नुक़सान ही पहुंचाएगी। फिर मुआशरे के किसी से गुफ़्तगू और क़रीब रहने का वास्ता भी रहता है। इज़्ज़त व अज़्मत बरक़रार रखने के लिए भी हमारे आक़ा व मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने ही उसूल अता फरमाए। और ऐसे उसूल कि उनमें हिक्मत एक से दूसरी बेहतर। तीसरी हिक्मत बेहतर से बेहतर तर। और फिर हर-हर सुन्नत में बेशुमार हिक्मतें।

हदीस : इमाम अहमद इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रावी। "रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि मिस्वाक का इल्तिज़ाम (ज़रूरी) रखो कि वह सबब है मुँह की सफाई और रब तबारक व ताअला की रज़ा का।"

मिस्वाक करके अल्लाह तआला की हम्द व इबादत और रसूले अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम पर दुरूद व सलाम और आयात व हदीस पढ़ने में अज़ीम नेकियों का हुसूल, फ़रिश्तों का कुर्ब, मुँह की जिला और दाँतों के हुस्न से चेहरे की रौनक़ हासिल होती है।

हदीस : मिश्कात शरीफ़ में हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ि अल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि दस चीज़ें फितरत से हैं। (यानी उनका हुक्म हर शरीअत में था।) (१) मोछें कतराना। (२) दाढ़ी बढ़ाना। (३) मिस्वाक करना। (४) नाक में पानी डालना। (५) नाखुन तराश्ना। (६) उंगलियों की चुनें धोना। (७) बग़ल के बाल दूर करना। (८) मूए ज़ेरे नाफ मूंडना। (६) इस्तिंजा करना। (१०) कुल्ली करना।

मालूम हुआ कि मिस्वाक करना भी साबेक़ा अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है। और आज भी इसका मुशाहिदा (देखा) किया जा सकता है कि वज़ू और मिस्वाक करने से बावक़ार चेहरा, पुर असर गुफ़्तगू, हस्बे मंशा नतीजा जल्द हासिल होगा।

अल-हासिल : यूं तो मिस्वाक की अहमीयत पर वह वाज़ेह हदीस जिसमें हुज़ूर पुर नूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम का उम्मत पर मशक़्क़त की वजह से मिस्वाक का फ़र्ज़ न करना ब्यान फरमाती है। काफी है। जब कि मिस्वाक करने की ताकीदात और उसके फवाइद पर अहादीसे कसीरह भी हैं, और इसी तरह उलमा व अतिब्बा के अक़्वाल, जिनका हासिल या ख़ुलासा यह निकलता है कि मिस्वाक पाक करती है मुँह को, और राज़ी करती है रब तआला को, और मुस्तजाब बनाती है दुआ को, और ज़्यादा करती है फसाहत को, और तेज़ करती है निगाह को, और दोस्त बनाती है दुश्मन को, और वक़ार लाती है दोस्तों में, और सीधा रखती है कमर को, और देर में लाती है बुढ़ापे को, और आसान करती है नेज़अ को, और याद दिलाती है मौत के वक़्त कलिमा-ए-शहादत को, और हज़्म करती है खाने को, और दूर करती है शैतान को, और क़रीब लाती है फरिश्तों को, और वसीअ करती है रोज़ी को, और दूर करती है दांतों के मैल को और क़वीर (मज़बूत) करती मेअदे को, और ज़्यादा करती है अक़्ल को, और दूर करती हैं। दर्दे दन्दां (दांत दर्द) को, और नूरानी करती है चेहरे को, और पाक करती है दिल को, और साफ़ करती है हलक़ को बल्ग़म से, और क़तअ (काटती) करती है रतूबत को, और कुव्वत देती है दिल को, और दूर करती है मुँह की बदबू को, और शिफ़ा बख़्शती है बदन की हर बीमारी को, और जिला व चमक बख़्शती है दाँतों को, और सुन्नी रखती है सुन्नी को –

ख़ूब रखो अपने दाँतों की सफाई का ख़्याल
इस ज़रा सी बात में है तन्दरुस्ती का कमाल

हदीस : सही मुस्लिम में उम्मुल-मुमिनीन हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ि अल्लाहु तआला अन्हा से मरवी कि "हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम बाहर से जब भी घर में तशरीफ़ लाते सबसे पहला काम मिस्वाक करना होता।"

और यूं भी मिस्वाक करना ज़रूरी है कि जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो दाँतों पर ग़िज़ा की पालिश की तरह तह जम जाती है। जो चन्द मिनट बाद ही तेज़ाब की शक्ल में तब्दील हो कर दाँतों के हुस्न, जिला व चमक को चाट जाती है। दाँतों पर ग़िज़ा की पालिश मिस्वाक से ही बेहतर तौर पर साफ हो सकती है।

मुहम्मद की मुहब्बत दीने हक़ की शर्त अव्वल है
इसमें हो अगर खामी तो सब कुछ ना मुकम्मल है।

खाने के बाद दाँतों का खिलाल करना

सुन्नत २७ : खाने के बाद दाँतों का ख़िलाल करना। **हदीस** : अबू दाऊद, इब्ने माजा, दारमी, अबू हुरैरह रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फरमाया "जो शख़्स खाना खाए और दाँतों में कुछ रह जाए उसे अगर ख़िलाल से निकाले तो थूक दे। और ज़ुबान से निकाले तो निगल जाए। जिसने ऐसा किया अच्छा किया। और न किया तो भी हरज नहीं।" इस हदीसे पाक से जो मसाइल व अहकाम मालूम हुए इंशाअल्लाह तआला वह आख़िर में ब्यान किए जाएंगे। खाना खाने की दीगर सुन्नतों के दीन व दुनियावी फ़वाइद की तरह ख़िलाल करने में भी हमारे ही हक़ में बेशुमार फ़वाइद हैं। चूंकि अल्लाह तआला के महबूब खाने के बाद ख़िलाल फरमाया करते थे, और ख़िलाल करने की ताकीद भी फरमाते। लिहाज़ा उसके फ़वाइद और न करने के नुक़्सानात भी तहरीर करना ज़रूरी हैं।

ख़िलाल करने के फ़वाइद और न करने के नुक़्सानात

पहले यह अर्ज़ करना है कि ख़िलाल करने में भी दाँतों की बक़ा, (हिफ़ाज़त) हुस्न, खाने की लज़्ज़त, सेहत का राज़ पोशीदा (छुपा) है। कि हम जो कुछ भी खाते हैं उसका रेशा, उसके ज़र्रात दाँतों में रह जाते हैं। जो कुछ ही देर बाद तेज़ाब की शक्ल इख़्तियार कर लेते हैं। वह तेज़ाब दाँत के जिस हिस्से पर होता है उसको खा जाता है। जिस तरह चाँदी सोने, पीतल, तांबे को गलाने वाला तेज़ाब होता है इसी तरह दाँत को गला कर ख़त्म करने वाला ग़िज़ा के ज़र्रात का बना हुआ तेज़ाब होता है। बाज़ हज़रात दाँत को चाटने वाला, दाँत को खाने वाला कीड़ा बताते हैं। जबकि डॉक्टरी में ऐसे कीड़े की कोई असल नहीं। ऐसे हज़रात की तवज्जोह के लिए अर्ज़ है कि कीड़ों का वजूद है और यक़ीनन है मगर कीड़ों का वजूद

भी गिज़ा के ज़र्रात और ख़िलाल न करने के सबब से ही है।

काश कि हम अपने आक़ा व मौला हादी व रहबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम की सुन्नते मुबारका पर अमल करें तो दाँत जैसी नेअमत से भी महरूम न हों। "ज़ुबान" दाँत की खार दार (कटीली) नोकों से भी बार-बार टकरा कर ज़ख़्मी न हो। और यह कि गिज़ा की लज़्ज़त से भी महरूम न हों। इसी तरह अन चबाए गिज़ा के पेट में जाने से जो नुक़्सानात पैदा होते हैं। उन से भी महफूज़ रहें। और यह कि कुछ ही दिनों बाद दाँत, बदनुमा, बदशक्ल, और फिर चीस टेस और दर्द के बाद दाँतों से महरूमी पर दाँतों की मदद से खाने वाली चीज़ को हसरत भरी निगाह से न तकें। उन अशिया (चीज़) के लिए न तड़पें। और फिर दाँतों के न होने से चेहरे की बद रौनक़ी के अलावा गिज़ा दाँतों की चक्की से बेग़ैर गुज़रे मेअदे जिगर, गुर्दा में जाकर अजीब-अजीब बीमारियाँ जन्म लेती हैं। उसका अन्दाज़ा वही कुछ लगा सकते हैं जिन पर गुज़रती है। उसकी इब्तिदा दाढ़ से होती है कि पहले दाढ़ का थोड़ा हिस्सा खाने के ज़र्रात का बना हुआ तेज़ाब चाटना है। फिर उसमें इज़ाफ़ा होकर दाढ़ में खौल पैदा हो जाता है। कि छालिया का दाना, अमरूद के बीज कई-कई दिन बाद बदिक़्क़त बरामद होते हैं। कोई भी बादी (बासी) चीज़ पेट में जाकर जो गुल खिलाएगी उसमें कुछ वक़्त लगेगा। मगर दाढ़ या दाँत में रुके हुए ज़र्रात उसी वक़्त नक़्द दर्द चीस, टीस, मसूढ़ों में वरम पैदा करेंगे। अगर किसी के दरयाफ़्त (पूछने) करने पर यह बताया गया कि चावल खाए हैं। दाल उरद की खाई है। या गोभी की सब्ज़ी खाई है। तब यह कहने वाले बहुत मिल जाएंगे कि यह सब कुछ चावल, गोभी, दाल उरद की करामत है। मगर यह कहने वाला सौ-सौ कोस भी न मिलेगा कि यह ख़िलाल न करने का नतीजा है।

अगर हो दर्द से दाँतों के बे कल
तो उंगली से मसूढ़ों पर नमक मल

ख़िलाल का फ़ैशन : हमारे बाज़ इस्लामी भाई ख़िलाल भी करते हैं मगर फ़ैशन के तौर पर। **मसलन** होटल के मालिक या मुलाज़िम से बात करने होटल जाना हुआ। या होटल में चाय पी कर होटल के काउन्टर पर पैसे अदा किए साथ ही दो चार ख़िलाल भी काउन्टर से बेग़ैर इजाज़त के उठा लिए, और दाँतों में ख़िलाल दबाए बाहर निकले ही नहीं बल्कि

बाज़ारों में भी ख़िलाल दबाए फिरते हैं। कि हर शख़्स यह जान ले कि होटल से निकले हैं। दाँतों से मुर्ग़ की रानें फंसी हुई निकाल रहे हैं।

काश कि ख़िलाल बजाए दबाए फिरने और फ़ैशन व नाम व नमूद के। ख़िलाल अगर अपने दाँतों और अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ (बचाव) की खातिर किया जाए तब यही अमल सुन्नत के दर्जे को पहुंचे, कि ऐसे ही अमल का नाम बतदरीज अहमीयत के सुन्नत वाजिब, फ़र्ज़ कहलाता है और इसी मुनासिबत से सवाब का वादा। और इसके बरअक्स बतदरीज जान व माल, ईमान को नुक़्सान देने वाले अमल की मुनासिबत के मक्रूह, नाजाइज़, हराम कहलाता है। और इसी मुनासिबत से अज़ाबे अलीम की वईदें, अल्लाह तबारक व तआला और उसके महबूबे आज़म ने सुनाईं। कि उसके ही ख़ौफ़ से मख़्लूक़ बुरे कामों, बद फ़ेअलों (बुरे कामों) से बाज़ रहें और किनारा कर लें। अल्लाह तआला हम पर अपना फ़ज़्ल व करम फरमाए और अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक़े रफ़ीक़ इनायत फरमाए। आमीन।

अहकाम : ख़िलाल नीम की सींक या लकड़ी की हो तो बेहतर या उस लकड़ी जो तल्ख़ (कड़वी) हो। नीम की लकड़ी या सींक की तल्ख़ी से मुँह की सफाई होती है। और मसूढ़ों के लिए भी मुफ़ीद है। ग़ैर इस्तेमाल शुदह झाड़ू की सींक भी जाइज़ है। अल्बत्ता फूल मेवे के तिन्के शाख़ की न हो। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ि अल्लाहु ताला अन्हु का इरशाद है कि "फूलदार पौदों और अनार की शाख़ का ख़िलाल इस्तेमाल न करो। कि उन से जुज़ाम (कोढ़) का मादा खारिज (निकलता) होता है।" और यूं भी कि कमज़ोर होने के सबब टूट जाता है। फिर उसका निकालना दर्दे सर बनेगा।

हदीस : हज़रत कुतैबा बिन दनूब से मरवी है कि हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फरमाया। आस की लकड़ी से ख़िलाल न किया करो। और न किसी ख़ुश्बू की लकड़ी से। बिला शुबह मैं इस बात को बुरा जानता हूँ कि जुज़ाम (कोढ़) का असर हो जाए (अबू नईम, किताबुत्तिब)। उलमा ने लिखा है कि कई लकड़ियाँ हैं जिन से ख़िलाल करना मम्नूअ (मना) है। कि उन से ख़िलाल करने से दाँतों में कीड़ा लग जाने का ख़तरा है। मसलन अनार, बांस (जिसका क़लम बनाते हैं।) और हर मेवे की लकड़ी, ख़ुसूसन अमरूद, सेब, नाश्पाती,

इंजीर, मुनक़्क़ा, किशमिश वग़ैरह में जो लकड़ी होती है। सोना, चाँदी, तांबा और पीतल इन चारों धातों से भी ख़िलाल न किया जाए कि मर्द और औरत न चाँदी, सोने के बर्तनों में खा पी सकते हैं। और न उनकी सलाई से सुर्मा लगा सकते हैं। और न चाँदी, सोने की प्याली से तेल न खासदान से पान इस्तेमाल कर सकते हैं। ग़रज़ कि इस तरह का सोने चाँदी का इस्तेमाल मर्द व औरत दोनों के लिए हराम है। अल्बत्ता औरत सिर्फ़ सोने, चाँदी का ज़ेवर पहन सकती है। और मर्द को सिर्फ़ चाँदी की सवा चार (४/१/४) माशे वज़न की एक नग वाली अंगूठी की रिआयत है। और सोने या चाँदी की डली ख़्वाह कितने ही वज़न की हो मर्द जेब वग़ैरह में रख सकता है।

याद रहे ! कि कील, सुई, आल पेन, और लोहे की तार से हरगिज़, हरगिज़ ख़िलाल न किया जाए, कि यह मसूढ़ों, दाँतों को कई तरह से नुक़्साने अज़ीम पहुँचाती हैं। लोहा तो दाँतों को छूने, मस करने से ही टेस, दर्द पैदा करता है। उसके इस्तेमाल से दाँत जड़ से हिलता है। पाइरिया जैसे मूज़ी (ख़तरनाक) मर्ज़ को जन्म देता है।[१]

तांबा, पीतल की हिन्दुओं की तरह कोई ख़िलाल गले में लटकानी भी जाइज़ नहीं। ज़ुबान से निकाला हुआ रेशा निगल सकते हैं। और खिलाल से निकाला हुआ रेशा फेंक दिया जाए। अल्बत्ता लोगों के सामने फेंकने से गुरेज़ किया जाए। और अगर ख़िलाल से निकली हुई ग़िज़ा मुँह के मुँह में ही हलक़ में चली जाए तब भी हरज नहीं। **इसी तरह** खिलाल से ही या बेग़ैर ख़िलाल के दाढ़ दाँत से निकली हुई ग़िज़ा अगर पेट में चली जाए अगरचे चने के बराबर हो, ख़्वाह काली मिर्च की तेज़ी जैसी ही शय हो उससे रोज़े में भी खलल नहीं आएगा। **जबकि** रोज़े की हालत में सिर्फ़ तिल के बराबर या तिल ही अगर क़सदन हलक़ में ले जाए तो रोज़ा जाता रहता है। **मक्रूह :** दाढ़, दाँत से रेशा बाहर निकाल कर फिर दोबारा मुँह में दाख़िल करने और पाक वग़ैरह का ख़्याल किए बेग़ैर आम लकड़ी या तिनके से ख़िलाल करने से बरकात से महरूमी तंगी-ए-रिज़्क़ और मुहताजी का सबब, और यह कि मक्रूह और ख़िलाफ़े अदब भी है।

घर के अफराद का मिल कर एक साथ खाना

सुन्नत २८ : घर के अफ़राद का मिल कर एक साथ खाना। **हदीस :** इब्ने माजा इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि

हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि "इकट्ठे होकर खाओ अलग, अलग न खाओ, कि बरकत जमाअत के साथ है।"

हदीस : अबू दाऊद, इब्ने माजा, व हिब्बान वहशी बिन हरब से रिवायत कि सहाबा रज़िवानुल्लाहे तआला अलैहिम ने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम हम खाते हैं और सैर नहीं होते। फरमाया "इकट्ठे होकर खाते हो या अलग-अलग। अर्ज़ की अलग-अलग, फरमाया जमा होकर खाओ और अल्लाह तआला का नाम लो। तुम्हारे लिए उसी में बरकत रखी जाएगी।" इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि घर के तमाम अफराद मिल कर खाना खाएं और सब बिस्मिल्लाह शरीफ़ ज़रूर पढ़ लिया करें।

हदीस : सहीह मुस्लिम में हज़रत जाबिर रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम फरमाते हैं "एक शख़्स का खाना दो के लिए किफायत करता है। और दो का खाना चार के लिए किफायत करता है। और चार का खाना आठ को किफायत करता है।"

आज भी इसका मुशाहिदा (मुआयना) किया जा सकता है बशर्तेकि बिस्मिल्लाह शरीफ़ पढ़ कर और सुन्नतों पर अमल करते हुए खाया जाए। तो चार का खाना आठ को बख़ूबी हो सकता है। बल्कि जिस हदीस पाक में ज़्यादा से ज़्यादा खाना तिहाई पेट (एक हिस्सा खाना एक हिस्सा पानी और एक हिस्सा सांस) का इरशाद है। उस हदीस की रोशनी में बारह अफराद से ज़ाइद भी खा सकते हैं।

हदीस : शरहुस्सुन्नः में हज़रत अय्यूब रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है। कहते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर थे। खाना पेश किया गया। इब्तिदा (शुरू) में इतनी बरकत हमने किसी खाने में नहीं देखी। मगर आखिर में बड़ी बेबरकती देखी। हमने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह ऐसा क्यों हुआ। फरमाया "हम सबने खाने के वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़ी थी। फिर एक शख़्स बेग़ैर बिस्मिल्लाह पढ़े खाने को बैठ गया। उसके साथ शैतान ने खा लिया।

हदीस : सहीह मुस्लिम में हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कहते हैं। जब हम लोग हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम के साथ खाने में हाज़िर होते तो जब तक हुज़ूरे अनवर

शुरू न करते खाने में हम हाथ न डालते। एक मरतबा का वाक़्या है कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम के पास हाज़िर थे। एक लड़की दौड़ती हुई आई जैसे उसे कोई धकेल रहा है उसने खाने में हाथ डालना चाहा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर एक आराबी दौड़ता हुआ आया जैसे उसे कोई धकेल रहा है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसका हाथ भी पकड़ लिया। और यह फरमाया कि जब खाने पर अल्लाह तआला का नाम नहीं लिया जाता वह खाना शैतान के लिए हलाल हो जाता है। शैतान इस लड़की के साथ आया कि इसके साथ खाए, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर इस आराबी के साथ आया। कि इसके साथ खाए। मैंने इसका हाथ पकड़ लिया। क़सम है उसकी जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है। उसका हाथ इनके हाथ के साथ मेरे हाथ में है। उसके बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तआला का नाम ज़िक्र किया। यानी बिस्मिल्लाह कही। और खाना खाया।" इसी के मिस्ल इमाम अहमद, व निसाई, अबू दाऊद और हाकिम ने भी रिवायत की है।

इल्मे मुस्तफ़ा : मुन्दरजा बाला (ऊपर लिखी) हदीसे पाक से यह भी हम पर रौशन हुआ कि काइनात (दुनिया) की दूसरी चीज़ों की तरह हमारे आक़ा व मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम पर शैतान भी छिपा हुआ यानी पोशीदा नहीं। और यूं भी कि जिस आंख मुबारक को ख़ालिक़ जो ग़ैबुल-ग़ैब है खुद अपना दीदार कराए उस आंख से मख़्लूक़ की कौन सी शय पोशीदा रह सकती है? यही वजह है कि तक़्दीर का लिखा पढ़ लेते हैं। कि बवक़्ते जिहाद एक शख़्स को बहुत ही ज़्यादा कुफ़्फ़ार व मुश्रेकीन से जंग करते मुन्हमिक पाया सहाबा ने उस पर शक किया तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इसका ठिकाना दोज़ख़ में देख रहा हूँ। और ऐसा ही हुआ कि वह ज़ख़्मों की ताब न ला कर उसने खुदकुशी की।

और यह कि नज्दियों का अव्वल दौरे इस्लाम में पहली बार दस सहाबा को, दूसरी बार सत्तर सहाबा को तबलीग़ के बहाने ले जाने में भी ग़ैब दां नबी ने उन्हें सहाबा का इंतिख़ाब फरमा कर रवाना किया जिनके मक़्सूम (बांटने) में शहादते उज़्मा (सबसे बड़ी शहादत) का दरजा था। इसी तरह सहाब-ए-किराम को यह इरशाद फरमाना कि अगर तुम्हें जन्नती देखना है तो आराबी की तरफ इशारा करके फरमाया वह "जन्नती जा रहा

है।" और कभी यक बारगी दस सहाबा का नाम इरशाद फरमा कर जन्नती होने की बशारत अता फरमाना बता रहा है।

यह माना कि इस क़िस्म की मालूमात तो लौहे महफ़ूज़ के ज़रिया से भी हो सकती है। क्योंकि उसका मसरफ़ (मतलब) ही अल्लाह तआला के महबूबों को मालूमात फराहम करना है। यह तो कोई भी सोच नहीं सकता कि लौहे महफ़ूज़ अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त की याद दाश्त में मदद देता हो।

मगर वह इल्म कितना बुलन्द इल्म होगा जो लौहे महफ़ूज़ से अल्लाह तआला ने हुज़ूर पुर नूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम को अफ्ज़लीयत और महबूबे आज़म होने की वजह से अता फरमाया।

याद रहे! **मा काना व मा यकूनु** यानी काइनात की इब्तिदा (शुरू) और इंतिहा (खत्म) का इल्म तो हदीस व कुरआन पाक से लौहे महफ़ूज़ में और उसका इल्म **तिबयानल लेकुल्ले शैइन** कुरआनी फरमान के तहत कुरआने पाक में और कुरआन का इल्म **अर्रहमानु ० अल्लमल-कुरआन ० ख़लक़ल-इंसान ० अल्लमहुल-ब्यान ०** यानी ख़ास रहमान ने, ख़ास कुरआन का इल्म, ख़ास इंसान को, गोया अपने महबूब को सिखाया। या यह कहिए कि कुरआन का इल्म दूसरी आयत ज़ाहिर कर रही है। तो इस चौथी आयत में उसका ब्यान सिखाया। गोया **मा काना व मा यकूनु** का इल्म हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ख़ुदा दाद इल्म का एक हिस्सा है।

क़तआ

बाहर नहीं इल्मे मुस्तफ़ा से कोई शय
क्यों यारों ने बहस की बढ़ाई है लय
बहरे इल्मे ख़ुदा का क़तरा है यह इल्म
मा काना व मा यकूनु इसी क़तरे में है

गुस्ताख़े रसूल कुरआन की इन आयात के ख़िलाफ़ यह बावर कराते फिरते हैं कि जिब्रीले अमीन हुज़ूर अलैहिस्सलाम के उस्ताज़ थे। जबकि रहमान के अव्वल अलिफ़, लाम **अर्रहमान** और इसी तरह **अल-इंसान** में अलिफ़, लाम है जिसके माना हुए कि ख़ास रहमान ने खास इंसान (हुज़ूर अलैहिस्सलाम) को कुरआन का इल्म सिखाया। यह गुस्ताख़े रसूल कुरआन की दलील सिर्फ़ रुअब जमाने के लिए मांगते हैं। अगरचे अहले

सुन्नत अपना मूकिफ़ दस कुरआनी आयात से भी साबित करें फिर भी यह **देव** की बन्दगी करने वाले शैतान अपने इस तरह के शैतानी मूकिफ़ से कभी दस्तबरदार नहीं होते।

इसी तरह इन गुस्ताख़े रसूल का यह कहना कि हुज़ूर तक़्दीर का लिखा कैसे पढ़ सकते हैं वह तो उम्मी हैं। और फिर ख़ुद ही उम्मी के माना अन पढ़ बताते हैं। उनको अगर सौ दलाइल भी दिए जाएं फिर भी अपने मूकिफ़ पर अड़े रहते हैं। अल्लाह तआला उनको समझाए। यह नाचीज़ अपने सुन्नी भाईयों को अल्लाह तआला की इरशाद करदा दलील की तरफ तवज्जोह दिलाता है। कि अव्वल वहय का अव्वल लफ़्ज़ ही **इक़्रा** यानी पढ़िए अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया। (क्या अलीमुल-ख़बीर को भी इल्म नहीं था कि अपने महबूब को पढ़ाया है कि नहीं?) और फिर हुज़ूर पुर नूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम का जिब्रीले अमीन को वह जवाब जिसके एक माना यह भी हैं कि "नहीं पढ़ता।" गोया तू कहता है पढ़ने को तो "नहीं पढ़ता।" से क्या यह ज़ाहिर नहीं हो रहा है कि पढ़ा हुआ हूँ मगर जिसने पढ़ाया है उसके हुक्म से पढ़ूंगा। और ऐसा ही हुआ कि जब रब के नाम पर पढ़ने की बात आई **इक़्रा बिस्मे रब्बिकल्लज़ी।** तब पढ़ना शुरू कर दिया और वह पढ़ना जिससे तमाम उलूम अख़ज़ (लिए) किए गए। और किए जाते रहेंगे। अगर बक़ौल गुस्ताख़े रसूल कि पढ़े हुए नहीं थे। इक़्रा के बाद तो अल्लाह तआला के महबूब पढ़े हुए हो गए। या फिर भी अन पढ़ ही रहे? फिर क्या वजह है कि तमाम स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में गुस्ताख़े रसूल फिरक़े के तमाम टोले उम्मी के अन पढ़ माना पर लेक्चर और दर्स देते नहीं थकते? बल्कि गुस्ताख़े रसूल फ़िर्क़े के एक नाम निहाद मुफ़क्किर ने तो इंतिहाई शक़ावत (बदकिस्ती) व दरीदह दहनी (फटे मुँह) का मुज़ाहरा करते हुए यहां तक अपनी किताब पर्दा स० १५० तफ़्हीमात स० २१० पर लिख दिया है कि रेगिस्ताने अरब के "अन पढ़ चरवाहे।" जबकि अन्नबी के माना क़वाइद की रौशनी में दो हैं। (१) ग़ैब की ख़बरें देने वाले। (२) ग़ैब की ख़बरें दिए गए। कुरआने हकीम के **अन्नबी अल-उम्मी** हुज़ूर अलैहिस्सलाम का मोजज़ाना ख़िताब के यह माना हुए, "यानी" बे पढ़े ग़ैब की ख़बरें देने वाले।

और हुआ भी ऐसा ही कि दुनिया में तशरीफ़ लाते ही सजदा में **रब्बे हबली उम्मती** यानी "ऐ रब बख़्श दे मेरी उम्मत।" बार-बार फरमाने में भी अपने नबी और उम्मत गुनहगार होने की पैदाइशी ग़ैबी ख़बर नहीं तो और

क्या है? गुस्ताख़े रसूल फ़िर्क़ों ने अन्नबी का तरजमा ख़बर देने वाला किया है। अगर यह माना तस्लीम भी किए जाएं तब हर ख़बरदार देने वाला शख़्स नबी हो जाएगा। मआज़ल्लाह।

उम्मी के अन पढ़ माना बता कर
आलिम ख़ुद कहलाते यह हैं
पैदाइशी इल्म को उम्मी
बताते हुए कतराते यह हैं
न करना ज़ाहिर, इल्म न होना
हम कब एक बताते यह हैं
अद्मे इज़हार को लाइल्मी ही
लिखते यह हैं, गाते यह हैं
(अनीस अहमद नूरी)

हज़रत का इल्म-इल्मे लदुन्नी था ऐ अमीर
हज़रत वहीं से आए थे लिखे पढ़े हुए
(हज़रत अमीर मीनाई)

बरकत : गुज़िश्ता अहादीसे मुबारका से बिस्मिल्लाह शरीफ़ के जहां और फ़ज़ाइल हैं कि जिस खाने को बिस्मिल्लाह पढ़ कर खाया जाए। इस खाने से ज़रर (नुक़सान) न हो अगरचे इसमें ज़हर हो। हमें यह भी मालूम हुआ कि शैतान हमारे खाने में शरीक हो जाता है। जिसके सबब बेब़रकती होती है। दूसरे यह कि शैतान हमारा ही खा कर हमको ही गुमराह करने के लिए तवाना (ताक़तवर) व मुस्तइद (तैयार) होता है। लिहाज़ा हमारी कम अक़्ली होगी जो अपने जानी, ईमानी दुश्मन की परवरिश करें।

एहतियात : और उसी हदीस से बुज़ुर्गों क अदब का तरीक़ा भी मालूम हुआ कि सहाबा जब तक खाना शुरू नहीं फ़रमाते थे जब तक अल्लाह तआला के महबूब शुरू न फरमाते लिहाज़ा हर क़िस्म की महफ़िल में हमें भी बुज़ुर्गों के शुरू करने पर खाना पीना चाहिए। कि

बाअदब बा नसीब बे अदब बद नसीब

और यह कि जिस किसी के साथ आदमी खाना खाता है। जब तक वह न आ जाए तब तक खाना शुरू न करे कि तन्हा खाना अच्छा नहीं।

और खाने में शामिल जितने अफ़राद ज़्यादा होंगे उतनी बरकत भी ज़्यादा होती है। हज़रत अनस रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम अकेले खाना हरगिज़ तनावल न फरमाते थे।"

घर के तमाम अफ़राद (सारे लोग) का एक जगह बैठ कर खाने से किफायत व बरकत के अलावा खाना बर्बाद भी नहीं होता। और न कोई शाकी (शिकायत करने वाला) होता है। कि मैं फ़लां चीज़ से महरूम रहा। या यह कि आख़िर का या पस ख़ूरदह (बचा हुआ खाना) मिला वग़ैरह वग़ैरह।

खाते वक़्त दूसरों का ख़्याल करते हुए खाना चाहिए, कि रोटी के लुक़्मे को गोल गप्पा (सोंट का पताशा) बना कर उसमें सालन भर कर न खाना चाहिए क्योंकि इस तरह तीन चार लुक़्मों में ही सालन की प्लेट साफ हो जाएगी। ज़ाहिर है कि इसके बाद जो सालन खाया जाएगा वह किसी और का हक़ होगा। ऐसे अफ़राद तक़रीबन हर घर में पाए जाते हैं। और वह जिस्मानी सेहत व तवानाई से भी महरूम होते हैं। याद रखें इस्लाम हमें रवादारी का सबक़ देता है, और फ़ुज़ूल ख़र्ची से मना करता है। इस वजह से भी सालन मुनासिब ख़र्च करना चाहिए। ऐसे हज़रात अगर उस वक़्त को पेशे नज़र रखें कि जब रोटी हो और सालन न हो तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बाबरकत से पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तआला यह बुरी आदत आसानी से छूट जाएगी।

घर के सब अफ़राद को जमाअत के साथ खाने में बेशुमार फ़वाइद हैं। अगर कोई ख़राबी पाई गई तो वह हमारी पैदा करदा ही होगी। **मसलन** घर के अफ़राद में कोई बच्चा या बड़ा ऐसा भी होता है जो किसी भी काम से गुरेज़ नहीं करता। फौरन बजा लाता है। इसकी सज़ा तमाम घर वाले इसको इस तरह देते हैं कि हर काम के लिए उसी को मुन्तख़ब (चुनते) करते हैं। लिहाज़ा खाते हुए भी अगर किसी को पानी की भी हाजत होती है तो वह उसी से ही लाने को कहेंगे। और फ़िर एक के बाद एक की फरमाइश, और जब आख़िरी को पानी पिला कर फ़ारिग़ हुआ तो फिर पहले से शुरू। ग़रज़ की ऐसा फ़र्द अनवाअ व अक़्साम (सभी तरह) के खानों की ख़ुश्बू तो सूंघ सकता है मगर खा नहीं सकता ऐसे माहौल में वह बजाए खाने के अपना ही ख़ून खाता पीता है। अगर वह पस ख़ूर्दा (बचा हुआ) खाना खाने भी बैठे तो खाया नहीं जाएगा। क्योंकि

भूख की ख़्वाहिश मर चुकी, सर्द हो चुकी होती है। लिहाज़ा घर के दीगर अफ़राद ऐसे शख़्स से वही काम लें जो दूसरे न कर सकें या काम न करने के बहाने बनाएं। बक़िया काम दूसरों से कराएं।

फ़ितरत और इत्तिफ़ाक़ : कुंबे के घर में ऐसा इत्तिफ़ाक़ अक्सर होता है कि खाना तक़रीबन निस्फ़ बच जाता है। और अगर किसी दिन एहतियात से इतना ही पकाया गया कि जितना रोज़ खाया जाता है। तब हर शख़्स को भूख भी खुल कर लगती है। या घर के अफ़राद को मालूम हो जाए कि खाना कम पड़ गया है तब तो भूख की शिद्दत में इज़ाफ़ा दो चन्द हो जाता है। और अगर दो क़िस्म के खाने तैयार हों उस वक़्त जो खाना (शय) कम होगा तब उसी शय की तमाम घर भर को पूरे पेट भर खाने की ख़्वाहिश होगी। और ख़ास कर ऐसे शख़्स को कुछ ज़्यादा ही ख़्वाहिश होगी जिसका उस शय से परहेज़ होगा। लिहाज़ा ऐसे हालात में घर के हर फ़र्द को अपनी ख़्वाहिश पर कन्ट्रोल और ईसार से काम लेना चाहिए। और अगर ऐसा हो कि बजाए पेट भरने के बतौर ज़ाइक़ा के वह शय थोड़ी-थोड़ी सब ही खाएं। तब ऐसी सूरत में घर का कोई फ़र्द उस शय से महरूम व शाकी भी न रहे। और कई अक़्साम के खाने पकने के मक़ासिद भी पूरे हों –

अपनी हैसियत न भूलो रेस करना छोड़ दो
शाद होकर खाओ पहनो घर में जो मौजूद हो

कभी ऐसा भी होना है कि पुलाव और बिरयानी वग़ैरह बड़े बर्तन में रख कर सब अफ़राद एक साथ ही खाते हैं। उस वक़्त भी यह ख़्याल करना चाहिए कि बोटी वग़ैरह से कोई महरूम न रहे। अक्सर बेतकल्लुफ़ हज़रात बोटियाँ चुन-चुन कर अपनी जानिब कर लेते हैं। और दीगर अफ़राद मुँह देखते रह जाते हैं। कभी मज़ाक़ में भी ऐसा किया जाता है। मिठाई, फल, फ़्रूट में अक्सर। मगर इसको मज़ाक़ कहना ही ग़लत है। कि दीगर अहबाब, साथी हक़ीक़त में महरूम रहें। और मज़ाक़ करने वाले हक़ीक़त में खाएं। और फिर भी वह मज़ाक़ कहलाए? क्या शादी में जूता चुराई जो ग़ैर इस्लामी रस्म है जूता चुरा कर वापस करने की तरह खाया हुआ वापस किया जाता है? फिर किसी के तक़रीबन हक़ ग़सब करने के मज़ाक़ कहना क्योंकर दुरुस्त हो सकता है। बाज़ हज़रात इस तरह भी ज़ाहिरी फाइदा हासिल करने की कोशिश करते हैं।

हिकायत : मेज़बान ने एक थाल में खिचड़ी पांच अफ़राद के दरम्यान रखी और थाल के बीच चावलों में खड्डा प्याला जैसा बना कर उसमें देसी घी भर दिया ताकि पांचों मेहमान उससे मुस्तफ़ीद हों। तो एक साहब ने एक उंगली घी में डाल कर अपनी तरफ़ नाली बनाते हुए कहा कि हमारे शहर में दाख़िला की एक सड़क है दूसरे ने उसी तरह दो उंगलियों से अपनी तरफ घी की नाली बनाते हुए गोया हुए हमारे शहर में दाख़िला की दो सड़कें हैं। इसी तरह तीसरे चौथे ने तीन चार घी की नालियां सड़क के बहाने निकालीं। पाँचवें ने सोचा कि मेरे हिस्सा में घी बिल्कुल नहीं रहा। इस तमाम खिचड़ी को नीचे ऊपर और घी की खिचड़ी में मिक्स करते हुए बोले कि हमारे हां इस तरह ग़दर मचा रहता है। अफ़रा तफ़री के आलम में सड़कें पक्की बनाने की फ़ुर्सत ही नहीं।

भूसी टुक्ड़ों के नर्ख़ में कमी : इस मज़्मून में जहाँ अहादीसे मुबारका इकट्ठे होकर खाने के अज़ीम बरकात और घर के अफ़राद का अलग-अलग खाने के नुक़्सानात मुताला फरमाए। अब यह कि अल्लाह तआला की नेअमतों की फरावानी के नताइज पर भी कुछ सन्जीदगी से ग़ौर कर लिया जाए तो बेहतर है।

नेअमत हुई सिवा तो हुई शुक्र में कमी
मिक़्दार जितनी बढ़ गई क़द्र उतनी घट गई

यह अजब इत्तिफ़ाक़ है कि हर चीज़ के नर्ख़ बढ़ रहे हैं मगर सूखी रोटी जिसको भूसी टुकड़े भी कहा जाता है। इनके नर्ख़ कम हो रहे हैं। जब डेढ़ या पौने दो रुपया सेर आटा था उस वक़्त भूसी टुकड़े एक रुपया दो आने सेर थे। अब ज़ब कि आटा तीन रुपया पच्चीस पैसे किलो है मगर भूसी टुकड़े पच्हत्तर पैसे किलो वह लेता है जिसको यह यक़ीन हो कि दस किलो भूसी टुकड़े हमें पाँच किलो नहीं तौलने दिए जाएंगे। और अगर यह यक़ीन हो कि किसी क़िस्म की धांधली से कोई नहीं रोकेगा। तब बमुश्किल एक रुपया किलो खरीदने पर आमदा होते हैं। और यह जब है कि पहले की बनिस्बत अब भूसी टुक्ड़ों के मसरफ बढ़ गए हैं। गाय, भैंस के लिए तो पहले भी लेते थे। अब हलीम, नहारी, गर्मियों में कुल्फ़ी में भी इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह दीगर तरीक़ों से भी इस्तेमाल हो रहे हैं। फिर क्या वजह है कि भूसी टुक्ड़ों के नर्ख़ में बेशी के बजाए कमी हो रही है।?

ख़ादिम की नज़र में सिर्फ़ एक ही वजह है। और वह यह कि पहले

एक माह में तक़रीबन दो सैर सूखी रोटियाँ जमा होती थीं। और अब बीस या पच्चीस किलो सूखी रोटियां जमा हो रही हैं। पहले उन दो सेर का मसरफ़ घर में ही होता था। यानी उनका बारीक चूरा करके कभी मीठा, कभी नम्कीन, पकाया खाया जाता था। अब तिक्के, कबाब, चरग़े, रोस्ट, तली मछली कढ़ाई गोश्त, होटल ज़िन्दाबाद हो रहे हैं। "और अगर यह आबाद न हों तो घर की रोटियाँ सूखी ही क्यों–"?

पहले चरग़े, कढ़ाई गोश्त का नाम व निशान भी न था। तब उस वक़्त घरों में हफ़्ता दूसरे हफ़्ता "तुम्हें बहुत रोटियां लग गई हैं।" का मुहावरा सुनने को मिलता था। अब यह मुहावरा मतरूक (ख़त्म) हो गया है –,

बल्कि हाथों से ही क्या? पैरों से रोटी, चावलों को रौंदते हुए कुचलते हुए चले जाएं कोई परवाह ही नहीं। बल्कि ख़ुद चार मंज़िला इमारत से, मज़्हबी अख़्बार में, रोटी या चावल लपेट कर बीच सड़क पर फेकें, कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं।

नेअमत हुई सवा, तो हुई शुक्र में कमी
मिक़्दार जितनी बढ़ गई, क़द्र उतनी घट गई!

इफ़रात व तफ़रीत : खाने से क़ब्ल या खाते हुए, अगर किसी से लिहाज़ व मुरव्वत की बिना पर खाने की सलाह ली जाए तब दो वक़्त के भूखे पेट हो कर कहते हैं कि मैं अभी खा कर आया हूँ। मैंने अभी खाया है। इसी तरह चाय को दरयाफ़्त (पूछा) किया जाए तो कहते हैं अभी शर्बत या लस्सी पी है। और तअज्जुब यह है कि यह सब कुछ कहने के बाद फिर भी खा पी लेते हैं। गोया झूठ बोल कर खाते पीते हैं।

हदीस : इब्ने माजा ने अस्मा बिन्ते यज़ीद रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में खाना हाज़िर लाया गया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हम पर पेश फ़रमाया। हमने कहा हमें ख़्वाहिश नहीं है। फ़रमाया "भूख और झूठ दोनों चीज़ों को इकट्ठा मत करो।"

झूठ मत बोलो कि झूठा आदमी होता है ख़्वार
उसके सच का भी नहीं करता है कोई एतबार

यानी भूख के वक़्त कोई खिलाए तो खाले यह न कहे कि नोशे जान, और न यह कहे कि भूख नहीं है कि खाना भी न खाया और झूठ भी बोला। इस तरह दुनिया व आख़िरत दोनों का ख़सारह है। और यह

तफ़्रीत का नतीजा है। और जब इफ़्रात पर उतरते हैं तब खाते हुए को देख कर दूर से दौड़े आएंगे। और खाने से क़रीब हो कर खड़े होंगे या बैठेंगे। और खाने पर नज़र जमाए रहेंगे। अगर सलाह न ली जाए तब खुद तंज़िया लहजे में सलाह (मशवरा) न लेने पर गरजे बरसेंगे। और अगर सलाह ली तो खड़े-खड़े ही बेग़ैर बिस्मिल्लाह और बेग़ैर रोटी के, बोटियाँ, मछली के क़तले, कोफ़्ते, या अन्डे एक मुँह में, एक चुटकी में दबा कर चलते बनेंगे। वह मज़्कूरह तफ़्रीत अक्सर दिहातियों में पाई जाती है। और यह इफ़्रात कॉलेज की इस्लामी नामी जमीअतों के जोड़ू कराटे के माहिर, इम्तेहानात के दौरान, असातिज़ा पर छुरा, पिस्तौल उठाने वाले तलबा में कसरत से आदत पाई जाती है।

यह नेक सूरत, मकरूह सीरत के मालिक, हुकूमत ही क्या सहाफ़ियों को अगर ब्लेक मेल करने पर उतर आएं तो जंग अख़्बार के दफ़्तर तक को आग लगा दें। और फौजी हुकूमत भी उन से कोई एक्शन न ले। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों में हर क़िस्म यानी तमाम मुआमलात में एतदाल (न कीम न ज़्यादती) की ख़ू (आदत) पैदा फरमाए आमीन।

जो तबीअत का खरा हो जिसकी नीयत नेक हो
बस वही इंसान है चाहे पाँच सौ में एक हो

होशियार होना बुरा नहीं : हमारी औलाद का, या स्कूल व कॉलेज के तलबा का चालाक होना, होशियार होना बुरा नहीं। और न ही ऐब है। अल्बत्ता बेअदब, गुस्ताख़ और लेन देन में जिसको उर्फ़े आम में बेईमान कहते हैं वह न होना चाहिए।

यह अवामुन्नास में ग़लत रिवाज पड़ गया है कि जो मुआमलात में सही न हो यानी लेन देन में मुन्सिफ़ मिज़ाज (इंसाफ़ पसन्द) न हो, आदिल (इंसाफ़ करने वाला) न हो उसको बेईमान कह दिया जाता है। यह न कहना चाहिए कि बेईमान का माना है जिसमें ईमान न हो। जबकि ऐसे शख़्स में यह ख़राबियाँ तो होती हैं मगर वह ईमान की दौलत से भी सरफराज़ होता है जिसकी वजह से वह मुसलमान कहलाता है। ग़लतुल-अवाम इसी को कहते हैं।

जिस तरह के चमन के अंगूर जबकि चमन मण्डी है। और वहाँ पैदा नहीं होते। लाहौरी नमक। जबकि लाहौर में नमक की कान नहीं। नमक की कान खेवड़े में है। इसी तरह वहाबी मज़्हब मशहूर है जबकि जिस

शख़्स ने अंबिया किराम और औलिया-ए-किराम की शाने पाक में गुस्ताख़ियाँ बकीं वह मुहम्मद बिन अब्दुल-वहाब है। गोया अब्दुल-वहाब उसके बाप का नाम है। अब्दुल-वहाब के दूसरे बेटे सुलेमान बिन अब्दुल-वहाब ने अपने भाई मुहम्मद बिन अब्दुल-वहाब के अक़ाइद और गुस्ताखाना इबारात के रद में कुतुब लिख-लिख कर छापीं।

वहाबी मज़्हब ऐसा ही मशहूर हुआ जिस तरह मशहूर है कि मन्सूर ने अनल-हक़ कहा। मन्सूर की खाल खींची गई। जबकि जिसने अनल-हक़ कहा वह **हुसैन** बिन मन्सूर है। बार-बार नाम ज़ुबान पर आने से हुसैन बिन खत्म मन्सूर ही रह गया। इसी तरह नाम मुख़्तसर करने का अमल आज भी जारी है। अब्दुल-ग़फ़्फ़ार को खाली ग़फ़्फ़ार, और अब्दुर्रब को, रब साहब कहते हैं। जबकि अब्दुल ग़फ़्फ़ार, अब्दुर्रब को ग़फ़्फ़ार व रब न कहा जाये। जिन हज़रात के यह नाम हों उनका पूरा नाम लिया जाये क्योंकि यह अल्लाह के नाम हैं। बिल्कुल इसी तरह **मुहम्मद बिन** कसरते इस्तेमाल के तर्क अब्दुल-वहाब से वहाबी मज़्हब मशहूर हुआ। और मशहूर है।

अब मज़्हब तो वही गुस्ताखाना है, मगर अह्ले सुन्नत को अपने हाल में फांसने की ग़रज़ से हर चन्द साल बाद वहाबी मज़्हब पर नए नाम के लेबल का इज़ाफ़ा होता रहता है। अल्लाह तआला ऐसी गुस्ताखाना, चालाकियाँ, होशियारियाँ किसी को अता न करे। **आमीन!** —

❖❖❖

अहकाम! दावते तआम इस्लामी भाई बहनों के नाम

बाहर से आए मेहमान की ज़ियाफ़त

सुन्नत २६ :

(१) मेहमान की एक दिन, हैसियत भर ख़ातिरदारी करना।

(२) ज़ियाफ़त (ख़ातिरदारी) तीन दिन यानी जो मयस्सर हो पेश करे। (दावते शीराज़ी)

(३) तीन दिन से ज़ाइद सदक़ा है। मेहमान के लिए यह हलाल नहीं कि उसके यहाँ ठहरा रहे और उसे हरज में डाले। **(बुख़ारी व मुस्लिम शरीफ़)**

सुन्नत ३० : मेज़बान पर ज़रूरी है।

(१) मेहमानों के साथ ऐसे को न बिठाए जिसका बैठना उन पर गिरां हो।

(२) मेहमान अगर थोड़े हों तो मेज़बान उनके साथ खाने पर बैठे कि यही तक़ाज़ाए मुहब्बत है और अगर मेहमान ज़्यादा हों। तो उनकी निगहदाश्त (देखभाल) और ख़िदमत में मश्ग़ूल रहे।

(३) मेहमान के सामने अह्ले ख़ाना (घर वालों पर) या ख़ादिम (नौकर) पर नाराज़ न होना।

(४) मेहमान से दिल ख़ुश कुन बातें भी करता जाए।

(५) मेहमान को खाना खाने पर इसरार करता रहे।

खाने के शुरू या दरम्यान की कोई साइल भूखा मुसलमान आ जाए तो हाथ धुला कर इहतिमाम से अगर मर्द हों तो मर्द हज़रात अपने साथ शरीक कर लें। वरना इलाहिदा भी इहतिमाम के साथ खिला सकते हैं। इसी तरह कोई दोस्त, रिश्तेदार आ जाए तो कुशादा दिल से अपने साथ शरीक करें कि मेहमान तुम्हारे दस्तरख़्वान पर अपना रिज़्क़ खाता है। और जैसा कि हमारे आक़ा व मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि "एक का खाना दो को, और दो का खाना चार को, और चार का खाना आठ को किफ़ायत करता है।" लिहाज़ा मेहमान को देख कर दिल तंग न होना चाहिए। कि उसका रिज़्क़ दूसरा नहीं खा सकता।

ग़रज़ कि दावत दिए गए मेहमान हों या अचानक आने वाले मेहमान। दोनों ही क़िस्म के मेहमान साहिबे खाना के लिए रहमत ही होते हैं। ज़हमत नहीं –

मुबारक हैं जो दूसरों का दर्द रखते हैं

हदीस : औसत में अमीरुल-मुमिनीन हज़रत उमर रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने सबसे अफ़ज़ल काम मुसलमान का जी खुश करना है कि उसका बदन ढांके, या भूख में पेट भरे, या उसका कोई काम करे।

हदीस : बैहक़ी, शुऐबुल-ईमान में हज़रत अबु हुरैरह रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत कि फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने "जो अपने भाई मुसलमान को उसकी चाहत की चीज़ खिलाए, अल्लाह तआला उसे दोज़ख़ पर हराम कर दे।"

हदीस : हाकिम में हज़रत जाबिर रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फरमाया "रहमते इलाही वाजिब कर देने वाली चीज़ों में ग़रीब मुसलमान को खाना खिलाना।"

हदीस : तबरानी, कबीर, अबुश्शैख़, हाकिम, बैहक़ी में इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फरमाया "जो अपने मुसलमान भाई को पेट भर खाना खिलाए, प्यास भर पानी पिलाए। अल्लाह तआला उसे दोज़ख़ से सात खाइयाँ दूर करे। हर खाई से दूसरी तक पाँच सौ बरस की राह।"

हज़रत शफ़ीक़ बिन इब्राहीम बल्ख़ी का इरशादे गिरामी है कि मुझे मेहमान से ज़्यादा कोई महबूब नहीं क्योंकि उसका रिज़्क़ अल्लाह तआला के ज़िम्मे है और मेरे लिए अज्र है।

क़तअ़

जिसको बेमक़्दूर व मुहताजों पे रहम आता नहीं
कोई ऐसे संग दिल पर भी तरस खाता नहीं
जो अमीरी में ग़रीबों की मदद करता नहीं
उसकी नादारी में कोई उसका दम भरता नहीं

अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त साइल और मेहमान के ज़रिया रिज़्क़ में कुशादगी और रहमत के दर खोलता है। तो कभी दरजात में बुलन्दी अता करता है। इसी तरह दोज़ख़ से नजात व मग़्फ़िरत का सबब भी अपने मुसलमान भाई को पेट भर खाना खिलाना, और प्यास भर पानी पिलाना है **फ़ातिहा के खाने** में यह दोनों ही शय रख कर मज़ीद कुरआन मजीद की तिलावत का सवाब भी शामिल करते हैं। और इस हदीसे पाक से सबील पर सवाबे अज़ीम अज्रे जज़ील की बशारत भी मालूम हुई।

अशिद्दाउ अलल-कुफ़्फ़ार : जिस तरह इन चारों अहादीसे मुबारका में मुसलमान को खिलाने, पिलाने और पहनाने की शर्त पर ख़ुशख़बरियाँ हैं। इसके बरअक्स मोमिन मुसलमान की पहचान **अशिद्दाउ अलल-कुफ़्फ़ार** कुरआने हकीम ने ब्यान फरमाई। यानी मोमिन! गुस्ताख़े रसूल कुफ़्फ़ार पर शिद्दत से सख़्ती करता है। लिहाज़ा जब मोमिन की अलामत कुफ़्फ़ार पर शिद्दत करना ठहरी तो फिर ईसाई, यहूदी, हिन्दू, क़ादयानी, गुस्ताख़े सहाबा, गुस्ताख़े रसूल फ़िर्क़े से किसी भी टोले के फ़र्द की दावत करना गोया अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त के ग़ज़ब को दावत देना है। (अल्बत्ता इनमें से किसी को दावते इस्लाम की नीयत से खिलाना पिलाना जाइज़ है कि नीयत बदली हुक्म बदला।)

याद रहे! इन चारों अहादीसे मुबारका से मालूम हुआ रिज़्क़ में बरकत, जहन्नम से आज़ादी, अज़ाब में तख़्फ़ीफ़, रहमत की बारिश वग़ैरह की बशारतें सिर्फ़ और सिर्फ़ मुसलमान के साथ ख़ातिरदारी पर ही हैं। लिहाज़ा तमाम इस्लामी भाईयों को चाहिए कि अपनी महफ़िलों को गुस्ताख़े रसूल के क़दमों से पाक रखें कि यह अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त और उसके महबूबों के नाम का खाना खा कर अल्लाह तआला और उसके नबियों, वलियों और दोस्तों की ही शाने पाक में बे-अदबियाँ करते हैं।

हदीस : अल्लाहु मोअ्ती व अना क़ासिमु

तरजमा : अल्लाह तआला अता फरमाता है और मैं तक़सीम करता हूँ —

रब है मुअती, यह हैं क़ासिम
रिज़्क़ उसका है, खिलाते यह हैं
तेरा खाएं तेरे गुलामों से उल्झें
हैं मुन्किर अजब खाने गुर्राने वाले!

❖ ❖ ❖

पड़ोसी, रिश्तेदार, यतीम, मुसाफिर, मिस्कीन, मुसलमान :

पड़ोसी, रिश्तेदार, यतीम, मुसाफिर, मिस्कीन, मुसलमान, को खाना खिलाने का बहुत अज्र व सवाब है, आज हमारे मुआशरे में ग़रीब, मिस्कीन, रिश्तेदार को दावत वग़ैरह के सिलसिला में घर की ख़ादिमा (नौकरानी) जितना भी नहीं समझा जाता। चूंकि अल्लाह तआला के महबूबे आज़म के रू-ब-रू (सामने) आज का यह मुआशरा (समाज) था। जिसकी वजह से आक़ा व मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फरमाया।

हदीस : "जो शख़्स यह चाहता है कि ख़ुदा उसका रिज़्क़ ज़्यादा, और उम्र दराज़ (लम्बी) करे तो उसे चाहिए कि रिश्तेदारों से मुहब्बत रखे।" (बुख़ारी, रहनुमाए शरीअत)

हुकूक़े हम्साया

हदीस : हादी-ए-अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख़्स ख़ुद सैर हो (पेट भर) कर खाना खाए और उसका पड़ोसी भूखा रहे वह कामिल मोमिन नहीं। (शुऐबुल-ईमान)

शोरबा ज़्यादा करो :

हदीस : हज़रत अबू ज़र ग़फ़्फ़ारी रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे "मेरे ख़लील सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने मुझको वसीयत फरमाई कि जब तुम हांडी पकाओ तो उसमें शोरबा ज़्यादा कर दो। और फिर उसमें से निकाल कर हम्साया (पड़ोसी) के यहां भेज दो।" **(मुस्लिम शरीफ़)**

पानी, नमक और आग का देना : इब्ने माजा ने हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ि अल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की है। "उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह किस चीज़ का मना करना हलाल नहीं? फरमाया पानी, और नमक और आग। कहती हैं मैंने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह! पानी को तो हमने समझ लिया। मगर नमक और आग का मना करना क्यों हलाल नहीं? फरमाया ऐ हुमैरा जिसने आग दे दी गोया उसने उस पूरे को

सदक़ा किया जो आग से पकाया गया। और जिसने नमक दे दिया उसने गोया तमाम उस खाने को सदक़ा किया जो उस नमक से दुरुस्त किया गया। और जिसने मुसलमान को उस जगह पानी का घूँट पिलाया जहाँ पानी मिलता है तो गोया गर्दन को आज़ाद किया। और जिसने मुस्लिम को ऐसी जगह पानी का घूँट पिलाया जहाँ पानी नहीं मिलता है, तो गोया उसे ज़िन्दा कर दिया।"

यूं तो अल्लाह तआला की किसी भी नेअमत को हक़ीर नहीं समझना चाहिए मगर उर्फ़े आम में कम क़ीमत अशिया (चीज़ों) को हक़ीर समझा जाता है। ख़ुसूसन आग, नमक और पानी को। इस हदीसे पाक में इन तीनों के ईसार पर अज़ीम बशारात, (ख़ुशख़बरी) और उनकी अहमीयत अल्लाह तआला के महबूब ने इरशाद फरमाई। और एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान भाई पर ईसार व कुरबानी की तर्ग़ीब इस तौर फरमाई कि सिर्फ़ पानी का घूँट पिलाने पर गुलाम आज़ाद और मुर्दा को ज़िन्दा करना जैसा है। तो क़ीमती अशिया से साइल को हाजत रवाई करने पर फिर किस क़द्र रब्बे करीम सवाबे अज़ीम इनायत फरमाएगा?

लिहाज़ा पड़ोसी को पड़ोसी से जब किसी चीज़ की हाजत हो तब हाजत बरारी (ज़रूरियात पूरी करना) करना सआदत जाने। और इस तरह अपने पड़ोसी को रुसवा व ज़लील न करे कि जब पड़ोसी कोई मामूली शयं भी मांगने आए तो एक बहन दूसरी बहन के लिए कहे कि उससे मांगो उसी को मालूम है। और जब उससे मांगा जाए तो वह तीसरी का पता बताए। और जब तीसरी से मांगे तब वह चची का पता बताए और जब उन से मांगे तब वह बड़ी जेठानी की तरफ इशारा करे। और जेठानी साहिबा कहें कि आज कल घर का निज़ाम बच्चों के हाथ में होने की वजह से उन्हीं को मालूम है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। और है भी या नहीं। ग़रज़ कि घर में एक-एक बच्चे बड़े से तआरुफ़ कहिए या रुसवा करना कहिए तब भी अगर मुनासिब जाना तो उन्हीं में से किसी ने वह चीज़ दे दी या ज़लील करके मना कर दिया। ऐसी ख़स्लत (आदत) वाले पड़ोसी जब खुद दिन में एक ही घर से दस बार भी बच्चों से चीज़ें मंगाते हैं। तो बच्चों को यह ताकीद कर देते हैं कि पहले घर की बड़ी ज़िम्मेदार को अपने पास बुला कर ही आहिस्ता से चीज़ तलब करना चुनांचे वह बच्चा इस हिदायत पर अमल करते हुए पड़ोसी के ज़िम्मेदार को अगरचे वह

किसी भी काम में मसरूफ़ हो या बीमार हो मगर फिर भी वह बच्चा दूर खड़े हो कर अपने पास हर बार तलब करना फ़र्ज़ समझता है।

अल्लाह तआला ऐसे पड़ोसियों को हिदायत अ़ता फरमाए आमीन। और ऐसे पड़ोसियों को भी जिनसे जुमेरात के दिन नमक, चूना, दूध, आग या माचिस की तीली आग जलाने के लिए मांगी जाए तो जवाब देती हैं कि हम जुमेरात के दिन यह चीज़ें नहीं देते हैं। मगर ख़ुद वही अशिया बच्चा को भेज कर तीन चार चक्कर में एक ही घर से या उसी घर वालों से मांगना उनकी आदत में शामिल होता है।

हदीसे पाक में आपने पढ़ा कि नमक, आग, पानी देने से मना करना हलाल नहीं। उसमें जुमेरात का कहीं ज़िक्र नहीं। और न यह कि तुम जुमेरात को मांगना ज़रूर। मगर देना नहीं। मआज़ल्लाह।

अल्लाह तआला उनको भी हिदायत फरमाए जिनकी एक ड्यूटी यह भी होती है कि वक़्फ़ा-वक़्फ़ा से पड़ोसियों के दरवाज़े या खिड़की से कान लगा कर गुफ़्तगू सुनना। और यह कि अगर किसी पड़ोसी के हाँ कोई मेहमान दाख़िल होता देखती हैं तब ख़ुद भी दाख़िल होकर मुख़्बिरी का काम सर अंजाम देती हैं। और यह भी कोशिश करती हैं कि उन मेहमानों को तन्हा पाएं और अहम ख़बरों की कम अज़ कम सुर्ख़ियों से ही मुत्तलअ कर दें। अगर कोई ख़बर तफ़्सील से बतानी मक़्सूद होती है तो उनको अपने घर पर भी कुछ देर रुकने की दावत देती हैं। ख़ास कर वह अपनी ड्यूटी में उस वक़्त ज़्यादा मुन्हमिक पाई जाती हैं। जब किसी पड़ोसी के बच्चे या बच्ची की शादी का सिलसिला चले। गो कि ऐसी ख़स्लत रखने वाली रेडियो बी.बी.सी. की नुमाइन्दा अपने फुनून का हर वक़्त ही मुज़ाहरा फरमाती हैं। हत्ता कि अगर उसको कोई शदीद बीमारी ही लाहिक़ हो फिर भी वह कम अज़ कम मंगनी या निकाह में किसी न किसी तरह शामिल हो कर गुस्सा की हालत में ख़्वातीन के भरे मज्मा से दरयाफ़्त करती है कि आप हज़रात में से मैंने कब कहा है कि लड़की में यह यह ऐब हैं। या लड़की हामिला है? यह मेरे ऊपर इल्ज़ाम है। अगर किसी से कहा है तो वह सच मुच बताए कि यह-यह अल्फाज़ मैंने कब कहे हैं? तब ख़्वातीन एक मुँह हो कर कहती हैं कि यह तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम है। कहना तो क्या? हमने तो देखा ही तुम्हें आज है। ग़रज़ कि मुझ पर इल्ज़ाम है कहती हुई फिर वह बीमार और माज़ूर किसी के सहारे

अपने घर, भुस में आग लगा कर चलती बनती है। आगे आप खुद समझ लें कि लड़के वालियों पर इस डरामा का क्या असर पड़ेगा। और लड़की वालों पर क्या गुज़रेगी।?

इस क़िस्म की ख़स्तलों के (आदतों) हामिल अफ़राद ख़्वाह मर्द हों या ख़्वातीन (औरत) को चाहिंए कि वह अपनी जानों पर ज़ुल्म न करें और अल्लाह वाहिद व क़ह्हार के ग़ज़ब से डरें। और यूं भी कि अगर किसी ने इस मज़्मून को भरी महफ़िल में पढ़ कर सुना दिया तब उनकी क्या इज़्ज़त रहेगी?

आपके अनीस ने निचले दरजा की चन्द ख़राबियों का ज़िक्र किया है। तवालत (ज़्यादा) की ग़रज़ से न इस मज़्मून में पड़ोसियों का मामूली बात पर पानीपत के मैदानी जंग से मुतअल्लिक़ अर्ज़ करना है और न जंग के दौरान गुल बारी के मुतअल्लिक़। न ही पड़ोसियों के नौजवान लड़के लड़कियों से और बाज़ जगह लड़कियों का मुहल्ला वग़ैरह के लड़कों से ख़लत मलत और बेतकल्लुफ़ी के मुख़्तलिफ़ पहलुओं पर रौशनी डालनी है। और न पड़ोसियों के पड़ोसियों के साथ ज़ालिमाना सुलूक की निशानदेही करनी है, कि इन मौज़ूआत (विषय) पर एक ज़ख़ीम (मोटी) किताब लिखी जा सकती है। **अल्बत्ता** यह बताना मुनासिब है कि हमें पड़ोसियों की बुरी हरकतों को यह सोचते हुए चश्म पोशी करनी चाहिए कि दूसरे पड़ोसियों की जिन ख़स्लतों से मैं बेज़ार हूँ। बहुत मुम्किन है उन से कहीं ज़ाइद बुरी और अहम जिन पर मेरी नज़र नहीं वह मेरी उन ख़स्लतों से बेज़ार हों।

हदीस : क़्यामत के दिन जिन दो आदमीयों का मुक़द्दमा सबसे पहले पेश होगा वह पड़ोसी होंगे।

अपने दिल को बेहतरीं औसाफ़ का शैदा करो
जिस क़दर मुम्किन हो अच्छी आदतें पैदा करो

हम्साया की इम्दाद करो और हाजत रवाई करो :

हदीस : हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फरमाया। "तुमको मालूम है कि हम्साया (पड़ोसी) का हक़ क्या है?" उसका हक़ यह है कि अगर तुमसे मदद चाहे तो उसकी मदद करो, क़र्ज़ मांगे तो क़र्ज़ दो, अगर तुमसे कोई हाजत पड़ जाए तो उसकी हाजत पूरी करो, बीमार हो तो उसकी अयादत करो, उसकी इजाज़त के बेग़ैर अपनी

इमारत ऊँची न करो, कि कहीं उसकी हवा न रुके, कोई मेवह (अख़रोट वग़ैरह) खरीद करके लाओ तो उसमें से हम्साए (पड़ोसी) को कुछ तोहफ्तन पेश करो। वरना छुपा कर अपने घर में लाओ, और अपने बच्चों को मेवह लेकर बाहर न जाने दो ताकि हम्साए के बच्चे को रंज न पहुंचे, हांडी की ख़ुश्बू और बघार से उसको ईज़ा मत दो, मगर उस सूरत में कि चिमचा भर उसके भी भेजो, मर जाए तो उसके जनाजे के साथ जाओ, उसको कुछ बेहतरी (भलाई हासिल हो तो मुबारकबाद कहो।) कोई मुसीबत पहुंचे तो ताज़ियत करो, तुमको मालूम है कि हम्साया (पड़ोसी) के हुकूक़ (अधिकार) क्या हैं? क़सम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है कि हम्साए का हक़ वही अदा कर सकेगा जिस पर अल्लाह रहम करे।" (इब्ने अदी दर, कामिल, मअदने अख़्लाक़ हिस्सा दोम) —

होती अमीर अंजाम पर कुछ भी अगर उनको नज़र!
आंखों से जाते दौड़ कर हाजत रवा साइल के पास

फाइदा : इस हदीसे पाक में हम्साया का अव्वल हक़ "अगर तुम से इम्दाद चाहे तो उसकी **मदद** करो।" और आगे इरशाद फरमाया कि "अगर तुमसे कोई हाजत पड़ जाए तो उसकी हाजत पूरी करो।" यह दोनों हुक्म गुस्ताख़े रसूल ज़ेहनों के एतबार से हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने पड़ोसियों के साथ शिर्किया अफ़आल करने के हुक्म इनायत किए। मआज़ल्लाह! जबकि उन गुस्ताख़ों के नज़्दीक जुमले यह होते कि अगर तुम में से इम्दाद चाहें तो पड़ोसियों से कहो कि तुम मुश्रिक हो गए। इसी तरह अगर तुम से कोई हाजत पड़ जाए तो फौरन पड़ोसी से कहो कि तू अब डबल मुश्रिक हो गया **मआज़ल्लाह।** इन गुस्ताख़ों ने जवाहरुल-कुरआन में यहाँ तक लिख मारा कि खुदा के सिवा किसी को मददगार समझना शिर्क है। और जो उसे मुश्रिक न समझे वह भी मुश्रिक। "मआज़ल्लाह।" इन गुस्ताख़ों ने यह भी न सोचा कि हम सिर्फ़ दिल में समझने पर मुश्रिक लिख रहे हैं। जबकि हुज़ूर पुर नूर सल्ललल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने तो समझना ही किया। बल्कि मदीना मुनव्वरह के मक़ामी मुसलमानों को मुहाजरीन की इम्दाद करने पर अंसार का ख़िताब इनायत किया। जिसके माना हैं **मददगार,** गोया इन गुस्ताख़े रसूल टोलियों के नज़्दीक अंसार को जो शख़्स भी अंसार (मददगार) समझे या कहे वह मुश्रिक हो गया। हुज़ूरे अनवर सल्ललल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम हम्साए की हाजत रवाई

करने की तल्क़ीन फरमाएं, मगर यह गुस्ताख़े रसूल इस फ़ेअल (काम) को शिर्क (ख़ुदा के सिवा किसी और को मानना) क़रार दें।

यह भी अजीब इत्तिफ़ाक़ है कि सिर्फ़ अह्ले सुन्नत को ही इन दोनों अफ़आल पर शिर्क का फत्वा देते हैं, मगर दिन रात ख़ुद यहूदियों, हिन्दुओं तक से इम्दाद मांगते नहीं थकते।

वली, नबी से, मदद लेने को
शिर्क है शिर्क है गाते यह हैं
हिन्दी, यहूदी, एंड अमरीकी
लेते यह हैं खाते यह हैं
बच्चे, बड़े से मदद काफिर से
लेते नहीं शरमाते यह हैं
बेग़ैर बुलाए मदद को आना
मुर्दों का अपने बताते यह हैं
यह ही कहें हम अपने नबी को
शिर्क का फत्वा लगाते यह हैं
हाजत रवाई रब के सिवा से
शिर्क है शिर्क है गाते यह हैं
मर्सिया में गन्द गू ही को क्यों?
हाजत रवा ठहराते यह हैं
इनके अटके ग़ैरुल्लाह से
हाजत रवाई कराते यह हैं
खुद भी दिन में कई कई बार
हाजत रफा फरमाते यह हैं

इन्हें गुस्ताख़े रसूल के बदहाली ने एक शेअर मे अह्ले सुन्नत पर तंज़ करते हुए अपना नज़रिया पेश किया है। कहता है –

वह क्या है जो नहीं मिलता ख़ुदा से
जिसे तुम मांगते हो औलिया से

एक आशिक़े रसूल ने जवाब में उसके शेअर को उसी बहर में उन ही पलट दिया –

है चन्दा जो नहीं मिलता ख़ुदा से
जिसे तुम मांगते हो अग़निया से

और आशिके रसूल इमाम अह्ले सुन्नत मौलाना अहमद रज़ा खाँ फ़ाज़िले बरैलवी बरकाती क़ादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने असल जवाब उसी बहर में इस तरह दिया कि –

तवस्सुल कर नहीं सकते ख़ुदा से
उसे हम मांगते हैं औलिया से

इनके बद हाली ने सवाल किया था कि "वह क्या है जो नहीं मिलता ख़ुदा से।" इमाम अह्ले सुन्नत जवाब में इरशाद फरमाते हैं कि ख़ुदा को किसी की बारगाह में वसीली नहीं बना सकते कि रब से बड़ी जात कौन है? जिसकी बारगाह में रब तआला को वसीला बनाएं? सिर्फ़ रब तआला की ज़ात ही सबसे बड़ी है इसी वजह से हम रब की बारगाह में औलिया को वसीला बनाते हैं।

हम्साया को क़र्ज़ देना : इस हदीस पाक में एक हुक्म क़र्ज़ के मुतअल्लिक़ भी है कि "जब हम्साया (पड़ोसी) क़र्ज़ मांगे तो क़र्ज़ दो।" दोस्त अज़ीज़ रिश्तेदार हम्साया को क़र्ज़ दो तो क़र्ज़े हसना की नीयत से दो ताकि अगर वह रक़म देने में काहिली, सुस्ती ज़ाहिर करे तो क़र्ज़ की वजह से आपस में रंजिश, लड़ाई, झगड़ा होने की नौबत न आए। अगर वह रक़म वापस कर दे तो ख़ैर वरना डबल ख़ैर कि हर आन सवाब मिलता रहे।

बे ज़रूरत क़र्ज़ लेना है निहायत ही बुरा
इस बखेड़े से तुम्हें महफ़ूज़ रखे ख़ुदा

हम्साया के इतने हुक़ूक़ ख़ुसूसन इस वजह से हैं कि रिश्तेदार को पड़ोसी की परेशानी या बीमारी का चन्द घन्टे, या चन्द यौम (दिन) बाद मालूम होगा। मगर पड़ोसी की परेशानी या बामारी का इसके हम्साए को उसी वक़्त मालूम हो जाता है। और "फस्ट एड" के माना हैं पहली इम्दाद (सहायता) और अच्छा पड़ोसी पहला मददगार होता है। अगर अव्वले वक़्त ही उसका मुदावा (इलाज) हो या कम अज़ कम हम्दर्दाना लफ़्ज़ों से ही उसको तसल्ली दी जाए।, तो एहसासे कमतरी या उससे पैदा शुदा मर्ज़ भी ख़त्म हो। और हौसला बढ़े। ख़्याल रहे कि हौसला ही बड़ी से बड़ी ताक़त का मुक़ाबला करता है। और बुज़्दिल हर आन मरता है, और असल मरना फिर भी बाक़ी रहता है।

बाज बच्चों में यह ख़स्लत होती है कि जैसे ही उनको कोई चीज़ खाने की मिली, तो फौरन हम उम्र दोस्तों में उसकी नुमाइश करने की ग़रज़ से गली में, बल्कि घर-घर झांकते नदीदों (लालची) की तरह खाते फ़िरते हैं। हुज़ूर अनवर अलैहिस्सलाम ने ऐसे बच्चों के वालिदैन से उनको ऐसी हरकतों से रोकने की तल्क़ीन फरमाई और ऐसी अशिया तोहफ़तन पड़ोसी को देने या फिर छुपा कर लाने, खाने की हिदायत फरमाई है। तलने वाली शय से, और बघारने से हम्साए और उसके बच्चों को बेचैन न किया जाए। अगर मजबूरन ऐसा किया जाए जब उनके यहां भी हदियतन भेजो, इसी तरह जो मुसलमानों में रिवाज है कि कड़ी, खीर, पाए, हलीम वगै़रह जब पकाते हैं तो मुहल्ले वालों और अज़ीज़ों दोस्तों में तक़्सीम करके खाते हैं। यह उनका फ़ेअल (काम) इन्ही अहादीस के मुताबिक़ है। इसी तरह शबे बरात में हल्वा तक़्सीम करके खाना भी इन्हीं अहादीसे मुबारका के मुताबिक़ हुआ, उसको शिर्क व बिदअत कहना, तैय्यिब (पाक) चीज़ को ठुकरा कर ख़बीस (नापाक) अशिया का मुस्तहिक़ बनना है। यही वजह है कि गुस्ताख़े रसूल ख़बीस शय को बहुत पसन्द करते हैं। चुनांचे गुस्ताख़े रसूल फ़िर्क़ा के बड़े पादरी रशीद अहमद गंगोही ने फतावा रशीदीया में मशहूर व मारूफ़ कव्वे का खाना सवाब लिखा है। इसी तरह उनके दीगर मौलवी मनी (जो नजिस व हराम है) का खाना जाइज़ और मनी के मर्कज़ व मख़्ज़न कपूरों को खाना, जाइज़ लिखते ही नहीं बल्कि शौक़ से इस क़दर खाते हैं कि वह नजासत के मर्कज़ कपूरे गोश्त के नर्ख़ फ़रोख़्त होने लगे। गुस्ताख़े रसूल फ़िर्क़ा की तमाम टोलियों को ऐसी नजिस (नापाक) अशिया खानी यू भी ज़रूरी हैं कि अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त ने ऐसों के लिए ही इरशाद फरमाया। **अल्ख़बीसातु लिल-ख़बीसीन।** तरजमा : गन्दगियाँ गन्दों के लिए।

इस हदीस पाक में हम्साए को बेहतरी हासिल होने पर मुबारकबाद देने का हुक्म है, जिससे मालूम हुआ कि गुस्ताख़े रसूल ईदों पर मुबारक बाद देने को जो शिर्क व बिदअत और हराम कहते हैं वह बिल्कुल ग़लत है। इनके दीगर शैतानी फ़ित्नों की तरह यह भी वैसा ही फ़ित्ना पैदा करके मुसलमानों को मुन्तशिर (अलग) करना है। मुबारकबाद पर जब यह शैतानी इस्कॉलर हदीस का हवाला आप से तलब करें। तब उन से ही सवाल करो कि पाकिस्तान बनने से क़ब्ल हिन्दुस्तान में हिन्दुओं को खुश

करने की ग़रज़ से पेशानी पर तिलक और क़श्क़ा लगाने की तुमने या तुम्हारे बड़े उल्माओं ने मुसलसल कई साल तक जो तहरीक चलाई उसके जाइज़ होने की तुम हमें हदीस दिखाओ और यह कि मुसलमानों को मुबारकबाद देना जाइज़ है। इसका सुबूत हम पेश करेंगे। फिर देखना किस तरह यह मौज़ू बदलते हैं।

एक एतबार से बात इनकी भी दुरुस्त है कि गुस्ताख़े रसूल लानत के हक़्दार हैं न कि मुबारकबाद के। और यही वजह है कि विवाह शादी में सहरा और हज को जाते आते तैय्यिब फूलों के हार गले में डालने से चिढ़ते हैं। जिस तरह नमाज़े जनाज़ा के बाद मग़्फिरत की दुआ से चिढ़ते, नफ़रत खाते हैं –

जो दिल की बात गई उनके कान तक तो किया
है बात जब कि उतर जाए कान से दिल में

यतीम की मेहमानदारी :

हदीस : हुज़ूर पुर नूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम का इरशादे गिरामी है कि जो शख़्स मुसलमानों में से किसी यतीम को खिलाने, पिलाने के वास्ते अपने घर ले जाए, ख़ुदा उसे जन्नत में दाख़िल करेगा। जबकि उसने कोई गुनाह ना क़ाबिले मुआफी न किया हो। (तिर्मिज़ी, रहनुमाए शरीअत) **मसलन** गुस्ताख़े रसूल, या गुस्ताख़े सहाबा न हुआ हो।

जिसने रखा मेहरबानी से यतीमों का ख़्याल
मेहरबां हो जाएगा उस पर ख़ुदाए ज़ुलजलाल

दावत व तहाइफ़ : आज के मुआशरे में (ख़ुसूसन मफ़ाद परस्त लोग) ग़रीब, मिस्कीन, मुसलमान को न दावत में याद करते हैं और न तोहफ़े तहाइफ़ में। कि दावत में अमीरों, अफ़्सरों को ही मदऊ (बुलाना) किया जाता है जबकि उमरा (अमीर) एक से एक ऊंची शय दावत वग़ैरह के अलावा भी अपने मकान पर रोज़ मर्रा खाते रहते हैं।

इसी तरह आला से आला तहाइफ़ भी उन्हीं उमरा को पेश करते रहते हैं। जबकि इन उमराओं की नज़र में इन बेश क़ीमत तहाइफ़ की कोई क़द्र नहीं होती। और वह एक तरफ डाल दिए जाते हैं। कि कमरे में सोफ़ा या क़ालीन के सिवा कुछ देखना पसन्द नहीं करते।

पेट भरों को खिला कर या उमरा को तोहफ़े देकर उन से अच्छी

दुआएं मिलने की उम्मीद, बांझ से औलाद मांगने के सिवा और क्या है। अगर उन्होंने दुआएं दीं भी तो वह भी फ़ैशन ऐबल ही होंगी। उनकी दुआओं से एक मिसाल। शेअर –

धकेल कर मुझे अन्धे कुएं में, दी यह दुआ
क्या सिपुर्दे खुदा खुश रहो, जहां भी रहो

उमरा और वज़रा से रिश्ता न होने पर भी दावत करके तोहफ़े, तहाइफ़ देकर मफ़ाद परस्त रिश्ता क़ाइम कर लेते हैं। और ग़रीब, मिस्कीन रिश्तेदार की दावत करना तो बड़ी बात है। दावत कुबूल भी नहीं करते। बल्कि अपने क़रीब भी नहीं आने देते। अब ऐसी भयानक रौशनी का दौर आ गया है कि अपने ग़रीब भाई या बाप को भाई या बाप तस्लीम करने से भी गुरेज़ करते हैं –

हो जाते हैं रिश्तेदार, जब कुछ पास होता है
टूट जाता है ग़रीबी में, जो रिश्ता ख़ास होता है

इमामे अह्ले सुन्नत के दो क़ौल : इस जगह इमाम अह्ले सुन्नत आला हज़रत अज़ीमुल-बरकत मौलाना अश्शाह अहमद रज़ा ख़ाँ फ़ाज़िले बरैलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह के दो क़ौल पेश किए जाते हैं।

क़ौल १ : "ज़िनहार। ज़िनहार ऐसा न करें कि खाते, पीतों को बुलाएं। मुहताजों को छोड़ें। कि ज़्यादा मुस्तहिक़ (हक़्दार) वही हैं। और उन्हें उसकी हाजत है। तो इनका छोड़ना! उन्हें ईज़ा (तक्लीफ़) देना, और दिल दुखाना है।

आह दिल से जो निकाली जाएगी
क्या समझते हो कि खाली जाएगी?

मुसलमानों की दिल शिकनी मआज़ल्लाह वह बलाए अज़ीम है कि सारे अमल को खाक करे देगी। ऐसे खाने को हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने सबसे बदतर खाना फरमाया कि पेट भरे बुलाए जाएं। जिन्हें परवाह नहीं, और भूखे छोड़ दिए जाएं जो आना चाहते हैं।"

(हज़रत अबू हुरैरह मुस्लिम शरीफ़) और फरमाया है कि तुम लोग दावत करने में भी गुनाह का काम करते हो –

होती अमीर अंजाम पर कुछ भी अगर उनको नज़र
आँखों से जाते दौड़ कर हाजत रवा साइल के पास

क़ौल २ : फुक़रा जब आएं उनकी मदारात व ख़ातिर दारी में कोशिश जमील करें। अपना एहसान उन पर न रखें बल्कि आने में उनका एहसान अपने ऊपर जानें कि वह अपना रिज़्क़ खाते और तुम्हारे गुनाह मिटाते हैं।

उठाने, बिठाने, बुलाने, खिलाने, ग़रज़ कि किसी बात में बर्ताव ऐसा न करें जिससे उनकी दिल शिक्नी हो। कि एहसान रखने, ईज़ा देने से सदक़ा बिल्कुल अकारत जाता है। (मौलाना अहमद रज़ा ख़ाँ।)

(रादुल-क़हत "फ़ज़ाइल सदक़ा व ख़ैरात")।

इस पर खुद मुजद्दिदे वक़्त ने ज़िन्दगी भर अमल फरमाया। बल्कि इंतिक़ाल से चन्द घन्टे क़ब्ल वसीयत में भी आपने अपने बरादर ज़ादे को लिखवाया कि मेरी फ़ातिहा का खाना दिल पर जबरिया न करें। अगर फ़ातिहा दिलानी हो तो खुश दिली से दिलाई जाए, दिल तंग न हो। अगर अल्लाह तआला तौफ़ीक़ दे तो यह खाने हों तो बेहतर है।

आला अक़्साम (तरह) के खाने लिखवा कर बार-बार ताकीद फरमाई कि ग़ुरबा, मसाकीन को ही खिलाए जाएं। और उनको बड़े एजाज़ व इकराम से बिठाएं, खिलाएं कि –

अयां था इस जगह हुस्ने अमल भी, हुस्ने नीयत भी
अदब भी, इल्म भी, इख़्लास भी, और आदमीयत भी

हज़रत लूत अलैहिस्सलाम : यूं तो मेहमान की ख़ातिर अंबिया-ए-किराम और औलिया-ए-किराम ने करके क़्यामत तक के लिए मिसाल क़ाइम फरमाई। मगर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने फ़रिश्तों की आमद पर मेहमान की खातिर बछड़े को ज़बह फरमा कर क़्यामत तक के लोगों को बताया कि मेहमान से बेग़ैर दरयाफ़्त (पूछे) किए ही मेहमानी की तैयारी आला मेहमानदारी है। यह अलग बात है कि उस बछड़े का सही मसरफ़ (ख़र्च) व इस्तेमाल भी यही था। वरना चन्द घन्टे बाद अज़ाबे इलाही का शिकार होता। इस तरह बछड़े को अज़ाब से भी बचा लिया। और फ़रिश्तों के इम्तिहान में भी कामयाबी हासिल की। साथ ही हक़्क़े मेहमानी का सबक़ भी दिया। चूंकि शरीअते इस्लाम के अहकाम का इतलाक़ (लागू) ज़ाहिर पर होता है लिहाज़ा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का यह अमल भी दुरुस्त, चूंकि फ़रिश्ते इंसानी शक्ल में आए। और फ़रिश्तों का फ़ेअल भी हक़ की जिस मंसब व मक़्सद के लिए फ़रिश्तों का आना था कि उनको

नौ उम्र ख़ूबसूरत पा कर ही क़ौम उनकी तरफ बढ़ती और अपने लिए अज़ाब मुसल्लत करती। ग़रज़ कि उस मेहमानी में, और मेज़वानी में और भी बहुत सी हिक्मतें हैं।

हदीस : सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अबू शुरैह काबी रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्ललल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि "जो शख़्स अल्लाह तआला और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है वह मेहमान का इकराम (इज़्ज़त) करे। एक दिन रात उसका इकराम जाइज़ है। ज़्याफ़त तीन दिन है। (यानी एक दिन के बाद मा हज़्र पेश करे) और तीन दिन के बाद सदक़ा है। मेहमान के लिए यह हलाल नहीं कि उसके यहाँ ठहरा रहे और उसको हरज में डाल दे।"

और यूं भी कि ज़रबुल-मसल (कहावत) है "मेहमानी और मछली चन्द रोज़ बाद बू देने लगती है।"

अयादत व शादी में मेहमान की एहतियातें : सफर में जब किसी के यहां मेहमान बना जाए तब मेज़बान व अह्ले खाना पर बार या बोझ न बने। उसका हाथ बटाया जाए कि –

कोई सच्चा दोस्त है, कोई पक्का दोस्त है
हां मुसीबत में जो काम आए वह सच्चा दोस्त है

अक्सर ऐसा होता है कि बीमार की तीमारदारी (मरीज़ की ख़िदमत) में मस्रूफ़ियत की वजह से घर के रोज़ मर्रा के काम रह जाते हैं। उसी मस्रूफ़ियत की वजह से बच्चे और बच्चों के कपड़े ज़्यादा मुतअस्सिर होते हैं। आज के तरक़्क़ियाती दौर में हक़ीक़ी मां, बाप, भाई, बहन की अयादत में आने वाले मर्द व औरत ऐसे आते हैं जैसे शादी विवाह में अक्सर औरतें साड़ी और मर्द हज़रात सूट पहन कर सज धज के आते हैं।

यह बीमारी! बीमार की अयादत में ही नहीं बल्कि ताज़ियत तक में पाई जाती है। मैय्यत की तदफ़ीन से पहले ग़मी के घर वालों का पान, छालिया, सिग्रेट, चाय़ वग़ैरह का इंतिज़ाम भी तरक़्क़ियात में शामिल है। बल्कि भत्ता की रोटी में चटखारों के अलावा दीगर ग़ैर मस्नून बहुत से ज़रे कसीर इख़राजात (ख़र्च) शामिल हो गए हैं। जबकि मैय्यत का घर इलाज व मुआलेजा में ही तबाह हो गया होता है।

इसी तरह शादी में लड़के वाला बरी और मकान की मरम्मत और कमरे की तैयारी वग़ैरह में। और लड़की वाला जहेज़ और पहनौनियों की तैयारी

के बोझ से ही दब कर कुचला जा चुका होता है। ऊपर से मेहमान एक और एक ग्यारह का सुबूत देने यानी ख़र्च या काम में हाथ बटाने के बजाए मेज़बान की माली, जिस्मानी, ज़ेहनी परेशानियों में मज़ीद इज़ाफ़ा का सबब बनते हैं।

आज कल के दोस्त हैं गोया कि हैं काग़ज़ के फूल
देखने में खुशनुमा, बूए वफ़ा कुछ भी नहीं!

नौजवान मेहमान! जिन पर सबको फ़ख़्र होना चाहिए कि नया ख़ून है घन्टों का काम मिन्टों में करेंगे। उनसे बेतकल्लुफ़ काम ले सकेंगे। वह भी बड़ों की तरह थ्री पीस सूट में कसे हुए नज़र आते हैं। उनके वक़्त का बड़ा हिस्सा नौजवान लड़कियों में गुज़रता है। इन से ऐसे माहौल में काम को कहना उनके रूमानी तार अंकबूत (मकड़ी) पर बिजली गिराने के मुतरादिफ़ (तरह) है। और खुसूसन उस वक़्त जबकि वह अपनी पसन्द की सीना बाज़ू, गर्दन, कमर नंगी और बक़िया जिस्म बारीक कपड़ों में कसी हुई नीम उरियां लड़की को पोलका या आइसक्रीम ख़िलाने या सैर व तफ़रीह कराने का प्रोग्राम बना चुके हों या मेज़बान के मकान की छत से ही जवान लड़कियों के झुरमुट में दूसरों के घरों की नज़ारह बाज़ी में मसरूफ़ हों –

पराई बीवियाँ ला रैब सारी माएं, बहनें हैं
हमारा दीन उनकी इज़्ज़त व हुर्मत सिखाता है

नसीहत

यह चार दिन की चाँदनी रातें कहाँ नसीब
ज़िक्रे खुदा का लुत्फ़ उठाओ शबाब में
होते हैं सब कुबूल खुदा के हुज़ूर वह
जो सज्दा-ए-ख़ुलूस अदा हो शबाब में

याद रखें ! मेहमान! मेज़बान के मकान की गैलरी या छत पर से किसी के घर पर न झांके कि ख़ुदा मालूम वह अपने घरों में किसी हालत में हों। कि जबकि पार्को, बाज़ारों में नौजवान लड़कियाँ तक़रीबन उरियाँ लिबास में होती हैं तो वह अपने घर की चार दीवारी में किस-किस हालत में होंगी ?

क्या क्या न किया खुद को छुपाने के वास्ते
उरियानियों को ओढ़ लिया शाल की तरह

और अभी मज़ीद हुकूक़ की जंग लड़ी जा रही है। हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम का इरशादे गिरामी है कि अपने घर में भी दस्तक दे कर आओ अगरचे घर में उसकी बीवी ही हो एक सहाबी ने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह मेरी मां ज़ईफ़ (बूढ़ी) है और मकान में हम दो ही रहते हैं। और मैं ही उनकी ख़िदमत करता हूँ तो क्या मैं भी दस्तक देकर मकान में दाख़िल हूँ? फरमाया! हां, जब वह इजाज़त दें तब ही मकान में दाख़िल हो। क्या तुम इसको पसन्द करते हो कि तुम्हारी मां के जिस्म से कपड़ा हटा हो और तुम उसकी सतर देखो? अर्ज़ की नहीं।"

खुदा महफूज़ रखे हर बला से
खुसूसन नंगे फ़ैशन की वबा से

सतरे औरत : मर्द की सतरे औरत यानी जिस्म का वह हिस्सा जिसका छुपाना फ़र्ज़ है। वह घुटने से नाफ तक का हिस्सा है। उसको शर्मगाह भी कहते हैं। और औरत सर के बाल से पैर तक सतरे औरत है। अल्बत्ता मुँह की टिकली और हाथों की दोनों हथेलियाँ, पैरों के दोनों तलुओं का छुपाना फर्ज़ नहीं। मगर पर्दे की इहतियात उन पर भी चाहिए।

हुकूक़े ख़्वातीन : अंजुमन हुकूक़े ख़्वातीन का मज़ीद बेपर्दगी के इख़्तियारात हासिल करने के सिलसिला में जवाज़ के दलाइल में तरक़्क़ी याफ़्ता ग़ैर मुस्लिम मुल्कों में ख़्वातीन की तरक़्क़ियों को दलील में पेश करना। और यह कि मर्द हज़रात कुश्ती और दीगर कई खेलों के दौरान रानें खुली रखते हैं जबकि उनको भी इस्लाम में पर्दा का हुक्म है।

यह दलील मज्मा से ताईद में तालियों की गूंज तो हासिल कर सकती है। मगर इसको जवाज़ के लिए दलील कोई ज़ी अक़्ल नहीं तस्लीम करेगा कि इस तरह तो हिन्दुस्तान का साबिक़ वज़ीरे आज़म (भूतपूर्व प्रधानमंत्री) मुरार जी देसाई पेशाब पीता भी है और जिस्म पर भी मलता है। क्या ख़्वातीन उस वक़्त भी खुद पेशाब पीने और मलने पर यही जवाज़ देना और दलील पेश करना पसन्द करेंगी? कि वह हिन्दुस्तान में हिन्दू मुस्लिम दोनों क़ौमों का सरबराह, लीडर और मर्द होकर ऐसा करता है। लिहाज़ा हमें भी............**याद रहे!** जो काम बुरा है वह बुरा ही कहा जाएगा। ख़्वाह मर्द करें या औरतें।

पान थूकना : मेहमान को लाज़िम है कि मेज़बान के घर की दीवारों पर हरगिज़ पान की पिचकारी न मारे कि इससे मेज़बान को ज़ेहनी तक्लीफ़ देना है बल्कि हर देखने वाले को यह पिचकारी घिन और कराहत लाएगी। इन पिचकारियों का मेहमानी के दौरान ही नहीं बल्कि हर जगह और हर महफ़िल में ख़ास ख़्याल रखना चाहिए। ख़ुसूसन ख़्वातीन को। और नस्वार (सूंघने का पिसा हुआ तम्बाकू) मुँह में दबाने वाले हज़रात को। नस्वार की पिच्कारियाँ न किसी के घर पर, न मीटिंग के दौरान, और न रेल गाड़ी या बस में मारनी चाहिए।

मेज़बान किसी दूसरे शख़्स के ज़रिया मेहमान को इस तरह के थूकने से रोके। अल्बत्ता लाग़र, ज़ईफ़, (बूढ़े) कमज़ोर बीमार मेहमान को न टोका जाए। और मेहमानी के दौरान न फ़ुक़रा को कि वह दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत पर थूकते हैं।

दामने तहज़ीब पर धब्बा न आ जाए कहीं
पान खा कर थूकना भी हर जगह अच्छा नहीं

और इस तरह की भी ज़्यादती किसी तरह मुनासिब नहीं कि जिस शख़्स की असल मेहमानी मक़्सूद होती है वह तकल्लुफ़ करने में ही वक़्त पास करता है। और उसके साथ आए हुए या उस वक़्त जो किसी न किसी तरह मेहमान के साथ बैठता है वह दस्तरख़्वान पर एक नज़र में ही ख़ुसूसी प्लेट को मुन्तख़ब करके बड़ी सफ़ाई से उसको अपनी जानिब कर लेता है। और इसी क़िस्म की दूसरी प्लेट को भी नज़र में रखता है। कभी किसी मस्लेहत की ग़रज़ से वह ख़ुसूसी प्लेट अपने आगे न भी करे तब अपनी जगह से ही हाथ बढ़ा कर मेहमाने ख़ुसूसी के आगे से खाता है। और वह इस अमल में डबल फ़ाइदा समझता है। कि इस तरह प्लेट भी साफ़ कर दी और देखने में खाने वाले के आगे प्लेट भी नहीं।

दाल रोटी मिले ग़नीमत है
कौन खाता है गोश्त मुर्ग़ी का

अहकामे मेज़बानी

तवाज़ु का तरीक़ा मेज़बां! सीखे सुराही से
कि जारी फ़ैज़ भी है और झुकी जाती है गर्दन भी

एक दो घन्टे वाले मेहमान अक्सर, और एक दो दिन वाले मेहमान साल में कभी-कभी हफ़्तों और दो चार माह के लिए बनने वाले मेहमान ज़िन्दगी में इत्तिफ़ाक़ से ही बनते हैं। और जो आज मेज़बानी के फराइज़ व सआदत से मुशर्रफ़ हो रहा है। उसके बरअक्स यही मेज़बान उन मेहमानों के हां मेहमान बन कर मेज़बानी का मौक़ा देता है। और यही अज़ल से ज़िन्दगी का दस्तूर व निज़ाम चला आ रहा है।

कभी दामन पकड़ते हैं कभी पाँव में पड़ते हैं
कोई मेहमां नवाज़ी सीख ले ख़ारे बयाबाँ से

अल्बत्ता इस्लाम ने इस सिलसिला में कुछ उसूल मुसलमानों को इनायत किए हैं। जो हर एतबार से उम्दा और बेहतर हैं। चुनांचे चन्द घन्टों वाले मेहमान से हम तन ताज़ीम व ख़ातिरदारी और आला अख़्लाक़ से पेश आना चाहिए। और हो सके तो उसकी मुश्किलात को आसान करें और रुख़्सत के वक़्त चन्द क़दम भी उसके साथ चले। मेहमान अगर एक दिन, रात का है तब शब की तमाम सहूलतें मुहैया करे। उसे क़िब्ला रुख़ और तहारत की जगह बताए। अपने क़ीमती वक़्त से उसकी दिल्जोई और ख़ातिरदारी में कोई कमी न करे। पुर तकल्लुफ़ खाने ख़ास उस मेहमान की ख़ातिर पकवाए (तैयार कराए) रोज़ मर्रा की बनिस्बत दस्तरख़्वान पर उस्अत पैदा करे। उनके मिजाज़ और तबीअत के खाने तैयार कराए। और अगर मेहमान तीन दिन या तीन दिन से ज़्यादा रहे तब अपनी हैसियत के मुताबिक़ ख़ातिरदारी यानी जो रोज़ मर्रा का मामूल हो जिसको दावते शीराज़ी भी कहते हैं करे मेहमान को देख कर पेशानी पर किसी क़िस्म के बिल, या शिकन न लाए। दिल में तंगी महसूस न करे।

याद रहे कि दावत नाम व नुमूद, (शान व शौकत) तफ़ाख़ुर (घमण्ड) के तौर पर हरगिज़ की जाए। कि सख़्त गुनाह है। और न ही मेहमान की

दावत पर इतना फ़ैय्याज़ हो जाए कि अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी को भी भूल जाए। और सबको कुछ उन पर ही कुरबान कर दे –

हर अमल में हद से बढ़ना और गिरना है वबाल
बेहतरी है जिसमें पिन्हां वह फ़क़त है एतदाल

इमाम ग़ज़ाली का इरशाद : अगर कोई मेहमान ख़ुद आए तो कुछ तकल्लुफ़ न करे। और अगर कोई तेरे बुलाने से आए तो कुछ उठा न रखे। यानी जो तकल्लुफ़ तुझसे हो सके करे। और ज़्याफ़त की बड़ी फ़ज़ीलत है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया "जो मेहमानदार नहीं उसमें ख़ैर नहीं।" और फरमाया (बेतकल्लुफ़ दोस्त) "मेहमान के वास्ते तकल्लुफ़ न करो।" क्योंकि जब तकल्लुफ़ करोगे तो उसके साथ दुश्मनी रखोगे। और जो शख़्स मेहमान से दुश्मनी रखता है। वह ख़ुदा के साथ दुश्मनी रखता है। ख़ुदा उसके साथ दुश्मनी रखता है। अगर कोई ग़रीब मेहमान आ पहुंचे तो उसके लिए क़र्ज़ लेकर तकल्लुफ़ करना दुरुस्त है। लेकिन दोस्तों के लिए जो एक दूसरे की मुलाक़ात को जाते हैं। तकल्लुफ़ न करना चाहिए। कि तकल्लुफ़ करते-करते मुहब्बत ही जाती रहेगी।

हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मेहमानदारी : हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेहमान को ढूंढने एक मील जाते। जब तक मेहमान न मिलता, खाना न खाते। उनके सिद्क़ व ख़ुलूस की बरकत से आज तक इनके मुशहिद में रस्म ज़्याफ़त बाक़ी है। हत्ता कि कोई रात मेहमान से ख़ाली नहीं जाती। और कभी सौ, दो सौ मेहमान आ रहते हैं। बहुत से गाँव इस मक़सद के लिए वक़्फ़ हैं। **(कीमियाए सआदत)**

मेहमान की तक्रीम : दावत ख़ास हो या आम मेज़बान! मेहमानों का इस्तिक़्बाल करे। और तवाज़ु से पेश आए और एजाज़ व इकराम से बिठाए। यह एजाज़ व इकराम फ़ुक़रा व मसाकीन के साथ भी हो। अल्बत्ता उलमा व मशाइख़ तक्रीम के ज़्यादा हक़्दार हैं। मेज़बान! मेहमानों की आमद पर अपनी ख़ुश क़िस्मती जाने। दिल में बारी तआला का शुक्र अदा करे कि उसने यह दिन दिखाए। यह उस्अत व सआदत बख़्शी।

ख़ातिरदारी के अलावा जहाँ तक हो सके मेज़बान दिल ख़ुश कुन बातें करे। बीवी, बच्चों, अज़ीज़, रिश्तादारों, व नीज़ ज़रिया-ए-मआश कारोबार वग़ैरह की ख़ैरियत मालूम करे। और जो बातें मेहमान को नागवार और

गिराँ गुज़रें उनसे परहेज़ चाहिए, जहाँ तक हो सके दीनी, इस्लाही बातें करे। पुरानी तल्खियों (कड़वाहट) और रंजिशों को ज़ेरे बहस न लाए। मेहमानों की आमद और ख़ातिरदारी पर तमअ, लालच, और यह आरज़ू, उम्मीद भी न रखे कि जब मैं इनका मेहमान बनूँगा तब मेरी भी इसी तरह की ख़ातिरदारी होगी। मेहमान अगर इतने हों कि एक ही महफ़िल में खिलाए जा सकें। तब मेज़बान बतक़ज़-ए-मुहब्बत उनके हमराह ही बैठे। और अगर ज़्यादा हों तब आख़िर में बैठे। अल्बत्ता मेहमानों के साथ ऐसा शख़्स न बिठाया जाए जिसका बैठना मेहमानों में से किसी को नागवार गुज़रे। मसलन जुज़ामी या बरस (सफ़दे दाग़) वाला या ऐसे छोटे बच्चे जिनकी नाक बहती हो या जिस्म बेग़ैर धुला हो या कपड़े गन्दे हों –

हम फ़कीरों को न तुम समझो हक़ीर
कपड़े मैले हैं मगर दिल सांफ हैं

और न अपने ऐसे बच्चों को उनके साथ बिठाए जो ऐसे मौक़ों से पूरा-पूरा फाइदा उठाते हैं कि मेहमान तो तकल्लुफ़ की रस्म अदा करता रह जाता है और वह बच्चे मेहमान के साथ लग कर खुद ही जल्दी-जल्दी ख़ास-ख़ास अशिया खा कर मेहमान को खाने से महरूम रखते हैं। और मेज़बान! मेहमानों की ख़ातिरदारी में ख़ुद भी मस्रूफ़ रहे। उनकी निगहदाश्त, (देख-भाल) ख़िदमत में लगा रहे। और मेहमानों को खाने पर इसरार भी करता रहे। यह इसरार सब पर यक्सां हो –

मिसरा :–

तवाजु से जो पेश आता है उसकी धूम होती है

खाते वक़्त ख़ुश तबई, मिठास, फल, फ्रूट से बेहतर है। अल्बत्ता ऐसी ख़ुश तबई न चाहिए जिससे किसी मुसलमान की दिल शिक्नी या हिजो (बुराई) हो। मेज़बान! मेहमान से पहले दस्तरख़्वान से न उठे। कि इस तरह मेहमान भी भूखा दस्तरख़्वान से उठ सकता है। मेज़बान घर पर क़याम करने वाले मेहमानों का पूरा-पूरा ख़्याल रखे कि –

पनाहें दूसरों को देने वाले ख़ुद नहीं सोते

कीमिया-ए-सआदत में इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि "साहिबे खाना अगर मेहमानों का हुक्म बजा लाने पर दिल से राज़ी हो तो मेहमान से पूछे कि तुम क्या चाहते हो। और किस चीज़ की आरज़ू करते हो। इसलिए कि जो उनकी आरज़ू बर लाने में कोशिश

व मुस्तएदी करता है। हज़ार-हज़ार नेकियाँ उसके आमाल नामा में लिखी जाती हैं। और हज़ार-हज़ार बुराइयाँ उसके आमाल नामा से मिटाई जाती हैं। और हज़ार-हज़ार दरजे बुलन्द किए जाते हैं। और तीन जन्नतों में से उसे हिस्सा देते हैं। एक फ़िरदौस, दूसरी अदन, तीसरी खुल्द" लेकिन मेहमान से यह पूछना कि फलानी चीज़ लाऊँ या न लाऊँ मक्रूह और बुरा है। बल्कि जो कुछ भी मौजूद है ले आए। अगर मेहमान न खाए तो ले जाए।

मेज़बान! उनके अगले प्रोग्रामों को आसान बनाए। ऐसे मेहमानों में अगर जवान लड़कियाँ भी हों तब अपने जवान लड़कों पर नज़र रखे। उनसे बेतकल्लुफ़ न होने दे।

हमारा दीन इनकी इज़्ज़त व हुरमत सिखाता है

इसी तरह मेहमान या उनके साथ नौ उम्र लड़के हों तो अपनी लड़कियों, बहुओं को बेतकल्लुफ़ी से बचाए। शब के आराम में आग और फूंस को न मिलने दे। वक़्त का तक़ाज़ा तो यह है कि नौजवानों से कमसिन नौ उम्र लड़कों को भी जुदा रखा जाए। कि बाज़ वबाई मर्ज़ उड़ कर भी लगता है। अल्लाह तआला अपने महबूबे मुंकर्रम के सदक़े व तुफ़ैल से मुसलमानों को जिस्मानी व रूहानी अमराज़ से महफ़ूज़ फ़रमाए।

हुस्न की इक-इक अदा पर जान व दिल सदक़ा मगर
लुत्फ़ कुछ दामन बचा कर ही निकल जाने में है

और यह कि मेज़बान! मेज़बानी के दौरान घर के अफ़राद या मुलाज़ेमीन पर नाराज़ भी न हो। कि मेहमान का दिल बहुत हस्सास होता है। इसी तरह अपनी तंगदस्ती का यूं तो किसी के भी सामने ब्यान न करना चाहिए। खुसूसन मेहमानों के सामने कि उनकी मेहमानी के पेशे नज़र भी मुनासिब नहीं। और यह कि किसी के सामने तंगदस्ती का तज़्किरा करना भी अपने रब्बे करीम का शिक्वा करना है। तंगदस्ती के अस्बाब से परहेज़ करे। शिक्वा ख़ुद तंगदस्ती का सबब है। और यूं भी कि दूसरों के सामने ख़ुद का भरम जाता रहता है ख़ुसूसन वह रिश्तादार जो हासिद हों, या ऐब तलाश करने में कोशां रहते हों उन से अशद परहेज़ चाहिए। ऐसे लोगों को ख़ुश होने या मज़ाक़ उड़ाने का मौक़ा न दिया जाए —

आ रही है चाहे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से सदा
दोस्त यां थोड़े हैं और भाई बहुत

और अगर ख़ुद को अपने मालिके हक़ीक़ी से अर्ज़ करने के क़ाबिल न जानता हो। या दुआएं बे असर हों तो अल्लाह तआला के महबूबों को वसीला बना कर अपने हक़ीक़ी मालिक व मुख़्तार से राब्ता व उम्मीद रखे।

बख़्श देगा देने वाला दो जहाँ की नेअमतें
माँगने वाले तुझे उनका वसीला चाहिए

तंगदस्ती के अस्बाब सुन्नी बहिश्ती ज़ेवर, जन्नती ज़ेवर और बहारे शरीअत में मुताला करें।

हदीस : इब्ने माजा ने अबू हुरैरह रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फरमाया "सुन्नत यह है कि मेहमान को दरवाज़े तक रुख़्सत करने जाए। इस हदीसे पाक पर बुज़ुर्गाने दीन इस तरह अमल फरमाते हैं कि अगर मेहमान चन्द हैं तो उनको गली के बाहर भी कुछ दूर तक रुख़्सत करने आते हैं। (ताकि राहगीर किसी बदगुमानी का शिकार न हों यह इहतियात शब में बहुत ज़रूरी है।) अगर मेहमान कसीर तादाद में होते हैं तब दरवाज़े के बाहर ही उनको रुख़्सत करते हुए ख़न्दा पेशानी से उनकी आमद का शक्रिया अदा करते हैं और सलाम का जवाब व ख़ुदा हाफ़िज़ वग़ैरह कहते हैं।

मेहमान को पाँच बातें ज़रूरी हैं

सुन्नत ३१ : मेहमान को पाँच बातें ज़रूरी हैं।

(१) मेहमान को जहाँ बिठाया जाए वहीं बैठ जाए।

(२) जो कुछ उसको पेश किया जाए उस पर ख़ुश हो।

(३) कोई ऐसी हरकत न करे जिससे मेज़बान को तक्लीफ़ हो।

(४) मेज़बान की बेग़ैर इजाज़त मेहमान न उठे।

(५) जब रुख़्सत हो तो साहिबे ख़ाना के हक़ में दुआ करे।

दुआ :

(१) अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत्अम्ना व सक़ाना व जअलना मिनल-मुस्लेमीन।

(२) अल्लाहुम्मा अत्इम्मन अत्अम्नी वस्क़ि मन सक़ानी।

अव्वल दुआ अपने घर खाने से फ़ारिग़ होने पर पढ़ी जाए। और अगर कहीं मेहमान हो तब खाने से फारिग़ होने पर यह दूसरी दुआ भी पढ़ी जाए।

चूंकि अहकाम मेज़बान और मेहमान की तक्रीम पर मेज़बान किसी की दावत करे और किस शख़्स की नहीं यह सुन्नत नम्बर २६ और सुन्नत ३० में तहरीर किए जा चुके। यहाँ भी इसके चन्द अहकामात तहरीर किए जाएंगे और यह कि किस दावत में जाना चाहिए और किस में नहीं। मगर इनसे पहले ज़रूरी समझता हूँ कि मुआशरे की चन्द तक़रीबात में दावते तआम के रवाज पर रौशनी भी डाली जाए ताकि अहकामात समझने में आसानी हो। कि खाने पीने की दावत में मेज़बान और मेहमान के क्या क्या तरीक़े ग़लत और क्या दुरुस्त हैं। और सुन्नत ३१ की पाँचों बातों को अक्सर मेहमान किस तरह नज़र अन्दाज़ करते हैं –

जिधर आँखें उठाते हैं अंधेरा ही अंधेरा है

मेज़बान! शादी या दीगर खाने की तक़रीबात में बेहूदगियों को जमा न करे

मेज़बान! रस्मे बिस्मिल्लाह – रस्मे नश्रह – सालगिरह – रस्मे मंगनी – रस्मे उबटन रस्मे मेंहदी – रत जगाह – रस्मे शादी – और दावते वलीमा वग़ैरह की तक़रीबात में बेहूदगियों को जमा न करे। कि तन्हा गुनाह किए की सज़ा या अज़ाब को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता न कि इज्तिमाई गुनाह का बोझ कि जिस क़दर अफ़राद इस गुनाह में शरीक होंगे उनको तो सज़ा मिलेगी ही। मगर उन सब के बराबर शरीक करने वाले यानी इस तक़रीब का बानी अज़ाब का मुस्तहिक़ (हक़दार) होगा।

यह माना कि शादी विवाह, मंगनी, मेंहदी जैसी तक़रीबात में अक्सर वह हज़रात जिनके पास अचानक दौलत ख़्वाह किसी भी ज़रिया से आई हो नित नई बेहूदगियों का मुज़ाहरा करते हैं।

खानदानी दौलतमन्द की आमदनी व ख़र्च चूंकि मुक़र्रर हो चुका होता है। और यह कि दौलत की ख़ज़ाँ, बहार भी वह देख चुका होता है। जब कि नई दौलत की आमद अक्सर अचानक और झपटे या झटके की होती है। जिसकी वजह से शैतान की पैदा करदा आरज़ुओं को जल्द तक्मील या खानदानी दौलतमन्दों के बराबर बैठने की हवस क़दम, क़दम पर बेहूदगियाँ रूनुमा कराती है। अल्बत्ता कुछ ऐसे अफ़राद भी मुआशरे में ज़रूर होते हैं जिनकी मिसाल "रहते झोंपड़ी में हैं और ख़्वाब शीश महल के देखते हैं।" और अपनी शेख़ी और छिछोरा पन से मुआशरे के शुरफ़ा को नीचा दिखाते हैं। ख़्वाह किसी से क़र्ज़ लेकर ही ऐसी तक़रीबात रचाएं, मनाएं। चाहे इस बेहूदा तक़रीब के बाद कितना ही फ़िक्रमन्द या ज़लील ही होना पड़े परवाह नहीं करते। शायद परवाह इस वजह से न करते हों कि यह उनकी आदत, व फ़ितरत बन चुकी होती है। इस मौक़ा की मुनासिबत से किसी साहब ने क्या ख़ूब शेअर कहा है।

नेक फल पाता है वह हर वक़्त जो नेकी करे
फ़ैसला है आदमी जैसी करे वैसी भरे

तफ़ाख़ुर की दावत के मुतअल्लिक़ : वलीमा की दावत पर बाज़ हज़रात तफ़ाख़ुर (घमण्ड करना) के तौर पर दावत में अजीब-अजबी, तराश, ख़राश पैदा करके ख़ास कर लड़की वाले को नीचा दिखाने की ग़रज़ से, और उसके अज़ीज़ अक़रेबा पर मस्नूई (बनावटी) रुअब डालना पसन्द करते हैं। "मगर जिसे अल्लाह तआला इज़्ज़त दे।"

ऐसे हज़रात की दावत में कोई बुनियादी ऐसी ख़राबी पैदा होती है कि लाख मक्खन पालिश के बावजूद भी ख़राबी, अच्छाई में तब्दील नहीं होती। और ज़िल्लत व रुसवाई मज़ीद। और यूं भी कि ग़लत काम का ग़लत अंजाम होता है। दरासल जो हज़रात माद्दी ताक़त को अपनी इज़्ज़त का सर चश्मा समझते हैं। और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की ज़ात बाबरकात को इज़्ज़त व ज़िल्लत का मालिक नहीं जानते, नहीं मानते। अल्लाह तआला ऐसे हज़रात को बार-बार बतौर तंबीह के ठोकर खिला कर हुज्जत तमाम करता है। कि अब संभल जाएं।

इत्तिफ़ाक़ की बात यह है कि ऐसों के ऐसे ही मुशीर भी होते हैं। कि सादा दावत हो तो फिर घी के खाली कनस्तर में मुर्ग़ी की रानें भर कर मुशीर हज़रात कूड़ा या कचरा फेकवाने के बहाने अपने घर कैसे भेज सकते हैं? और दीगर ख़ुशामदी पानी के जगों में सालन वग़ैरह भर कर क्योंकर ले जाने की तक्लीफ़ कर सकते हैं। और आजकल तो प्लास्टिक की थैली ज़िन्दाबाद। ऐसी ही मेज़बानी और मेहमानी पर बुज़ुर्ग फरमाते हैं। कि अन्धे पैसें, कुत्ते खाएं।

नज़र जिसकी रहा करती है ग़ैरों के सहारे पर
वह इंसां ठोकरें खा कर भी मुश्किल से संभलता है

ग़रज़ कि सुन्नत समझ कर दावते तआम बेटी वाला करे या बेटे वाला। उस खाने में अल्लाह तबारक व तआला बरकत फरमाने के अलावा इज़्ज़त से भी नवाज़ता है। ख़ुसूसन ग़रीब, नादार, मुफ़्लिस, बेटी वाले पर अपना खास फ़ज़्ल फरमाता है।

हदीस : अबू दाऊद ने इक्रमा से रिवायत की है कि ऐसे दो शख़्स जो मुक़ाबला और तफ़ाख़ुर के तौर पर दावत करें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने उनके हां खाने से मना फरमाया।

सरमाया दार होना इस्लाम में ऐब नहीं है। और वह सरमाया जो सिर्फ़

दीन के लिए हो, और इस्लामी उसूलों की बुनियाद पर हासिल किया हो। फिर इस सरमाया की ख़ैर व बरकत या तैयब व ताहिर होने पर किया किसी को कलाम हो सकता है? अल्लाह तआला मुसलमानों को सैयदना उस्माने ग़नी सैयदना ज़ुबैर बिन अवाम, सैयदना इमामे आज़म, और सैयदना ग़ौसे आज़म रज़ि अल्लाहु तआला अन्हुम के ख़ज़ाने से दौलत अता फरमाए। और फिरऔन, नम्रूद, शद्दाद की दौलत से बचाए। आमीन। क्योंकि ऐसी दौलत इंसान से क्या कुछ नहीं कराती? उसका अदना करिश्मा यह होता है कि वह अपने से कम हैसियत वाले को हक़ीर, ज़लील और मुआशरे की गन्दगी का तसव्वुर दिल में जमाती और कम अज़ कम ऐसा शख़्स ऐसी दौलत से अगर कोई नेक तक़रीब भी करेगा। मसलन शादी में मुसलमानों को खाने की दावत भी देगा, तब भी कम अज़ क़म नाच, गाने, शराब नोशी वग़ैरह को भी शामिल कर लेगा। शराब अगरचे अपने मख़्सूस हम मुश्रिबों के लिए ही हो – मगर फेअल हराम तो है। और फिर यह कि इज्तिमाई गुनाह, (अल्लाह तआला की पनाह)।

शरीअते मुस्तफ़ा यानी इस्लाम के मुक़ाबिल होना और दावते तआम के बहाने दूसरे मुसलमानों को भी हराम हरकात में शामिल करके इस्लामी उसूलों का बाग़ी बनाना। ऐसी दौलत की क्या यह कम ख़राबी है? नहीं-नहीं जिसके दिल में इश्के मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम की शमा रौशन होगी वह ऐसी महफ़िलें न ख़ुद रचाएगा। और न उसमें शरीक होना पसन्द करेगा। अल्लाह तआला मुसलमानों को शैतानी चालों और जालों से महफ़ूज़ फरमाए, और अग़्निया (मालदारों) को सही मौक़ों पर दौलत ख़र्च करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन!

तमन्ना दर्दे दिल की हो तो कर ख़िदमत फ़क़ीरों की!
नहीं मिलता यह गौहर बादशाहों के ख़ज़ीनों में

हिकायत : इबरत व नतीजा के तौर पर एक वाक़या अर्ज़ है कि एक नए दौलतमन्द ने ऐसे ही दौलतमन्द से रिश्ता मांगा। हम मशरब होने की वजह से रिश्ता फौरन क़ुबूल कर लिया गया। और दोनों दौलतियों ने अपने-अपने इलाक़े में धूम धाम से शोर व ग़ुल शुरू कर दिया। हो सकता है कि ऐसे हज़रात दूसरों को तअज्जुब में मुब्तला करने की ग़रज़ से ऐसा करते हों कि हम और हमारे जैसों की लड़कियों, लड़कों की भी शादी हो सकती है। वरना इसके अलावा और क्या वजह हो सकती है? अगर शादी

या निकाह का एलान करना ही मक़सूद हो तो निकाह में लड़की का वकील व गवाह और मज्लिसी गवाह, ख़ुत्बा-ए-निकाह, और वलीमा क्या काफी नहीं? ग़रज़ कि किसी भी वजह से शोर व गुल करते हों मगर इसमें शक नहीं कि मुहल्ला और सौ सौ मकान दूर वालों का दिन का चैन, रात का सुकून तबाह किया जाता है। **लिहाज़ा** इन नए दौलतियों ने (शोर व गुल करके तमाम आबादी से) रत जगाह कराया। जब निकाह का दिन क़रीब आ गया तो लड़की वालों ने लड़के वालों को नीचा दिखाने की ग़रज़ से रंडियों व हिजड़ों और नौ उम्र लड़कों की जुदा-जुदा बुकिंग निकाह के दिन नाचने गाने के लिए करा दी। और बाजे, गाजे, डोम, मरासी, भांडों को भी मदऊ किया।

उधर लड़के वाले भी कुछ पतला मूतने वाले न थे। वह अपने तौर पर उससे भी कई गुना गुनाह के सामान साथ लाए और नाचने कूदने की कुछ कमी घर के अफ़राद ने शामिल हो कर दूर की। ग़रज़ कि आतिश बाज़ी की तरह दौलत में आग लगाई। जब रुख़्सती के वक़्त से भी दो चार घन्टे तजावुज़ हो गए तब रुख़्सती की तैयारी हुई। दूल्हा के बाप से राह में किसी ने दरयाफ़्त किया कि महर कितना रखा गया? तब बाप का दौलत का नशा उतर गया कि वह तमाम काम हुए जिससे नाक ऊंची रहे मगर निकाह तो हम भूल ही गए।

इसका साफ मतलब यह निकला कि ऐसे लोगों में लाज़िम काम सानवी (दूसरी) हैसियत के रह जाते हैं। और फुज़ूल व हराम काम लाज़िम व मल्ज़ूम (एक दूसरे के मुतअल्लिक़) यही सबब है कि अल्लाह और उसके महबूबे आज़म ने तमाम बेहूदगियों से रोका और ऐसी दावत में शामिल होने को भी मना फरमाया –

न वह मस्लक, वह अक़ीदा, न वह जुहद व तक़्वा
अब वह अगले से मुसलमान, वह इस्लाम कहाँ?

याद रहे कि इस क़िस्म की बेहूदगियों से सिर्फ़ यही नुक़्सान नहीं कि निकाह पढ़ाना भूल जाते हैं। बल्कि अलल-एलान गुनाह और गुनाह पर जुरअत व दिलेरी और दूसरे इस्लामी भाईयों को भी दावते गुनाह देना। दुनिया व आख़िरत में अज़ाबे अलीम को दावत देना है। और यह कि ऐसी बेहूदगियों का नतीजा कभी बरातियों की छत बिठाती है। तो कभी राह में लड़की इग़वा (अपहरण) कराती है। और कभी क़ज़्ज़ाकों (डाकुओं) से बरातियों को लुटवाती है –

क्या गुज़री जो इक पर्दे के अदू, रो-रो के पुलिस से कहते थे
इज़्ज़त भी गई, दौलत भी गई, बीबी भी गई, ज़ेवर भी गया

मुख़्तसर यह कि कम अज़ कम यही जो आम देखने में आ रहा है। कि चन्द दिनों बाद ही बहू के हाथ में सास की चुटिया, या सास का बहू पर हर वक़्त तंज़ कसना, ताने देना, ग़रज़ कि "जैसा करना वैसा भरना।" वाली मिसाल को ज़िन्दा रखना है –

नई तहज़ीब के लुत्फ़ व करम से
लड़ाई के सिवा हर शय गिरां है

रस्मे दावत : हक़ीक़ी दावत से हट कर हमारे मुआशरे में दावत की एक रस्म यह भी है कि किसी एक शख़्स या चन्द अशख़ास को इसलिए दावत पर मदऊ (बुलाया) किया जाता है। कि अपने ग़लत फ़ैसलों पर दूसरों को राज़ी किया जाए हम्वार किया जाए। या आइंदा किसी साज़िशी प्लान में यह मेहमान रुकावट न बनें। और हमदर्द मुआविन साबित हों। या अपने गिरोह को वसी से वसी तर करने के सिलसिले में दावत की जाती है।

अब तो खुलूस भी है फ़क़त मस्लेहत का नाम
बेलौस दोस्ती के ज़माने गुज़र गए

नतीजा : इसका यह निकलता है कि **इल्ला माशा अल्लाह** बाक़ी तमाम मेहमान मेज़बान के ऐसे जांनिसार और हमदर्द साबित होते हैं कि दो और दो को पाँच कहने में आर तो किया बल्कि किसी क़िस्म की कुरबानी देने से भी दरेग़ नहीं करते। और अगर ऐसा मेज़बान! दावत के ज़रिया अपनी साज़िश में कामयाब हो गया। तब इस साज़िश को ज़िन्दगी के बेहतरीन कारनामे के तौर पर ब्यान करना अपना मश्ग़ला बनाता है। बाज़ मुफ़ाद परस्त तो यहाँ तक जसारत करते हैं कि अक़ीक़ा या दावते वलीमा वग़ैरह की आड़ में उलमा व मशाइख़ तक की दावत करके या तोहफ़ा वग़ैरह ख़ुसूसन किसी नेक काम के सिलसिला में चन्दा देकर इलेक्शन में ब्लेक मेल करने की नाकाम कोशिश करते हैं। मगर जिनकी अल्लाह तआला हिफ़ाज़त फ़रमाए। वह अपनी ईमानी फ़रासत के सबब ऐसी साज़िशों को नाकाम बनाते हैं।

मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़क़ीरी है
ख़ुदी न बेच ग़रीबी में नाम पैदा कर

लिहाज़ा वोट हासिल करने की ग़रज़ से या किसी मुसलमान के ऐबों से मुत्तला होने की ग़रज़ से किसी भी क़िस्म की दावत न की जाए। कि दावत का तक़द्दुस मजरूह (पाकी ख़त्म होती है) होता है। इसी तरह मेहमान को भी चाहिए कि दावत ख़्वाह चाय या सौ डेढ़ सौ ग्राम खट्टा, मीठा शर्बत, लेमन पानी पीने की खातिर अपने किसी भाई के राज़ों की चुग़ली से बच्चे।

ज़मीर फ़रोश

यह बेहिस बेहया, यह खुद पसन्द व खुद ग़रज़ इंसां
यह इंसानों की दुनिया के लिए मुहलिक मरज़ इंसां
ज़बरदस्तों के जूते चाटना आदात में इनकी
ग़रीबों से नवाले छीनना ख़िदमात हैं इनकी

ग्यारहवीं, बारहवीं शरीफ़ या उर्स का खाना

यही वजह है कि ख़ुलूस की दावत सिर्फ़ उर्स, मीलाद या किसी बुज़ुर्ग, रिश्तादार को सवाब बख़्शने की दावत ही रह गई है। और यह तक़रीबात ख़ुलूस की होनी भी चाहिए कि जब उस तमाम तक़रीब (खाने पीने की शय) को अल्लाह तआला के महबूब या किसी बुज़ुर्ग से मंसूब कर दी गई और उनके मिल्क होने की वजह से यह खाना गोया उनकी तरफ से खिलाया गया। यानी मेज़बान इस सूरत में वही बुज़ुर्ग हुए। और मन्सूब करने वाला शख़्स सिर्फ़ उन बुज़ुर्ग का ख़ादिम या कारिन्दा या इंतिज़ामिया – की हैसियत से लोगों को खिलाने पिलाने वाला हुआ। तो ज़ाहिर है कि उसके हर-हर फ़ेअल व अमल में ख़ुलूस के अलावा कुछ भी नहीं। लखपती हो या करोड़पती सब ही निस्बत की वजह से उस खाने को तबर्रुक समझते हैं। यह ख़ुलूस की ही बरकत है और निस्बत व तअल्लुक़ की वजह है कि लज़्ज़त व रूहानियत ज़ाइक़ा की वजह से ग्यारहवीं शरीफ़, बारहवीं शरीफ़, बुज़ुर्गों के उर्स वग़ैरह के खाने, ख़्वाह दाल रोटी हो या आलू वाले पीले चावल हर शख़्स उंगलियां चाटता और खाने की तारीफ़ करता नज़र आता है। और खाने में बरकत तो मुसल्लम है ही। रहा अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त की बारगाह में क़ुबूलियत का सवाल तो हमारे

अपने नेक आमाल की कुबूलियत मश्कूक हो सकती है। कि कुबूल न हों। मगर जब यह खाना ही अल्लाह तआला के महबूबे आज़म की तरफ़ से खिलाया जाए, गोया कि खाने वाला हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ही खा रहा हो फिर कुबूल न होने का सबब क्या हो सकता है? इस तरह के मंसूब किए गए खाने वगैरह उस सुन्नत की तरह हैं जैसा कि हुज़ूर पुर नूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ख़ुद अपने ग़रीब उम्मतियों की तरफ से भी कुरबानी फरमाते और उम्मतियों को हिदायत फरमाई कि तुम भी अपने नबी की तरफ से क़ुरबानी करो तो अच्छा है।

इस तरह मंसूब करने वाला ख़ुश क़िसमत, अल्लाह तआला और उसके महबूब व औलिया किराम का कितना तक़र्रुब हासिल करता है यह बातिनी आँख वाला ही बता सकता है। और यूं भी कि तोहफ़ा देना मुहब्बत में ज़्यादती की अलामत ख़ुद हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई। और फिर यह कि अल्लाह तआला और उसके महबूब व औलिया व किराम की मुहब्बत में इज़ाफ़ा की ग़रज़ से और यह कि इज्तिमा-ए-ख़ुलूस और खाना वगैरह मंसूब करने वाले की नीयते तक़र्रुब व रज़ा-ए-इलाही, व रज़ा-ए-रसूल भी हो। बल्कि यह तक़रीबात होती ही इसी मक़सद की ग़रज़ से हैं। जबकि दावतें सियासी हों या ग़ैर सियासी मतलब से खाली नहीं। जिसकी वजह से दावत जैसा मुक़द्दस अमल भी सैंकड़ों ख़राबियों का मज्मूआ बन कर रह गया है।

मतलब का नाम दोस्ती, शहवत का नाम इश्क़
अह्ले हवस ने दोनों की मिट्टी खराब की

जबकि अज़ीज़ रिश्तादार के इंतिक़ाल के बाद उसको सवाब पहुँचाने की ग़रज़ से खाने की दावत में उससे कोई मतलब, लालच, मफ़ाद भी नहीं होता। कि सिर्फ़ उसको नफ़्ली सवाब बख़्श कर अपने रब की बारगाह में ख़ुलूस का नज़राना पेश करना ही होता है, ज़ाहिर है कि सियासी, ग़ैर सियासी, मफ़ाद परस्तों की नीयत और उन पर ख़ुलूस दावतों की नीयत में ज़मीन आसमान का फर्क़ है। लिहाज़ा उसी मुनासिबत से उसके अज्र की उम्मीद की जानी चाहिए। और यह कि इख़्लास का इज्तिमा भी ऐन इख़्लास ही रहता है। और इख़्लास की अल्लाह तआला की बारगाह में बड़ी क़दर है। अल्लाह तआला हमें हुस्ने अमल की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। आमीन!

फातिहा बैठे हुए वह पढ़ रहे हैं क़ब्र पर
शमअ बाहर जल रही है रौशनी मदफन में है

मेज़बान किस को दावत पर मदऊ करे :

हदीस : तिर्मिज़ी अबुल-अहवज़ जशमी से वह अपने वालिद से रिवायत करते हैं। "मैंने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह यह फ़रमाइए कि मैं एक शख़्स के यहां गया उसने मेरी मेहमानी नहीं की। अब वह मेरे यहां आए तो उसकी मेहमानी करूं या बदला दूं? फरमाया बल्कि तुम उसकी मेहमानी करो।

दरिन्दों से भी पेश आए जो कोई मेहरबानी से
तो अक्सर बाज़ आ जाते हैं वह ईज़ा रसानी से

मुत्तक़ी की दावत :

हदीस : अत्इमू तआमकुमुल-अत्क़ियाआ। यानी "परहेज़गारों को अपना खाना खिलाओ।" इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं। "जो शख़्स दावत करता है इसके लिए यह सुन्नत है कि नेक लोगों के सिवा और को न बुलाए। क्योंकि खाना खिलाना कुव्वत (ताक़त) बढ़ाता है। और फ़ासिक़ को खिलाना फ़िस्क़ (गुनाह) में मदद करना है।"

मेज़बान को चाहिए कि मुसलमान, मुसाफ़िर, पड़ोसी, अज़ीज़, दोस्त, रिश्तादार और बुज़ुर्ग, उलमा, मशाइख़, ख़ुसूसन ग़ुरबा को खाने की दावत पर मदऊ करे –

और गुमराह बेदीन, दहरिए जो कि इस्लाम और इस्लामी क़ानून के ख़िलाफ़ कुछ न कुछ प्रोपगण्डा करते रहते हैं। उनको हरगिज़ मदऊ न करे। ख़ुसूसन गुस्ताख़े रसूल, गुस्ताख़े सहाबा को कि यह अल्लाह तआला की नेअमतें खा कर फिर अल्लाह तआला और उसके महबूबों के ख़िलाफ़ तरह-तरह की साज़िशें करने में हर वक़्त तन, मन, धन से कोशां रहते हैं। मालूमात के लिए, तम्हीदे ईमान बे-आयातुल-कुरआन, मुसन्निफ़ आला हज़रत मौलाना अश्शाह अहमद रज़ा खाँ, तारीख़े नज्द व हिजाज़, मुसन्निफ़ मुफ़्ती अब्दुल-कैय्यूम हज़ारवी, जाअल-हक़ मुसन्निफ़ मुफ़्ती अहमद यार खाँ, बातिल अपने आइना में मुसन्निफ़ मौलाना मुहम्मद सिद्दीक़ मुल्तानी, तआरुफ़ उलमा-ए-देवबन्द मुसन्निफ़ मौलाना मुहम्मद शफ़ीअ आकाड़वी, तोहफ़-ए-जअफ़रीया मुसन्निफ़ मौलाना मुहम्मद अली।

अल्हक्कुल-मुबीन मुसन्निफ़ मौलाना सैयद अहमद सईद शाह काज़मी, और आलिमे इस्लाम पर साम्राजियत के भयानक साए का मुताला फरमाएं।

और जैसा कि सुन्नत नम्बर ३० में चार अहादीस से साबित कि दावत और मेहमानी सिर्फ़ मुसलमान की करने पर अज़ीम बशारतें हैं। उनवान के एतबार से भी उन अहादीसे मुबारका का यहाँ भी एआदा मुनासिब है।

हदीस : औसत में अमीरुल-मुमिनीन हज़रत उमर रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत कि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने "सबसे अफ़ज़ल काम **मुसलमान** का जी खुश करना है। कि उसका बदन ढांके, या भूख में पेट भरे, या उसका कोई काम करे।"

हदीस : बैहक़ी, शुअबुल-ईमान में हज़रत अबू हुरैरह रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत कि फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने "जो अपने भाई **मुसलमान** को उसकी चाहत की चीज़ खिलाए। अल्लाह तआला उसे दोज़ख़ पर हराम कर दे।"

हदीस : हाकिम में हज़रत जाबिर रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फरमाया "रहमते इलाही वाजिब कर देने वाली चीज़ों में ग़रीब **मुसलमान** को खाना खिलाना।"

हदीस : तबरानी, कबीर, अबुश्शैख़, हाकिम, बैहक़ी में इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि जो अपने **मुसलमान** भाई को पेट भर खाना खिलाए, प्यास भर पानी पिलाए। अल्लाह तआला उसे दोज़ख़ से सात खाइयां दूर करे। हर खाई से दूसरी खाई तक पाँच सौ बरस की राह –

ग़नी साथ दुनिया से क्या ले गया
मगर जो किसी को दिया ले गया

इन अहादीसे मुबारका में अफ़ज़ल काम **मुसलमान** का जी खुश करना, कपड़े पहनाना भूख भर खाना खिलाना, खुसूसन ग़रीब मुसलमान को खिलाने पिलाने पर रहमते इलाही और दोज़ख़ से नजात की अज़ीम बशारतें ब्यान की गईं।

अब गुम्राह गुस्ताख़े रसूल मुर्तद से नफ़रत पर चन्द कुरआनी आयात भी मुलाहिज़ा फरमाएं ताकि उन से दोस्ती निभाने की ग़रज़ से खाने की दावत और उनकी खातिरदारी से नफ़रत पैदा हो।

आयत : तरजमा "ऐ ईमान वालो! अपने बाप अपने भाईयों को दोस्त न बनाओ अगर वह ईमान पर कुफ़्र पसन्द करें। और तुम में जो उन से रिफ़ाक़त करें वही लोग सितमगार हैं।" **(सूरहः तौबा आयत २३)**

आयत : तरजमा : वह जो रसूलुल्लाह को ईज़ा देते हैं। उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। **(सूरहः तौबा आयत ६१)**

आयत : तरजमा : "बेशक जो लोग अल्लाह व रसूलुल्लाह को ईज़ा देते हैं उन पर अल्लाह की लानत है दुनिया व आख़िरत में और अल्लाह ने उनके लिए ज़िल्लत का अज़ाब तैयार कर रखा है।"

(सूरहः अहज़ाब आयत ५७)

आयत २४ सूरतुत्तौबा और आयत आख़िरी सूरतुल-मुजादला, सूरतुल - मुम्तहिना और आयत नम्बर १-३ में गुस्ताख़े रसूल की हल्की गुस्ताख़ी पर और ख़ुसूसन सूरतुत्तौबा आयत ६५-६६ और आयत ७४।

तरजमा : ख़ुदा की क़सम खाते हैं कि उन्होंने नबी की शान में गुस्ताख़ी न की और अल्बत्ता बेशक वह यह कुफ़्र का बोल बोले और मुसलमान होकर काफ़िर हो गए।

"हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि यानी किसी शख़्स की ऊंटनी गुम हो गई। उसकी तलाश थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया ऊंटनी फुलां जंगल में फुलां जगह है उस पर एक मुनाफ़िक़ बोला **मुहम्मद** सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम बताते हैं कि ऊंटनी फुलां जगह है। मुहम्मद ग़ैब क्या जानें?"

सिर्फ़ इतना लफ़्ज़ कि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ग़ैब क्या जानें? कहने पर हल्फ़ीया इन्कार से भी अल्लाह तआला उनको काफ़िर फ़रमाता है।

आज के गुस्ताख़ों की कुफ़्रिया इबारतों को देखा जाए तो मुन्दरजा बाला जुमला जिस पर अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त उन मुनाफ़िक़ों को काफ़िर फ़रमा रहा है इन गुस्ताख़ों की कुफ़्रिया इबारतों के मुक़ाबला पर उसका जुमला कुछ भी हैसियत नहीं रखता। बल्कि आज तो यह गुस्ताख़ ख़ुद उसको मुश्रिक कहते हैं जो हुज़ूर पुर नूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआला की अता से ग़ैब का इल्म माने। **या ऐयुहन्नबीयु** में अलिफ़, लाम ख़ास की अलामत और नबी के माना ग़ैब की ख़बर देने वाला। **अन्नबी**

का तरजमा ख़ास ग़ैब की ख़बर देने वाला। अगर नबी के माना सिर्फ़ ख़बर देने वाला ही हो तब तो हर ख़बर देने वाला नबी कहलाएगा। अन्नबी के क़वाइद के रू से एक माना ग़ैब की ख़बरें दिए गए भी हैं। और जैसा कि पेश्तर अर्ज़ किया गया कि उम्मी के माना मां के पेट से पढ़ा हुआ इसीलिए कुरआन शरीफ़ के ख़िताब **नबीयुल-उम्मी** के माना "बे पढ़े ग़ैब की ख़बर देने वाले" से मालूम हुआ कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम पढ़े हुए तो हैं लेकिन बेपढ़े ग़ैब की ख़बरें दे रहे हैं। और पैदा होते ही ज़मीन पर सज्दा फ़रमा कर फ़रमाना **रब्बे हबली उम्मती,** ऐ मेरे रब मेरी उम्मत बख़्श दे, गोया ख़बर दे रहे हैं कि मैं नबी हूँ और मेरी उम्मत गुनहगार होगी –

छोटे बड़े को हिफ़्ज़ है आयत
फला युज़्हिर सुनाते यह हैं
इल्ला मनिरतज़ा मिन रसूलिन
सबसे नूरी छुपाते यह हैं

तरजमा : "और तुम्हें सिखा दिया जो कुछ तुम न जानते थे।" (सूरहः निसा) अब कौन सा इल्म रह गया जो अल्लाह तआला ने अपने महबूब को न सिखाया? ऐसी बहुत आयात हैं जिन से साबित होता है कि अल्लाह तआला ने अपने महबूबे आज़म को इल्मे ग़ैब अता फ़रमाया है।

यहाँ इस मज़्मून पर बहुत ही मुख़्तसर गुफ़्तगू की है तफ़्सील के लिए मुन्दरजा बाला कुतुब और अद्दौलतुल-मक्कीया, अस्बाबे इल्मे ग़ैब, इल्मे ख़ैरुल-अनाम बअताए रब्बुल-अनाम, का मुताअला फ़रमाएं।

क़दम क़दम पे अगर रुक रहे हैं दश्त में हम
तो क्या करें कि तआरुफ़ है ख़ार-ख़ार के साथ

मग़रूर शख़्स को दावत न दी जाए : अल-हासिल यह कि किसी गुस्ताख़े रसूल गुमराह, बेदीन, की ख़ातिर मुदारात तो क्या उसकी सादा दावत से भी बचा जाए। और न ऐसे मग़रूर मुतकब्बिर अफ़राद को मदऊ किया जाए जो आम मुसलमानों के साथ बैठने से गुरेज़ करते हों या आम मुसलमानों को हक़ीर समझते हों। हज़रत अली रज़ि अल्लाहु अन्हु का क़ौल है। **अत्तकब्बुरु मअल-मुतकब्बेरीना इबादतुन। तरजमा :** "ख़ास मुतकब्बेरीन के साथ ख़ास तकब्बुर से पेश आना इबादत है।" ताकि मग़रूर का तकब्बुर टूटे। **अल-मुतकब्बिरु** अल्लाह तआला का इस्म है। मुसलमान! मुसलमान से ग़ुरूर से पेश आए यह हराम है।

इरशाद हज़रत यह्या बिन मआज़ : अपने माल व मताअ पर तकब्बुर करने वाले के साथ तकब्बुर से पेश आना अल्लाह तआला के नज़्दीक तवाज़ु (इन्केसारी) में दाख़िल है।

वज़ाहत : जो तकब्बुर मुतकब्बेरीन के तकब्बुर को तोड़ने की ग़रज़ से होगा। वह तकब्बुर मस्नूई हुआ। असल तो न हुआ। यही वजह है कि तकब्बुर तोड़ना इबादत है –

इंकिसारी छोड़ कर जिसने किया कुछ भी गुरूर
एक दिन गिर जाएगा वह सबकी नज़रों से ज़रूर
खुद-बखुद झुक जाएंगे ताज़ीम को दुनिया के सब
शर्त लेकिन यह है पहले सर झुकाना सीख लो

और जो अपने तमाम घर या तमाम खानदान यानी दूर के रिश्तों को भी दावत देने की धमकी दे कि हमारे फुलां, फुलां रिश्तादार को भी मदऊ करोगे तब हम आएंगे। मेज़बान अपनी चादर यानी गुंजाइश को और हालात को देखे कि उनके सब अफराद की दावत कर सकता है या नहीं। अगर ऐसों को दावत से परहेज़ किया जाए तो बेहतर है। क्योंकि ऐसे अफ़राद वही धमकी दूसरों को देने में भी जरी (बहादुर) होंगे। ऐसों के ही हक़ में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की **हदीस** अबू दाऊद ने अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि अल्लाहु तआला अन्हुम से रिवायत की है। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फरमाया "जिस को दावत दी गई और उसने कुबूल न की उसने अल्लाह व रसूल की नाफरमानी की। और जो बेग़ैर बुलाए गया वह चोर होकर घुसा और ग़ारत गरी करके निकला।"

कहाँ जाना, और कहाँ दावत में नहीं जाना चाहिए ?

हर शख़्स मेहमान और कभी मेज़बान होने का शर्फ़ हासिल करता है। लिहाज़ा हमें मेहमान और मेज़बान के आदाब व मसाइल से भी आगाह रहना चाहिए। और हत्तल-इम्कान इन पर अमल भी ज़रूरी है।

हदीस : अबू दाऊद ने इकरमा से रिवायत की है कि "ऐसे दो शख़्स जो मुक़ाबला और तफ़ाख़ुर (घमण्ड) के तौर पर दावत करें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने उनके हां ख़ाने से मना फरमाया।"

दावते वलीमा में जाना सुन्नते मुअक्किदा। और दूसरी दावतों में जाना

या कुबूल करना अफ़ज़ल है। अगर रोज़ा दार हो तब भी जाए। और साहिबे खाना के हक़ में दुआए ख़ैर ही करे। दावत देने वाले का मक़सद अदा-ए-सुन्नत हो। फ़ख़ या वाह वाह न हो। वरना ऐसी दावतों में न जाया जाए। ख़ुसूसन अह्ले इल्म ऐसी दावतों में न जाएं। मदऊईन को दावत में जाना सुन्नत जब है कि मालूम हो कि वहाँ गाना, बजाना, नाच, लह्व व लइब नहीं है। वरना न जाना चाहिए।

हदीस : इमाम अहमद व दाऊद ने एक सहाबी से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फरमाया "जब दो शख़्स दावत देने बयक वक़्त आएं तो जिसका दरवाज़ा तुम्हारे दरवाज़ा से क़रीब हो उसकी दावत कुबूल करो। और अगर एक पहले आया तो जो पहले आया उसकी कुबूल करो।"

फ़ासिक़ों का मेहमान न बना जाए :

हदीस : बैहक़ी ने शुऐबुल-ईमान में इमरान बिन हसीन रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़ासिक़ों की दावत कुबूल करने से मना फ़रमाया।"

कहाँ जा कर वापस पलटना चाहिए : अगर जाने के बाद मालूम हुआ कि लग़्वियात हैं तो वापस पलट आए और अगर खाने की जगह नहीं किसी और जगह लुग़्वियात का इंतिज़ाम है। तब बैठ सकते हैं। यह आम अश्ख़ास के लिए है। ख़्वास यानी उलमा व मशाइख़ वहाँ न रुकें। और अगर रुकने से गुमान है कि यह लुग़्वियात रुक जाएंगी तब मुनासिब है कि रुके और लुग़्वियात से रोके। (बहारे शरीअत)

फ़क़ीर की दावत कुबूल करना : दावत कुबूल करने में फ़क़ीर व अमीर में कुछ फर्क़ न करे और फ़क़ीर की दावत से बे-परवाई न करे। इसलिए कि जनाब सुलतानुल-अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़क़ीरों की दावत कुबूल फरमाते थे। हज़रत हसन रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु का गुज़र एक मुहताज क़ौम की तरफ हुआ वह लोग रोटी के टुकड़े खा रहे थे। अर्ज़ की कि ऐ फ़रज़न्दे रसूल आप भी हमारे साथ शरीक हो जाइए। तो आप सवारी पर से उतर कर उनके साथ शरीक हो गए। और फरमाया हक़ तआला तकब्बुर करने वालों को दोस्त नहीं रखता। जब नोश फरमा चुके तो उन लोगों से इरशाद फ़रमाया कि कल तुम मेरी दावत कुबूल करो। दूसरे दिन उनके लिए उम्दा खाना पकवाया। और उनके साथ बैठ कर नोश फ़रमाया।"

जिसको दावत दी जाए राह दूर होने के सबब से दावत रद न करे। बल्कि आदत के मुताबिक़ जितनी राह चलने की बर्दाश्त है उसका मुतहम्मिल हो जाए।

तौरैत में है कि : बीमार पुर्सी के लिए एक मील जा। जनाज़े के साथ दो मील जा। मेहमान के लिए तीन मील जा। दीनी भाई की मुलाक़ात के लिए चार मील जा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बड़े सफ़र भी पैदल के ही थे। और नमाज़ के लिए भी आठ दस मील जाना हो ताकि मस्जिद के सिवा नमाज़ जाइज़ न थी।

नफ़्ली रोज़ा में दावत कुबूल करने की अहमीयत : और यह कि रोज़े की वजह से दावत रद न करे बल्कि उसमें शिरकत करे अगर मेज़बान की खुशी हो तो। खुश्बू और अच्छी बातों पर क़नाअत (सब्र) करे कि रोज़ादार की मेज़बानी यही है। अगर रंजीदा हो तो नफ़्ली रोज़ा खोल डाले। क्योंकि मुसलमान का दिल खुश करने का सवाब रोज़ा से बहुत ज़्यादा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने ऐसे शख़्स पर जो मेज़बान की रज़ा मन्दी के लिए नफ़्ली रोज़ा न खोल डाले इस पर एतराज़ किया है। और फरमाया कि तेरा भाई तो तक्लीफ़ करे और तू कहे कि मैं रोज़ादार हूँ। (ख़ुशबू से मुराद ताज़ा खाने की खुशबू होती है)।

छेः नीयतों से दावत कुबूल करना : मेहमान पेट की ख़्वाहिश मिटाने के लिए दावत कुबूल न करे। कि यह जानवरों का काम है।

(१) बल्कि इत्तिबा सुन्नते नब्वी की नीयत करे।

(२) और इस बात से बचने की नीयत करे जो रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फरमाया है कि जो शख़्स दावत न कुबूल करेगा वह खुदा और रसूल का गुनहगार होगा। इसी वजह से उलमा के एक गिरोह ने कहा कि दावत कुबूल करना वाजिब है।

(३) और दावत कुबूल करने में मुसलमान भाई के एज़ाज़ व इकराम की नीयत करे। हदीस शरीफ़ में है कि जो शख़्स किसी मोमिन का एज़ाज़ व इकराम करे उसने खुदा का एज़ाज़ व इकराम किया।

(४) और मुसलमान का दिल खुश करने की नीयत करे। हदीस शरीफ़ में आया है। जो कोई मुसलमान को खुश करे उसने खुदा को खुश किया।

(५) और मुलाक़ात मेज़बान की नीयत करे। इसलिए कि दीनी भाई की मुलाक़ात इबादात में से है।

(६) और अपने आपको ग़ीबत से बचाने की नीयत करे। ताकि लोग यह न कहें कि फुलां.शख़्स बदख़ोई और तकब्बुर की वजह से न आया। दावत में जाने की यह छेः नीयतें हैं। अगर दावत की जगह छेः नीयतों से जाए तब हर इक नीयत के एवज़ सवाब हासिल होगा। ऐसी नीयतों की बदौलत मुबाह चीज़ें कुर्बे ख़ुदा का बाइस होती हैं। बुज़ुर्गाने दीन कोशिश करते हैं कि तमाम हरकात व सकनात में उनकी ऐसी नीयत हो जिसे दीन से मुनासिबत हो। ताकि इनका कोई सांस ज़ाए न जाए। (इमाम ग़ज़ाली, कीमिया-ए-सआदत)

घर के चन्द अफ़राद की दावत मिलने पर नाराज़गी : लड़के वालों की तरफ से निकाह में लड़की वालों के हां ले जाने की दावत में किसी के घर के तमाम मर्द व अफ़राद की दावत पर मदऊईन को नाराज़ न होना चाहिए कि हमारे तमाम घर की दावत क्यों नहीं की? यह नाराज़गी भी मेज़बान का दिल दुखाने, तक्लीफ़ देने में ही शुमार होती है। क्योंकि लड़की वाले पाबन्द करते हैं कि पच्चास या सौ बाराती लाना होता है। इस नाराज़गी का एक सबब यह भी है कि बारात के साथ जो भी आएगा लड़की वाला उनकी भी दावते तआम ज़रूरी करे।

सवाल : यह पैदा होता है कि लड़की वाले को यह कब ज़रूरी है कि वह बारातियों की दावते तआम ज़रूरी करे। **जबकि** इसका रिवाज का कुरूने ऊला में कहीं सुबूत नहीं मिलता। और न ही कुरूने ऊला के बुज़ुर्गों में इसका रिवाज था कि शादी से क़ब्ल मंगनी का खाना, मेंहदी का खाना भी किया जाए। और न कुरूने ऊला में इसका सुबूत मिलता है कि शादी के बाद लड़की के क़रीब के और दूर के रिश्तादार लड़के वालों की बारी-बारी दावत करें। और न इसका सुबूत मिलता है कि लड़के वाले के अज़ीज़ व अक़ारिब (रिश्तेदार) लड़की वालों की बारी-बारी दावत लाज़मी करें।

सिर्फ़ वलीमा की दावत **सुन्नत** है और वह भी आज की तरह इहतिमाम से पाक। **हदीस :** सही बुख़ारी में अनस रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कहते हैं "ख़ैबर से वापसी में ख़ैबर व मदीना के माबैन हज़रत सफ़ीया रज़ि अल्लाहु तआला अन्हा के ज़ुफ़ाफ़ की वजह से तीन रातों तक हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने क़याम फरमाया। मैं मुसलमानों को वलीमा की दावत में बुला लाया। वलीमा में न गोश्त था और न रोटी थी।

हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया। दस्तरख़्वान बिछा दिए गए। उस पर खुजूरें, पनीर और घी डाल दिया गया। इमाम अहमद व तिर्मिज़ी व अबू दाऊद व इब्ने माजा की रिवायत में है कि हज़रत सफ़ीया रज़ि अल्लाहु तआला अन्हा के वलीमा में सत्तू और खुजूरें थीं।"

यह उस ज़ाते गिरामी के वलीमा की दावत का ब्यान है जो खुद इरशाद फरमाए।

हदीस : अल्लाहु मुअती व अना क़ासिमुन। एक और रिवायत में है। **अल्लाहु युअती व अना क़ासिमुन।**

तरजमा : अल्लाह तआला अता फरमाता है और मैं तक़्सीम करता हूँ।

रब है मुअती यह हैं क़ासिम
रिज़्क़ उसका है खिलाते यह हैं
(मौलाना अहमद रज़ा खाँ)

इस हदीस पाक से साफ ज़ाहिर है कि अपनी ग़रीब उम्मतियों की दिल्जोई की खातिर इस सादा तरीक़ा पर दावते वलीमा फरमाया। और यूं भी कि आप का फ़ेअल क़ानूने इस्लाम भी है।

याद रहे! जिस तरह लड़के वाले निकाह में लड़की वालों की दी हुई तादाद में बाराती ले जाने में मजबूर होते हैं। बिल्कुल इसी तरह लड़के के वलीमा में लड़की वाले भी अपने साथ महदूद अफ़राद ले जाने में मजबूर होते हैं। लिहाज़ा हर घर से एक या दो, अफ़राद को वलीमा में मदऊ करने पर लड़की वालों से नाराज़ न होना चाहिए। और न लड़के वालों से उनके अज़ीज़ व अक़ारिब और दोस्त व अहबाब को नाराज़ होना चाहिए कि उन्हें लड़की वालों को भी दावते वलीमा में मदऊ करना होता है। और फिर यूं भी कि जिस को बुलाया जाए वह ख़ुश दिली से दावत कुबूल करे कि हर शख़्स अपनी चादर – जेब देख कर ही दावत करता है। बल्कि जो चादर यानी जेब देख कर दावत नहीं करता उसे भी अपनी चादर – जेब देख कर ही दावत करनी चाहिए। कि ख़ुश दिली से दावत करने के माना भी यह ही हैं।

अपनी हैसियत न भूलो रेस करना छोड़ दो
ख़र्च इतना ही करो कि बाद में फिर दुख न हो

हदीस : सही मुस्लिम में हज़रत जाबिर रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से

मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फरमाया "जब किसी को खाने की दावत दी जाए तो कुबूल करनी चाहिए फिर अगर चाहे खाए, चाहे न खाए।"

गोया मेज़बान से जली कटी बातें न करे कि यह फ़ेअल भी मेज़वान को तक्लीफ देने के मुतरादिफ़ है।

मेज़बान का मेहमानों से हुस्ने सुलूक : मेज़बान! देगों, टप, पानी की टंकी, पीने के पानी में पाकी का ख़ास ख़्याल रखे – सब्ज़ी, गोश्त, चावल, धो कर ही पकाए – इसी तरह खुजूरें, फल वग़ैरह भी धो कर ही इस्तेमाल कराए जाएं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने धो कर इस्तेमाल करने की सख़्त ताकीद फरमाई है अंडे धो कर ही इस्तेमाल किए जाएं ख़्वाह उबाले जाएं या ज़र्दी, सफ़ेदी निकाली जाए – इन इहतियातों पर अमल मेज़बान और मेहमान अपने-अपने घर भी हमेशा रखें।

मेज़बान! मेहमान का कुशादह पेशानी से इस्तिक़बाल करे। और तवाज़ु से पेश आए। और एजाज़ व इकराम से बिठाए, यह एजाज़ व इकराम व तक्रीम फ़ुक़रा व मसाकीन के साथ भी हो। अल्बत्ता उलमा व मशाइख़ तक्रीम के ज़्यादा हक़्दार हैं। मेज़बान! मेहमान के आने पर अपनी खुश क़िस्मती जाने। दिल में अल्लाह तआला का शुक्र अदा करे कि उसने यह दिन दिखाए। यह सआदत बख़्शी, पेशानी पर बल न लाए, किसी मुलाज़िम या अमला के किसी फ़र्द पर नाराज़ भी न हो। कि मेहमान का दिल बहुत हस्सास होता है। पहले जवानों के हाथ धुलाए जाएं। बाद में बूढ़ों के और खाना खाने के बाद पहले बूढ़ों के उनके बाद जवानों के हाथ धुलाए जाएं – अपनी हिक्मते अमली से, ऐसे लोगों को किसी ख़ास जगह इहतिमाम से बिठाए जिन से अक्सर लोग नफरत या घिन खाते हों मसलन कोढ़ी, जुज़ामी, बरस के मरीज़ या ऐसा मरीज़ जिसके जिस्म पर ऐसा फोड़ा या ज़ख़्म हो जिसकी बदबू आस, पास के अफ़राद को मुतअस्सिर करे, अगर बहुत लोग आ चुके हों और एक बाक़ी हो तो हाज़िरीन की रिआयत ज़्यादा बेहतर है। मगर जब कोई ग़रीब या फ़क़ीर न आया हो और इंतिज़ार न करने से वह दिल शिकस्ता हो जाएगा तो उसकी खुशी की ख़ातिर की नीयत से ताख़ीर (देर) बेहतर है।

उसूले तक़्सीम :

मेज़बान पहले जिस बुज़ुर्ग को खाना पेश करे फिर उसके दाएं वाले

को फिर उसके दाएं जानिब वाले को ही पेश करता जाए। यह इहतियात हर महफ़िल में तबर्रुक की तक़सीम पर भी चाहिए कि यही सुन्नत है।

हदीस : सही बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत अनस रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम के लिए बकरी का दूध दूहा गया और अनस रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु के घर में जो कुआं था, उसका पानी उसमें मिलाया गया यानी लस्सी बनाई गई फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ख़िदमत में पेश किया गया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने नोश फरमाया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दूसरे सीधे जानिब (यानी बाएं जानिब) अबू बकर सिद्दीक़ रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु थे और दाहिनी जानिब एक आराबी (दिहाती) थे। हज़रत उमर रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम अबू बकर रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु को दीजिए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने आराबी को दिया क्योंकि यह दाहिनी जानिब थे और इरशाद फरमाया दाहिना मुस्तहिक़ (हक़दार) है फिर उसके बाद जो दाहिने हो दाहिने को मुक़द्दम (पहले) रखा करो।

पहले मेहमानों को सालन पेश किया जाए। बाद सालन के रोटी, कि रोटी बेग़ैर सालन के भी खा सकते हैं। और असल दावत भी रोटी की ही की जाती है। क्योंकि रोटी के बाद इंतिज़ार न चाहिए, कि इंतिज़ार मकरूह है। खाना तक़सीम करते वक़्त किसी एक मेहमान को दरम्यान में छोड़ कर खाना तक़सीम न किया जाए। इसी तरह महफ़िले मीलाद वग़ैरह के तक़सीमे तबर्रुक में किसी भी एक अपने मुसलमान भाई को छोड़ने से गुरेज़ किया जाए। खाने या तबर्रुक से महरूम शख़्स अपने दिल में बड़ी ख़िफ़्फ़त (शर्म) महसूस करता है। हस्सास शख़्स अपनी इस हिजो (बुराई) पर आइंदा इस क़िस्म की महाफ़िल में न शरीक होने का दिल में अहद तक कर गुज़रता है। जिस तरह नमाज़ की दूसरी रकाअत में पहली रकाअत की तिलावत कर्दा सूरत से एक सूरत छोड़ कर सूरत पढ़ना मकरूह है। यहाँ दावत वग़ैरह में भी किसी मुसलमान की इस तरह की दिल शिक्नी जाइज़ नहीं, ता वक़्ते कि कोई ख़ास उज़्र न हो।

मेज़बान! रोटी पेश करने के बाद मेहमानों को खाने की इजाज़त देने में उजलत (जल्दी) करे ताकि मेहमान खाने का इंतिज़ार न करें। रोटियाँ मेहमानों के सामने इतनी तादाद में रखे कि बार-बार मेहमानों को रोटियाँ

न मांगनी पड़े। या मेहमान किसी ग़लत फ़हमी के शिकार हों। और इतनी ज़्यादा तादाद में भी न रखे कि रोटियाँ इतनी ठण्डी हो जाएं कि दूसरी महफ़िल के अफ़राद रोटियों को ताज़ा न जानें। मेज़वान वक़्तन फ़वक़्तन खाने पर इसरार करता रहे (खाओ, खाइए) इसरार सब पर यक्सां हो। मेज़बान! मेहमानों से दिल खुश कुन बातें भी करे। बिल्कुल ख़ामोश न रहना चाहिए। और न खाना रख कर ग़ायब हो जाए। मेहमानों की ख़ातिरदारी में मश्ग़ूल रहे। ख़ादिमों के ज़िम्मा उनको न छोड़ दे मेज़बानी खुद करे कि हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। कि अगर मेहमान थोड़े हों तो मेज़बान उनके साथ बैठ जाए। जिस चीज़ की कमी महसूस करे मेज़बान! मेहमान के तलब करने से पहले वह शय उनके सामने रखे। मेहमानों की रुख़्सत पर उनकी आमद के शुक्रिए मुख़्तलिफ़ लफ़्ज़ों में अदा करे। अगर मुम्किन हो तो खाने से क़ब्ल और खाने के बाद मेहमानों के हाथ मेज़बान खुद ही धुलाए। और बाद खाने के कुछ दूर मेहमानों के साथ चल कर रुख़्सत करे। और खुदा हाफ़िज़ वग़ैरह भी करे।

❖❖❖

दावत की मुख़्तसर तारीफ़

मेज़बान अल्लाह तआला और उसके महबूब की ख़ुशनूदी हासिल करने की नीयत से मुसलमानों के आगे जो चीज़ खिलाने के लिए रखे उसका नाम "खाने की दावत है।" ख़्वाह वह रोटी, सालन हो या पुलाव, ज़र्दा, खुजूर, छुहारा, मिठाई हो या नम्कीन यानी समोसे, नमक पारे, दाल मोंट, दही बल्ले, इसी तरह फल फ्रूट, डराई फ्रूट, या बिस्किट, केक, पेसटरी, चाय, दूध, लस्सी, लेमन, शर्बत कुल्फी हो पान, गुटखा मसालहा, इलाइची खुर्द हो, अगर थोड़ी तादाद में है तब हाज़िरीन इसमें से इतनी उठा कर खाएं कि सबको पूरी हो जाए। मेज़बान ने मेहमान के आगे जो कुछ रखा उसके खाने का इख़्तियार दिया है। उसका मालिक नहीं बनाया। यानी साथ ले जाने, किसी को देने या ज़ाए, बर्बाद करने का किसी को इख़्तियार नहीं। यह दावत की मुख़्तसर तारीफ़ व मफ़्हूम है।

कहीं भीड़ में खो गई आदमीयत
जिसे ढूँढने में ज़माने लगेंगे

मेज़बान ने रोटी को सालन लगा कर खाने और पानी की दावत की। मेज़बान दाल रोटी, सब्ज़ी रोटी, चटनी रोटी, अगर सामने रखे या बाजरे, मकई, चावल के आटे की रोटी सामने रखे तो मेहमान उसको बख़ुशी तनावल करे। जिस तरह इमामे अह्ले सुन्नत आला हज़रत अज़ीमुल-मर्तबत मौलाना अहमद रज़ा ख़ाँ फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह १३४० हिज. इस सुन्नत पर अमल फरमाते कि बावजूद नहीफ़ (लागर) व कमज़ोर, दुबले, पतले होने और तबअ नाज़ुक के अगर कोई ग़रीब मुसलमान मुहब्बत से आपकी दावत करता, बावजूद मस्रूफ़ियत के आप उसकी दिल्जोई की ख़ातिर कुबूल फरमा लेते और वक़्ते मुक़र्ररह पर उसकी झुग्गी नुमा कुटिया में, ज़मीन पर बिछी चटाई पर बेग़ैर किसी तकल्लुफ़ के, बाजरे, मक्कई, ज्वार की रोटी पर ही मेज़बान साग रख कर आपको पेश करता आप उसको इतने शौक़ से तनावल फरमाते कि देखने वाले हैरान रह जाते। आपके अज्दाद, मुग़लों के दौरे अव्वल ही से फौज

के आला उहदों पर फाइज़ रहे। आला कारनामों पर मुग़लों ने बड़ी-बड़ी ज़मीनें पेश कीं जिसकी वजह से आपका घराना बड़े ज़मींदारों में शुमार होता।

यही वजह थी कि उमरा, रुउसा, (अमीर) नवाब, आपकी दावत करना, फ़ख़्र महसूस करते। जबकि उन से अपनी मज्बूरियाँ ब्यान फरमाते। और वह खुद भी आपको यौमिया ख़ुतूत के जवाब फतावों के शक्ल में या तसानीफ़ की ज़िम्मेदारी में मस्रूफ़ दर मस्रूफ़ पाते देखते तो उज़्र के बाद शाकी (शिकायत) न होते। रियासत नान पारह के नवाब की दावत पर जो नअत के मक़्ता में इरशाद फरमाया वह भी इसी आदत की गम्माज़ी करता है। कि मैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दर का गदा हूँ। मेरा दीन रोटी के टुकड़ों वाला नहीं। शेअर में दौलत की जमा दवल, और नान पारह (यानी रोटी के टुकड़ों) को उलट कर पार-ए-नान ने एक ख़ास शरीअत पैदा की।

करूं मदह अह्ले दवल रज़ा? पड़े इस बला में मेरी बला
मैं गदा हूँ अपने करीम का मेरा दीन पारा-ए-नान नहीं

काश की हम भी आला दावत पर रूखी, सूखी, रोटी को तरजीह दें। ज़ुबान के चटख़ारों को ख़ातिर में न लाएं। और कोशिश करें बिल्ख़ुसूस दावत पर सालन डोगों में या चावल डिश में जब सामने रखे जाएं, तब चावल या सालन इतना ही निकालें जितना खा सकें। ज़ाइद न लिया जाए। कि मेज़बान को कहीं तंगी का सामना या बाद के मेहमानों से शर्मिन्दगी न उठानी पड़े। बाज़ मौक़ा पर साहिबे ख़ाना, मेहमान के आगे यह सोचते हुए कि जो मेहमान से बचेगा वह घर वाले खाएंगे। तमाम खाना मेहमान के सामने रख देता है। यह सिर्फ़ मेहमान की दिल्जोई की ख़ातिर ऐसा करता है। मेहमान खाने को ऐसा ही खाए जिस तरह इहतियात से अपने घर में बच्चों वग़ैरह का ख़्याल करता हुआ खाता है। (कि कोई बच्चा खाने से रह न जाए।) बल्कि दावत पर इससे भी ज़्यादा इहतियात लाज़िम है। **शेअर** :

रसद नायाब, पानी बन्द, दुश्मन सख़्त, कम साथी
मगर आले पयम्बर को परेशानी न हैरानी

सिला रहमी : अगर मेहमान को यह महसूस हो जाए कि खाना कम पड़ गया है। तो अपने भाई मेज़बान पर यह इज़्हार किए बेग़ैर कि हम

अभी और खाते, बल्कि मेज़बान को मुत्मइन करने के लिए अपने पेट भर खाने और खाने की तारीफ़ करते हुए दस्तरख़्वान से उठने और रुख़्सत की मेज़बान से इजाज़त ले। ताकि तुम किसी के साथ भलाई से पेश आओ तो कोई तुम्हारे साथ भलाई करे। और बहुत मुम्किन है कि तुम्हारे इस खुलूस के सबब अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से तुम्हें रोज़े महशर भी ज़िल्लत से बचा ले।

कोई पक्का दोस्त है और कोई सच्चा दोस्त है
हां मुसीबत में जो काम आए वह पक्का दोस्त है

बुज़ुर्गों का मुशाहिदा है कि सिला रहमी न करने वाला अक्सर फ़ाक़े और तंगदस्ती में मुब्तला रहता है। अल्लाह तआला हम पर रहम फ़रमाए। आमीन!

सिला रहमी की मिसाल : हज़रत अबुल-हसन अंताकी अलैहिर्रहमा के हां तीस मेहमान आ गए आपके पास गिनती की चन्द रोटियाँ थीं, उन से सब शिकम सैर न हो सकते थे। आपने रोटियों को तोड़ कर टुकड़े बनाए। फिर दस्तरख़्वान बिछाया और उस पर टुकड़े बिखेर दिए। मेहमानों से फ़रमाया "बिस्मिल्लाह कीजिए।" और बत्ती दुरुस्त करने के बहाने चिराग़ गुल कर दिया। फ़रमाया "तुम खाना खाओ मैं चिराग़ की बत्ती दुरुस्त करता हूँ।" सब हाथ, मुँह चलाते रहे। गोया कि खा रहे हैं। जब चिराग़ जला कर लाया गया तो देखा कि रोटियों के टुकड़े जूं के तूं मौजूद हैं। इस ख़्याल से किसी ने कुछ न खाया था कि दूसरे खा लें।

(अहयायुल-उलूम)

बल्ख़ के कुत्ते और सब्र व शुक्र : हज़रत शक़ीक़ बल्ख़ी अलैहिर्रहमा अपने शहर से चल कर हज़रत इब्राहीम बिन अदहम अलैहिर्रहमा के शहर में उनकी मुलाक़ात के लिए आए।

हज़रत इब्राहीम बिन अदहम अलैहिर्रहमा ने उन से पूछा।
आपके शहर के फ़क़ीर किस हाल में हैं?

उन्होंने कहा!

निहायत अच्छी हालत में हैं, अगर उन्हें कुछ मिल जाता है तो शुक्र करते हैं और अगर नहीं मिलता तो सब्र करते हैं।

हज़रत इब्राहीम बिन अदहम अलैहिर्रहमा ने फ़रमाया!
मैंने बल्ख़ के कुत्तों को भी इसी हालत में देखा।

हज़रत शक़ीक़ अलैहिर्रहमा ने दरयाफ़्त फरमाया। आप फक़ीरों की किस हालत को दुरुस्त समझते हैं?

फरमाया !

अगर कुछ न पाएं तो शुक्र करें। और कुछ पाएं तो दूसरों को अता कर दें। हज़रत शक़ीक़ बल्ख़ी अलैहिर्रहमा ने आपके सरे मुबारक को बोसा दिया, और कहा!

हक़ीक़त यही है। **(अहयायुल-उलूम)**

हदीस : तिर्मिज़ी व इब्ने माजा ने मिक़्दाम बिन मादीकरब रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की है, कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम को यह फरमाते सुना "कि आदमी ने पेट से ज़्यादा बुरा कोई बर्तन नहीं भरा। इब्ने आदम को चन्द लुक़्मे काफी हैं जो जो उसकी पीठ को सीधा करें। अगर ज़्यादा खाना ज़रूरी हो तो तिहाई पेट, खाने के लिए, और तिहाई पानी के लिए, और तिहाई सांस के लिए।"

हदीस : तिर्मिज़ी ने इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की है। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने एक शख़्स की डकार की आवाज़ सुनी फरमाया "अपनी डकार कम कर। इसलिए कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा भूखा वह होगा जो दुनिया में ज़्यादा पेट भरता है।"

मेहमान खाने में बैठना : निकाह या वलीमा की दावत में जब मेहमान पहुँचते हैं, अक्सर अफ़राद की यह ख़्वाहिश होती है कि मेहमाने खुसूसी या दूल्हा के साथ ही बैठें या वह जहाँ बैठेगा उसके क़रीब की जगह पर क़ब्ज़ा करें, कुछ यही तरीक़ा भंगनी, मेंहदी, या निकाह में औरतों का दूल्हन के साथ होता है। और जब पाँच अफ़राद की जगह पर पच्चास की नीयत बैठने की होगी, फिर किस तरह की हंगामा आराई होगी खुद ही तसव्वुर फरमाएं।

आजकल तो वीडियो, मूवी की बामीरी भी पैदा हो गई है। (और यह है भी वबाई यानी उड़ कर लगने वाली) जिसकी वजह से हंगामा आराई में मज़ीद इज़ाफ़ा मुम्किन है। बल्कि मुम्किन नहीं होती ही है। नज़्म व ज़ब्त यूं भी ख़राब होता है कि मेज़बान जहाँ बिठाना चाहता है, मेहमान वहाँ नहीं बैठते। और जहाँ नहीं बिठाना चाहता वहाँ बैठ जाते हैं। इसका

नतीजा यह निकलता है कि इंतिज़ामिया का सालन, रोटी और पानी वग़ैरह लाने की जगह यानी रास्ता भी ख़त्म हो जाता है। फिर एक वजह यह भी है कि जिस जगह चालीस अफ़राद बिठाने हैं और बाक़ी अहबाब इंतिज़ार गाह में रहें। मगर अफ़सोस! होता यह है कि हर शख़्स चाहता है कि पहले मैं खाना खा कर फ़ारिग़ हो जाऊं, जिसका यह नतीजा निकलता है। कि चालीस अफ़राद के बजाए सौ अफ़राद मेहमान खाना में दाख़िल हो जाते हैं।

दावत अज़ीज़, दोस्तों की ही की जाती है। मगर बाज़ दोस्त, अज़ीज़ मेज़बान का हाथ बटाने के बजाए ख़ुदा मालूम कब-कब के बदले, इंतिक़ाम लेने की ग़रज़ से मुश्किलात ही नहीं बल्कि हर-हर चीज़ में ऐब भी निकालते हैं। अगर यह कहा जाए तो मुनासिब होगा कि जिस तरह मुक़्नेनीन "ज़ो क़ानून बनाते हैं वह और क़ानून के मुहाफ़िज़ (हिफ़ाज़त करने वाले)।" मुज्रिमों को क़ानून की गिरिफ़्त (पकड़) से साफ़ बच निकलने की राहें दिखाते हैं। बिल्कुल उसी तरह मेज़बान के दोस्त, रिश्तादार! दोस्ती, रिश्तादारी का नाजाइज़ फ़ाइदा उठाते हुए ख़ुद कभी और दूसरे मेहमानों से भी निज़ाम में ख़लल और प्रोग्राम को दरहम बरहम करने के लिए छोटी जगह मेहमान खाने में ख़ुद भी और दूसरे दोस्तों को भी हाथ पकड़ कर धकेलते हुए दाख़िल होते हैं।

खाके जो तीर देखा कमीन गाह की तरफ़
अपने ही दोस्तों से मुलाक़ात हो गई

मेहमानों को मेहमान खाना में पहले दायाँ पैर बिस्मिल्लाह पढ़ कर रखना चाहिए। और ऐसी जगह न बैठना चाहिए जहाँ से उठाए जाने का एहतमाल (शक) हे.। या कम अज़ कम वहाँ बैठना मेज़बान वग़ैरह को गिरां गुज़रे। यह इहतियात दावत ही में नहीं बल्कि हर महफिल में ज़रूरी है।

जब किसी मज्लिस में जाने का तुम्हें मौक़ा मिले
एक जानिब बैठ जाओ बा-अदब आराम से

हदीस : सही बुख़ारी में हज़रत अनस रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने ख़्वान (खाना ले जाने और लाने का बर्तन) पर खाना नहीं तनावल फ़रमाया। न छोटी-छोटी प्यालियों में खाया। और न हुज़ूर के लिए कभी पतली चपातियाँ पकाई गईं। दूसरी रिवायत में यह है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम

ने पतली चपाती देखी भी नहीं। हज़रत क़तादा से पूछा गया कि किस चीज़ पर वह लोग (उमरा मग़रूर) खाना खाया करते थे। कहा कि ख़्वान पर (ख़्वान मेज़ की तरह ऊंची चीज़ होती है जिस पर उमरा के यहाँ खाना चुना जाता है ताकि खाते वक़्त झुकना न पड़े। उस पर खाना मुतकब्बेरीन (घमण्डी) का तरीक़ा था जिस तरह बाज़ मुतकब्बिर लोग इस ज़माने में मेज़ पर खाते हैं।) **(बहारे शरीअत)**

चूंकि अल्लाह तआला के महबूब की सुन्नत बैठ कर ही खाना है। और कुर्सी, मेज़ तिपाई पर खाना आक़ा व मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम को नापसन्द। लिहाज़ा आक़ा के गुलामों को भी नापसन्द ही होना चाहिए। और यूं भी ज़रूरी बचना चाहिए कि कुर्सी, मेज़ या खड़े हो कर खाना शरीअत पर जुरअत दिलेरी होगी। खाने के लिए बैठने के तरीक़े सुन्नत नम्बर ५ में गुज़र गए। महफ़िल में बैठते वक़्त पड़ोसी यानी जो दाएं, बाएं बैठे हों उनका ख़्याल ज़रूरी चाहिए कि उनको तुम्हारी ज़ात से तक्लीफ न हो। ख़ास कर दो मोटे-मोटे फ़रबा (तन्दुरुस्त) शख़्सों के दरम्यान पतले दुबले शख़्स का ख़्याल ज़रूरी किया जाए। कि कहीं दो पाटों के दरम्यान कमज़ोर, नहीफ पिस कर न रह जाए। इसी तरह गर्मियों में नमाज़ो की जमाअत में कमज़ोर, दुबले पतले शख़्स का ख़्याल ज़रूरी है। मगर होता इसके बरअक्स (उल्टा) हैं कि दो जिस्मियों के दरम्यान कमज़ोर शख़्स जसीमों की रिआयत करता है। कि ख़ुद ही सिकुड़ता है, मोटे हज़रात और चौड़े खुले होते रहते हैं। बल्कि बजाए, दुबले पतले, नहीफ़ कमज़ोरों के यह फ़रबा **मोटे** हज़रात चाहते हैं कि हमारे आस पास एक-एक मील दूर तक कोई न हो। और ख़ुसूसन गर्मियों में। अल्लाह तआला एहसास की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए आमीन!

खुद नज़र आती नहीं, जो चीज़ तुमको सूद मन्द
दूसरों के वास्ते करते हो क्यों उसको पसन्द

❖ ❖ ❖

मेहमान की बदसुलूकियाँ

मेज़बान! जिसको दावत पर मदऊ (बुलाए) करे वह ही मेहमान खाने में जाए।

कहीं भीड़ में खो गई आदमीयत
जिसे ढूंढने में ज़माने लगेंगे

बिन बुलाए दावतों में जाना मेज़बान के साथ बदसुलूकी है। और मेज़बान इंतिज़ार गाह से जितने अश्ख़ास (लोगों) को खाने के लिए मेहमान खाने में बिठाना चाहता है इससे ज़ाइद का कोनियां मार कर धक्के देकर मेहमान खाने में दाख़िल होना बदसुलूकी है। इसी तरह मेज़बान जहाँ बिठाना चाहता है वहाँ न बैठना। मेहमान खुसूसी के साथ ही बैठने की कोशिश करना। बहुत कुशादा हो कर बैठना। जबकि मुत्तसिल (सटे) मेहमान तंगी से जगह की वजह से तंगी न बैठे हों। खाना पानी लाने वालों की राह में बैठना, मुंतज़ेमीन की राह में हाइल होना। खाना तलब करने में शोर व गुल करना। **मसलन** अरे भई क्या देरी है? दावत नामा में तो खाने का यह वक़्त दिया था। क्या इंतिज़ाम ग़लत हाथों में दे दिया है? मैं तो दुकान अकेली छोड़ कर आया हूँ। मियाँ किसी के क़ीमती वक़्त का ख़्याल रखना चाहिए। घर में जगह नहीं थी तो हाल में दावत का इंतिज़ाम करना था। मेहमान का बेसबरी का इज़्हार करना वग़ैरह यह सब बदसुलूकियों में ही शुमार हैं। जबकि मेज़बान के अलावा और दीगर लोगों की नज़रों में भी हक़ीर होना है।

यहाँ तशरीफ़ लाते हैं फक़त तअना तराज़ी को

इसी तरह दरिन्दों, वहशियों की तरह खाना। जबकि शरीफ़ों की तरह बैठ कर ही खाना सुन्नत है। प्लेट में सिर्फ़ मुर्ग़ की रानें ही रानें, बेग़ैर रोटी के, एक तरफ खड़े-खड़े या चलते फिरते खाना, (जबकि वहाँ ज़मीन पर बैठ कर भी खाने की जगह हो) मुर्ग़ की रानों के कोंडों और चावल के थालों पर इस तरह टूट पड़ना कि अपने सिवा किसी दूसरे का हक़ ज़हन में न लाना। और ख़ास कर खाने और मेज़बान पर यह

ज़ुल्म करना किसी गोश्त या बिरयानी वग़ैरह से भरी प्लेटें यूंही छोड़ कर खाने से हट जाना। जिसके सबब फिर वह कचरे की टपों में मज़्दूरों का डालना (जबकि ग़ुरबा व मसाकीन या कम अज़ कम जानवरों को ही शिकम सैर किया जाता।) यानी छेः मन गोश्त से दो मन का फेंकना। इससे कहीं ज़्यादा शीर माल रोटी के साथ बदसुलूकी करना। जिसके सबब आधे मेहमानों का बे खाए वापस पलटना।

दरिन्दे जो नहीं करते वह यह इंसा करते हैं

यह सब बद-सुलूकियों में ही शुमार है। और पिछले सफहात में दर्ज शुदह अल्लाह तआला के महबूब की सुन्नतों का बेदर्दी से रौंदना। और फिर दरिन्दाना, वहशियाना हरकतों को तहज़ीब का नाम देना। यह मज़ीद अल्लाह वाहिद क़ह्हार के ग़ज़ब को दावत देना है, अल्लाह तआला अपने महबूब के तुफ़ैल हमें दीन के समझने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। आमीन!

इरशाद हज़रत अली रज़ि अल्लाहु अन्हु ने फरमाया "जब तुम किसी पर एहसान करो तो उसे छुपाओ। अगर कोई तुम पर एहसान करे तो उसे फैलाओ।" शेअर –

उसके गुन गाओ तुम्हारे साथ जो एहसां करे
ताकि अपने लुत्फ़ को वह और भी अरज़ां करे

बूढ़ों का मज़ाक़ उड़ाना : मज़कूरह बद-सुलूकियों की वजह से जहाँ मुसलमान का दिल दुखाना हराम है वहीं फ़ुज़ूल ख़र्ची के सबब रिज़्क़ को बर्बाद करना भी हराम है। इसी तरह बुज़ुर्गों की खाते हुए नक़्लें उतारना, उनका मज़ाक़ उड़ाना। और फिर दूसरों को भी इशारों से मज़ाक़ में शामिल करना, अलावा दावत के भी नाजाइज़ व हराम है। यह मेज़बान के साथ ही बद-सुलूकी नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के साथ बद-सुलूकी है।

पज़्मुर्दगी-ए-गुल पे हंसी जब कोई कली
आवाज़ दी ख़िज़ां ने तू भी नज़र में है

फ़रमाइश : सलाद, राइते, फ़िर्नी वग़ैरह का इंतिज़ाम हो यानी दस्तरख़्वान पर मौजूद हो तो इस्तेमाल करें। ख़ुद फ़रमाइश करके मेज़बान को शर्मिन्दा न करें। और इस तरह की आवाज़ें न कसें कि क्या फ़िर्नी का इंतिज़ाम नहीं? सलाद लाओ राइता लाना, गर्म रोटी लाओ।

जानवर के किसी ख़ास हिस्सा या अज़्व का नाम लेकर कहना कि इसकी बोटियाँ लाना। चिकनी बोटी, रूखी बोटी या गोल बोटियों की फरमाइश करना। सिर्फ़ बोटियाँ, बोटियाँ ही लाना। सालन गर्म लाना। "प्यारे इस्लामी भाईयो! (पिछले सफ़हात में आप पढ़ चुके कि ठण्डा खाना सुन्नत है और गर्म खाना मक्रूह है।") पुलाव या बिरयानी में बार-बार बोटियों की फरमाइश करना। या इस तरह के अल्फाज़ अदा करने जिनसे फरमाइश की बू आती हो मसलन, कोरमा के साथ शीर माल का साथ है। खाने के आख़िर में मीठे का होना सुन्नत है। (बड़े शर्म की बात है ऐसे हज़रात अपने मतलब की ख़ातिर बिल्कुल बे ढंगी और मन घड़त बात को सुन्नत कहते हुए नहीं ख़ौफ़ खाते। जबकि दावत में मीठे का होना ज़रूरी नहीं, बल्कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का इरशाद यह है कि हर खाने का आख़िर नमक हो यानी नम्कीन। अल्बत्ता हुज़ूर अलैहिस्सलाम को हल्वा महबूब था।) जब मीठा नहीं तो दावत करने की क्या ज़रूरत थी? और यह कि अपने आगे ख़ुद खाना निकाल कर सालन या चावल वग़ैरह सब न खाना। खाना बर्बाद करना। गोया ढके, छुपे लफ़्ज़ों में मेज़बान से यह कहना कि तुमने मेरी दावत क्यों की? इसकी मेज़बान को सज़ा देना।

वज़ाहत : इस क़िस्म के अफ़आल (कामों) से मुहब्बत में इज़ाफ़ा (ज़्यादा) तो क्या नफ़रत का बीज बोना है, इस तरह के हरकतों से कीना, बुग्ज़ दिलों में ख़ूब फलता फूलता है।

जहाँ किब्र व रऊनत हो वहाँ झगड़ा ज़रूरी है

शुब्हे का इज़ाला : फरमाइश से मुतअल्लिक़ एक शुबहे का इज़ाला ज़रूरी है कि नमक, पानी मांगना, बल्कि हाजत पर तलब करना ज़रूरी है। इसी तरह डिश में खाना को खत्म हो गया हो और इत्मीनान हो कि देगों में खाना ख़त्म नहीं हुआ है, तब अपने लिए तलब कर सकते हैं, इसी तरह अगर थोड़ा सालन या शोर्बा प्लेट में बच गया है तो मेज़बान की इजाज़त से उसका खाना पीना जाइज़ है।

माहिरे फरमाइश : वह मेहमान जो दोस्त या रिश्तेदार होने की वजह से चन्द घन्टे या चन्द दिन के लिए मेहमान बनता है उनमें बाज़ मेहमान फरमाइश करने का माहिर भी होता है। और ऐसी उम्मीदें मेज़बान से रखता है कि मेरी ख़िदमत के लिए चन्द अफ़राद मख़्सूस रहें। और साहिबे खाना भी इसी से मुतवज्जह रहे। कोई और काम बिल्कुल न करे।

ऐसे मेहमान अक्सर मेहमान बनने का ही फन रखते हैं। खुद मेज़बानी के नाम से ख़ातिर व मुदारात तो क्या, अपने सर की जूं भी किसी को देने के रवा दार नहीं होते। कि अगर उनको मालूम हो जाए कि फ़ुलां शख़्स जिसके हम काफ़ी दिन मेहमान रहे हैं या उसके हम पर काफी एहसान हैं, वह हमारे हां मेहमान बनेगा, तो वह मेहमान के आने से क़ब्ल (पहले) ही उस दिन अपना घर छोड़ कर किसी दूसरे के घर मेहमान बन चुके होते हैं।

और मेहमान घर में ताला लगा कर देख कर वापस हो जाता है। कभी ऐसे अश्ख़ास यह फन भी दिखाते हैं कि मैंने दरवाज़े पर ताला लगा कर दूसरे दरवाज़े से अन्दर आकर फिर अन्दर से कुंडी लगा लेते हैं। और अगर कोई मेहमान ख़त से बेग़ैर इत्तिला किए अचानक मकान के अन्दर आ भी जाए तब फ़ौरन किसी की शादी या मौत का फ़र्ज़ी बहाना बना कर माज़रत करके चलने की तैयारी करते।

जज़ा एहसान की एहसान है इंसान का शेवह
बदी मुहसिन से करना है फ़क़त का शैतान का शेवह

ऐसे मेज़बान दूसरे मेज़बानों को भी बदनाम करते हैं। जबकि यह किसी के हां मेहमान बनते हैं तब सैर व तफ़रीह कराने की फरमाइश के अलावा मेज़बान से दरयाफ़्त करते हैं। कि यहाँ के क्या-क्या सौग़ात कहलाते हैं? अगर मेज़बान के हां फ़ून का इंतिज़ाम है, फिर घबरा देने वाले अन्दाज़ में कहेंगे कि मुझे एक बहुत ज़रूरी काल करनी है। जबकि एक काल के बहाने मुल्क के गोशा-गोशा फ़ून पर बेज़रूरत गुफ़्तगू में पन्द्रह बीस-बीस मिनट गुफ़्तगू करके मेज़बान की जेब पर बोझ बनते हैं। मेज़बान के फ़ून पर अपने दोस्त अहबाब, और रिश्तादारों की ख़ैरियत लेने देने से मेज़बान को तक्लीफ़ देना है। जबकि ख़ुद उन फनकारों को अपने चन्द पैसों से ख़त भी बर्सों किसी क़रीबी रिश्ता दार को भेजना नसीब नहीं होता। बुज़ुर्ग ऐसे ही अफ़राद पर यह मिसाल देते हैं कि –

"हलवाई की दुकान, नाना जी की फातिहा।"

ऐसे मेहमान का मेज़बान के हमराह बाज़ार में चन्द क़दम चलना भी मस्लेहत से खाली नहीं होता, कि जो चीज़ भी देखता है लल्चाई भरी नज़रों से देखता है। और मेज़बान की जेब में जितनी रक़म होती है वह भी ख़र्च और मेज़बान को मक्रूज़ कराने से भी नहीं चूकता। और जो बड़ा फनकार होता है वह ख़रीदारी ऐसी करता है कि देखने वाले यह समझें कि मेहमान, मेज़बान को शॉपिंग करा रहा है।

नज़र जिसकी रहा करती है ग़ैरों के सहारे पर
वह इंसां ठोकरें खा कर भी मुश्किल से संभलता है

ऐसे मेहमान की इस क़िस्म की फ़नकारियाँ भी मेज़बान को तक्लीफ़ देने, और उसके साथ बद-सुलूकियों में ही शुमार होती है। और इसी तरह खाने में ऐब ब्यान करना। और फरमाइश करना भी।

वह अगले बेवफ़ा जो थे, वफ़ादारों से अच्छे थे
जो दुश्मन उठ गए यां से वह इन यारों से अच्छे थे

खाने को ऐब लगाना मकरूह :

हदीस : सही बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरह रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, कहते हैं कि "नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने खाने को कभी ऐब नहीं लगाया (बुरा नहीं कहा) अगर ख़्वाहिश हुई खा लिया, वरना छोड़ दिया।" खाने को ऐब लगाना, बुरा कहना, अपने मकान पर भी मकरूह है, और जब किसी के मेहमान हों तो सख़्त मकरूह है। कि मेज़बान के दिल को मजरूह करना है।

लिहाज़ा इस क़िस्म के अल्फ़ाज़ों से सख़्त परहेज़ चाहिए। नमक ज़्यादा है। मिर्च तेज़ है। गोश्त ख़राब है। गोश्त बूढ़े जानवर का है। बड़े जानवर का है या बड़े उम्र के जानवर का है। गोश्त बूढ़ी भैंस का या ऊंट का है।

मेज़बान से ऊंची दुकान फीका पकवान, वाली मिसाल के किसी क़साई का नाम लेकर कहना कि तुम्हें उससे गोश्त लेना चाहिए था। इसी तरह मेज़बान से मुँह बिगाड़ कर मालूम करना कि यह किस से पकवाया है? पक्का अच्छा नहीं। मसाले कम डाले गए। शोरबा को कहना कि पानी ला कर रख दिया है इससे अच्छा तो मैं अपने ही घर खाया करता हूँ। क्या मीठे का इंतिज़ाम नहीं। शीर माल भी होना चाहिए था। क़ोरमा रोटी के साथ फ़िर्नी का होना लाज़मी है।

किसी करोड़पती या कमिशनर या वज़ीर का नाम लेकर कहना कि उसने मेरी दावत की, मैं क्या क्या-ब्यान करूं हर-हर शख़्स के आगे बीस क़िस्म के खाने चुने गए थे।

याद रखें! इस क़िस्म की गुफ़्तगू से मेज़बान का दिल सख़्त मजरूह होता है। और यह कि खाने वग़ैरह में ऐब लगाना भी मेज़बान को तक्लीफ़ देने में ही शुमार है। इस तमाम गुफ़्तगू के मकरूह होने का

एहसास जब होगा जबकि दूसरे हज़रात यही सब कुछ ऐसे अल्फ़ाज़ कहने वालों की दावत के दौरान कहें। मगर ऐसे हज़रात को मेज़बान बनना मुश्किल ही से नसीब होता है।

उसके गुन गाओ तुम्हारे साथ जो एहसां करे
तांकि अपने लुत्फ़ को वह और भी अरज़ां करे

बुख़्ल व सख़ावत की वज़ाहत :

बख़ील (कंजूस) हज़रात के मेहमान बनने के दौरान "कारनामे" आपने "फरमाइश" और "माहिरे फरमाइश" के उनवान और "खाने को ऐब लगाने" के उनवान में मुलाहिज़ा फरमाए। अब बुख़्ल और सख़ावत की वज़ाहत भी मुलाहिज़ा फरमाएं कि –

हज़रत मुस्लेहुद्दीन सअदी अलैहिर्रहमा से किसी ने पूछा!

सख़ावत क्या है?

फरमाया! सख़ावत यह है कि अपनी ज़रूरत से जो कुछ ज़ाइद हो सब ख़ैरात कर दिया जाए।

फिर उसने पूछा! बुख़्ल क्या है?

फरमाया! न माल की ज़कात अदा की जाए, और न मुस्तहेक़ीन (हक़दार) को कुछ दिया जाए।

पूछा! ईसार क्या है?

फरमाया! जिस चीज़ की खुद को अशद ज़रूरत हो उसे दूसरों की ज़रूरत पूरी करने में सर्फ़ (ख़र्च) कर दिया जाए। "यह सख़ावत का कमाल है।"

जो खुद फ़ाक़ा से रह कर दूसरों का पेट भरते हैं
ज़मीं खुशहाल होती है जहां से भी गुज़रते हैं

पूछा! और बुख़्ल का कमाल क्या है?

फरमाया! बुख़्ल का कमाल यह है कि जिस चीज़ की ख़ुद को ज़रूरत हो उसे अपनी ज़ात के लिए भी ख़र्च न किया जाए। और इसी ताक में रहे कि कहीं और से ही यह ज़रूरत भी पूरी हो जाए। (शैख़ सअदी गुलिस्तान)

लतीफ़ा : एक कंजूस आदमी अपने मुलाज़िम के किसी काम से ख़ुश होकर कहने लगा। जा तुझे वह घोड़ा इंआम में दिया जो पिछले साल खो गया था, कंजूस की बीवी ने यह सुनते ही तेज़ी से कहा। क्या कह रहे हो उसके मिलने का तो इम्कान भी है। वह भैंस क्यों नहीं दे देते जो दो

साल क़ब्ल (पहले) मर गई थी।

(२) कंजूस की बीवी ने शौहर का बदन अलील (बीमार) देख कर कंजूस शौहर से सवाल किया?

बीवी बोली शौम की, क्यों है बदन अलील
क्या गिरह से खुल पड़ा, या किसी को दील?

कंजूस का जवाब :

न गिरह से खुल पड़ा, और न किसी को दील
देते देखा और को, तो है बदन अलील

कंजूस अपनी कंजूसी में इतना नाज़ुक मिज़ाज था, कि कोई शख़्स किसी को कुछ दे रहा था तो यह देखने ही से बीमार हो गया।

मेहमान को चाहिए : मेहमान को चाहिए कि मेज़बान का कुशादा पेशानी से शुक्रिया अदा करे। और यक़ीन दिलाए कि माशाअल्लाह खाना बहुत लज़ीज़ था जिसकी वजह से बहुत खाया गया। कोई क़ाबिल बावर्ची आपके हाथ लग गया, कि उसने नौजवानों के बावर्चियों को भी पीछे छोड़ दिया। ग़रज़ यह कि खाना अपने घर या किसी के मेहमान बन कर खाया जाए तो मेज़बान या खाने पर एहसान करने की ग़रज़ से न खाया जाए बल्कि अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त की नेअमत व एहसान ख़्याल करके खाए, कि उसने एक अज़ीम नेअमत से नवाज़ा, वरना लखपती, करोड़पती हो कर भूखे रहते हैं, खाना खिलाने वाला भूखा रहता है। **अल-क़ासिमु मेहरूमुन** यानी तक़सीम करने वाला महरूम रहता है। शरीअते मुतह्हरा का हुक्म है कि "जो कुछ मेहमान को पेश किया जाए उस पर ख़ुश हो।" और ऐसी कोई हरकत मेहमान न करे जिससे मेज़बान को तक्लीफ़ हो। मगर अफ़्सोस अक्सर मेहमान वही हरकात करते हैं जिन से मेज़बान को जिस्मानी व रूहानी तक्लीफ़ पहुंचे।

हज़रत अली रज़ि अल्लाहु अन्हु का **इरशाद** है। जब तुम किसी पर एहसान करो तो उसे छुपाओ, और अगर कोई तुम पर एहसान करे तो उसे फैलाओ।

ग़म नहीं इस का तुम्हारी ज़ात से कुछ सुख न हो
हां मगर यह देखना तुम से किसी को दुख न हो!

यह गुफ़्तगू नखरों से खाने वालों के बारे में और मेज़बान पर एहसान जताने वालों के बारे में थी।

अब ऐसे हज़रात का भी अमल मुलाहिज़ा करें जा खाने को ऐब नहीं लगाते एहसान नहीं जताते, बाज़ घरों के कुल अफ़राद की दावत की जाती है। और दावत पर आते भी हैं, मगर फिर भी खाना ले जाने के लिए बर्तन साथ लाते हैं। अल्बत्ता बाज़ हमारे भाई यह इहतियात भी करते हैं कि सारे घर के अफ़राद से एक को घर पर ही छोड़ आते हैं, और फिर उसके वास्ते खाना तलब करते हैं। हो सकता है कि यह इस वजह से तकल्लुफ़ करते हों, कि एक ख़ूराक में पाँच का खाना मिलेगा। अक्सर ऐसा भी होता है कि जिसके नाम का खाना लिया गया वह भी किसी न किसी तरह इस महफ़िल में दावत खा चुका होता है।

कम अज़ कम ऐसा फेअ़ल करते वक़्त यही सोच लिया जाए, कि जब कोई यह हरकत मेरे साथ करे तब उस वक़्त मुझ पर क्या गुज़रेगी। क़ारेईन आपने देखा जो खाने में ऐब ब्यान नहीं करते या और कोई फ़ेअले क़बीह (बुरा काम) नहीं करते उन में के अक्सर इस तरह मेज़बान को ईज़ा देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने महबूब के तुफ़ैल दीन की सही समझ और अमल की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।

खुद नज़र आती नहीं जो चीज़ तुमको सूद मन्द
दूसरों के वास्ते करते हो क्यों इसको पसन्द

मसला : दावत कुबूल करना सुन्नत और दावत पर न जाना अपने मुसलमान भाई का दिल दुखाना है। अगर कोई मज्बूरी हो या उज़्र हो तो आजिज़ी से शुक्रिया अदा करते हुए मज्बूरी का इज़हार करे। और यह कि जाना भी नहीं और खाना भी तलब करना ज़ुल्म दर ज़ुल्म है। लिहाज़ा ज़रूरी है कि पहले ही सोच समझ कर दावत कुबूल की जाए और अगर फिर भी कोई मज्बूरी दर पेश हो तो मेज़बान से माज़रत कर ली जाए और हरगिज़-हरगिज़ खाना घर ले जाने के लिए तलब न किया जाए, मेज़बान अगर खुद खाना घर भेज दे तो कुबूल कर लिया जाए।

मस्लेहत इसमें है पहले सोच कर हामी भरो
और जब इक़रार कर बैठो तो फिर पूरा करो!

एतराफ़ : यह भी अजीब इत्तिफ़ाक़ है कि जो हज़रात दावत की

बद-सुलूकियों में पी, एच, डी, पास होते हैं यानी शोहरत याफ़्ता होते हैं, अगर उनके सामने किसी भी बद-सुलूकी का तज़्किरा किया जाए, कि लोग दावत में ऐसा-ऐसा करते हैं तब यह पी, एच, ड़ी, पास हज़रात दो तरह की बातें करते हैं। अव्वल यह कि तुम ग़लत कहते हो, ऐसा तो पूरी दुनिया में नहीं होता। दोम यह कि हां आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। मैंने दवात की थी तो मेहमानों ने इस-इस तरह हमको भी तंग किया, तअज्जुब की बात यह है कि वही हज़रात यह दोनों बातें –"क्या? समझ कर जवाब देते हैं"। इतनी मोटी बात मेरी आज तक समझ में न आ सकी काश की वही पी, एच, डी, पास हज़रात इन नाचीज़ को समझाएं तो बेहतर है।

उनको इल्ज़ाम अगर दें भी तो हम क्यों कर दें

इतने मासूम हैं, अंजान नज़र आते हैं

मुग़ालता का इज़ाला : क़ारेईन का यह मुग़ालता दूर करना ज़रूरी है, कि चुग़ली, ग़ीबत वह कहलाती है जो इस्लाह (सुधार) से खाली और किसी मुसलमान भाई का नाम लेकर हिंजो मक़्सूद हो। वरना चोर की चोरी और क़ातिल के क़त्ल करने पर गवाही, शहादत भी चुग़ली शुमार होगी। और मुआशरे पर इस्लाह की ग़रज़ से तमाम लाखों कुतुब भी चुग़ली शुमार की जाएंगी।

अय्यार, मक्कार गुस्ताख़े रसूल के जब अक़ाइदे कुफ्रीया उनकी ही कुतुब (हिफ़्ज़ुल-ईमान तक़्वियतुल-ईमान, सिराते मुस्तक़ीम, बराहीने क़ातेआ वग़ैरह) से पढ़ कर सुनाए जाते हैं। तब वह भी अवाम को धोखा फरेब देने की ग़रज़ से यही कहते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने किसी मुसलमान की ग़ीबत चुग़ली करने से मना फरमाया है। सीधे साधे सुन्नी भी उनके फरेब में आ कर कहते हैं कि हमें किसी की चुग़ली नहीं करनी चाहिए।

जबकि हुज़ूरे अनवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने किसी **मुसलमान** की चुग़ली ग़ीबत से मना फरमाया है। न कि गुस्ताख़े रसूल काफिर मुर्तद के अक़ाइद ब्यान करने से।

मसला : तमाम मुसलमान, गुम्राहियों की गुम्राही से बचे रहे। इस ग़रज़ से, गुम्राह, बद मज़्हब के अक़ाइदे बातिला ब्यान करने फ़र्ज़ हैं। वरना रोज़े क़यामत मुसलमानों के गुम्राह होने की ज़िम्मेदारी अह्ले इल्म हज़रात पर होगी, कि तुमने मुसलमानों को बद मज़्हबों के अक़ाइद से आगाह क्यों नहीं किया? आपके अनीस ने भी इसी ख़ौफ़ से इस किताब

में बाज़ जगह अपने सुन्नी भाईयों को गुस्ताख़े रसूल फ़िर्क़े की मुख़्तलिफ़ टोलियों के फ़रेब से आगाह किया है।

मेहमान की इहतियातें : मेज़बान की दावत पर मेहमान! मेज़बान के हां जाने में जल्दी करे। और मेहमान बिस्मिल्लाह पढ़ कर मेहमान खाने में पहले दायां पैर दाख़िल करे। हाज़िरीन को सलाम करे। जहाँ जगह पाए वहाँ दायां घुटना खड़ा और बायां घुटना बिछा कर बैठ जाए। मख़्सूस आला जगह की कोशिश न करे। और न रास्ते में बैठे। कि मुन्तज़ेमीन को परेशानी पैदा हो। और इसी तरह न बराबर वालों के लिए तंगी का सबब बने। औरतों के हुजरे के बराबर न बैठे। जब बैठे तो जो शख़्स क़रीब तर हो उसकी मिज़ाज पुर्सी करे। अगर कोई अम्र ख़िलाफ़े शरअ देखे तो इनकार कर दे। जहाँ से खाना लाया जाता हो उधर बार-बार न देखे।

हदीस : अगर किसी मरीज़ के साथ खाना खाने का इत्तिफ़ाक़ वाक़े हो तो कहे। **सिक़्क़ता बिल्लाहि व तवक्कलन अलैहि** खाना शुरू करने में बे-सब्री का इज़्हार न करे। कि मेज़बान, मेहमान की बनिस्बत ज़्यादा जल्दी चाहता है। जब खाना पेश किया जाए तब महफ़िल के बुज़ुर्ग से खाना शुरू करने में सबक़त न करे। और यह कि जो शख़्स उम्र, इल्म या परहेज़गारी में या किसी और वजह से बढ़ कर हो जब तक वह खाने को हाथ न बढ़ाए उस वक़्त तक यह भी हाथ न लपकाए। अगर ख़ुद सबसे बढ़ कर हो तो औरों को इंतिज़ार में न रखे।

बुलन्द आवाज़ से पढ़ कर खाना नम्कीन से शुरू करे। इसी तरह दीगर सुन्नतों पर भी अमल करे। सालन इतना लिया जाए। कि जितना खा सके। बिरयानी या पुलाव, रोटी, क़ोरमा दस्तरख़्वान पर हो तो फिर मेहमान बिरयानी या पुलाव में क़ोरमा डाल कर न खाए कि क़ोरमा रोटी से खाने को रखा गया है। अल्बत्ता अगर मेज़बान ख़ुद ताकीदन कहे कि क़ोरमा डाल कर खाएं तब ऐसा भी कर सकते हैं। इसी तरह न सिर्फ़ गोश्त से ही पेट भरे कि दावत तो रोटी पानी की है और सालन, रोटी से लगा कर खाना है। अल्बत्ता आख़िर में शोरबा प्लेट में बच जाए और मेज़बान के खाने में तंगी भी नज़र न आए, तब मेज़बान की इजाज़त से शोरबा पी सकते हैं। खाने की जो चीज़ दस्तरख़्वान पर न हो वह तलब करना मेज़बान को दीगर अफ़राद के सामने शर्मिन्दा करना है। मसलन सलाद, फ़िर्नी, फल फ़्रूट, मीठा, चाय, पान, सिग्रेट, बीड़ी वग़ैरह। अल्बत्ता

पानी, नमक या खाना ज़रूरतन अपने लिए तलब कर सकते हैं। नापसन्द खाना न खाए या जिस क़द्र खाए ख़ुश दिली से खाए। खाने को ऐब न लगाए। खाते हुओं को न तके। अगर मेहमान की ख़ूराक क़लील है तब उस रफ़्तार से खाए कि दूसरों का आख़िर तक साथ दे सके। क्योंकि दूसरे मेहमान दस्तरख़्वान से भूखे उठेंगे। या खाते हुए दिल में ख़िफ़्फ़त महसूस करेंगे। लिहाज़ा जब दीगर हज़रात खाने से हाथ रोक लें तो ख़ुद भी रुक जाए। खाना खाने के बाद बग़ैर इजाज़त मेज़बान के दस्तरख़्वान से मेहमान हाथ न पोंछे कि मक्रूह है। अल्बत्ता तौलिया या कपड़े से हाथ पोंछने का इंतिज़ाम हो तब उस से पोंछ सकते हैं। अपने मकान पर अपने दस्तरख़्वान से हाथ पोंछना जाइज़ है। मगर तंगदस्ती को दावत देना है।

रुख़्सत : मेज़बान जब खाने के बर्तन सामने से हटा ले तब मेहमान! मेज़बान के हक़ में दुआए ख़ैर के बाद रुख़्सत की इजाज़त हासिल करे।

(१) अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत्अम्ना व सक़ाना व जअलना मिनल-मुस्लेमीन।

(२) अल्लाहुम्मा अत्इम्मन अत्अम्नी वस्क़ि मन सक़ानी।

हदीस : इब्ने माजा ने हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ि अल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम "ने खाने पर से उठने की मुमानिअत की है, जब तक कि खाना उठा न लिया जाए।"

शुक्रिया : लिहाज़ा दुआ के बाद खाने, और खिलाने के इंतिज़ाम की, खुसूसन मुहब्बत और खुलूस से पेश आने की मेहमान! मेज़बान से तारीफ़ करे और दावत करने का शुक्र अदा करे।

हदीस : फइन्ना मल लम यश्कुरिन्नासा लम यश्कुरिल्लाह। तो बेशक जिसने बन्दों का शुक्र अदा न किया वह ख़ुदा का शुक्र भी अदा नहीं करता।

इसके अलावा मेहमान! मेज़बान से गुफ़्तगू में मसरूफ़ न हो। और न मेज़बान के मुआविन व ममदगारों से गुफ़्तगू में मसरूफ़ हो। कि हो सकता है कि मेज़बान को दूसरी महफ़िल के लिए जगह की ज़रूरत हो। या ख़्वातीन को इसी जगह खाना खिलाना हो। या यह जगह किसी और की इस्तेमाल करने की ग़रज़ से ली हो, और अब उसको वापस करनी हो। या मुम्किन हो कि मेज़बान को दावत से बाद फ़रागत पर अहम ज़िम्मेदारी

अदा करनी हो। ग़रज़ यह कि मसरूफ़ या ग़ैर मसरूफ़ शख़्स के वक़्त की क़दर हर जगह करनी है। इस वजह से भी कि अल्लाह तआला और उसके महबूब ने दावत के बाद रुकने से मना फ़रमाया है। अल्बत्ता अगर मेज़बान किसी बात या काम की ग़रज़ से रोके तो रूक जाए। यानी मेहमान मेज़बान से इजाज़त लेकर ही रुख़्सत हो। यही हुक्म हर मीटिंग, हर मज्लिस, हर महफ़िल का है। और रुख़्सत के वक़्त दुआ व सलाम करे।

खाने पीने से क़ब्ल की दुआ : दैलमी ने हज़रत अनस रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया जब खाए पिए। तो यह कह ले।

बिस्मिल्लाहे व बिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मआ इस्मेही शैयुन फ़िल-अर्ज़े वला फ़िस्समाए या हैय्युन या क़ैय्यूम।

फिर इससे कोई बीमारी न होगी अगरचे उसमें ज़हर हो।

हदीस : रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया। "जब कोई शख़्स खाना खाए तो यह कहे। **अल्लाहुम्मा बारिक़ लना फ़ीहे व अब्दिलना ख़ैरम मिन्हु।** और जब दूध पिए तो यह कहे। **अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीहे वज़िदना मिन्हु** क्योंकि दूध के सिवा कोई चीज़ ऐसी नहीं जो खाने और पानी दोनों के क़ाइम मुक़ाम हो।" (अबू दाऊद, व तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)।

मरीज़ के साथ खाने की दुआ : सिक़्क़तुन बिल्लाहि वतवक्कलन अलैहि।

पानी पीने की दुआ

अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलहू अज़्बन फ़ुरातन बेरहमतेही वलम यज्अलहू मिल्हन उजाजन बेज़ुनूबेना।

तरजमा : तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने उससे मीठा ख़ुश्गवार बनाया और अपनी रहमत से और हमारे गुनाहों के बाइस उसे कड़वा, खारी न बनाया।

इलाजे गुनाह में नेकों को खाना खिलाना और आम मुसलमानों के साथ अच्छा सुलूक करना चाहिए

इस उनवान पर मज़्मून सुन्नत २८, सुन्नत २६, सुन्नत ३०, और सुन्नत नम्बर ३१ में गुज़रा और उसमें अहादीसे मुबारका भी पेश की गईं। यहाँ चन्द अहादीस मज़ीद पेश की जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन!

हदीस : रवाहुल-बैहक़ी फ़ी शुअबुल-ईमान व अबू नईम फ़िल-हुलिया अबी सईद ख़ुदरी रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फरमाया "मुसलमान और ईमान की कहावत ऐसी है जैसे चरागाह में घोड़ा अपनी रस्सी से बंधा हुआ कि चारों तरफ चर कर फिर अपनी बन्दिश की तरफ पलट आता है। यूंही मुसलमान से भूल हो जाती है। फिर ईमान की तरफ रुजूअ लाता है। तो अपना खाना परहेज़गारों को खिलाओ और अपना नेक सुलूक सब मुसलमानों को दो।"

हदीस : अबी दरदा रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि मेज़मान अपना रिज़्क़ लेकर आता है और खिलाने वालों के गुनाह लेकर जाता है। उनके गुनाह मिटाता है।

हदीस : रवाहुत्तबरानी बसनद सही अन अमर बिन सहल रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने क़रीबी रिश्तादारों से अच्छा सुलूक माल का बहुत बढ़ाने वाला। आपस में बहुत मुहब्बत दिलाने वाला, उम्र का ज़्यादा करने वाला है।

हदीस : इमाम अहमद व बैहक़ी उम्मुल-मुमिनीन हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ि अल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम सिलह-ए-रहम और नेक ख़ूई और हम्साया से नेक सुलूक शहरों को आबाद करता है, और उम्रों को ज़्यादा करते हैं।

हदीस : हाकिम फ़िल-मुस्तदरक हज़रत अनस रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि नेक सुलूक के काम बुरी मौतों, आफतों, हलाकतों से बचाते हैं। और दुनिया में एहसान वाले ही आख़िरत में एहसान वाले होंगे।

हदीस : मुस्लिम शरीफ़ जिल्द अव्वल हज़रत अबू हुरैरह रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम से रिवायत करते हैं कि अल्लाह तआला के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम फरमाते हैं कि जो शख़्स अल्लाह और रोज़े क़्यामत पर ईमान रखे उसको चाहिए कि अच्छी बात कहे या ख़ामोश रहे और जो शख़्स अल्लाह तआला और क़्यामत पर ईमान रखे वह अपने पड़ोस का एहतराम करे। और जो शख़्स रोज़े क़्यामत पर ईमान रखे वह अपने मेहमान की ताज़ीम करे।

इस हदीस शरीफ़ में मेहमान की ताज़ीम की तर्ग़ीब है। मसलन उनके साथ ख़न्दा पेशानी के साथ पेश आना ताकि उसे घुटन न महसूस हो। हत्तल-वसा ख़ातिर व मदारात करे, उसको कोई काम सिपुर्द न करे। मगर बजुज़ इसके जिस से इत्मीनान हो कि यह बख़ुशी कार अंजाम दे।

(माहनामा फ़ैज़ुर्रसूल जनवरी १६८८ ई०)

हदीस : हज़रत हसन रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु का फरमान है बेशक मेरा अपने किसी दीनी भाई को एक नवाला खिलाना मुझे उससे ज़्यादा पसन्द है कि मिस्कीन को एक रुपया या दिरहम दूं और अपने दीनी भाई को एक दिरहम (एक रुपया) देना मुझे उससे ज़्यादा प्यारा है कि मिस्कीन पर सौ रुपया ख़ैरात करूं।

नेक, ग़ुरबा, (ग़रीब) मसाकीन मुसलमान के साथ हुस्ने सुलूक करते हुए किन-किन बातों का ख़ास ख़्याल रखा जाए। वह क़ुरआनी उसूल मुजद्दिदे वक़्त इमाम अह्ले सुन्नत मौलाना अश्शाह **अहमद रज़ा खान** रहमतुल्लाह तआला अलैह की क़द्रे वज़ाहत कौसैन की रोशनी में मुलाहिज़ा करें।

"जो लोग ख़र्च करते हैं। माल ख़ुदा की राह में फिर अपने दिए के पीछे न एहसान रखें, न दिल दुखाना उनके लिए उनका सवाब है अपने रब के पास, न उन पर ख़ौफ और न ग़म खाएं अच्छी बात (कि हाथ न पहुँचा तो मीठी ज़ुबान से साइल को फेर दिया) और दर गुज़रे हिल्म वाला है। (कि बेशुमार नेअमतें देकर तुम्हारी सख़्त-सख़्त नाफरमानियों से

दरगुज़र फरमाता है तुम एक नवाला मुहताज को देकर वजह बे वजह उसे ईज़ा देते हो) ऐ ईमान वालो! अपनी ख़ैरात अकारत न करो, एहसान रखने और दिल सताने से उसकी तरह जो माल ख़र्च करता है लोगों के दिखावे को।" (कि उसका सदक़ा सिरे से अकारत है। **वल-अयाज़ु बिल्लाहे रब्बिल-आलमीन।**)

इमाम अह्ले सुन्नत मौलाना अश्शाह अब्दुल-मुस्तफ़ा अहमद रज़ा खान ने उलमा, सुलहा, फ़ुक़रा को एजाज़ से खिलाने पिलाने और उनके साथ सिला रहमी से पेश आने पर अरबी, उर्दू तरजमा के साथ **साठ अहादीस** और पच्चीस फ़वाइद पर मुश्तमिल "रादुल-क़हत वल-वबा" किताब तहरीर फरमाई।

❖❖❖

अक्सर अहादीस में चार-चार पाँच पाँच बशारतें

ग्यारह अहादीस : बेइज़्नेही तआला बुरी मौत से बचेंगे। **छेः अहादीस** : सत्तर दरवाज़े बुरी मौत के बन्द होंगे। **नौ अहादीस** : उमरें ज़्यादा होंगी। **छेः अहादीस** रिज़्क़ की उस्अते माल की कसरत होगी। **एक हदीस** : इसकी आदत से कभी मुहताज न होंगे। **पाँच अहादीस** : ख़ैर व बरकत पाएंगे। **सात अहादीस** : आफ़तें बलाएं दूर होंगी, बुरी क़ज़ा टलेगी। **एक हदीस** : सत्तर दरवाज़े बुराई के बन्द होंगे। **एक हदीस** : सत्तर क़िस्म की बला दूर होंगी। **एक हदीस** : उनके शहर आबाद होंगे। **एक हदीस** : शकिस्ता हाली दूर होगी। **एक हदीस** : ख़ौफ़े अन्देशा ज़ाइल और इत्मीनान ख़ातिर हासिल होगा। **दो हदीसें** : मदद इलाही शामिले हाल होगी। **एक हदीस** : रहमते इलाही उनके लिए वाजिब होगी। **चार अहादीस** : रज़ाए इलाही के काम करेंगे। **एक हदीस** : मलाइका उन पर दरूद भेजेंगे। रज़ाए इलाही के काम करेंगे। **एक हदीस** : मलाइका उन पर दरूद भेजेंगे।

एह हदीस : ग़ज़बे इलाही उन पर ज़ाइल होगा। **ग्यारह आहदीस** : उनके गुनाह बख़्शे जाएंगे, मग़्फ़िरत उनके लिए वाजिब होगी, उनके गुनाहों की आग बुझ जाएगी, यह दस फ़वाइद दफ़ा क़हत दो बाहर गोना अमराज़ व बला व क़ज़ाए हाजात व बरकात व सआदत को मुफ़ीद हैं। **एक हदीस** : ख़िदमते अहले दीन में सदक़ा से बढ़कर सवाब पायेंगे। **एक हदीस** : गुलाम आज़ाद करने से ज़्यादा अज्र मिलेंगे। **एह हदीस** : उनके टेढ़े काम दुरुस्त होंगे। **एक हदीस** : आपस में मुहब्बतें बढ़ेंगी जो हर ख़ैर ख़ूबी की मत्तबा हैं। **एक हदीस** : थोड़े सर्फ़ में बहुत का पेट भरेगा कि तन्हा खाते तो दूना ख़र्च होता। **वफ़ीहे अहादीसुन लम ज़न कराहा। दस अहादीस** : अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के हुज़ूर दर्जे बुलन्द होंगे। **एक हदीस** : मौला तबारक व तआला मलाइका से उनके साथ मुबाहात (फ़ख़) फरमाएगा। **तीन अहादीस** : रोज़े क़यामत दोज़ख़ से अमान में रहेंगे।

दो हदीसें : आतिशे दोज़ख़ उन पर हराम होगी। **दो हदीसें :** आख़िरत में एहसाने इलाही से बहरा मन्द होंगे कि निहायत मक़ासिद व ग़ायत मुरादात है। **एक हदीस :** ख़ुदा ने चाहा तो उसके मुबारक गरोह में होंगे जो हुज़ूर पुर नूर सैयदे आलम सरवरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम की नअले अक़्दस के तसद्दुक़ में सबसे पहले दाख़िले जन्नत होगा।

इरशाद मौलाना अहमद रज़ा ख़ाँ : आला हज़रत इमाम अह्ले सुन्नत मौलाना अश्शाह अब्दुल-मुस्तफ़ा अहमद रज़ा ख़ाँ रहमतुल्लाह तआला अलैहि इरशाद फरमाते हैं। **तस्हीहे नीयत :** किं आदमी की जैसी नीयत होती है वैसा ही फल पाता है। नेक काम किया और नीयत बुरी तो वह कुछ काम का नहीं **इन्नमल-आमालु बिन्नियात**। तो लाज़िम कि रिया, दिखावा नामवरी वग़ैरह अग़राज़े फ़ासिदा को असलन दख़ल न दें वरना नफ़ा दरकनार, नुक़्सान के सज़ावार होंगे। **वल-अयाज़ बिल्लाहे तआला।** सिर्फ़ अपने सर बला टलने की नीयत न करें कि जिस नेक काम में चन्द तरह के अच्छे मक़ासिद हों और आदमी एक ही नीयत करे तो उसी लाइक़े समरा का मुस्तहिक़ होगा। **इन्नमा लेकुल्ले इम्रइन मा नवा।** जब काम कुछ बढ़ता नहीं सिर्फ़ नीयत कर लेने में एक नेक काम के दस हो जाते हैं तो एक ही **नीयत** करना कैसी हिमाक़त और बिला वजह अपना नुक़्सान है। हम ऊपर इशारा कर चुके हैं कि इस अमल में कितनी नेकियों की नीयत हो सकती है। उन सबका क़सद करें कि सबके मुनाफ़े पाएं। बल्कि हक़ीक़तन इस अमल से बला टलना भी इन्हीं नीयतों का फल है जैसा कि हमने अहादीस से रौशन कर दिया।

अपने मालों की पाकी में हद दरजा की कोशिश बजा लाएं कि इस काम में पाक ही माल लगाया जाए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला पाक है। पाक ही को क़ुबूल फरमाता है।

बुज़ुर्ग फरमाते हैं। हराम कमाई से सदक़ा, ख़ैर, ख़ैरात करना ऐसा ही है कि जैसे पेशाब से पकड़ा धोना।

मुसलमान ख़्वातीन और दावत

घर के सरबराह पर ख़र्च की बिजली : यह हक़ीक़त है कि जब कहीं से किसी तक़रीब में शामिल होनें का कार्ड आता है। तो घर के तमाम अफ़राद खुश। मगर शौहर या घर के सरबराह के दिल पर बिजली गिरती है। अगर बिजली न भी गिरे मगर दिल पर करन्ट का शार्ट ज़रूर लगता है।

ऐसा क्यों होता है? यह वह ही सही बता सकता है। जिसका चेहरा कार्ड देख कर ज़र्द पड़ता हो या कुछ देर के लिए सोच की दुनिया में गुम हो जाता हो। अल्बत्ता ग़ालिब गुमान यह है कि –

नील के साहिल से लेकर ता बख़ाके काशग़र

तक लम्बी इख़राजात (ख़र्च) की फ़ेहरिस्त से ख़ौफ़ खाता हो। **मसलन** ज़ेवर, सूट, साड़ी, जूते, चूड़ियां, और सिंघार के लवाज़िमात वग़ैरह। इसी तरह बच्चों के कपड़ों से लेकर जूतों तक की तैयारी, तोहफ़ा में देने के लिए अहम इंतिख़ाब, और अगर तक़रीब किसी दूसरे शहर है तब रेल के किराया के अलावा मेज़बान के बच्चे-बच्चे के सूट, मआ सूइटर, मोज़े, वग़ैरह पेश करने के अख़राजात का नक़्शा नज़र में घूमता हो।

जहाँ दावत करना कई वजह से मंहगी हो गई है। उसी तरह दावत खाना भी कई वजह से ख़्वातीन ने महंगी कर दी है। खाना खाने जाने से क़ब्ल (पहले) तोहफ़े या लिफ़ाफ़ा में बड़े नोट ज़रूर हों और नोटों के हार। और यह कि मज़्हबी किताब तोहफ़ा में देना अक्सर ख़्वातीन चूंकि बहुत ही बुरा समझती हैं बल्कि चिढ़ खाती हैं। अल्बत्ता फोटो अल्बम का तोहफ़ा देना बहुत पसन्द करती हैं।

ऐसी ख़्वातीन बहुत क़म होती हैं जो शौहर से तोहफ़ा देने में इंसाफ़ से काम लेती हों, वरना वह शौहर को यही बावर कराती हैं कि फलां फलां मौक़ों पर उसके हां से सूट और नक़द रक़म (दो गुनी रक़म बता कर कहती हैं) आई थी। उसकी यह रक़म चार मरतबा भी अगर किसी न किसी तरह उसको पहुंचाई गई हो फिर भी कहती हैं कि हमारे हां तक़रीबे ख़त्ना, उबटन, मेंहदी, या शादी, वलीमा, सालगिरह, रोज़ा कुशाई,

नशरह में उसके ही यहां से तोहफ़े और लिफ़ाफ़ों में रुपए आए हैं। अभी तक उसने कोई ऐसी तक़रीब ही नहीं की जो हम उसको देते हैं। आज उसके हां पहली तक़रीब है। ऐसा तोहफ़ा दिया जाए जो आज तक आए हुए तोहफ़ों का बेहतरीन बदल हो। वग़ैरह वग़ैरह

नुमाइश में बरतरी हासिल करना

खुदा के फ़ज़्ल से बीवी, मियां, दोनों मुहज़्ज़ब हैं
हिजाब उनको नहीं आता, उन्हें गुस्सा नहीं आता

मज़्कूरा तक़रीबात सिर्फ़ और सिर्फ़ ख़्वातीन की नुमाइश तक कामयाब रहती हैं। ख़्वातीन की फ़ितरत में सिंघार और कपड़ों की नुमाइश तो होती ही है। मगर तोहफ़ा देने में भी अब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना शुरू ही नहीं किया बल्कि दूसरों पर सबक़त व बरतरी का रुजहान भी पैदा हो गया है। चूंकि ऐसी नुमाइशी तक़रीबात में शामिल होने के लिए ख़्वातीन हर वक़्त तैयार और बेचैन रहती हैं ख़्वाह शौहर की जेब इजाज़त दे या न दे, ख़्वाह शौहर जब्रिया राज़ी हो या नाराज़, मगर जाना ज़रूर है। अगरचे बच्चों के कपड़ों, और जूतों, या खुद के कपड़ों, जूते, या सिंघार वग़ैरह और ख़ास कर तोहफ़ा के तौर पर देने की तैयारी के अख़राजात से शौहर की रातों की नींद ही उड़ जाए। क़ाबिले अफ़्सोस वह ख़्वातीन हैं जो शौहर की मुहब्बत को भी दाव पर लगा देती हैं। मगर बनाव, सिंघार और दूसरी ख़्वातीन पर बरतरी दिलाने वाली नुमाइश की ग़ैर हाज़िरी किसी क़ीमत पर कुबूल नहीं करतीं।

उस वक़्त ख़्वातीन की ज़ेहानत को दाद देने को जी चाहता है कि जब उस तक़रीब से वापस आकर शौहर के ख़ून, पसीने के हज़ारों रुपया पानी की तरह बहाने पर एहसास किए बग़ैर शौहर को उस नुमाइश में अपनी शर्मिन्दगी, तोहफ़ा को सबसे हल्का तोहफ़ा बता कर, गोया कि कपड़ों वग़ैरह और तोहफ़ा देने के ख़र्च को फ़ाइदा के अंदाज़ में ब्यान करती हैं, कि तुम्हारी इस मामूली ख़र्च में जान छूट गई जबकि दूसरी औरतें ऐसे-ऐसे लिबास में आई थीं। और फलां-फलां तोहफ़े तहाइफ़ भी लाई थीं। सबसे कम क़ीमत तोहफ़ा मेरा था। लिबास और तोहफ़ा की वजह से मैं किसी को मुंह दिखाने तक की नहीं रही थी।

ऐसी मुसलमान माएं बहनें ज़रा ग़ौर व फ़िक्र करें कि इतना माकूल ख़र्च कराने के बाद भी इस तरह की गुफ़्तगू कहाँ तक दुरुस्त है?

किसी मुसलमान की दावत कुबूल करना जहाँ सुन्नत है वहाँ आपने मुताला फरमाया कि नाम व नुमूद की दावत में न जाना भी सुन्नत है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ऐसी दावत में जाने से मुसलमानों को रोका है। ऐसी दावतों में तोहफ़े देने का रिवाज भी माज़ी क़रीब के चन्द सालों को छोड़ कर पूरी चौदह सौ साला इस्लामी तारीख़ में नहीं मिलता। तोहफ़ों के नाम पर शौहर या अपने आपको ज़ेर बार करना। अपने घर की ज़रूरतों का गला घूंटना किसी तरह भी दुरुस्त नहीं, और न ही जरूरत का सामान मौजूद होने पर। और न ही तरह-तरह की ज़ेब व ज़ीनत की ख़ातिर रक़म ख़र्च करके घर के सरबराह को ज़ेर बार करना दुरुस्त है।

कारोबारी दावत : जैसा कि सुन्नत २६ सुन्नत ३० सुन्नत ३१ में आप ने मुलाहिज़ा फरामाया कि जो मुसलमानों से हुस्ने सुलूक की नीयत से दावत करता है उसके गुनाह मिटने, दोज़ख़ से नजात की ख़ुशख़बरियाँ हुज़ूर पुर नूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फरमाईं। लिहाज़ा हमारी तमाम बहनों को चाहिए कि दावत नाम व नुमूद या किसी को नीचा दिखाने की नीयत से न की जाए कि दावते ख़ुलूस को ही अल्लाह तआला कुबूलीयत बख़्शता है। और उसी पर अज्र व सवाब इनायत करता है।

रस्मे बिस्मिल्लाह नशरह की दावत करें या रोज़ा कुशाई, सालगिरह, उबटन मेंहदी, या निकाह, वलीमा की दावत, मेज़बान की नीयत व मक़्सद अगर यह हो कि सिर्फ़ उसको ही बुलाया जाए जो लिफ़ाफ़े में बांडिया तोहफ़ा में कम अज़ कम नोटों के हार ही लाए। ऐसी तक़्रीबात कारोबारी नीयत से हों। या मुहल्ले वाले, अज़ीज़ व अक़ारिब, दोस्त अहबाब को साल में दो चार मरतबा बेवक़ूफ़ बनाने की नीयत से। जैसा कि ज़ाहिरी फ़ाइदा वह बहनें ही हासिल करती हैं जो सालगिरह के बहाने एक केक और कुछ काग़ज़ की टोपियाँ मंगा कर हज़ारों रुपए के तहाइफ़ हासिल करती हैं। याद रखें! इस तरह के आमाल दावत के तक़द्दुस को पामाल करने के मुतरादिफ़ हैं। अल्लाह तआला और उसके महबूबे आज़म के नज़्दीक ऐसी तक़्रीबात ना पसन्दीदा व मकरूह हैं। और मुआशरे में भी इस क़िस्म की तक़्रीबात को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। और न ही इस तरह के मफ़ाद परस्तों की इज़्ज़त व एहतराम किसी के दिल में रहता है।

ख़त्नों की दावत : हमारे मुआशरे में एक ऐसी दावत का भी रवाज है जिसके नाम के माना और हैं। और इस दावत का मक़्सद और, और यह कि हिन्दुस्तान में इस दावत का मक़्सद और था। और पाकिस्तान में इसका मक़्सद और ही है। इस दावत का नाम "ख़त्नों की दावत" है।

हिन्दुस्तान में कुफ़्फ़ार व मुश्रेकीन का मुक़ाबला हर तक़्रीब में पेशे नज़र रहता था और अब भी रहता है। मगर पाकिस्तान में सिर्फ़ मक़्सद अपनी नाक को ऊंची करना। और दोस्त अहबाब, अज़ीज़ रिश्ता दारों, मुहल्ला वालों की जेब खाली कराना, और वह रक़म अपने पास भी नहीं रखना, बल्कि पेशा वर नाई यानी क़साई को अपने पास से भी दो चार सौ रुपया उनमें शामिल करके नज़ करना होता है। इस तक़्रीब में भी ख़्वातीन का दख़ल है। वरना तक़्रीबे ख़त्ना भी सादा अंदाज़ में मुम्किन है। और जिस खानदान में ख़्वातीन का दख़ल नहीं वहाँ यह तक़्रीब सिर्फ़ ख़त्ना तक ही महदूद है।

बावजूद आपस में रंजिश के ढोल और गाने पर ख़्वातीन का जमा होना

इसमें शक नहीं जिन ख़्वातीन की विवाह शादी की तक़रीब या मीलादे पाक की महफ़िल में शिरकत की दावत पर यह शर्त होती है कि अगर महफ़िल में फलां औरत आएगी तो फिर हम नहीं आएंगे। मगर वही जब ढोल पर बैठी जो बोल गाती होगी। बावजूद रंजिश और मुख़्तलिफ़ ज़ुबान के, वह बोल और गाने सबकी ज़ुबां पर ऐसे रवां होते हैं जैसे सब एक वक़्त में, एक उस्तानी की शागिर्द रही हों। इस ढोल की थाप पर सारी शब क्या क्या फहश (गन्दे) गाने गाए जाते हैं यह बताने की ज़रूरत नहीं। और न फहश अंदाज़ में नाचने के मुतअल्लिक़ कहना है। तरक़्क़ी याफ़्ता नौ उम्र कुआंरी लड़कियाँ तल्वार से तेज़ धार हमला आवर गानों से लड़के और लड़की वालों की तरफ से जब एक दूसरे पर वार किए जाते हैं। उस वक़्त बजाए शर्म व ग़ैरत से पानी-पानी होने के इन हरकात पर नानियाँ, दादियाँ ख़ुश होती हैं। अगर कुछ कसर रह जाती है तब कैसिटों के फ़हश और मोटी पतली, लम्बी पिस्ता, काली गोरी के मुक़ाबले भरे गानों से कसर पूरी की जाती है। उरयानियों पर कुछ कहना यूं मुनासिब नहीं कि जवान लड़कियाँ अगर उरियाँ लिबास ज़ेब तन करें तो वीडियो मूवी बनना बेकार और बेमक़्सद हो जाएगी कि वह मूवी जब भी वी० सी० आर पर दिखाई जाएगी तो लोग और शैतान मस्रूर न होंगे।

ऐसी तक़रीबात में जहाँ बेशुमार नुक़्सानात हैं। वहाँ दो फाइदे भी हैं। अव्वल यह कि जिस तक़रीब में जितनी बेहूदगियाँ होंगी। इसी क़द्र एक दूसरे की शक्ल से बेज़ार ख़्वातीन आपस में मिल बैठी नज़र आएंगी।

दूसरा फाइदा : यह कि बूढ़ी ख़्वातीन जितनी देर भी ऐसी तक़रीबात में रहती हैं इतनी देर के लिए उन पर जवानी आ जाती है।

मगर इन फाइदों के सामने इस अज़ीम नुक़्सान को नहीं भूलना चाहिए जो कि अलावा और दीगर नुक़्सानात के कमसिन बच्चियों के लिए ऐसी तक़रीबात, फ़ह्हाशी और बेहूदगियों की तर्बियत गाहें साबित होती हैं।

मेज़बान को तक्लीफ़ देना : जैसा कि सुन्नत ३१ में आपने अपने नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम का इरशादे गिरामी पढ़ा। और अहकामे मुताला फ़रमाए कि मेज़बान जहाँ बिठाए बैठ जाए, जो कुछ मेहमान के सामने पेश किया जाए उस पर ख़ुश हो, और मेहमान कोई ऐसी हरकत न करे जिस से मेज़बान को तक्लीफ़ हो, और जब मेहमान रुख़्सत हो तो मेहमान तारीफ़ी और दुआइया कलिमात अदा करे।

लिहाज़ा हमारी मां, बहनें मेज़बान से पान, छालिया, चाय वग़ैरह की फ़रमाइश न एलानिया करें, और न कानों में कांफ्रंसों के ज़रिया, इसी तरह दीगर मेहमानों के पर्स झपट कर उनकी सुर्ख़ी वग़ैरह इस्तेमाल न करें। और न खाने की जल्दी करें, कि जब सब ही जल्दी करेंगी तो यक़ीन करें कि सबकी आवाज़ें शोर व हंगामा की शक्ल इख़्तियार कर जाएंगी। याद रहे! कि देर होनी मुम्किन है। कि कभी जगह की तंगी के सबब मर्दों के खा चुकने का इंतिज़ार, और ख़्वातीन में खाना खिलाने वाला अमला नायाब, और कभी धुले हुए बर्तनों की कमी मजबूरी बनती है, कि इन बर्तनों को धोए कौन? तू भी रानी मैं भी रानी। कौन भरेगा पानी? और यह कि जिस तरह पेशाब ज़ोर का महसूस होता है तो जल्दी में कमर बन्द को डबल गिरह लग जाती है बिल्कुल इसी तरह की जल्दी कभी मज़ीद ताख़ीर (देरी) का सबब भी बन जाती है। किसी के हां तक़रीब में हमारी मां, बहनें, बच्चों को खेल कूद, शोर व गुल और अह्ले ख़ाना के सामान के नुक़्सान से नहीं रोकतीं, और ख़ास कर बच्चों को जूते पहने साफ़ चाँदनियों पर दौड़ने से तो बिल्कुल ही मना नहीं करतीं। इसी तरह बाज़ माओं का बच्चों को अपने ही मकान से पेशाब पाख़ाना से फ़ारिग़ कराके न लाने के सबब ख़्वातीन के बैठने की जगह को बैतुल-ख़ला में तब्दील करना उनकी आदत में दाख़िल होता है। ग़र्ज़कि यह सब वजूहात मेज़बान को तक्लीफ़ देने में शुमार होते हैं। खाने के दौरान ख़ुद कम खाना और बच्चों पर ज़्यादा ज़ोर देना तो मां का फ़ितरी अमल है। मगर यह कि हर बच्चे के लिए इलाहिदा प्लेट में खाना तलब करना। और बच्चों का बिल्कुल सैर हो चुकने के बावजूद बच्चों को और ज़्यादा खाने पर मज्बूर करना। और फिर से प्लेट भर कर उनके सामने रखना, कई-कई बोटियाँ खाने के बावजूद यही सबक़ याद करने की तरह बार-बार दोहराते रहना कि हराम हो जो नाख़ुन बराबर भी बोटी मैंने

या बच्चों ने खाई हो। इसी तरह चावलों के बारे में कहना कि मुझ से चाहे जैसी क़सम ले लो जो एक चावल भी उड़ कर मुंह में गया हो। वग़ैरह वग़ैरह। (बात तक़रीबन उनकी भी दुरुस्त ही होती हैं कि न नाख़ुन बराबर बोटी खाती हैं, और न चावल मुँह में उड़ कर जाता है।) कुछ इसी तरह की वह मर्द जो दावत में किलो से कम या ज़्यादा बोटियाँ खाने पर हर छोटे बड़े को बल्कि हकीम डॉक्टर से दस्त, पेचिस या बद हज़्मी के इलाज के दौरान अदा कारी करते हैं कि मैंने एक छोटी सी बोटी खाई थी। वग़ैरह।

अभी खाने के ऐबों पर कोई बात नहीं की है, और न करने का ख़्याल है। और न ही उन तफ़्सीली (विस्तार) कहानियों, आप बीतियों का जिक्र करना है। जो हर हमारी मां, बहन, ऐसे मौक़ों पर कभी आबदीदह, (रोना) कभी हंसी के लहजे में, और कभी एक कहानी सुनाने वाली सुनने वालियों के मूंडे पर हाथ मार-मार कर या कलाइयों को झिंझोड़ कर सुनाती है। और न वह सज़दाराना गुफ़्तगू ब्यान करने का ख़्याल है जो यह कह कर की जाती है कि किसी से कहना नहीं, मुझको उसको ज़रिया मालूम हुआ है। या यह कि यह बात चुग़ली के तौर पर नहीं कह रही हूँ, तुम्हीं से कह रही हूँ, वग़ैरह वग़ैरह।

नसीहत

दोस्तों से राज़ की बातें जो सुन पाओ कहीं
जा बजा उनको बयां करना तुम्हें ज़ेबा नहीं
जो करें ग़ीबत किसी की सख़्त दिल आज़ार हैं
यह समझ लो उनकी सारी नेकियाँ बेकार हैं

चूंकि यहाँ सिर्फ़ दावत के ही सिलसिला में कुछ कहना ज़रूरी समझता हूँ अल्बत्ता एक शुबह का इज़ाला करना ज़रूरी है कि बाज़ बहनें कहेंगी कि दूसरों को चुग़ली से रोकते हैं और खुद जो ऐब व नुक़्स (कमी) ब्यान करें तो क्या मर्दों को ऐब ब्यान करने या चुग़ली करने की इजाज़त है?

अपने उयूब पर तो ज़रा भी नज़रें नहीं
औरों पे एतराज़ में हर वक़्त मस्त हैं

तो उन बहनों की ख़िदमत में दस्त बस्ता अर्ज़ है कि ख़ादिम अनीस अहमद ने किसी औरत का नाम नहीं लिया, और न किसी एक की तरफ इशारा किया, बाज़ मां, बहनों की बात की है, खुदा करे आप बाज़

में शामिल न हों। इसमें शक नहीं कि इस नाचीज़ सरापा तक़्सीर में बेशुमार उयूब हैं अल्लाह तआला अपने महबूब के सदक़ा अपने इस वन्दे को सही आमाल की तौफ़ीक़ इनायत करे। **आमीन**!

एक ख़ास बात यह अर्ज़ करनी है कि दावत में बच्चों की आड़ में खाना बहुत बर्बाद किया जाता है। और बच्चों से ज़्यादा मछली बाज़ार की आवाज़ को दबा देने वाला ख़्वातीन का शोर ख़ुसूसन शोर न मचाओ, ख़ामोश रहो की आवाज़ों का शोर कि अक्सर मीलादे पाक तक की महफ़िल न ख़ुद सुनती हैं, और न सुनने देती हैं।

ख़्वातीन का बैठना : बैठने के सिलसिला में भी हमारी बहनें इफ़रात व तफ़रीते की शिकार हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी करने वाली हमारी मां, बहनें जब वह महफ़िल में बैठती हैं तो फ़िर उस जगह से उनको इस क़दर मुहब्बत हो जाती है कि उसी जगह दूसरी, तीसरी महफ़िल की बारी ही नहीं आने देतीं। ऐसा मालूम होता है कि वह जगह उनके नाम अलाट हो गई है।

ख़्वातीन की याद दाश्त : हमारी मां, बहनें, जब किसी दावत या तक़रीब में जाती हैं। तब एक-एक औरत को ऐसी नज़र में लेती हैं कि पच्चीस साल बाद भी याद रखती हैं कि उसको पहली बार फलां महफ़िल में हल्के गुलाबी रंग या बारीक मोतिया के फूल के सूट में ऊंची हील की सैंडिल और ऊंची ही क़मीज़ दुपट्टा पर आरी का काम था। फ़लां औरत से बातें करते हुए देखा था। ग़रज़ कि लिबास में ही क्या खाने में क्या क्या था किस किस चीज़ में क्या क्या नुक़्स था पच्चीस साल बाद भी ज़बानी याद होता है। इसी तरह बच्चों की पैदाइश का दिन और उस दिन क्या पकाया, क्या खाया था याद होता है। हक़ीक़त यह है कि ऐसी ज़ेहानत पर मर्दों को भी रश्क आता है। मगर यह मालूम न हो सका कि यह याद दाश्त ज़िन्दगी के तमाम शोबों से मुतअल्लिक़ होती है या सिर्फ़ ऐसी ही तक़रीबात के मुतअल्लिक़ ख़ास है। क्योंकि जिस तरह मर्दों की याददाश्त से ख़्वातीन को हर वक़्त शिकायत रहती है कि जिस चीज़ को लाने या काम को कहा जाए तो मर्द भूल जाते हैं और वापसी में दरवाज़े के क़रीब पहुँच कर याद आता है। इसी तरह मर्द जब किसी भी मामूली काम को कहे या कई बार ताकीदन कह कर काम पर जाए कि यह काम करके रखना। मगर जब शाम को आकर दरयाफ़्त (पूछताछ) करे तो

बीवी क़सम खा कर कहती है कि मुझसे नहीं कहा। या मैंने नहीं सुना, वग़ैरह वग़ैरह।

बे हिसी

न क्यों हैरत हो या रब वह ज़माना आ गया नाक़िस
हया ढूँढे नहीं मिलती बराए नाम सौ-सौ कोस

ख़ुशी या ग़मी की महफ़िल में हमारी वह बहनें जो किसी की हमदर्दी में जाती हैं, वह यह बिल्कुल भूल जाती हैं कि हमें जाकर उनका हाथ बटाना है। साड़ी और ऊंची हील के सैंडिल पहन कर वहाँ जाना, क्या इस बात की अलामत नहीं कि शहज़ादी या रानी की तरह वहाँ जा कर बैठना है? क्या इस तरह हमदर्दी की तालिबा के लिए मज़ीद परेशानियाँ पैदा नहीं करती हैं?

क्या कुछ किया न खुद को छुपाने के वास्ते
उरयानियों को ओढ़ लिया शाल की तरह

और तो और गहरी सहेलियाँ, सगी शादी शुदह बेटियाँ, भतीजियाँ, भांजियाँ और बहुवें भी बजाए तक़रीब में हाथ बटाने के इस तौर पर तैयार हो कर पहुँचती हैं कि जैसे इनको शो केस में सजा कर रखा जाएगा। उनक ठाट-बाट देख कर कोई उन से खुद ही किसी काम को न कह सके।

पड़ी होंगी कल खाक पर क़ब्र में
जो बैठी, संवरती, निखरती हैं आज

जो ख़्वातीन किसी की तक्लीफ़ सुन कर उसका दुख बांटने के लिए बेचैन हुआ करती थीं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उनमें फ़ैशन की नुमाइश से इतनी बेहिसी पैदा हो जाएगी। जो आज ब्यान से बाहर है। यह कितना बड़ा अल्मीया है कि आइंदा इस रविश में मज़ीद तरक़्क़ी की तो उम्मीद है। मगर कमी की नहीं।

नौजवान लड़के और लड़कियों का ख़लत मलत होना

मतलब का नाम दोस्ती, शहवत का नाम इश्क़
अह्ले हवस ने दोनों की मिट्टी ख़राब की

और यह इससे भी बड़ा अल्मीया है कि दीगर तक़रीबात की तरह खाने की तक़रीब में भी नौजवान लड़के, लड़कियों का ख़लत, मलत बल्कि खाना खिलाने का कुल निज़ाम ख़्वातीन की दावते तआम में नौजवान लड़कों के ही हाथ में दिया जाता है। ख़ाली निज़ाम? जिस तरह गड़रिए, चरवाहे, भैंसे, बैल और बकरों में गाय, भैंसों, बकरियों को छोड़ देते हैं। इसी तरह बेहिस उमर रसीदा ख़्वातीन दस साल से तीस साल तक की लड़कियों से कहती हैं कि जाओ रे लड़कियो! पहले तुम फ़ारिग़ हो जाओ (खा कर) चूंकि अब नौजवान लड़के, लड़कियाँ जुदा नहीं। यक्जा कैसा बैठना? खड़े-खड़े न सिर्फ़ खड़े! बल्कि चलते फिरते किसका दाहिना हाथ? और कैसा दाहिना हाथ? अपने आगे से? सबके आगे से। कैसी बिस्मिल्लाह? और किस की बिस्मिल्लाह? कैसा सर झुका कर? और क्यों सर झुका कर? सीना तान कर क़हक़हों की आवाज़ में खाना खिलाया, खाया जाता है। **इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।**

जिस तक़रीब में दादी से लेकर जवान पोती। और नानी से लेकर जवान नवासी बनी ठनी होती है। और नौजवान लड़के का, नौजवान लड़की को खाना पेश करते हुए फोटो ग्राफ़ी का भी इंतिज़ाम होता है। बल्कि खाने के बाद पसन्द की लड़कियों के बराबर खड़े हो कर फोटो बारी-बारी खींचने पर बजाए नाराज़गी के फ़ख़्र महसूस किया जाता है। इसके बाद मस्नूई प्यार भरे रुक़आ जात के तबादले के सिलसिले शुरू हो जाते हैं। जो हज़ार फ़ित्नों के बाइस बनते हैं।

तुझे बेपर्दगी ने आज कितना कर दिया अरज़ाँ
अगर बुर्क़े में रहती बन्द मुट्ठी का भरम होता

हस्सास ख़्वातीन से गुज़ारिश है! कि ख़ुदा रा इस अल्मिया (दर्दनाक

वाक़िक़्या) का तदारुक (रोक) का हल सोचें। और जो हल सोचें उसको अमली जामा भी पहनाएं। अगर आप अपने अनीस की बात सुनना और उस पर अमल करना नहीं चाहती हैं। तो यही जानते हुए कि आप का छोटा, बड़ा भाई कह रहा है कि –

बुल्बुलो! ऐ क़म्रियो! रहना चमन में होशियार
कि चमन में बाग़बां के भेस में सैयाद हैं

हराम लिबास फ़ित्नों का बाइस : ख़्वातीन को चाहिए कि वक़्त की पाबन्दी का ख़्याल हर वक़्त और हर काम में रखें। ऐसा हरगिज़ न चाहिए कि मीलाद शरीफ़ की महफ़िल हो या कुरआने पाक के तिलावत की दावत २ बजे दोपहर की दी जाए और पहुंचें मग़्रिब से चन्द मिनट क़ब्ल, इस तरह एतमाद एतबार जाता रहता है। और यह ताख़ीर अक्सर लिबास और मैक अप वग़ैरह की मैंचिंग की सबब होती है। इसके लिए हमारी बहनें शरीअत का उसूल अपनाएं कि शोख़ ज़ीनत सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने शौहर के लिए मख़्सूस कर लें। कि बारीक कपड़ों के इस्तेमाल या मोटे कपड़ों का चुस्त लिबास या ऐसे लिबास का इस्तेमाल जिससे जिस्म का कुछ हिस्सा नंगा हो। और कुछ हिस्सा छुपा हो इन तीनों लिबास का एक ही हुक्म है। कि यह शौहर को दिखाने के लिए तो जाइज़ हैं। मगर दीगर हज़रात के हक़ में हराम। कि किसी न किसी तरह यह लिबास वग़ैरह फ़ित्ने के बाइस बनते हैं। हत्ता कि बाप के लिए भी। कि बीस पा पच्चीस साल क़ब्ल तक अख़्बारों में ख़बरें छपती थीं। और उलमा व मुफ़्ती साहिबान के पास इस क़िस्म के ज़िना के मुर्तकिब (मुज्रिम) मसाइल दरयाफ़्त किए जाते थे।

मुम्किन है अब अवाम बहुत ही नेक हो गए हैं या फिर इस अज़ीम बुराई को बुराई ही नहीं समझ रहे हों! जिसकी वजह से अख़्बारात में ख़बरें और उलमा व मुफ़्ती साहिबान के पास आने का भी तकल्लुफ़ नहीं करते। **इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।**

याद रखें! इस तरह के ज़ैब व ज़ीनत से कम से कम ख़राबी यह मुम्किन है कि अगरचे बाप, बेटी को नाचने के लिए कल्बों वग़ैरह में न भी ले जाए, और सिर्फ बाप ने शहवत के जज़्बात का हाथ अपनी दस बारह साल की बालिग़ा लड़की के बदन पर कहीं भी रखा। हत्ता कि सर पर ही अगरचे दरम्यान बारीक कपड़ा ही हायल हो, बाप पर अपनी बीवी

हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। अल्बत्ता निकाह न टूटेगा। इसी तरह शहवत से मां अपने बालिग़ बेटे को छूएगी तब भी उसका शौहर उसके लिए हमेशा को हराम हो गया। अगरचे मां बाप भी भूल से या मुग़ालता से ही छुए तब भी। इसी तरह ख़ुस्र बहू को या बहू ख़ुस्र को क़सदन या सहवन (जाने अन्जाने) ऐसा करते तब भी बहू हमेशा के लिए अपने शौहर पर हराम हो गई। अगर शौहर तलाक़ भी दे दे, और वह औरत बाद इद्दत किसी और से शादी कर ले और वह शौहर भी बाद सोहबत तलाक़ दे दे। इद्दत गुज़ारने के बाद भी यह ख़ातून अगर अव्वल शौहर से शादी करना चाहे फिर भी उस पर हराम ही रहेगी। यह है हमेशा के लिए हराम का मतलब।

मज़्कूरा भूल बाप से लड़की के हक़ में हो। या मां का बेटे के हक़ में हो। या ख़ुस्र का बहू के हक़ में हो। या बहू का ख़ुस्र के हक़ में हो। क़स्दन जुर्म पर सज़ा का मज़ीद मुस्तहिक़ (हक़दार) होगा। मज़्कूरा चारों सूरतों में शौहर पर बीवी हमेशा के लिए हराम और बीवी पर शौहर हमेशा के लिए हराम है। और निकाह क़ाइम रहने की वजह यह है कि कहीं बीवी शौहर से नजात हासिल करने के लिए इस अमल को आला के तौर पर न इस्तेमाल करे।

मसला : जिस औरत से ज़िना किया उसकी मां और लड़कियां उस पर हराम हैं। यूंही वह औरत ज़ानिया उस शख़्स के बाप, दादा, और बेटों पर हराम हो जाती है। हुरमते मुसाहिरत जिस तरह वती से होती है यूंही बशहवत (शारीरिक संबन्ध की चाहत) छूने और बोसा लेने और फ़र्ज़ (औरत का ख़ास मक़ाम) दाख़िल की तरफ नज़र करने और गले लगाने और दांत से काटने और मुबाशिरत यहाँ तक कि सर पर जो बाल हों उन्हें छूने से भी हुरमत (हराम) हो जाती है। अगरचे कोई कपड़ा भी हायल हो। यूंही बोसा लेने में भी अगर बारीक नक़ाब हायल हो तो हुरमत साबित हो जाएगी। अल्बत्ता अगर इतना मोटा कपड़ा हायल हो कि गर्मी महसूस न हो फिर नहीं।

मज़्कूरा जुर्म व ख़ता का ही नतीजा है कि आज गुस्ताख़े रसूल हज़रात की बुहतात होती जा रही है। मज़्कूरा अमल गुस्ताख़े रसूल की पैदाइशे हक़ में बीज और खाद का असर रखता है और पहले फ़ेअले ज़िना (ज़िना करना) इस क़द्र न था तो गुस्ताख़े रसूल भी खाल-खाल नज़र आते थे। मगर अब घरों में ही अक्सर ज़िना की औलादें से गुस्ताख़े

रसूल की बुहतात। अल्लाह की पनाह! हुकूमत के इदारों में, स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में अपने मज़्हब को फैलाना इनकी फ़ितरत, और यह उनकी मसाजिद व मदारिस में गुस्ताख़े रसूल बनाने की मशीनें तैयार होती हैं।

अल्लाह तआला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम के गुस्ताख़ की दस निशानियाँ इरशाद फरमाईं। आख़िरी निशानी **बअद ज़ालिका ज़नीम।** कि वह हरामी है। और आगे सज़ा यह सुनाई कि **सनसिमहू अलल-ख़ुरतूम।** यानी क़रीब है कि हम उसकी सुव्वर की सी थूथनी पर दाग़ देंगे। (सूरः क़लम प. २९ लिहाज़ा तमाम मुसलमानों को चाहिए कि ज़िना से बचें ताकि गुस्ताख़े रसूल पैदा न हों। बल्कि ज़िना के अस्बाब नंगे लिबास और शोख़ मैक अप से भी सख़्त परहेज़ चाहिए। सर में तेल, दाँतों पे मस्सी, दंदासा, आँखों में सुर्मा, हाथों पैरों में मेंहदी से ज़ीनत करें। इससे शख़्सीयत में रूहानियत, जाज़बीयत, मासूमियत पैदा होती है। जबकि शोख़ क़िस्म के मैक अप से चंचल और तेज़ शख़्सीयत मालूम होती है। और यह मस्नूई (बनावटी) हुस्न महंगा भी, और वक़्त का ज़िया भी जिससे दावत वग़ैरह में भी ताख़ीर मुम्किन है। जबकि मस्सी, सुर्मा, तेल, मेंहदी वग़ैरह से ज़ीनत सुस्ती, और वक़्त की बचत भी, मेंहदी एक बार की लगी हुई कई हफ़्तों रहती है।

क़ीमती शेम्पू की जगह रीठा, आमला, सीका काई से सर धोया जाए जो बालों को काला चमकदार लम्बे करने में बेमिसाल होते हैं।

अहकामे अक़ीक़ा और दावत

बच्चा पैदा होने के शुक्रिया में जो जानवर ज़िब्ह किया जाता है उसको अक़ीक़ा कहते हैं। हन्फ़ीया के नज़्दीक अक़ीक़ा मुबाह व मुस्तहब है। यह जो बाज़ किताबों में लिखा है कि अक़ीक़ा सुन्नत नहीं उससे मुराद यह है कि सुन्नते मुअक्किदा नहीं। वरना जब ख़ुद हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम के फ़ेअल से इसका सुबूत मौजूद है तो मुतलक़न इसकी सुन्नीयत से इनकार सही नहीं। बाज़ किताबों में यह आया है कि कि कुरबानी से मुंसूख़ है। इसका यह मतलब है कि इसका वाजिब होना मंसूख़ है। जिस तरह यह कहा जाता है कि ज़कात ने हुक़ूक़े मालिया को मंसूख़ कर दिया। यानी उनकी फ़र्ज़ीयत मंसूख़ हो गई। (बहारे शरीअत)

अज़ान दाफ़े बला मूजिबे रहमत है :

हदीस : अबू दाऊद, तिर्मिज़ी अबू राफ़े रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि जब हज़रत इमाम हसन बिन अली रज़ि अल्लाहु तआला अन्हुमा पैदा हुए तो मैंने देखा कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने उनके नाम में वही अज़ान कही जो नमाज़ के लिए कही जाती है।

जब बच्चा पैदा हो तो मुस्तहब यह है कि उसको गुस्ल के बाद जल्द से जल्द उसके कान में अज़ान व इक़ामत कही जाए। अज़ान! जिस तरह ग़ज़बे इलाही को रहमत में तब्दील (बदल) और तूफ़ानी आंधी, बारिश, आग से निजात और क़ब्र में मुर्दा की वहशत (डर) को दूर करती है। इसी तरह शैतान जो कि बच्चे के जिस्म में ख़ून की तरह दौरे और गर्दिश करता है इंशाअल्लाह अज़ान! बच्चे को शैतान से नजात दिलाएगी। बेहतर यह है कि दाहिने कान में चार मरतबा अज़ान और बाएं कान में तीन मरतबा इक़ामत कही जाए। बहुत लोगों में यह रिवाज है कि लड़का पैदा होता है तो अज़ान कही जाती है, और लड़की पैदा होती है तो अज़ान नहीं कहते। यह न चाहिए। बल्कि लड़की पैदा हो जब भी अज़ान व इक़ामत कही जाए कि शैतानी ख़लल, जिन्न आसेब से बचाओ उसको भी ज़रूरी है।

(बहारे शरीअत)

मुत्तक़ी से शहद चटवाया जाए :

अज़ान के बाद बच्चे को उमर रसीदा नेक परहेज़गार मुत्तक़ी औरत या मर्द से यानी ऐसा शख़्स जो चुगुलख़ोरी, ग़ीबत या झूठ, सच बोल कर मुसलमानों को लड़ाने से ख़ुद भी बचता हो और दूसरों को भी बुरी हरकात से रोकता हो उसके हाथ से शहद चटाया जाए या नर्म ख़ुजूर चबवा कर बच्चा के तालू में लगवाएं।

हदीस : इमाम मुस्लिम हज़रत आइशा रज़ि अल्लाहु तआला अन्हा से रावी कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में बच्चे लाए जाते हुज़ूर अलैहिस्सलाम उनके लिए बरकत की दुआ फरमाते और तहनीक करते यानी कोई चीज़ मसलन ख़ुजूर चबा कर उस बच्चा के तालू में लगा देते कि सबसे पहले उसके शिकम में हुज़ूर अलैहिस्सलाम का लुआबे दहन पहुंचे।

ख़बरदार! ख़बरदार! बद ज़ुबान बद ख़स्लत वाली ख़्वातीन की गोद से और उनके हाथों से शहद चटवाने से बच्चे को बचाया जाए। कि ऐसी ख़स्लत वाली ख़्वातीन ऐसे कामों में ख़ुद घुस्ती हैं **या** उनको शैतान ऐसे काम करने पर उक्साता है **या** मज्बूर करता है, ताकि बच्चा बड़ा होकर शैतानी कामों में उसका हाथ बटाए, और मां, बाप, उस्ताज़, बुज़ुर्ग और वली, नबी का गुस्ताख़ है। **मआज़ल्लाह!**

हमारे लिए सहाबा का अमल मशअले राह होना चाहिए। **हदीस :** हज़रत अस्मा बिन्ते अबी बकर सिद्दीक़ रज़ि अल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कहती हैं कि अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु मक्का ही में हिजरत से क़ब्ल मेरे पेट में थे। बाद हिजरत क़ुबा में यह पैदा हुए मैं उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में लाई। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की गोद में उनको रख दिया। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ख़ुजूर मंगाई और चबा कर उनके मुँह में डाल दी। और उनके लिए दुआए बरकत की। और बाद हिजरत मुसलमान मुहाजरीन के यहाँ यह सबसे पहले बच्चा हैं।" सुबहानल्लाह! **(बुख़ारी व मुस्लिम)**

अक़ीक़ा का हुक्म :

हदीस : अबू दाऊद, तिर्मिज़ी व निसाई ने उम्मे कर्ज़ रज़ि अल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की कहती हैं। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम को फरमाते सुना कि लड़के की तरफ से दो

बकरियाँ और लड़की की तरफ से एक बकरी उसमें हरज नहीं कि नर हो या मादा।

हदीस : अबू दाऊद, इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने इमाम हसन व इमाम हुसैन, रज़ि अल्लाहु तआला अन्हुम की तरफ़ से एक-एक मेंढे का अक़ीक़ा किया। **और** निसाई शरीफ़ की रिवायत में है कि दो-दो मेंढे।

मसला : लड़के के अक़ीक़ा में दो बकरियों की जगह एक ही बकरी किसी ने की तो यह भी जाइज़ है। एक हदीस से बज़ाहिर ऐसा ही होता है कि अक़ीक़ा में एक मेंढा ज़बह हुआ। **(बहारे शरीअत)**

अक़ीक़ा की वज़ाहत व मक़सद : बच्चे की पैदाइश के सातवें दिन उसका नाम रखा जाए। और बच्चे की पैदाइशी बालों के ज़रर से नजात के लिए उसका सर मूंडा जाए। और सर मूंडने के वक़्त अक़ीक़ा किया जाए। और बालों का वज़न करके इतनी चाँदी या सोना सदक़ा किया जाए और सर पर ज़ाफरान पीस कर लगा देना बेहतर है। **(बहारे शरीअत)**।

नाम : से मुतअल्लिक़ इस मज़्मून के आख़िर में मुख़्तसर तहरीर किया जाएगा। बालों से मुतअल्लिक़ **हदीस :** हज़रत समरा रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फरमाया लड़का अपने अक़ीक़ा में गिरवी है। सातवें दिन उसकी तरफ से जानवर ज़बह किया जाए। और उसका नाम रखा जाए। और उसका सर मूंडा जाए। **(इमाम अहमद, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, निसाई)**

गिरवी होने का यह मतलब है कि इससे पूरा नफ़ा हासिल न होगा। जब तक अक़ीक़ा न किया जाए और बाज़ ने कहा बच्चा की सलामती और उसकी नश्व व नुमा (बढ़ना) और इसमें में अच्छे औसाफ़ (ख़ूबी) होना अक़ीक़ा के साथ वाबस्ता (जुड़ा) है।

हदीस : इमाम बुख़ारी ने हज़रत सलमान बिन आमिर रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कहते हैं। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम को फरमाते हुए सुना कि लड़के साथ अक़ीक़ा है। उसकी तरफ से ख़ून बहाओ (यानी जानवर ज़बह करो) और इससे अज़ीयत को दूर करो। यानी उसका सर मुंडा दो।

(इमाम बुख़ारी, बहारे शरीअत)

अक़ीक़ा के जानवर का हुक्म : अक़ीक़ा का जानवर उन्हें शराइत के साथ होना चाहिए जैसा कुरबानी के लिए होता है। यानी उसकी **उम्र** का बेऐब होने का। उसके इस्तेमाल का। कि उसका गोश्त फ़ुक़रा और अज़ीज़ व अक़ारिब दोस्त व अहबाब को कच्चा तक़सीम करें ख़्वाह पका कर बतौर ज़ियाफ़त व दावत खिलाया जाए। यह सब सूरतें जाइज़ हैं। **(बहारे शरीअत)**

अक़ीक़ा की खाल का हुक्म :

मसला : अक़ीक़ा के जानवर की खाल का भी वही हुक्म है जो कुरबानी की खाल का है कि अपने सर्फ़ में लाए **या** मिस्कीन को दे। **या** किसी नेक काम में मस्जिद **या** मदरसा में सर्फ़ करे। कि जो चीज़ खुद इस्तेमाल कर सकते हैं वह मदरसा या मस्जिद को भी दे सकते हैं **अल्बत्ता** किसी बद मज़्हब, बद दीन, गुस्ताख़े रसूल को देना गुस्ताख़ी में मदद करना है। जो **हराम** है।

इहतियात : बेहतर यह है कि अक़ीक़ा के जानवर की हड्डी न तोड़ी जाए, बल्कि हड्डियों से गोश्त उतार लिया जाए। यह बच्चे की सलामती की नेक फाल है। और हड्डी तोड़ कर गोश्त बनाया गया तब भी उसमें हरज नहीं। गोश्त को जिस तरह चाहें पका सकते हैं। मगर मीठा पकाया जाए तो बच्चे के अख़्लाक़ अच्छे होने की फाल है। **(बहारे शरीअत)**

अक़ीक़ा का दिन : अक़ीक़ा के लिए पैदाइश से सातवां दिन बेहतर है। और अगर सातवां दिन न कर सकें तो जब चाहें कर सकते हैं। सुन्नत अदा हो जाएगी। बाज़ ने यह कहा है कि सातवें या चौदहवें या इक्कीसवें दिन **यानी** सात दिन का लिहाज़ रखा जाए। यह बेहतर है। और अगर याद न रहे तब यह करे कि जिस दिन बच्चा पैदा हो उस दिन को याद रखें। और उससे एक दिन पहले वाला दिन जब आए वह सातवां दिन होगा। मसलन जुमा को पैदा हुआ तो जुमेरात सातवें दिन है। लिहाज़ा जब भी अक़ीक़ा करे उसी दिन अक़ीक़ा करे। **(बहारे शरीअत)**

अगर किसी का अक़ीक़ा न हुआ हो तो वह बड़ा होकर ख़ुद भी अक़ीक़ा कर सकता है।

कुरबानी या वलीमा वग़ैरह के बड़े जानवर में अक़ीक़ा :

मसला : गाय, बैल, भैंस, ऊंट की कुरबानी में सात हिस्सों से चन्द हिस्से कुरबानी के और चन्द हिस्से अक़ीक़ा के हों तो कुरबानी और अक़ीक़ा जाइज़ है। कि कुरबानी, अक़ीक़ा और वलीमा सब तक़र्रुब इलल्लाह यानी अल्लाह तआला के कुर्ब व रज़ा के लिए हैं। इसी तरह

कुंबे के घर में बच्चा की पैदाइश के बाद किसी की शादी के वलीमा की गाय में भी बच्चों के अक़ीक़ा की नीयत से चन्द हिस्से या सातों हिस्सों से लड़के के दो लड़की का एक हिस्सा के हिसाब से अक़ीक़े किए जा सकते हैं। इसी तरह बच्चों की ख़त्नों की ख़ुशी में अल्लाह तआला की रज़ा की ख़ातिर दावत की जाए तो उसके सिलसिले में जो बकरी, बकरा एक साल का या गाय, बैल दो साल की ख़रीदी जाए उसको अक़ीक़ा की नीयत से ज़बह करके दावत में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हज से वापसी पर जानवर अक़ीक़ा की नीयत से ज़बह करके दावत कर सकते हैं। **मगर** शर्त वही है बकरा, बकरी एक साल, गाय, बैल, दो साल, ऊंट पांच साल का और ज़ाहिरी ऐब से मुबर्रा (पाक) होना ज़रूरी है। अल्बत्ता सदक़े के जानवर में उम्र की क़ैद नहीं। **ग्यारहवीं बारहवीं** शरीफ़ की दावत जो कि ख़ास अल्लाह तआला और उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की रज़ा और ख़ुशी ही के लिए की जाती है अगर इसमें भी जानवर की उम्र वग़ैर का ख़्याल और अक़ीक़ा की नीयत से जानवर ज़बह किया जाएं तो अक़ीक़े अदा हो जाएंगे। **बल्कि** यहाँ क़ुबूलियत बहुत मुम्किन है। कि अपने बच्चों की पैदाइश की ख़ुशी और अल्लाह तआला के अज़ीम इंआम व इकराम यानी उसके महबूबे आज़म की पैदाइश की ख़ुशी भी शामिल, सुब्हानल्लाह! यह किस को नहीं मालूम कि मुसलमान की हर ख़ुशी के साथ अल्लाह व रसूल की ख़ुशी ही शरीअते इस्लाम को महबूब व मत्लूब है। **शैतान** मरदूद को हुज़ूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश से सदमा हुआ था। या गुस्ताख़े रसूल **देवबन्दियों** को हुज़ूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश की ख़ुशी से चढ़ कि कन्हैया के जन्म दिन मनाने से बदतर लिखा। (बराहीने क़ातिआ स० १५२, ख़लील अहमद देवबन्दी)

मगर मुसलमानों के नज़्दीक अपने करोड़ों बच्चों की पैदाइश की ख़ुशी से किया सिर्फ़ अच्छी? बल्कि ऐसी करोड़ों ख़ुशियाँ अल्लाह के महबूब की पैदाइश की ख़ुशी पर क़ुरबान करना सआदत है।

अक़ीक़ा का खाना और दादा, दादी, नाना, नानी

मसला : अवाम में यह बहुत मशहूर है कि अक़ीक़ा का खाना गोश्त बच्चे के मां, बाप, दादा, दादी, और नाना, नानी न खाएं। यह ग़लत है और इस अफ़्वाह का कोई सुबूत नहीं। जब क़ुरबानी का गोश्त क़ुरबानी करने वाला खा सकता है। और यह कि अक़ीक़ा के जानवर और गोश्त खाल

पर कुरबानी के अहकाम हैं, फिर क्यों नहीं खा सकते? **अल्बत्ता** सदका का गोश्त वग़ैरह उस घर वाले और साहिबे निसाब यानी जो ज़कात देने के क़ाबिल हो वह न खाए।

दुआए अक़ीक़ा :

मसला : अक़ीक़ा में जानवर ज़बह करते वक़्त एक दुआ पढ़ी जाती है। उसे पढ़ सकते हैं। और याद न हो तो बेग़ैर दुआ पढ़े भी जबह करने से अक़ीक़ा हो जाएगा। **(बहारे शरीअत)**

तंबीह : पैदाइश से सातवें दिन अक़ीक़ा करना मस्नून है कि बच्चे के सर के बाल भी मूंडे जाएं और उसी वक़्त कुरबानी की जाए। अगर लड़का हो तो दो बकरे और लड़की हो तो एक बकरी ज़बह की जाए। और अक़ीक़ा से पहले नाम रख लिया जाए कि बरवक़्त ज़बह करने कुरबानी के दुआ में नाम की ज़रूरत पड़ती है।

लड़के के अक़ीक़ा की दुआ

अल्लाहुम्मा हाज़ेही अक़ीक़तुब्नी (यहाँ पर लड़के का नाम लिया जाए) **दमुहा बेदमेही व लहमुहा बेलहमेही व शहमुहा बेशहमेही व अज़्मुहा बेअज़्मेही व जिल्दुहा बेजिल्देही व शअरुहा बेशअरेही अल्लाहुम्मजअल्हा फ़िदाअल लेइब्नी मिनन्नारे व तक़ब्बलुहा मिन्हु कमा तक़ब्बलतहा मिन नबीयेकल-मुस्तफ़ा व हबीबेका अहमदल-मुज्तबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहे रब्बिल-आलमीन। ला शरीका लहू व बेज़ालिका उमिरतु व अना मिनल-मुस्लेमीन। बिस्मिल्लाहे अल्लाहु अक्बर।**

लड़की के अक़ीक़ा की दुआ

अल्लाहुम्मा हाज़ेही अक़ीक़तु बिन्ती (यहाँ पर लड़की का नाम लिया जाए) **दमुहा बेदमेहा व लहमुहा बेलहमेहा व शहमुहा बेशहमेहा व अज़्मुहा बेअज़्मेहा व जिल्दुहा बेजिल्देहा व शअरुहा बेशअरेहा अल्लाहुम्मजअल्हा फ़िदाअन लेबिन्ती मिनन्नारे व तक़ब्बलहा मिन्हु कमा तक़ब्बलतहा मिन नबीय्येकल-मुस्तफ़ा व हबीबेका अल्हमदल-मुज्तबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहे रब्बिल-आलमीन। ला शरीका लहू व बेज़ालिका उमिरतु व अना मिनल-मुस्लेमीन। बिस्मिल्लाहे अल्लाहु अक्बर।**

जब शुरू से आख़िर तक यह दुआ पढ़ चुके और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अक्बर पर पहुंचे तो उसी वक़्त ज़िब्ह कर दे और ज़िब्ह के बाद बच्चे के सर पर उस्तुरा चले। **(अल-वज़ीफ़तुल-करीमा)**

❖❖❖

बच्चों के अच्छे नाम रखिए (हदीस)

हदीस : बैहक़ी ने इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फरमाया "औलाद का वालिद पर यह हक़ है कि उसका अच्छा नाम रखे और अच्छा अदब सिखाए।" **मसला :** मुर्दा बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम रखने की ज़रूरत नहीं। बेग़ैर नाम रखे उसको दफन कर दें। **(आलमगीरी)**

और ज़िन्दा पैदा हो तो दफन से पहले उसका नाम रखा जाए। अगरचे पैदा हो कर ही मर जाए। **(बहारे शरीअत)**

मसला : बच्चा का अच्छा नाम रखा जाए पाक भारत में बहुत लोगों के ऐसे नाम हैं जिनके कुछ माना नहीं। **या** उनके बुरे माना हैं। ऐसे नामों से बचना चाहिए। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के अस्माए तैय्यबा और सहाबा व ताबईन व बुज़ुगाने दीन के नाम पर नाम रखना बेहतर है। उम्मीद है कि उनकी बरकत बच्चा के शामिले हाल हो।**(बहारे शरीअत)**

अच्छे नाम :

मसला : अब्दुल्लाह व अब्दुर्रहमान बहुत अच्छे नाम हैं। मगर इस ज़माने में यह अक्सर देखा जाता है। कि बजाए अब्दुर्रहमान के उस शख़्स को बहुत हज़रात रहमान कहते हैं। इसी तरह अब्दुल-ख़ालिक़ को ख़ालिक़। और अब्दुर्रब को रब अब्दुल-माबूद को माबूद (जिसकी पूजा की जाए) कहते हैं। और बाज़ रहमाना, ख़ालिक़ा, रब्बा, माबूदा भी कहते हैं। इसी तरह अब्दुर्रहीम, अब्दुल-करीम, अब्दुल-अज़ीज़ कि यहाँ मुज़ाफ़ इलैह से मुराद अल्लाह तआला है। और ऐसी सूरत में तस्ग़ीर नाम बिगाड़ना अगर क़स्दन हो तो मआज़ल्लाह कुफ़्र हो। इस तरह की तरमीम (बदलाव) हरगिज़ न चाहिए। अस्मा-ए-इलाहिया को बिगाड़ना (अल्लाह की पनाह) **या** इस तरह बिगाड़ना जिससे हिक़ारत निकले यह किस तरह जाइज़ हो सकता है? लिहाज़ा जहाँ यह गुमान हो कि नामों में तस्ग़ीर की जाएगी यह नाम न रखे जाएं। दूसरे नाम रखे जाएं। **(बहारे शरीअत)**

आज कल जिस तरह आवारगी, बेहयाई, बेग़ैरती, बद तमीज़ी, बद तहज़ीबी और बद मज़हबी में बड़ी तेज़ी से तरक़्क़ी हुई है। इसी तरह नामों

की तस्गीर में भी तरक़्क़ी हुई है। मसलन जिसका नाम इक़्बाल हो उसको बाला, और जिसका नाम वक़ार हो उसको विक्की, मुजीबुल्लाह को मज्जू, इसी तरह सिराजुद्दीन, मेअराजुद्दीन को साजा, माजा कहा जा रहा है। मआज़ल्लाह!

हदीस : अस्हाबे सुनन अरबा ने अब्दुल्लाह बिन जराद रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की है कि रसुलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फरमाया अपने भाईयों को उनके अच्छे नामों से पुकारो। बुरे अल्फ़ाज़ से न पुकारो।

हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम के नाम पर नाम रखना :

हदीस : अबू दाऊद ने अबी वहब ज़शमीं रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फरमाया। "अंबिया अलैहिमुस्सलाम के नाम पर नाम रखो।"

मसला : मुहम्मद बहुत प्यारा नाम है। इसकी बड़ी तारीफ़ हदीसों में आई है। तस्गीर से बचने की नीयत से ऐसा किया जाए तो बेहतर है कि अक़ीक़ा के दिन बच्चे का नाम मुहम्मद रखा जाए। और पुकारने के लिए कोई दूसरा नाम तज्वीज़ कर लिया जाए। **(बहारे शरीअत)**

इस उर्फ़ में भी यह ख़्याल अफ़्ज़ल है कि बच्चे को जितनी बार भी पुकारा जाए उसके हक़ में दुआ ठहरे। मसलन सईद, मस्ऊद, असअद, सआदत, अताउल-मुस्तफ़ा, मज़्हरुल-मुस्तफ़ा वग़ैरह वग़ैरह! (माना खुश क़िस्मत, नेक बख़्त, सआदत मन्द, वग़ैरह) इसी तरह उर्फ़ यानी पुकारने के लिए ग़ुलाम मुहम्मद, ग़ुलाम नबी, ग़ुलाम रसूल, ग़ुलाम सिद्दीक़, ग़ुलाम फ़ारूक़, ग़ुलाम उस्मान, ग़ुलाम अली, ग़ुलाम हसन, ग़ुलाम हुसैन, ग़ुलाम ग़ौस, ग़ुलाम फरीद, वग़ैरह वग़ैरह। इन नामों से पुकारना अगर मक़्बूलियत की घड़ी यानी रब तआला ने ज़िन्दगी में कभी एक बार भी कुबूल फरमा लिया तो सुब्हानल्लाह। गर इस तरह वह हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों में शामिल हो गया तो उसकी दुनिया व आख़िरत दोनों ही संवर गईं।

फ़ज़ीलत पर चन्द अहादीस : इख़्तिसार के पेशे नज़र यहाँ वह हदीसें नक़ल नहीं की जा रही हैं जिनमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि जिस महफ़िल में या मश्वरह में मुहम्मद नाम का कोई शख़्स होगा वह ख़ैर से अंजाम को पहुंचेगी। **या** दावत की महफ़िल में होगा बरकत होगी। **या** किसी सहाबी के असरार पर कि मुहम्मद नाम के

दो बच्चे हैं तब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या हरज है कि मेरे नाम के ज़ाइद हों वग़ैरह वग़ैरह। मुहम्मद नाम के हज़ारहा जैयद उलमा हो गुज़रे हैं। इमाम ग़ज़ाली का नाम भी मुहम्मद था, उनके भाई का नाम अहमद ग़ज़ाली। बल्कि बर्रे सग़ीर में इस्लाम की शमा रौशन करने वाला सत्तरह साला नौजवान का नाम भी मुहम्मद ही था (मुहम्मद बिन क़ासिम) अरब में यही नाम कसरत से रखते आ रहे हैं।

आला हज़रत इमाम अह्ले सुन्नत मौलाना अहमद रज़ा खाँ ने भी अपने साहबज़ादों के नाम, भतीजों और पातों के नाम मुहम्मद रखे और पुकारने के लिए उर्फ़ दूसरे रखे।

हदीस : इब्ने असाकिर की हदीस में अबू अमामा रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि जिसके घर लड़का पैदा हुआ हो और वह मेरी मुहब्बत और मेरे नाम से बरकत हासिल करने के लिए उसका नाम मुहम्मद रखे तो वह यानी नाम रखने वाला और उसका लड़का दोनों जन्नत में जाएं।

हदीस : इब्ने असाकिर की हदीस में हज़रत अनस रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम नें फरमाया कि क़्यामत के दिन दो शख़्स अल्लाह के हुज़ूर खड़े किए जाएंगे, हुक्म होगा कि उन्हें जन्नत में ले जाओ। वह अर्ज़ करेंगे कि या इलाही! हम किस अमल की बिना पर जन्नत के क़ाबिल हुए। हम से तो जन्नत में जाने वाला कोई अमल ही नहीं हुआ। अल्लाह तआला फरमाएगा कि जिसका नाम अहमद या मुहम्मद हो वह दोज़ख़ में नहीं जा संकता। इसलिए उन्हें जन्नत में ले जाओ।

हदीस : हज़रत नबीत बिन शरीत रज़ि अल्लाहु तआला अन्हुम से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तआला ने मुझे फरमाया कि मुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल की क़सम! जिसका नाम तुम्हारे नाम पर होगा उसे दोज़ख़ का अज़ाब न होगा। **(अबू नईम हुलिया मनीयतुल-औलिया)**

जिस बच्चा का नाम अच्छा हो **या** फ़ज़ीलत वाला हो और उस बच्चे की ख़स्लत अच्छी न हो और ग़लत हो उसके अस्बाब सुर्ख़ी "चन्द कुफ़्रिया कलिमात" के मज़्मून में ज़रूर मुताला फरमाएं।

जिसके बच्चे न जीते हों : मुहम्मद नाम रखने के फ़ज़ाइल व बरकात

पर अहादीसे कबीरा हैं। बुज़ुर्गाने अह्ले सुन्नत उस शख़्स को जिसके बच्चे इस्क़ात (हमल गिराना) या जिन आसेब की वजह से न जीते हों उसको यह अमल बताते हैं। कि जब हमल हो तब नमाज़ के बाद शौहर हामिला के पेट पर सिर्फ़ उंगली से मुहम्मद लिखे और ज़ुबान से यह कहे कि अब जो पैदा होगा तो उस बच्चे का नाम मुहम्मद रखूंगा। इंशाअल्लाह तआला लड़का होगा और अपनी तबई उम्र पाएगा। इस अमल को बहुत हज़रात ने आज़माया और हक़ पाया।

इस अमल में दुनियादार दुनियवी मुआमलात में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही चालाक हज़रात बजाए मुहम्मद नाम रखने के मुहम्मद हुसैन, मुहम्मद शफ़ी, ग़ुलाम मुहम्मद रखते हैं, और मुत्मइन होते हैं कि हमने मुहम्मद नाम रखा है। यह सही है कि यह नाम बहुत अच्छे हैं मगर मुहम्मद नाम के बरकात और फ़ज़ीलत तब ही हासिल होगी कि नाम सिर्फ़ मुहम्मद ही रखा जाए। और पुकारने के लिए ख़्वाह कोई और उर्फ़ रखा जाए। मसलन नूर मुहम्मद, मुहम्मद शफ़ी, ग़ुलाम मुहम्मद वग़ैरह। जब शनाख़्ती कार्ड या स्कूल में नाम लिखवाया जाए तब नाम मुहम्मद उर्फ़ नूर मुहम्मद या नाम मुहम्मद उर्फ़ मुहम्मद शफ़ी, या नाम मुहम्मद उर्फ़ ग़ुलाम मुहम्मद, या नाम मुहम्मद उर्फ़ फ़क़ीर मुहम्मद, लिखवाया जाए।

इस ख़ादिम के दसों लड़कों के नाम भी इसी तरह हैं। दो बच्चों के हमल के दौरान नाम न रख सके तब अल्लाह तआला ने दो बच्चियों से नवाज़ा। मुहम्मद नाम रखने की ताकीद पर सिर्फ़ दो हदीसें और पेश करता हूँ मुम्किन है कि किसी मुसलमान का भला हो।

हदीस : इब्ने असद तबक़ात में उस्मान उमरी से मुर्सिलन रावी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम फरमाते हैं कि तुम में से किसी का क्या नुक़्सान है अगर उसके घर में एक मुहम्मद या दो मुहम्मद या तीन मुहम्मद हों। "तबक़ात" **हदीस :** हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुम से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जिसके तीन बेटे हों और वह उन में से किसी का नाम मुहम्मद न रखे ज़रूर जाहिल है। **(तबरानी कबीर शरीफ़, बहारे शरीअत)**।

मेरे इस्लामी भाईयो! वह नेक अमल किए जाएं और वह नाम रखे जाएं जिनके आगे, जिन्न, आसेब, वग़ैरह तो क्या सितारे भी कोई चाल न चल सकें।

फाइदे : अक्सर हज़रात बच्चा का नाम रखते वक़्त चन्द बातों का ख़्याल रखते हुए नाम तज्वीज़ करते हैं। मसलन अफ़्ज़ल नाम या दुआइया नाम या तारीख़ी नाम या मुहसिन का नाम या फ़ज़ीलत व बरकत वाला नाम वग़ैरह। तो ज़रूरी समझता हूँ कि उन्हें यह भी मालूम हो जाए कि यह सारी ख़ूबियाँ इसी इस्मे मुहम्मद में मौजूद हैं।

अफ़्ज़ल नाम : मुहम्मद और अहमद बहुत ही अफ़्ज़ल नाम हैं क्योंकि अल्लाह तआला के महबूबे आज़म के इस्मे पाक हैं। और ज़ाहिर यही है कि यह दोनों नाम ख़ुद अल्लाह तआला ने अपने महबूब के लिए मुन्तख़ब फरमाए, अगर ख़ुदा तआला के नज़्दीक कोई और नाम अफ़्ज़ल होता तो फिर वह नाम मुन्तख़ब फरमाता। **(बहारे शरीअत)**।

दुआइया नाम : नाम ऐसा होना चाहिए कि नाम का नाम और दुआ की दुआ लिहाज़ा इस एतबार से भी मुहम्मद नाम रखना चाहिए कि इसके माना ही बहुत तारीफ़ों वाला है। (बहुत ख़ूबियों वाला)।

तारीख़ी नाम : तारीख़ी नाम के दीवाने यह भूल जाते हैं कि बच्चा बड़ा होकर जब किसी हुसूल के लिए वज़ीफ़ा करेगा तो नाम के आदाद १६६० ई० के डबल ३६८० बार यौमिया किस तरह वज़ीफ़ा कर सकेगा? इस एतबार से भी मुहम्मद नाम बेहतर है कि बेशुमार फ़ज़ाइल के होते हुए आदाद सिर्फ़ ६२ और डबल १८४।

मुहसिन का नाम : नाम रखने वाले अपने मुहसिन के नाम पर नाम रखते हैं, अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या अल्लाह तआला के महबूब से भी बढ़ कर कोई मुहसिन है? कि रब तआला फरमाता है। **अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल-मुमिनीन रऊफ़ुर्रहीम।**

तरजमा : जिन पर तुम्हारा मुशक़्क़त में पड़ना गिरां है। तुम्हारी भलाई के निहायत चाहने वाले मुसलमानों पर कमाल मेहरबान मेहरबान।

(सूरः तौबा आयत १२८)।

मालूम हुआ कि आप मुहसिने आज़म हैं, इस एतबार से भी मुहम्मद ही नाम रखा जाए।

बरकत व फ़ज़ीलत वाला नाम : नाम रखने में नाम के फ़ज़ाइल व बरकात देखे जाते हैं। इस एतबार से भी मुहम्मद ही नाम रखा जाए कि बेशुमार फ़ज़ाइल व बरकात ख़ुद अल्लाह तआला के प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फरमाए।

बूढ़ों वाला नाम : बच्चे का नाम तज्वीज़ करते वक़्त जब कोई अच्छा नाम सामने आता है तब अक्सर खानदान के अफ़राद ख़ुसूसन ख़्वातीन कहती हैं कि यह नाम बूढ़ों वाला है। यह बच्चों वाला नाम नहीं! ख़ुदा करे कि उनका मंशा व मतलब यह न हो कि यह बच्चा ही रहे, जवान बूढ़ा न हो और उससे मिलता जुलता ही मतलब होता हो। **मगर** यह ऐसा ही बद दुआइया जुमला है जैसा किसी की मज्बूरी दूर करने पर मुहसिन को बद दुआ दी जाती है कि क्या हुआ अगर उन्होंने हम पर एहसान कर दिया? जब उन पर इसे बड़ी कोई मुसीबत आएगी या उन पर बुरा वक़्त आएगा तो उस वक़्त हम इसका बदला अदा कर देंगे। (ख़्वाह इस वक़्त भी बजाए परेशानी दूर करने के परेशानी के इज़ाफ़ा में मदद दें।)

जहाँ लड़कियाँ ही पैदा हों : दुआइया नाम की ताईद उलमा के इस अमल से भी मिलती है कि जिसके हाँ लड़कियाँ ही पैदा होती हैं तब उलमा फ़रमाते हैं कि अब अगर लड़की पैदा हो तो उसका नाम बुशरा रखना। यानी ख़ुशखबरी देने वाली लड़के की। ताकि जब लोग उसको बुशरा कह कर पुकारेंगे तो अल्लाह तआला की रहमत से कुछ दूर नहीं कि दुआ कुबूल हो जाए और आइंदा लड़का ही पैदा हो। और अक्सर होता भी ऐसा ही। लिहाज़ा नाम दुआइया ही रखना चाहिए।

अब्दुन्नबी और गुलाम नबी नाम रखना : हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दादा जान के वालिद का नाम मुत्तलिब था। इसी वजह से उनके फ़रज़न्द की कुन्नियत अब्दुल-मुत्तलिब पड़ गई। और सहाबा से आज तक हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दादा जान को अब्दुल-मुत्तलिब कुन्नियत से ही याद करते हैं। अब्द जब अल्लाह तआला के नाम के साथ (अब्दुल्लाह) हो तो माना अल्लाह की इबादत करने वाला। और जब अब्द किसी शख़्स के नाम के साथ हो तब उसके माना गुलाम या बेटे होते हैं, जो कुरआन और हदीस से साबित है। मसलन कुरआन की आयत है **कुल या इबादीयल्लज़ी।**

(सूरः जुमर आयत ५३)।

तरजमा : तुम फरमाओ ऐ मेरे बन्दो! यानी मेरे गुलामों। और गुलाम के माना वह इस आयत में जिसमें जिब्रीले अमीन ने कुंवारी मरयम अलैहिस्सलाम से कहा **लेअहबा लके गुलामन ज़कीया।**

(सूरः मरयम आयत १६)।

तरजमा : मैं तुम्हें सुथरा बेटा बख़्शने आया हूँ। अरब की तरह हमारे

यहाँ भी यह मुहावरा इस्तेमाल होता रहता है। मसलन कोई कहता है कि मेरे दस बन्दे हैं। तुम्हारे कितने बन्दे हैं? या ख़त के आख़िर में ख़ुद को बनदा-ए-नाचीज़ लिखते हैं। किसी के भी गुमान व ख़्याल में यह नहीं होता कि मेरे दस पूजा करने वाले हैं। वग़ैरह

शाइर मश्रिक़ अल्लामा इक़्बाल के शेअर के दूसरे मिसरा में बन्दा के माना भी ग़ुलाम के ही हैं।

ख़ुदा के बन्दे तो हैं हज़ारों बनों में फिरते हैं मारे मारे
मैं उसका बन्दा बनूंगा जिसको ख़ुदा के बन्दों से प्यार होगा

फ़ारूक़े आज़म रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु **कुन्तु अब्दुहू व ख़ादिमहू।** ख़ुद को अब्दे मुहम्मद ही अक्सर फरमाते थे। अब्दुन्नबी, अब्दुर्रसूल, ग़ुलाम मुहम्मद, ग़ुलाम नबी, ग़ुलाम रसूल वग़ैरह नाम वही मना करते हैं जो ख़ुद को शैतान का बन्दा। बुत का बन्दा कहलाने पर बहुत फ़ख़्र महसूस करते हैं। **देव** के माना शैतान इब्लीस के हैं। और हिन्दू **देव** बड़े बुत को कहते हैं।

अब्दुल-मुत्तलिब और मज़्कूरा आयात से साबित हुआ कि ग़ुलाम के माना बेटे के हैं। अब अगर कोई ग़ुलाम मुहम्मद नाम से चिढ़ खाने वाला गुस्ताख़े रसूल अपना नाम ग़ुलाम अली या ग़ुलाम मुहम्मद से ग़ुलामुल्लाह खाँ रखे तब मुसलमानों को मुश्रिक कहने वाला ख़ुद मुश्रिक हुआ कि नहीं? कि ख़ुद को अपने फ़िर्क़े से अल्लाह का बेटा कहलाता रहा। इश्तिहारों में ग़ुलामुल्लाह ही लिखाता रहा। और किसी **देव** की बन्दी ने आज तक इस कुफ़्र से तौबा नामा नहीं छपवाया। जिन पर सैंकड़ों गुस्ताख़े नबी होने के कुफ़्र हों उनकी नज़र में इसकी क्या हक़ीक़त हो सकती है?

मुहम्मद बख़्श, रसूल बख़्श नाम रखने : गुज़शता आयत **लेअहबा लके ग़ुलामन ज़कीया।**

तरजमा : मैं तुम्हें सुथरा बेटा बख़्शने आया हूँ। **(सूरः मरयम आयत १६)**

इस आयते करीमा में जिब्रील अलैहिस्सलाम ग़ैरुल्लाह होते हुए रब की अता से हज़रत मरयम अलैहिस्सलाम से फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हें सुथरा बेटा बख़्शूं। रात दिन बख़्शिश का लफ़्ज़ मुसलमानों में इस्तेमाल होता है। ख़ुद यह कि अरब में लखपती, करोड़पती ताजिर चीज़ों की रक़म वसूल करने के बाद बख़्शिश तलब करते हैं। मसाजिद व मदारिस को लोग ज़मीन और मकान तक बख़्शते हैं। क़यामत से ख़ौफ़ खाने वालों

ने जिसका हक़ खाया होता है। या कहा सुना होता है, उससे दुनिया ही में बख़्शवाते हैं। यह सब जाइज़ और अच्छे अफ़आल हैं। इसी तरह किसी से कोई चीज़ बेग़ैर एवज़ लेनी होती है तो कहते हैं यह मुझे बख़्श दो। जिस तरह सहाबी से खुश होकर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया **सल** मांग। उस खुश नसीब सहाबी ने हुज़ूर से हुज़ूर ही को मांगा। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कसरत से दरूद शरीफ़ पढ़ने की शर्त पर जन्नत में रिफ़ाक़त बख़्शी। इसी तरह आज हुज़ूर बख़्श, नबी बख़्श, रसूल बख़्श, मुहम्मद बख़्श, नाम इसी नज़रिया से कोई रखे तो नाम का नाम और दुआ की दुआ है। ज़िन्दगी में कभी भी यह नाम पुकारना कुबूल हो जाए कि "जिसे नबी मिल गया उसे और क्या चाहिए।"

कोई ज़ाहिद खुश्क से कह दे ज़रा, कि बनाले वसीले को रहनुमा
न मिला है तुझे, न मिलेगा ख़ुदा। बख़ुदा जो हबीबे ख़ुदा न मिला

या माँ बाप इस नज़रिया से हुज़ूर बख़्श नाम रखें कि यह बच्चा हुज़ूर को बख़्शा। नबी बख़्श यह बच्चा नबी को बख़्शा। रसूल बख़्श, यह बच्चा रसूल को बख़्शा। इसी तरह हुसैन बख़्श, यह बच्चा इमाम हुसैन को बख़्शा। ग़ौस बख़्श, यह बच्चा ग़ौसे आज़म को बख़्शा। वग़ैरह वग़ैरह अगर कभी भी यह पेशकश कुबूल हो गई। और इन हस्तियों ने कुबूल फरमा लिया तो –

जो वली का हुआ, वह नबी का हुआ, जो नबी का हुआ, वह खुदा का हुआ

यह नाम भी हर दो तरह जाइज़ हैं।

हुज़ूर अलैहिस्सलाम की कुन्नियत अबुल क़ासिम : हुज़ूर अलैहिस्सलाम की कुन्नियत क़ासिम से मुतअल्लिक़ मुग़ालता का इज़ाला।

तरजमा : हज़रत जाबिर रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फरमाया मेरे नाम पर नाम रख लो। लेकिन मेरी मुन्नियत पर कुन्नियत न रखा करो क्योंकि मुझे क़ासिम बनाया गया है, कि तुम में तक़सीम **मैं** करता हूँ। **(बुख़ारी व मुस्लिम)**

इसमें शक नहीं कि अल्लाह तआला तमाम नेअमतें हत्ता कि दौलते ईमान और दौलते इल्म जैसी अज़ीम नेअमतें भी अपने महबूबे मुकर्रम के ही हाथों से अपने बन्दों में तक़सीम फरमाता है।

हदीस : अबू दाऊद ने हज़रत अली रज़ि अल्लाहु अन्हु से रिवायत की है। कहते हैं मैंने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह अगर हुज़ूर के बाद मेरे लड़का पैदा हो तो आपके नाम पर उसका नाम रखूं? और आपकी कुन्नियत पर उसकी कुन्नियत करूं? फरमाया हां। **(अबू दाऊद)**

मज़्कूरा हदीस और इस हदीस पर हज़रत अली रज़ि अल्लाहु अन्हु का अपने पोते का नाम मुहम्मद और कुन्नियत अबुल-क़ासिम रखने का अमल बताता है कि कुन्नियत सिर्फ़ ज़ाहिरी हयाते मुबारक में रखने की पाबन्दी थी। ताकि पुकारने वग़ैरह में मुग़ालते पैदा न हों। और नाम मुबारक पर यह पाबन्दी इस वजह से न लगाई कि सहाब-ए-किराम अपने आक़ा, अपने हादी का नाम लेकर तो पुकारते ही न थे बल्कि अल्क़ाबात से याद करते थे मसलन या नबी अल्लाह अक्सर या रसूलुल्लाह से ही कुतुबे अहादीस मुबारका भरी नज़र आती हैं। यही वजह है कि जिन बद मज़्हब फ़िर्क़ों में या रसूलुल्लाह कहना शिर्क है मगर हदीस ब्यान करते हुए "या रसूलुल्लाह" कह कर यानी ख़ुद साख़्ता शिर्क का कड़वा घूँट उनको भी पीना पड़ता है।

कौन सा शिर्क है, कौन सी बिदअत जिसको न करते कराते यह हैं?

मसला : बच्चा की कुन्नियत। अबू बकर, अबू तुराब, अबुल-हसन वग़ैरह रखना जाइज़ है। इन कुन्नियतों से तबर्रुक मक़्सूद होता है कि इन हज़रात की बरकत बच्चा के शामिले हाल हो। **(रद्दुल-मुख़्तार)**

बुरे नाम न रखो बुरा नाम तब्दील करो : सही मुस्लिम में इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु की एक लड़की का नाम आसिया था हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने उनका नाम जमीला रखा।

मज़्कूरा हदीसे पाक से जहाँ यह मालूम हुआ कि ग़लत नाम तब्दील करो। वहाँ यह भी मालूम हुआ कि आसिया के माना गुनहगार के हैं। लोगों के पुकारने से कभी वह हक़ीक़त में गुनहगार हो जाए, और इस नाम से पुकारना बद्दुआ साबित हुआ लिहाज़ा नाम ऐसा ही रखा जाए जो नाम का नाम और दुआ की हो कि कभी भी क़िसी अल्लाह के वली के मुँह से वह नाम निकले और कुबूल हो जाए।

हदीस : तिर्मिज़ी ने हज़रत आइशा रज़ि अल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम बुरे नाम को बदल देते थे। **मसला :** जो नाम बुरे हों उनको बदल कर अच्छे नाम रखना चाहिए। **हदीस :** में है कि क़यामत के दिन तुम अपने और अपने बापों के नाम से पुकारे जाओगे। लिहाज़ा अपने नाम अच्छे रखो।

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने बुरे नामों को बदल दिया। एक शख़्स का नाम असरम था उसको बदल कर ज़रआ रखा। और आसिया नाम को बदल कर जमीला रखा। यसार, रवाह, अफ़्लह और बरकत नाम रखने से भी मना फरमाया। **हदीस :** मुस्लिम हदीस से मालूम होता है कि बाद में इन नामों की ज़कात दे दो। **(बहारे शरीअत)**।

अल्क़ाबाती नाम न रखे जाएं :

मसला : ऐसे नाम जिन में तज़्किय-ए-नफ़्स, और ख़ुद सताई निकलती है। उनको भी हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने बदल डाला, बर्रा का नाम ज़ैनब रखा। और फरमाया कि अपने नफ़्स का तज़्किया न करो। शम्सुद्दीन इसी तरह मुहीयुद्दीन, फ़ख़्रुद्दीन, नसीरुद्दीन, सिराजुद्दीन, निज़ामुद्दीन, ज़ैनुद्दीन, कुतबुद्दीन वग़ैरहा अस्मा जिनके अन्दर ख़ुद सताई और बड़ी ज़बरदस्त तारीफ़ पाई जाती है नहीं रखने चाहिए। **(बहारे शरीअत)**

बुज़ुर्गाने दीन के अल्क़ाबात : बुज़ुर्गानें दीन व अइम्मा साबेक़ीन को इन नामों से जो याद किया जाता है तो यह जानना चाहिए कि इन हज़रात के शम्सुद्दीन, मुहीयुद्दीन, फ़ख़्रुद्दीन, सिराजुदीन, कुतबुद्दीन नाम न थे **बल्कि** यह उनके अल्क़ाब हैं कि जब वह हज़रात मरातिबे अलिया और मुनासिबे ज़लीला पर फाइज़ हुए तो मुसलमानों ने इस तरह कहा। और यहाँ! एक जाहिल और अन पढ़ जो अभी पैदा हुआ। और उसने दीन की अभी कोई ख़िदमत नहीं की इतने बड़े-बड़े अल्फ़ाज़े फहीमा से याद किया जाने लगा।

इमामे मुहीयुद्दीन नौवी रहमतुल्लाह तआला अलैह बावजूद इस जलालते शान के उनको मुहीयुद्दीन कहा जाता तो इन्कार फरमाते। और कहते कि जो मुझे मुहीयुद्दीन नाम से बुलाएं उसको मेरी तरफ से इजाज़त नहीं।

यह नाम भी न रखे जाएं :

मसला : ग़फ़ूरुद्दीन, ग़फ़ूरुल्लाह, नाम रखना, नाजाइज़ है। क्योंकि ग़फ़ूर के माना हैं मिटाने वाला। अल्लाह तआला ग़फ़ूर है कि वह बन्दों के गुनाह मिटाता है। लिहाज़ा ग़फ़ूरुद्दीन के माना हुए दीन का मिटाने वाला। और ग़फ़ूरुल्लाह के माना आप ख़ुद समझ लें।

इसी तरह ग़फ़ूर अहमद के माना। अहमद को मिटाने वाला है। लिहाज़ा जिस मुसलमान का नाम इस तरह का हो उस पर लाज़िम है कि वह तब्दील करके अच्छा नाम रखे।

मसला : ताहा, यासीन नाम भी न रखे जाएं कि मक़्तआते कुरआनिया से हैं। जिनके माना और रम्ज़ें नाज़िल करने वाला। **या** जिस ज़ाते गिरामी पर नाज़ेल हुए वह जानते हैं **या** जिसको बताए गए। लिहाज़ा अवाम को यह नाम न रखने चाहिए। **(बहारे शरीअत)**

मसला : मुहम्मद नबी। अहमद नबी मुहम्मद रसूल, अहमद रसूल और रसूल अहमद नबीयुज़्ज़मा नाम रखना भी न जाइज़ है। बाज़ का नाम नबी अल्लाह भी सुना गया है। ग़ैर नबी को नबी कहना हरगिज़ जाइज़ नहीं। **(बहारे शरीअत)**

लिहाज़ा मुहम्मद नबी की जगह मुहम्मद बख़्श। अहमद नबी की जगह अहमद बख़्श। मुहम्मद रसूल की जगह ग़ुलाम रसूल, अहमद रूसल की जगह ग़ुलाम अहमद, नबीयुज़्ज़मा की जगह ग़ुलाम नबी। इसी तरह दूसरे नाम तब्दील किए जाएं। और इसी तरह नज़ीर अहमद के माना अहमद के मिस्ल, मुशाबेह मानिन्द के हैं। यूंही मुहम्मद नज़ीर और नज़ीरुल्लाह, नज़ीर इलाही, नाम भी न रखने चाहिए कि इनके माना मुहम्मद की मिस्ल, अल्लाह के मिस्ल, इलाही के मिस्ल, मुशाबेह, मानिन्द के हैं। **लिहाज़ा** ऐसे नाम रखने से गुरेज़ किया जाए। और जिनके यह नाम हों वह भी मुन्दरजा बाला नामों की तरह नाम तब्दील करें।

यूंही सैयद के माना, सरदार, पेशवा, बुज़ुर्ग, रईस के हैं। **मगर** सैयद के माना भेड़िया, शेर के हैं। यूंही सैद के माना शिकार, शिकार करना वग़ैरह के हैं। और अरसलान के माना ग़ुलाम, शेर, फाड़ खाने वाला है। लिहाज़ा जो पठान हज़रात सैयद मुहम्मद या सैद मुहम्मद नाम रखते हैं, वह भी अपना नाम ग़ुलाम नबी या ग़ुलाम मुस्तफ़ा से तब्दील करें।

अपनी प्यारी बहनों से शिक्वाह : मेरी प्यारी बहनों! इसमें शक नहीं कि आपको आम मर्दों की बनिस्बत अल्लाह तआला और उसके प्यारों प्यारियों से मुहब्बत ज़्यादा होती है। **मगर** यह आज तक समझ में न आ सका कि जिस से मुहब्बत होती है उसकी हर चीज़ से ही मुहब्बत होती है। फिर उनके नामों से भी मुहब्बत होनी चाहिए। **जबकि** आपका अमल इसके बरअक्स है कि अपने बच्चों, बच्चियों के नाम फ़िल्मी एक्टरों के नाम पर रखती हैं। आख़िर ऐसा क्यों? और मज़ीद यह कि अगर दो एक्टरों से मानूस होती हैं तो फिर दोनों मरदाना नामों को मिला कर अपनी एक बच्ची का नाम रख लेती हैं। **मसलन** ज़ुहैब अकरम। इक़्बाल नदीम।

नदीम अख़्तर वग़ैरह। और आप नाम रखते वक़्त इसका भी ख़्याल नहीं करती हैं कि जिसके नाम पर नाम रखा जा रहा है। वह अल्लाह तआला के महबूब का दुश्मन तो नहीं। **मसलन** परवेज़ को अल्लाह तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम के नाम यानी रुक़आ को फाड़ डालने के सबब अज़ाब में मुब्तला फरमाया। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की दुआ पर उसकी सलतनत के टुकड़े-टुकड़े कर दिए हैं। **मगर** आप हैं कि उसी के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखती हैं मसलन इक़्बाल परवेज़, अख़्तर परवेज़, रूबीना परवेज़ वग़ैरह।

मेरी प्यारी बहनो ! अगर गुस्ताख़े रसूल अपने गुस्ताख़ाना अक़ाइद की वजह से ख़ुद को **देव** बन्दी यानी शैतान की बन्दी लिखते हैं। **या** यज़ीद पर नाम रखते हैं। **या** नाम के साथ अबू यज़ीद लगाना पसन्द करते हैं। चूंकि उन्होंने अल्लाह तआला, और उसके महबूबे आज़म की शाने पाक में सैंकड़ों सड़ी-सड़ी गालियाँ अपनी तक़्वियतुल-ईमान, हिफ़्ज़ुल-ईमान, सिराते मुस्तक़ीम, बराहीने क़ातिआ, जवाहिरुल-कुरआन वग़ैरह वग़ैरह किताबों में लिखीं हैं। उनका नामों से मुतअल्लिक़ शैख़ुन्नज्द, **देव** या शैतान और यज़ीद वग़ैरह पर नाम कुन्नियत रखने का अमल तो उन से मुहब्बत की वजह से है, **मगर** आप परवेज़ वग़ैरह नाम क्यों रखती हैं? आपको तो अंबिया-ए-किराम, औलिया-ए-किराम के नामों पर नाम रखने चाहिए। अह्ले बैते किराम के नामों पर नाम रखने चाहिए ताकि उनकी बरकत शामिले हाल हो।

❖❖❖

ख़्वातीन का ख़्वातीन को नाम बिगाड़ कर या खुद साख़्ता नामों से पुकारना

मेरी प्यारी बहनो! आप से एक और भी वह शिकायत है जो पहले मर्दों से कर चुका हूँ। और वह शिकायत आप के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम को भी है। कि किसी का नाम न बिगाड़ा जाए। यानी अस्ल नाम को छोड़ कर खुद साख़्ता नामों से पुकारना। **मसलन** ज़्यादा बातें करने वाली को **या** जिसका नाम तूल हो। उसको बतूली। बहुत तेज़ औरत को। तितैया मिर्च, दुबली पतली औरत को, छिपकली नीचे की मंज़िल में रहने वाली को, नीचे वाली, और ऊपर की मंज़िल वाली को, ऊपर वाली, इसी तरह नए घर वाली, कुत्ते वाली, चश्मे वाली, बुरक़ा वाली, पर्स वाली, दिल्ली वाली, आगरा वाली, सिंधन, पंजाबिन, पठानी, भूरी, ढेरी, नईमा को निम्मू, महमूदी को मूदी, नूरजहाँ को नूदी, ज़ुबैदा को ज़ूबी, रुबीना को रुबी, वग़ैरह वग़ैरह कहने की आपको इस्लाम ने कहाँ इजाज़त दी है? इस्लाम में इस तरह के नाम बिगाड़ने की न मर्दों को इजाज़त है और न ख़्वातीन को। और आपको डबल इहतियात की ज़रूरत है कि इसका बच्चों और घर के माहौल पर भी बुरा असर पड़ सकता है। बल्कि पड़ता है।

अपने नामों पर दरूद शरीफ़ न लिखो : अगर किसी खुश बख़्त का नाम मुहम्मद हो। **या** कुन्नियत में **या** उर्फ़ में मुहम्मद हो **मसलन** नाम मुहम्मद है और उर्फ़ नूर मुहम्मद। नूर अहमद, नूरे मुस्तफ़ा वग़ैरह। तब उन पर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम न लिखा जाए। कि यह उम्मती का नाम या कुन्नियत या उर्फ़ है। "न कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का इस्मे गिरामी" (नाम) **बल्कि** इन पर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम या स. भी हरगिज़ न लिखा जाए। और **ख़ास** हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम के नाम मुबारक पर स० या सलअम लिखना या पढ़ना तो जाइज़ है ही **नहीं**, उलमा ने साफ हराम फरमा दिया। यानी इस्मे ख़ास जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम के लिए हो उस पर पूरा दरूद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ही लिखा

जाए। कि जो जो क़ारी मज़्मून पढ़ेगा अगर दरूद शरीफ़ लिखा होगा तो वह ज़रूर पढ़ेगा। जिसका सवाब पढ़ने वाले को, मज़्मून लिखने वाले को और कातिब वग़ैरह को पूरा, पूरा, अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त इनायत फ़रमाएगा। स० और सलअम की किस्म का इख़्तिसार अगर जाइज़ होता तो मुहद्देसीने किराम अहादीस की कुतुब में ऐसी इख़्तिसार वाली अलामत इस्तेमाल करते। कि उस में साठ हज़ार बल्कि बाज़ ज़ख़ीम जिल्दों में उससे भी ज़ाइद बार दरूद शरीफ़ लिखा गया। मगर उन्होंने **अज़ीम गुनाह** का ख़्याल किया, इख़्तिसार किया भी तो तवील दरूद लिखने के बजाए सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम से कम मुनासिब न जाना। स० और सलअम दरूद शरीफ़ का बदल नहीं। अल्लामा तहतावी अलैहिर्रहमा ने शरह मराक़ियुल–फ़लाह के हाशिया में फरमाया कि "वक़्त के हाकिम ने उस शख़्स का हाथ काट दिया था जिस कातिब ने स०, सलअम यह बिदअत ईजाद की थी।" अरस-ए-दराज़ के बाद बासी कड़ी फिर उफान आया। और गुस्ताख़े रसूल वहाबियों, **देव** बन्दियों, मौदूदियों ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान घटाने या **ग़ैर अहमीयत** देने की ग़रज़ से तहरीरों में स०, सलअम, अ०, यूंही औलिया-ए-किराम के अस्मा पर रज़ि०, रह, और अल्लाह के अस्मा पर तआला के बजाए तअ० लिखना शुरू कर दिया। इन गुस्ताख़ों की देखा देखी बाज़ ला इल्म मुसलमानों ने भी इस फ़ेअले क़बीहा को अपनाना शुरू कर दिया। **चूंकि** इसी ग़रज़ से गुस्ताख़े रसूल फ़िर्क़ों ने जारी किया था। अक्सर उलमा इस अमल को हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान घटाने और शान कम करने के मुतरादिफ़ (बराबर) बताते हैं। और याद रखिए कि अल्लाह तआला और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शाने पाक घटाना **कुफ़्र** है।

कातिब ! हज़रात, स०, अ०, और सलअम की जगह दरूद शरीफ़ ही लिखें। और तअ० की जगह तआला। ज की जगह पर जल्ला जलालहू, या अज़्ज़ा व जल्ला लिखें। गुस्ताख़े रसूल **देव** बन्दी या मौदूदी जमाअत के कहने पर दरूद शरीफ़ काट कर स० या सलअम हरगिज़ न लिखें कि यह उससे भी ज़्यादा शान घटाना है। **महरूमी** एक क़तरा सियाही या एक सिकण्ड वक़्त की बचत से हज़ारहा नेकियों से महरूम होना कहाँ की अक़्लमन्दी है ?

हुज़ू अलैहिस्सलाम के सिफ़ाती नाम : अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त के ९९

नामों के शुरू में बच्चों के नाम रखते वक़्त **अब्द** लगाना ज़रूरी है और हमेशा अब्द के साथ ही नाम पुकारा जाए। और नाम के इस्तेमाल में खुद और दूसरों को बिगाड़ने न दिया जाए। **मसलन** अब्दुल-ग़फ़्फ़ार को ग़फ़्फ़ार **या** ग़फ़्फ़ार भाई या गफ़्फ़ार भा या गप्पारिया वग़ैरह। अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त के अस्मा की तौहीन कुफ़्र है।

अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को रऊफ़, रहीम,, करीम, हादी वग़ैरह जैसे औसाफ़ से याद फरमाया। और यह हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सिफ़ाती नाम ठेहरे। हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम के सिफाती नाम तक़रीबन दो हज़ार एक सौ (२१००) हैं। इन तमाम नामों में से हुज़ूर के गुलाम नाम रख सकते हैं। **अल्बत्ता** मुहम्मद और अहमद नाम रखने की बहुत फ़ज़ीलत है। नबी बख़्श, गुलाम नबी, रसूल बख़्श, गुलाम मुस्तफ़ा, मुहम्मद बख़्श, गुलाम अहमद, नूरे मुस्तफ़ा, गुलाम मुहम्मद, नूर महम्मद, मुस्तफ़ा अहमद, अब्दुन्नबी, गुलाम गौस, और अब्दुर्रसूल, गुलाम मुज्तबा, नाम बेहतर हैं, और बहुत मुम्किन है कि यह गुलामी मैदाने महशर में रुसवा होने से बचाए और अल्लाह तआला अपने महबूब के गुलामों को जन्नत अता फरमाए, आमीन!

खुदा क बन्दे कहते हैं कि सब बन्दे खुदा के हैं
खुदा का बन्दा होता है, गुलामे मुस्तफ़ा हो कर
मुहम्मद की गुलामी दो जहाँ की बादशाही है
जो यह हासिल नहीं तो दो जहाँ की रू सियाही है

बारह सौ जदीद अंदाज़ में एक दूसरे से मिलते हुए इस्लामी नाम

नामों से मुतअल्लिक़ फ़ेहरिस्त मर्दुम शुमारी और लुग़ाते किशोरी फ़िरोज़ुल्लुग़ात फार्सी वग़ैरह से मदद ली गई है। नाम "अहकामे अक़ीक़ा और बच्चों के इस्लामी नाम" नामी किताब में मुलाहिज़ा करें।

मर्दाना नामों के अव्वल आख़िर : मर्दाना नामों के अव्वल आख़िर अब्द या रज़ा, या मुस्तफ़ा या मुहम्मद या अहमद या अली या हुसैन या पीर या फ़क़ीर या सलाम या इस्लाम वग़ैरह जो माना के एतबार से मुनासिब हो। लगाएं।

ख़्वातीन नामों के अव्वल आख़िर : इसी तरह ख़्वातीन नामों के

अव्वल व आख़िर, बी, या बीबी, या ख़ातून, या मुसम्मात (वह लफ़्ज़ या ख़िताब जो औरत के नाम से पहले लगाया जाता है) या परवीन या नाज़ या कनीज़ या आरा या आफ़रीं या हसीन या शीरीं या आंसा या बाई वग़ैरह जो माना के एतबार से मुनासिब हो लगाएं।

मर्दाना व ज़नाना नामों में लगाए जाने वाले, मुज़ाफ़, उर्फ़, या कुन्नियत के माना उनकी **रदीफ़** में मुलाहिज़ा फरमाएं।

मुसलमानो! सुनाता हूँ तुम्हें हालों की बद हाली
बयाने हाल भी ख़ालिस नसीहत से नहीं खाली

अपने मकान को छोड़ कर हाल में दावत : हालों में खिलाने से दावत व ज़्याफ़त के मफ़्हूम का ज़िस बेदर्दी से गला घोंटा जाता है वह क़ाबिले रहम है। दावत शरीअते मुतह्हरा ने जिस मक़्सद के लिए मुबाह (पाक) रखी थी, वह मक़्सद मीलों दूर तक नज़र नहीं आता। ऐसा मालूम होता है कि फ़लां हाल में दावत है गोया हाल वाले की तरफ से दावत है। और दावत के कार्ड तक़्सीम करने वाले के पूरे घर की दावत भी हाल वाले के हां है। अगर हाल का मालिक नज़र नहीं आता है तो इत्तिफ़ाक़ से दावत पर बुलाने वाला भी नज़र नहीं आता। कि मकान से दूर होने की वजह से दीगर अहम ज़िम्मेदारियाँ भी उसके पेशे नज़र होती हैं। और यूं भी कि उसका काम सिर्फ़ डेकोरेशन का किराया और हाल का बिल अदा करना है। और हाल में मेज़बानी के मुतअल्लिक़ बिल्कुल दिल्चस्पी नहीं लेता। ग़ैर मुतअल्लिक़ अफ़राद पर भरोसा करता है।

❖❖❖

शादी के तक़द्दुस और हालों के मालिकान के ग़लत रवैया के अलावा सिर्फ़ दावत से मुतअल्लिक़

इन हालों में विवाह, शादी और पड़ोसियों की हमदर्दी की यादें, और यह कि गर्मी, सर्दी, बरसात में अपना घर पनाहगाह बनना, सहेलियों की मुहब्बत, बहन, भाई, मां, बाप से जुदाई, लड़की की रुख़्सती का तक़द्दुस किस-किस तरह पाइमाल होता है। यहाँ ब्यान करना हमारा मक़्सद नहीं। और न यह बताना मक़्सूद है कि जिस तरह किसी जानवर को मार-मार अधमरा करके फिर ज़ब्ह किया जाए तब उसमें फड़कने, तड़पने की ताक़त नहीं होती। बिल्कुल इसी तरह जिस घर में लड़की पली बढ़ी होती है हाल में जाने के लिए जब वह अपने इस प्यारे घर और मुहल्ले से जुदा होती हैं। बेग़ैर किसी के एहसास किए आधी रुख़्सती तो उस वक़्त ही हो जाती है। और जिस हाल में आकर बैठती है वह इमारत अजनबी और वहाँ के माहौल में रहना लड़की पर वहशत तारी करता है। और लड़की से जिस वक़्त अक़्द की इजाज़त ली जाती है। उस वक़्त लड़की ख़ुद को यह महसूस करते हुए इजाज़त देती है जिस तरह पुलिस हवालात में क़ैदी से नाकर्दा जुर्म इक़रार कराती है। इससे क़ता नज़र कि यहाँ सिर्फ़ हालों में दावत से मुतअल्लिक़ ही अर्ज़ करना हमारा मक़्सद है। और न हालों के मालिकान के उस रवैया के मुतअल्लिक़ गुफ़्तगू करने का इरादा है जो अक्सर हज़रात सिर्फ़ इस सहूलत की ख़ातिर अपनी तक़रीब को हाल में अंजाम देते हैं कि वहाँ से ही डेकोरेशन का सामान भी ले लिया जाएगा। जिससे वक़्त भी बचेगा। **जबकि** माल घर लाना आसान है और वहीं के वहीं हाल में पहुँचाना मुश्किल कि कसीर (ज़्यादा) रक़म मांगते हैं। वहाँ से हाल में हम ख़ुद सामान पहुँचाएं या कसीर रक़म इन डेकोरेशन वालों को दें। इसी सोच बिचार में क़ीमती वक़्त गुज़र जाता है। और जब दावत का वक़्त क़रीब आ जाता है तब मज्बूरन राज़ी होना पड़ता है। जिसकी वजह से डेकोरेशन वालों को ही धुले बर्तन इस्तेमाल करवाने पड़ते हैं। और अगर मेहमान डेकोरेशन वालों का बर्तन धोना देख लें तो यक़ीनन

भूख ही उड़ जाए। और यह कि हालों के मालिकान का अख़्लाक़ भी बहुत अच्छा होता है, चन्द पैसों पर या नाक़िस चीज़ तब्दील (बदलने) करने पर चन्द घन्टे में तीन चार हज़ार के नफ़ा की परवाह किए बेग़ैर बात-बात पर डेकोरेशन और हाल की बुकिंग ख़त्म करने की धमकी देते हैं। धमकी ख़्वाह वक़्त की नज़ाकत की वजह से दें या पेट भरे की बुनियाद पर धमकी दें। या धमकी देना उनकी आदत में शामिल ग़रज़कि धमकी देते ज़रूर हैं। यह धमकियाँ उसके अलावा हैं जो हाल बुक करते वक़्त पन्द्रह दिन क़ब्ल ही यह धमकी तय कर लेते हैं कि हमें अगर हाल की ज़रूरत हुई तो बुकिंग ख़त्म। इस शर्त से मुराद उनकी यह होती है कि हमारी बरादरी या क़ौम की कोई उस दिन तक़रीब हुई तब हम उसको तरजीह देंगे। तुम्हारी बुकिंग ख़त्म। डेकोरेशन का माल लेते देने गिनती में और बाल पड़ी प्लेट वग़ैरह देने में क्या होशियारी करते हैं। और फिर वसूली पर ख़ूब जांच कर देख भाल कर कि अगर कोई बर्तन वग़ैरह ज़रा ऐब दार हुआ, उसका बाज़ारी ख़ूर्दा नर्ख़ से भी दो चार रुपए ज़ाइद वसूल करना उनका अपना हक़ होता है। लिहाज़ा उस पर भी हमें कुछ नहीं कहना।

यह बात ज़ेहन में आना लाज़मी है कि इतनी परेशानियों के होते, और यह कि बार-बार हाल से अपने घर पर इसी तरह अपने घर से हाल के चन्द घन्टों में कम व बेश बीसियों चक्कर लगाने पड़ते हैं। फिर हाल में ही अवाम दावत करना क्यों पसन्द करते हैं?

तो मेरे इस्लामी भाइयो! पूरे कुंबे में सिर्फ़ एक या दो अफ़राद ही हाल के दीवाने होते हैं। और वह किसी न किसी तरह अपनी कोशिशों में कामयाब भी हो जाते हैं।

और यह सवाल कि जब एक बार कई अक़्साम (तरह) के नुक़्सानात सामने आ गए फिर भी वही खानदान दूसरी मरतबा कोई भी तक़रीब हाल में क्यों करता है? तो इसका जवाब यह है कि हमारी फ़ितरत में है कि नमाज़ ईदुल-फ़ित्र की नीयत इमाम से सुनने के बावजूद ईदुल-अज़्हा को भूल जाते हैं। और जिस तरह हुकूमत का हर-हर नया ज़ुल्म पुराने ज़ुल्मों को भुला देता है। इसी तरह हालों के अज़ीम नुक़्सानात भी भूलना मुम्किन है। जबकि एक तक़रीब से दूसरी तक़रीब में निस्बतन वक़्त भी काफी गुज़र चुका होता है।

जैसा कि पेश्तर गुज़रा कि हालों में खिलाने के दीवाने पूरे घर में एक

या दो ही होते हैं जब उनकी राय तस्लीम कर ली जाती है तब उन हालों के दीवानों को कुर्सी पर खाना खिलाने का भूत सवार होता है। पहली मरतबा अगर वह उसमें कामयाब हो गए तब दूसरी मरतबा मेहमानों को खड़े-खड़े खिलाने का दौरा पड़ता है।

जब इस तरह के दीवाने दीन में फ़ित्ने पैदा करने में कामयाब हो जाते हैं तब वह फ़ित्ने ख़ुद भी फ़ित्ने जनम देते हैं। मसलन जिस मज़्हबी घर में गाने! गाली समझे जाते हैं उनके हां सिर्फ़ ख़बरों की ग़रज़ से पहले रेडियो आएगा। कुछ ही दिन बाद किसी-किसी वक़्त बच्चे गाने भी सुनने लगेंगे। जब वह बच्चे ज़रा बड़े होंगे तब टेली वीज़न भी आएगा। इसके बाद वी.सी.आर. भी। फिर इसके लिए यौमियां दो चार कैसिटें भी। इस तरह घर से शब (रात) का आराम व सुकून रुख़्सत। नमाज़ और दीनदारी तो पहले ही रुख़्सत हो चुकी होती है। अब लड़कियों को किस नाच गाने के सेंटर में दाख़िला दिलाया जाए उस पर संजीदगी से ग़ौर किया जाएगा। इस बेपनाह इख़राजात के लिए हराम ज़राए (तरीक़े) से हासिल करदा रक़म से भी परहेज़ नहीं किया जाएगा। फिर वह हराम लुक़्मा क्या क्या फन दिखाता है? उसकी एक झलक किताब के शुरू में ही मुताला फरमा चुके। "क़ारेईन आपने देखा कि एक फ़ित्ना कितने फ़ित्नों को जनम देता है।"

इसी तरह खाने की दावत में भी सैंकड़ों फ़ित्ने जनम ले चुके हैं। अलावा खाने की इक्तीस सुन्नतों को पाइमाल करने और सैंकड़ों भलाईयों से महरूमी के एक ख़राबी आगे मज़्मून "एक नज़र इधर भी" में मुताला फरमाएं।

लिहाज़ा साबित हुआ कि नेकी की बात या अमल कम क़ुबूल करने में और बुराई फ़ौरन फैलने में शैतान के अलावा हमारी अपनी नफ़्सानी ख़्वाहिश का भी दख़ल है। **काश** कि ऐसा होता कि जिसमें बुराई का गुमान हो तो घर का **सरबराह** साफ कह दे कि मैं ऐसी तक़रीब में बिल्कुल शामिल नहीं हूँगा। फिर देखें कि किस तरह बतदरीज हमारे घरों में बुराइयाँ डेरा जमाती हैं? **मगर** जब हमारा ही यह हाल हो कि "रोने को तो पहले ही बैठी थी और ऊपर से आ गया भैइया।" तो ख़ूब फूट-फूट कर रोई। कि पहले ही से दिलों में बुराई की तरफ ज़ेहन नफ़्स माइल होता है फिर मज़ीद कोई बुराई की तरफ आमादा करने वाला भी पैदा हो जाए तो फिर यक़ीनी है कि बुराई, बदी या गुनाह हर घर में फले फूलेगा।

हालों में दावत के मज़ीद चन्द नुक़सानात : हालों में दावत का ख़ून इस तरह किया जाता है कि खिलाने वाला अमला किराए का या ग़ैर मुतआरिफ़, अजनबी होता है। इस वजह से उसको नहीं मालूम होता कि असली मेहमान कौन। और यह कि कौन किस शान का मालिक है। और मदऊ करने वाले का कौन अज़ीज़ है और कौन दोस्त है। कि वह कपड़ों से नहीं पहचाना जाता। कि बाज़ रिश्तादार या दोस्त या मुहसिन आम हालत में होता है मगर अहम होता है। और यह कि उसके क्या क्या एहसानात मेज़बान पर हैं? जिसकी वजह से वह मदऊ किया गया। और न इस अमले को यह मालूम होता है कि किसको बुलाया था और वह नहीं आया। और किसको नहीं बुलाया गया मगर वह आया हुआ है। अगर ऐसी दावत में तमाम खाने वाले भी फ़रदन-फ़रदन दावत देने वाले से दो चार दिन बाद कहें कि मैं फ़लां मज्बूरी की वजह से दावत में नहीं आ सका। इसको सब तस्लीम करना पड़ेगा। कि ख़ुद जो मेज़बानी के फराइज़ अंजाम नहीं दिए। और इस वजह से भी कि अगर खाने वाले चन्द माह बाद इन्कार करें तो वह फ़ितरतन बेकुसूर समझे जाएंगे कि उनके सामने किसी के वलीमा का तज़्किरा होता है तब वह उसके घर से ला इल्मी पर यही कहते हैं कि जब हमने उसका घर ही नहीं देखा तो वलीमा कैसे खा लिया? और किसी ने याद भी दिलाया कि तुमने हाल में खाया था। तब वह याद आना भी वक़्ती होता है। फिर वही ज़ेहन बना रहता है, कि उसके हां दावत पर नहीं गए। और अगर कभी हाल की दावत किसी ख़ुसूसियत की वजह से याद आती भी है। तब उस वक़्त यह याद नहीं रहता कि किसके वलीमा में गए थे। यह सब कुछ हालों में दावत करने और मेज़बान की अदम दिल्चस्पी का नतीजा है। कि बिन बुलाए मेहमान हालों की हर दावत में शरीक होते हैं। और खाना बर्बाद करना चूंकि उनकी आदत व फ़ितरत में होता है। जिनकी हक़ीक़त अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त के महबूब पहले ही फरमा चुके हैं।

हदीस : अबू दाऊद ने अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि अल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फरमाया। जिसको दावत दी गई और उसने कुबूल न की उसने अल्लाह व रसूल की नाफरमानी की। और जो बेग़ैर बुलाए गया वह **चोर** होकर घुसा और **ग़ारत गरी** करके निकला।

इसी तरह वह बिन बुलाए आने वाले निज़ाम दरहम बरहम करके रख देते हैं। और खाने की बर्बादी के सबब खाने की किल्लत वाके होती है। मेहमानों का भूखे वापस होना यक़ीनी है। और यह यक़ीनी होना भी चाहिए कि **दावते वलीमा** जब **सुन्नत** की नीयत नहीं। अपने मुसलमान भाई की दावत की नीयत से नहीं **बल्कि** नाम वरी और दोस्त अहबाब में या कौम बरादरी में **नाक** ऊंची रहे। जब यह नीयत हो तो बरकत कहाँ से पैदा होगी?

एक नज़र इधर भी : अगर इसका मुशाहिदा मत्लूब है कि हालों में चोर आते हैं या नहीं तब मेज़बान! मेहमानों की दावत की फ़ेहरिस्त ख़ुद बनाए। और ख़ुद दावत देने जाए। और ख़ुद ही हाल के दरवाज़े पर मेहमानों का इस्तिक़्बाल करे। और हाल में किसी दाख़िल होने वाले को भी न रोके। तब उस पर ज़ाहिर होगा कि कॉलेज के तलबा अपने दीगर दोस्तों के हम्राह बड़ी बेपरवाही से हाल में ऐसे दाख़िल होते नज़र आएंगे जैसे किसी नाम निहाद इस्लामी जमाअत के तलबा का कंवेंशन हाल में है। फिर यह लिबास के उजले दिल के काले खाने की ग़ारत गरी, बर्बादी किस-किस तरह करते हैं। वह हदीसे पाक से भी ज़ाहिर कि रोटी को हाथ तक नहीं लगाते जैसे ही सालन का थाल आता है फ़ौरन चील की तरह उस पर झपटते हैं। उनमें के दो तीन ही जो कुछ ज़्यादा ही माहिर होते हैं वह मुर्ग़ की रानें ही रानें प्लेट में भर कर सालन का हुस्न तबाह करते हैं। बक़िया हज़रात में जो दूर अन्देश हुआ उसी को ग़नीमत जान कर क़ुबूल करता है। हस्सास शख़्स के लिए सिर्फ़ शोर्बा रह जाता है। जब तक दूसरा थाल आए यह शरीफ़ चोर किसी रान का गोश्त आधा किसी का चौथाई अगर दूसरा थाल आते देखते हैं तब वह प्लेट यूं ही छोड़ कर दूसरी प्लेट में फिर रानें भर कर कुछ खाया कुछ छोड़ा इस तरह एक बिन बुलाया सेरों गोश्त बर्बाद करता है जो कचरे की टप की नज़र होता है। मज़्कूरा **हदीस** का यह जुमला कि "जो बेग़ैर बुलाए गया वह चोर होकर घुसा और ग़ारत गरी करके निकला।" इसको बार-बार पढ़ें। और टप में ग़ारत गरी भी मुलाहिज़ा करें। ऐसी मेज़बानी और मेहमानी पर बुज़ुर्गों की यह मिसाल सादिक़ आती है कि –

"अन्धे पीसें कुत्ते खाएं"

तन दही से खुद कमा खाना जिसे मरग़ूब है
वह जवां दिल हक़ तआला को बहुत महबूब है

न किताबों से न कॉलेज की है दर से पैदा
दीन होता है बुज़ुर्गों की नज़र से पैदा

हदीस : सही बुख़ारी व मुस्लिम में इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने दो खुजूरें मिला कर खाने से मना फरमाया जब तक साथ वाले से इजाज़त न ले ले।"

तक़रीबे दावत में तरक़्क़ी की राहें निकालने और ख़ुद को तरक़्क़ी पसन्द समझने वालों से सिर्फ़ यह कहना है कि अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त का महबूब तो यह फरमाए कि "दो खुजूरें भी कोई मिला कर न खाए जब तक अपने साथी से न इजाज़त ले ले।" अगर आप को तरक़्क़ी करना थी तो चाहिए तो यह था कि ख़ुद न खाते अपने बराबर वाले साथी को ही खिलाना पसन्द करते। मगर आपको तो छीन झपट कर! और वहशियों की तरह खाते फिरने में तरक़्क़ी नज़र आती है। अगर ऐसी महफ़िल में एक भी शरीफ़ुन्नफ़स शख़्स दावत पर आकर आप जैसे तरक़्क़ी पसन्दों में फंस जाए। और सालन से भरा थाल आते ही आप जैसे तन के उजले मन के कालों को उस पर झपटते हुए देखे कि पूरा थाल पलक झपकते ही साफ अगर वह हिम्मत व जुरअत से काम लेकर खाना भी चाहे तो बावजूद एक घन्टे इंतिज़ार करने के नहीं खा सकता।

ऐसी तक़रीबात करने वाले या इस क़िस्म की दावत का मशवरा देने वाले यह क़तई भूल जाते हैं कि नेकी को गुनाह में तब्दील करने की क्या सज़ा है? जबकि उसको यह भी मालूम हो कि सुन्नत पर अमल न करना सवाब से महरूमी और सुन्नत का मज़ाक़ उड़ाना कुफ़्र है। इस्लामी उसूलों पर खाना खाने को हक़ीर और उनका मज़ाक़ उड़ाना तो कजा बेहूदा हरकात को तरक़्क़ी का नाम देना। नेकी के काम में इजाफ़ा के बजाए अपने मुसलमान भाईयों को गुनाह की राह चलाने को तरक़्क़ी और ख़ुद को तरक़्क़ी पसन्द कहते हुए शर्म व हया, ख़ौफ़ क़ब्र व हश्र सब रुख़्सत?

(इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।)

पाकिस्तान बनने से क़ब्ल हिन्दुओं को वोट दिलाने की ग़रज़ से जहाँ हिन्दुओं में तरह-तरह की ख़ूबियाँ ब्यान की जाती थीं वहाँ गाँधी को इस्लाम पसन्द बताते हुए काँग्रेसी, तबलीग़ी जमाअत की ज़ुबान न थकती थी। अब ख़ुद भी इस्लाम से ऐसे बेज़ार कि इस्लाम पसन्द तो क्या?

नसारा से बदतर दरिन्दों की तरह चलते फिरते छीनते झपटते खाने पीने को पसन्द फरमाने लगे। किताब के अव्वल सफ़हात पर अल्लाह तआला के महबूब की ब्यान कर्दा सुन्नतों में ऐसा कौन सा नुक़्स था जो मजीद तरक़्क़ी के नाम पर बेहूदगियों को पसन्द फरमाया ?

शैतान ने तर्कीब तनज़्ज़ुल की निकाली
उन लोगों को तुम शौक़ तरक़्क़ी का दिला दो

हिकायत : जो बे बुलाए दावत में आए उसके लिए इबरत और उसके लिए भी इबरत कि जिसको बुलाया जाए और वह न आए। ख़ुसूसन मुतकब्बेरीन (घमण्डी) के लिए यह हिकायत इबरत (नसीहत) का सबक़ देती है।

एक शख़्स ने लोगों की दावत की उसका बेटा! बाप की बे इत्तिला हज़रत जुनैद कुदुस सिर्रहू को भी बुला लाया। आप जब उसके घर के दरवाज़े पर पहुँचे, उसके बाप ने अन्दर न जाने दिया। आप वापस पलट आए। लड़का फिर दोबारा बुलाने आया आप तशरीफ़ ले गए। फिर उसके बाप ने अन्दर न जाने दिया। आप फिर वापस आए। इस तरह चार बार हज़रत जुनैद कुदुस सिर्रहू तशरीफ़ लाए। ताकि लड़के का दिल खुश हो। और हर बार पलट गए ताकि उसके बाप का दिल वापसी से ख़ुश हो। हालांकि आप इससे फ़ारिग़ थे। और हर दो कुबूल में आपको इबरत होती थी कि इस अम्र मआमला को मिनजानिबिल्लाह देखते थे।

ग्यारहवीं शरीफ़, बारहवीं शरीफ़ का खाना : जो खाना अपनी नामवरी (शोहरत) की ग़रज़ से नहीं बल्कि उस खाने वग़ैरह को ही बुज़ुर्गों की मिल्क करते हैं। और फिर वह खाना उन्हीं के नाम से मन्सूब भी हो फिर उस खाने में ज़ाइक़ा और ख़ैर व बरकत क्योंकर न हो? इसी तरह जो ग़रीब अपनी **बहन, बेटी** की शादी अपने मकान पर करते हैं, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत और मुसलमान भाई ज़ियाफ़त के इरादे से दावते वलीमा करते हैं। रात दिन का मुशाहिदा है कि उस खाने में भी काफी बरकत होती है। बावजूद खाना कम पकाने के तमाम मदऊईन भी सैर (पेट भर) होकर खाते हैं। और बरातियों के साथ भी खाना किया जाता है। **नीयते ख़ैर** कि बरकतें और नाम व नुमूद (शान) की नुहूसतें (बदनसीबी) रात दिन देखने में आती हैं। नीयत बदली तासीर (असर)

बदली। दावत में नीयत का सही होना भी ज़रूरी है। और अमल भी कि दावत करने वाला ख़ुद मेज़बानी (खाना खिलाने पर मामूरी) के फराइज़ अंजाम दे। कि जो अख़्लाक़ी बर्ताव ख़ुद कर सकेगा वह दूसरा नहीं। और यह कौन आया और कौन नहीं आया और कौन किस नफासत या आदत का मालिक है। इसी तरह कौन सी बात किसको बुरी लगती है और कौन खुश होता है। और हल्की फुल्की ख़ुश तबई भी यही कर सकता है कि उसके सब साथी हैं। हम मज़ाक़ हैं अगर दावत करने वाला किसी साथी के हाँ दावत पर उसको तंग कर चुका है तो आज वह भी इंतिक़ाम लेना चाहेगा। अगर ख़ुद होगा तो ख़ुश उस्लूबी से निभाएगा। वरना जिसको इल्म न होगा वह उससे उलझ जाएगा। जिससे बजाए मुहब्बत के नफरत को कुव्वत मिलेगी। इसी तरह अगर ख़ुद काम में मश्गूल होगा तो हर साथी भी चाहेगा कि हम भी अपने दोस्त का हाथ बटाएं। उसका वज़न हल्का करें। और जैसा कि आपने मुताला फ़रमाया कि ख़ुद खिलाना या खाने पर बैठना सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है। **मगर** याद रखें कि सह सब कुछ घर पर दावत करें तब ही मुम्किन है। मगर जहाँ मेज़बान और उसका अपना घर कुंबा भी मेहमान नज़र आए। वहाँ क्या किसी की तक्लीफ़ का एहसास हो सकता है? (कि मेहमान को क्या तक्लीफ़ है?) उसको क्या परेशानी है, उसको क्या हाजत है? कि ख़ुद वह पराई जगह अपनी परेशानियों में गुम होता है।

होटल या कैंटीन : हालों में खिलाने को होटल या कैंटीन का नाम भी देना मुनासिब नहीं कि होटल या कैन्टीन में खाने का आडर देते और रुपए अदा करते वक़्त मालिक से राबता होता है। और एहतराम से खिलाया जाता है खाने की बर्बादी बेहुरमती नहीं होती। लिहाज़ा हालों में दावत को होटल या कैंटीन का नाम देना भी होटल या कैंटीन की तौहीन है। यह अलग बात है कि ख़ुद होटल में शौक़िया खाना शुरफ़ा के नज़्दीक और इस्लाम में भी मायूब है।

हालों में दावत की इजाज़त : अल्बत्ता अगर किसी शख़्स को हक़ीक़त में कोई ख़ास अहम मजबूरी है कि अपने मकान या पड़ोसियों के या क़रीब ही किसी जगह कनात, शाम्याने की मदद से खाना खिलाना मुम्किन न हो तब अपने किसी रिश्तादार, दोस्त, अहबाब या किसी मदरसा, स्कूल में यह तक़्रीब अदा की जाए। और अगर वहाँ पर भी

मुम्किन न हो फिर हालों में जाइज़ है **बशर्तेकि** हालों की बदहाली से बचा जाए, और मुन्दरजा बाला तमाम इहतियातों पेशे नज़र ज़रूर रखें ताकि सुन्नत तरीक़ों पर दावत कहलाई जाए। **अगर** सुन्नते रसूल की नीयत नहीं तो हाल हो या अपना घर। हर जगह नाम व नुमूद, फ़ख़्रिया दावत मना है। दावत ख़ालिस ख़ुलूस की बुनियाद पर हो, ताकि किसी क़िस्म की रिज़्क़ की बर्बादी या इसराफ़ (फ़ुज़ूल ख़र्ची) न हो वरना उसके नताइज से दो चार होना पड़ेगा।

हदीस : इब्ने माजा ने उम्मुल-मुमिनीन हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ि अल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की कि "नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम मकान में तशरीफ़ लाए। रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ देखा उसको लेकर पोंछा फिर खा लिया और फरमाया आइशा अच्छी चीज़ का एहतराम करो कि यह चीज़ (यानी रोज़ी) जब किसी क़ौम से भागी है तो लौट कर नहीं आई।" यानी अगर नाशुक्री की वजह से किसी क़ौम से रिज़्क़ चला जाता है तो फिर वापस नहीं आता। **(बहारे शरीअत)**

यह माना कि दोनों जहान के सरदार ने बावजूद अल्लाह की अता से मालिक व मुख़्तार होने के रोटी का टुकड़ा सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें तर्बियत देने की ग़रज़ से उठा कर खाया और यह कि उम्मुल-मुमिनीन हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ि अल्लाहु तआला अन्हा से भी फरमाया। और यह भी तस्लीम है कि सास का बेटी को डांटना बहू को कान करना होता है। बिल्कुल इसी तरह हम जैसे नाफ़रमान ग़ुलामों को रिज़्क़ का अदब, तरीक़े, सलीक़े से समझाना था। मगर क्या यह हक़ीक़त नहीं कि अपने घर या मेहमानी के दौरान मेज़बान के मकान या हाल में रिज़्क़ की बेहुरमती करने वाला चन्द दिन या चन्द माह बाद ही तरह-तरह की परेशानियों, मुसीबतों में मुब्तला होता है? कि दोस्त तो दोस्त, दुश्मनों से भी इसकी हालत, उसकी परेशानी नहीं देखी जाती। और एक क़िस्म की परेशानी नहीं कि सब्र कर लिया जाए। या मुक़ाबला किया जाए। ऐसा मालूम होता है कि मुसीबतों, बलाओं, आफ़तों, का तूफ़ान उमंड पड़ा हो। या तकालीफ़ों, परेशानियों की आंधी में घिरा हो।

और जो लोग रिज़्क़ का अदब, अपने मुसलमान भाई का एहतराम, और ख़ुसूसन खाने पीने की सुन्नतों पर अमल, बख़ुलूसे दिल करते हैं वह

दिन दूनी रात चौगुनी तरक़्क़ी और अल्लाह तआला उनको मक़ामे ख़ास से नवाज़ता है। ग्यारहवीं, बारहवीं शरीफ़ की अपनी भी बरकतें हैं। मगर रिज़्क़ का एहतराम और अपने मुसलमान भाई का एहतराम भी एक अलग अज़ीम नेकी है। जो अल्लाह तआला और उसके महबूब को पसन्द है।

अल्लाह तआला मुसलमानों के हर अमल की नाम व नुमूद से महफ़ूज़ फ़रमाए। और आमाल में ख़ुलूस ख़ुशू, ख़ुज़ू की दौलत से नवाज़े ख़ुसूसन अपने इस नाचीज़ **अनीस** को ख़ुलूस, ख़ुशू व ख़ुज़ू से सही आमाल की तौफ़ीक़े रफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। आमीन!

❖❖❖

महबूबे ख़ुदा की महबूब ग़िज़ाएं

अन छने जौ की रोटी : हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने अक्सर जौ की रोटी तनावल फरमाई। और कभी-कभी गन्दुम (गेहूं) की भी मगर मैदा की रोटी तनावल नहीं फरमाई।

हदीस : हज़रत सुहैल बिन सअद रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से दरयाफ़्त किया कि क्या कभी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने मैदे की रोटी तनावल फरमाई? तो उन्होंने जवाब दिया कि आख़िर उमर तक आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम के हुज़ूर कभी मैदा नहीं पेश किया गया। फिर साइल ने पूछा कि उस ज़माने में छलनियाँ थीं? हज़रत सुहैल रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि नहीं। साइल ने पूछा कि जौ कि रोटी कैसे पकाते थे? उन्होंने जवाब दिया कि जौ के आटे में फूंक मार लिया करते थे। जो (मोटे-मोटे) तिनके होते उड़ जाते। बाक़ी गूंद कर पका लेते थे। (बुख़ारी व मुस्लिम)

आस्मां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा
ला मकां मिल्क, और जौ की रोटी ग़िज़ा
कुन फ़कां मिल्क, और जौ की रोटी ग़िज़ा
कुल जहाँ मिल्क, और जौ की रोटी ग़िज़ा
उस शिकम की क़नाअत पे लाखों सलाम

(अख़्तरुल-हामिदी)

मरहबा सरवरे दो जहाँ की ग़िज़ा
सादगी जिस पे कुरबान, ऐसी ग़िज़ा
"फ़ुक्र फ़ख़री" की तफ़्सीर करती ग़िज़ा
कुल जहाँ मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा
उस शिकम की क़नाअत पे लाखों सलाम

(हाफ़िज़ अब्दुल-ग़फ़्फ़ार)

जिसके मुहताज हों सारे शाह व गदा
जिसके टुकड़ों से पलती हो ख़ल्के ख़ुदा
और फिर उस पर आलम हो यह ज़ुह्द का
कुल जहाँ मिल्क और जौ की रोटी गिज़ा
उस शिकम की क़नाअत पे लाखों सलाम

(सैयद हबीब अहमद)

सत्तू : हज़रत सुवेद बिन नौमान रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु जो कि अस्हाबे शजरा में से हैं। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम और आपके अस्हाब के पास सत्तू लाए गए। उन्होंने उनको पानी में घोल कर नोश फरमाया। **(बुख़ारी शरीफ़)**

हल्वा :

हदीस : हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ि अल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम को हल्वा और शहद (बहुत) पसन्द था। **(बुख़ारी शरीफ़)**

घी :

हदीस : हज़रत उम्मे औस रज़ि अल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि मैंने घी गरम करके एक बर्तन में भर लिया और उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम की ख़िदमते आलिया में हदियतन पेश किया। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लभ ने कुबूल फरमा लिया। और बर्तन में थोड़ा सा घी छोड़ कर फूंके मारी और बरकत की दुआ फ़रमा दी और (अस्हाब से) फरमाया कि उम्मे औस का बर्तन वापस कर दो। सहाब-ए-किराम ने बर्तन वापस कर दिया। तो वह घी से भरा हुआ था हज़रत उम्मे औस रज़ि अल्लाहु तआला अन्हा ने ख़्याल किया कि शायद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने घी क़ुबूल नहीं फरमाया। हज़रत उम्मे औस रोने के अन्दाज़ में बात करती हुई हाज़िर ख़िदमत हुई और अरज़ करने लगी। "या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम मैंने घी इसलिए गर्म किया था कि आप तनावल फ़रमा लेंगे।" आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम उम्मे औस की बात समझ गए कि दुआ कुबूल हो गई है, और बर्तन घी से भर गया है।

आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि उम्मे औस

से कह दो कि (हमने घी क़ुबूल फरमा लिया, और तनावल भी फरमा लिया है) अब ख़ुद यह घी खाएं।

उम्मे औस ने वह घी हुज़ूर सरवरे काइनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम के विसाल मुबारका के बाद हज़रत अबू बकर व उमर व उस्मान रज़ि अल्लाहु तआला अन्हुम के ज़माना-ए-खिलाफ़त तक खाया उस बर्तन से मुसलसल घी निकलता रहा। यहाँ तक कि हज़रत अली अल-मुर्तज़ा और हज़रत अमीर मुआविया रज़ि अल्लाहु तआला अन्हुम का झगड़ा हुआ (यानी बरकत उस वक़्त जाती रही) और घी ख़त्म हो गया।

(अल-ख़साइसुल-कुबरा)

इस हदीसे पाक से दम करने का जवाज़ भी साबित हुआ। और उसके बरकात के समरात भी मालूम हुए।

रौग़ने ज़ैतून :

हदीस : हज़रत अमर व अबू ओसैद रज़ि अल्लाहु तआला अन्हुम से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़ैतून का तेल खाओ और मालिश में इस्तेमाल करो। इसलिए कि वह मुबारक दरख़्त से पैदा होता है। **(शमाइले तिर्मिज़ी)**

हदीस : हज़रत सल्मा रज़ि अल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि हज़रत इमाम हसन बिन अली अल-मुर्तज़ा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, और हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफर रज़ि अल्लाहु तआला अन्हुम उनके पास तशरीफ़ ले गए और फरमाइश की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम को जो खाना पसन्द था और रग़बत से तनावल फरमाते थे, वह हमें पका कर खिलाओ। हज़रत सल्मा रज़ि अल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया प्यारे साहब ज़ादो! आज वह खाना (तुम्हें शायद) पसन्द नहीं आएगा। उन्होंने फरमाया ज़रूर पसन्द आएगा। चुनांचे वह उठीं और थोड़े से जौ लेकर आईं, उन्होंने बारीक किया और हांडी में डाला, फिर उस पर थोड़ा सा रौग़ने ज़ैतून डाला, फिर कुछ मिर्चें और ज़ीरा वग़ैरह पीस कर डाला और पका कर उनके सामने रख दिया। हज़रत सलमा रज़ि अल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि यह खाना रसूले अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम को बहुत पसन्द था।

(तिर्मिज़ी शरीफ़)

खुजूर :

हदीस : सही मुस्लिम में हज़रत अनस रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कहते हैं कि "मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम को खुजूर खाते देखा और हुज़ूर अलैहिस्सलाम सुरीन पर इस तरह बैठे थे कि दोनों घुटने खड़े थे।"

दो खुजूरें मिला कर खाना :

हदीस : सही बुख़ारी व मुस्लिम इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि "रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने दो खुजूरें मिला कर खाने से मना फरमाया। जब तक साथ वाले से इजाज़त न ले ले।"

आज हरीस (लालची) हज़रात का यह तरीक़ा है कि खाने की शय महफ़िल में तक़्सीम होने से क़ब्ल ही उस पर झपट पड़ते हैं और तक़्सीम नहीं होने देते और अगर महफ़िल में इस तरह की शय सामने रखी जाए तब पहले बाएं हाथ में भर कर रख लेते हैं, फिर दाएं हाथ से जल्दी-जल्दी मुट्ठी भर-भर कर मुँह में रखते हैं और बेग़ैर चबाए हलक़ से उतारते हैं। यह आदत तहज़ीब व अख़्लाक़ के भी ख़िलाफ़ है। ऐसा हरगिज़ ना चाहिए।

नौ ज़ाइदा बच्चा और खूजूर :

हदीस : जब बच्चा पैदा हो तो ज़रा सी खुजूर चबा कर बच्चा के तालू में लगाएं और उसके लिए दुआ करें।

फाइदा : बाज़ उलमा फ़रमाते हैं कि इससे बच्चा खुश और हलीम होता है। एक और हदीस में हुज़ूर अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि ऐ मेरे सहाबियो! अपनी फूफ़ी से मुहब्बत किया करो। सहाबा ने अर्ज़ की। हम मुहब्बत करते हैं, फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जानते हो फूफ़ी कौन है? सहाबा ने अर्ज़ की वालिद की बहन। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुजूर। सहाबा को हैरत हुई, और दरयाफ़्त किया वह कैसे? फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जिस मिट्टी से अल्लाह तआला ने पैदा फरमाया उसकी बक़िया मिट्टी को ज़मीन पर डाल दिया उससे खुजूर पैदा हुई।

(फ़त्हुल-क़दीर, ऐनी, शरह बुख़ारी)

यही वजह है कि इंसान की तमाम जिस्मानी कमज़ोरियों में खुजूर ताक़त और तवानाई देती है। ख़ुसूसन कुव्वते बाह और कमर को ताक़त

बख़्शती है। खुजूर तन्हा मक्खन से। और मक्खन रोटी से बहुत फाइदा मन्द है। खजूर चावल से भी खाने में लज़्ज़त देती। अल्लामा शाह अहमद नूरानी सुबह नाश्ता में सिर्फ़ सात खुजूरें ही तनावल फरमाते हैं। खुजूर में गिज़ाईयत बहुत पाई जाती है। बाज़ गज़वात (वह जिहाद जिसमें रसूले करीम ने भी शिर्कत की है) में सिर्फ़ खुजूर पर ही गुज़ारा किया गया। बल्कि बाज़ जंग में एक-एक ही खुजूर पर सारा दिन मुजाहिदीन ने गुज़ारा करके अल्लाह व रसूल के दुशमनों से मुक़ाबला किया। खुजूर मक्खन के साथ खाना सुन्नत है। और मक्खन के साथ ही खाने की ताकीद भी फरमाएं हैं। नहार मुँह खुजूर खाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। छुहारा और खुजूर को ऊपर और अन्दर से भी देख लेना चाहिए क्योंकि उस में कीड़े भी होते हैं। इसी तरह भिन्डी, मटर की फली, और हरे चने की फली जिसे होले भी कहते हैं, इनको भी देख कर ही काटा जाए या दाने निकाले जाएं कि इसमें दाने के रंग का कीड़ा होता है। खुजूर! आँखें दुखती में न खाएं कि मुज़िर है, रात को ठण्डे पानी में रख कर सुबह को खाने से गर्मी नहीं करती। खुजूर पानी में मल कर शर्बत बना कर पीना भी तवानाई बख़्श है और सुन्नत भी।

खुजूर भूख मिटाती है :

हदीस : सही मुस्लिम में हज़रत आइशा रज़ि अल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "जिनके यहाँ खजूरें हैं। उस घर वाले भूखे नहीं।" दूसरी रिवायत में है कि "जिस घर में खुजूरें न हों उस घर वाले भूखे हैं।"

यह उस ज़माने और उस मुल्क के लिहाज़ से है कि वहाँ खुजूरें बकसरत होती हैं (इसी तरह अपर सिंध में कि वहाँ भी खुजूरें बकसरत होती हैं) कि जब घर में खुजूरें हैं तो बाल बच्चों और घर वालों के लिए इत्मीनान की सूरत है कि भूख लगेगी तो उन्हें खा लेंगे। भूखे नहीं रहेंगे। **(बहारे शरीअत)**

खुजूर और रोटी :

हदीस : हज़रत यूसुफ़ बिन अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ि अल्लाहु तआला अन्हुम फरमाते हैं कि मैंने सरवरे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने जौ की रोटी का टुकड़ा लिया और उस पर खुजूर रखी और फरमाया यह इसका सालन है और तनावल फरमा लिया। **(अबू दाऊद)**।

तरबूज़, ख़रबूज़ा, ककड़ी, खीरा, खुजूर के साथ : ककड़ी और

खुजूर, खीरा और खुजूर, ख़रबूज़ा और खुजूर, तरबूज़ और खुजूर हुज़ूर अलैहिस्सलाम बहुत शौक़ से तनावल फरमाया करते थे।

(सुन्नी फ़ज़ाइले आमाल, मिश्कात शरीफ़, शमाइले तिर्मिज़ी)

अबू दाऊद शरीफ़ में यह भी ज़ाइद है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुजूर की गर्मी को तरबूज़ की सर्दी से। और तरबूज़ की सर्दी को खुजूर की गर्मी से ख़त्म किया जाए। **(मिश्कात)**

खुजूर और चावल : जिन हज़रात को चावल नज़्ला या सांस वग़ैरह को नुक़्सान करता हो चावल कम खाएं। और खाएं तब नर्म खुजूरों के हम्राह खाएं। कि इस तरह खाना सुन्नत भी है और बेज़रर (नुक़्सान नहीं) भी।

खुश्क यानी सूखा गोश्त : अल्लाह तआला के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम एक रोज़ क़दीद तनावल फरमा रहे थे कि एक बद ज़ुबान औरत हाज़िरे ख़िदमत हुई। और अर्ज़ किया कि मुझे भी क़दीद इनायत फरमाइए, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने जो क़दीद सामने रखा था, उसमें से उसे भी अता फरमाया। उस औरत ने अर्ज़ किया कि अपने मुँह से निकाल कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने अपने मुँह से निकाल कर उसे अता फ़रमाया। और वह खा गई। उस रोज़ के बाद कभी उसके मुँह से क़बीह (बुरे) और फहश (गर्मी) कलाम सुनने में न आया। **(ख़साइसे कुबरा जिल्द अव्वल)**।

क़दीद का मतलब ख़ुश्क किया हुआ गोश्त है जो पानी में भिगो कर पकाया जाता है।

गुस्ताख़े रसूल हज़रात को इस हदीस से कई सबक़ हासिल करने चाहिए। कि फ़ाहिशा (गन्दी औरत) औरत भी तबर्रुक जान कर फरमाइश करती है। और मुँह के अन्दर का लुक़्मा तलब करने पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम का मना न फरमाना बल्कि इनायत करना। फिर उस तबर्रुक की बरकत भी मालूम हुई।

सालनों में सरदार सालन गोश्त :

हदीस : हज़रत अबू हुरैरह रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फरमाया। "सब सालनों में सरदार सालन "गोश्त" है। दुनिया में भी और आख़िरत में भी।"

क़ौल : हज़रत अली रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया। "ऐ

लोगो! गोश्त खाया करो। कि गोश्त खाना अच्छा करता है हलक़ को। और साफ़ करता है रंग को। और छोट करता है पेट को।"

हदीस : हज़रत अबू नईम अलैहिर्रहमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफर रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फरमाया "सब गोश्तों में पुश्त का गोश्त अच्छा होता है।" उलमा-ए-किराम ने तहरीर फरमाया उसमें हिक्मत यह है कि उस गोश्त में कुव्वते बाह ज़्यादा होती है। ज़ूद हज़म है दर्दे कमर के लिए बेहद मुफ़ीद है। और सीने में ताक़त पैदा करता है। **(तिब्बे नब्वी)**

हदीस : हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम के साथ मस्जिद में बैठ कर भुना हुआ गोश्त खाया है।" **(शमाइल शरीफ़)**

याद रहे कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के खाने में लेहसुन, प्याज़ न होता था। दूसरे यह कि भुना हुआ था। तीसरे यह कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम जब भी मस्जिद में दाख़िल होते नीयते एतकाफ़ से ही दाख़िल होते।

हदीस : हज़रत अबू ओबैदा रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम के लिए हांडी तैयार की गई चूंकि दस्त का गोश्त हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ज़्यादा पसन्द था, इसलिए मैंने एक दस्ती में पेश की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने उसे तनावल फरमाया। फिर दूसरी तलब फरमाई। मैंने ख़िदमते अक़्दस में पेश कर दी। फिर आक़ा व मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने और दस्त तलब फरमाया। तो मैंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम बकरी के दो ही बाज़ू होते हैं। तो ताजदारे अरब व अजम सैयदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फरमाया। मुझे क़सम है उस ज़ाते मुक़द्दसा की जिसके क़ब्ज़-ए-कुदरत में मेरी जान है। अगर तू चुप रहता। तो हंडिया से जब तक मैं मांगता रहता। बूंगें ही निकलती रहती। **(सुब्हानल्लाह तआला)**। **(तिर्मिज़ी शरीफ़)**।

यह हदीस उन गुस्ताख़े रसूल हज़रात के लिए ताज़ियाना है जो इस्माईल देहलवी की किताब तक़्वियतुल-ईमान के पैरू हैं। जिसमें लिखा है

जिसका नाम मुहम्मद या अली है उनको किसी चीज़ का इख़्तियार नहीं।

जो ज़ात ख़ुदा दाद इख़्तियारात से चाँद के टुकड़े, गुरूब शुदह सूरज को वापस, कंकरियों से कलिमा पढ़वाए, जिसकी सोहबत फ़ैज़ से सूखा खुजूर का तना भरी मस्जिदे नबवी में गिरिया के बाद कलाम करे। उसी महबूबे ख़ुदा की तरह-तरह से शान घटाने वाले अल्फ़ाज़ लिख-लिख कर छापना, और उनकी शाने पाक में सड़ी-सड़ी गालियाँ बकना, और ज़ुल्म बाला-ए-ज़ुल्म यह कि ऐसों को स्कॉलर, अह्ले इल्म समझना अक़्ल व फ़हम का दीवालिया नहीं तो और क्या है?

मुर्ग़ी का गोश्त :

हदीस : हज़रत अबू मूसा रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम को देखा, कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम मुर्ग़ी का गोश्त तनावल फरमा रहे थे। उलमा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम तबा नफ़ासत की वजह से ग़लाज़त चुगने से बाज़ रखने की ख़ातिर ज़बह से दो या तीन दिन क़ब्ल बांध कर दाना पानी दिया करते थे।

मछली का गोश्त :

हदीस : हज़रत जाबिर रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि मैंने "जैशे खबत" का जिहाद किया। हम पर अबू उबैदा रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु अमीर मुक़र्रर किए गए। हमको सख़्त भूख लगी थी। समुन्द्र ने एक मछली (किनारे पर) फेंकी। हमने ऐसी मछली कभी न देखी थी। उसको "अंबर" कहा जाता था। हम उसे निस्फ़ (आधा) माह तक खाते रहे। (एक दिन) हज़रत अबू उबैदा रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु ने उस मछली की एक हड्डी पकड़ी और (उसे ज़मीन पर रखा, वह हड्डी इतनी बड़ी थी कि) ऊंट सवार उसके नीचे से गुज़र गया। जब हम वापस आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम से हमने इस वाक़ए को अर्ज़ किया। तो सरवरे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया। "खाओ वह रिज़्क़ है, जो अल्लाह तआला ने तुम्हें अता फ़रमाया है, अगर तुम्हारे पास उस मछली का गोश्त हो तो हमें भी खिलाओ।" हज़रत जाबिर रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं। कि हमने उस मछली का गोश्त बारगाहे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व

सल्लम में पेश किया और ताजदारे अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने उसे तनावल फरमाया। (बुख़ारी शरीफ़)

मछली से मुतअल्लिक़ मसाइल मज़्मून "चन्द हराम अशिया" के हाशिया में ज़रूर मुताला फरमाएं।

ख़रगोश का गोश्त :

हदीस : हज़रत अनस रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमने बमुक़ाम मर्रज़्ज़हरान में एक ख़रगोश को "उसके मुक़ाम से" निकाला। लोग उसके पीछे भागते-भागते थक गए। मगर मैंने उसे पकड़ ही लिया। और उसे हज़रत अबू तलहा के पास ले आया। उन्होंने उसे ज़बह किया और उसके सुरीन या रानें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम की ख़िदमते अनवर में भेज दीं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने उसे कुबूल फरमा लिया। एक दूसरी रिवायत में है कि तनावल फरमा लिया। (सही बुख़ारी शरीफ़)

बटेर का गोश्त :

हदीस : हज़रत सफ़ीना रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि "मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम के साथ हुबारा का गोश्त खाया।" (तिर्मिज़ी शरीफ़)

हुबारा **बटेर** को कहा जाता है।

नील गाय का गोश्त :

हदीस : हज़रत अबू क़तादा रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने एक नील गाय यानी जंगली गाय को देखा और उसका शिकार किया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि (ऐ क़तादा) "उस गोश्त में से कुछ तुम्हारे पास है?" उन्होंने अर्ज़ किया कि उसका पाँव हमारे पास है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसे पकड़ा, और तनावल फरमाया। बाज़ ज़ुबानों में उसको गावख़र भी कहते हैं।

टिड्डी का गोश्त :

हदीस : हज़रत इब्ने अबी औफ़ा रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम की मईय्यत (साथ) में सात लड़ाइयों में हिस्सा लिया। हम (बाज़ दफ़ा) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम के साथ टिड्डी खाते थे। (बुख़ारी व मुस्लिम)

दो मुर दार और दो ख़ून हलाल :

मसला : दो मुरदार यानी टिड्डी और मछली को हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हलाल फरमाया। इसी तरह दो ख़ून यानी कलेजी और तिल्ली को हलाल फरमाया।

सरीद :

हदीस : सरीद की पसन्दीदगी का अंदाज़ा तिर्मिज़ी शरीफ़ की इस रिवायत से लगाया जा सकता है कि हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फरमाया "आइशा सिद्दीका रज़ि अल्लाहु तआला अन्हा की फ़ज़ीलत तमाम औरतों में ऐसे है जैसे सरीद की फ़ज़ीलत तमाम खानों पर है।" **(शमाइले तिर्मिज़ी)**

हदीस : तिर्मिज़ी ने इक्राश बिन ज़ुवेब रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की है, कहते हैं "हमारे पास एक बर्तन में बहुत सी सरीद और बोटियां लाई गईं। मेरा हाथ बर्तन में हर तरफ पड़ने लगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने अपने सामने से तनावल फरमाया। फिर हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने अपने दूसरे सीधे हाथ से (बाएं हाथ से) मेरा दाहिना हाथ पकड़ लिया। और फरमाया कि इक्राश! एक जगह से खाओ, कि यह एक ही किस्म का खाना है। इसके बाद तबक़ में तरह-तरह की खुजूरें लाई गईं।

मैंने अपने सामने से खाना शुरू किया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम का हाथ मुख़्तलिफ़ जगह तबाक़ में पड़ता। फिर फरमाया इक्राश! जहाँ से चाहो खाओ, कि यह एक किस्म की चीज़ नहीं। फिर पानी लाया गया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हाथ धोए। और हाथों की तरी से मुँह और कलाइयों और सर पर मसह कर लिया। और फरमाया कि इक्राश! जिस चीज़ को आग ने छुवा यानी जो आग से पकाई गई हो, उसके खाने के बाद यह वज़ू है।"

फाइदा : इस हदीस पाक से चन्द बातें मालूम हुईं।

अव्वल : यह कि आपको सरीद पसन्द थी। तब ही हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम अक्सर सरीद पेश किया करते थे।

दोम : यह कि खुजूर आपकी बहुत पसन्दीदा और महबूब ग़िज़ा थी।

सोम : यह कि खाने के उसूल भी इस हदीस पाक से मालूम हुए कि

सरीद जैसी शय एक जानिब से ही खाई जाए। और जो शय अदद टुक्ड़ों एह ही जिन्स के मुख़्तलिफ़ दानों मसलन कई ख़रबूज़े एक ही बर्तन में काट कर जहाँ से चाहें उठा कर खा सकते हैं कि यह तरह-तरह के टुकड़े हैं।

चहारुम : यह मालूम हुआ कि खाने के बाद हाथ धोना भी अल्लाह के महबूब की सुन्नत है।

पंजुम : फिर वही तर हाथ चेहरे पर फेरना भी हदीसे पाक से सुन्नत साबित हुआ। इस तरह के अमल से चेहरा हश्शाश बश्शाश भी और चेहरे पर जाज़बीयत भी पैदा होती है।

शशुम : यह मालूम हुआ कि जिस चीज़ को भी आग ने छुवा, यानी आग से पकाई गई, वह आग ही है। जो इंसान के माद्दा में शामिल है।

हवा, आग, पानी और मिट्टी
है पैदाइश इसी से आदमी की

यही वजह है कि चारों अशिया की इंसानी ज़िन्दगी में भी हर वक़्त ज़रूरत रहती है। गोया जो चीज़ ज़मीन से पैदा होती है, वह मिट्टी है। सब्ज़ी, फल फ्रूट ही किया, गोश्त भी मिट्टी ही है कि जानवर ज़मीन की पैदावार खा कर तवाना हुआ, और उसका गोश्त हमने खाया, इसी तरह इन तमाम को हम पका कर इस्तेमाल करते, बाज़ अशिया को सूरज की शुआ पकाती है, हमारी दूसरी ज़रूरतों में भी आग और सूरज की तपिश की ज़रूरत रहती है, बल्कि जिस्म की हरारत का नाम ही ज़िन्दगी है। पानी हमारे हर खाने, पीने की चीज़ों में हत्ता कि वज़ू गुस्ल में भी पानी ही से बल्कि पानी पिए बेगैर हमारी ज़िन्दगी दुश्वार है। इसी तरह हर सांस में हवा की ही ज़रूरत पड़ती है।

सरीद की मुख़्तलिफ़ कुतुब में मुख़्तलिफ़ तारीफ़ है। इस हदीसे पाक में रोटी के टुकड़ों के बर्तन में ऊपर से शोर्बा, बोटियाँ, डालने का ज़िक्र है, कि रोटी गलने पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तनावल फरमाई। यह खाना हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम को बहुत मरग़ूब था।

हदीस : इब्ने माजा व तिर्मिज़ी व दारमी ने इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की है, कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में एक बर्तन में **सरीद** पेश किया गया। इरशाद

फरमाया कि "किनारों से खाओ बीच में न खाओ कि बीच में बरकत उतरती है।" सरीद एक किस्म का खाना है, रोटी तोड़ कर शोर्बे में मल देते हैं।

हदीस : अबू नईम ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत फरमाई है कि सरीद तआम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम को बहुत पसन्द था।

सिरका :

हदीस : तिर्मिज़ी ने हज़रत उम्मे हानी रज़ि अल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की है, कहती हैं कि मेरे यहां हुज़ूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए फरमाया कुछ तुम्हारे यहाँ है? मैंने अर्ज़ की सूखी रोटी, और सिरका के सिवा कुछ नहीं, फरमाया लाओ, जिस घर में सिरका है, उस घर वाले सालन से मुहताज नहीं।

हदीस : सही मुस्लिम में हज़रत जाबिर रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने घर वालों से सालन को दरयाफ़्त किया। लोगों ने कहा, हमारे यहाँ "सिरका के सिवा कुछ नहीं।" हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसे तलब फरमाया, और उससे खाना शुरू किया। और बार-बार फरमाया कि सिरका अच्छा सालन है।

(बहारे शरीअत)

हदीस : इमाम अबू दाऊद अलैहिर्रहमा उम्मे मअबद रज़ि अल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम फरमाते हैं कि "सिरका अच्छा सालन है" अल्लाह तआला बरकत दे सिरका में।"

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि अल्लाहु तआला अन्हुम की रिवायत करदा अहादीस से भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम का सिर्का से पसन्दीदगी ज़ाहिर होती है। और याद रहे कि ज़ोद हज़म है।

कद्दू या लौकी :

हदीस : हज़रत वासिला बिन असक़ा रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फरमाया। "ऐ लोगो! कद्दू खाना इख़्तियार करो यह मुक़व्वी दिमाग़ है।"

हदीस : उम्मुल-मुमिनीन हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ि अल्लाहु

तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फरमाया। जब तुम हांडी पकाओ, तो उसमें कद्दू डाल दो। इसलिए कि यह गमगीन दिल को तक़्वियत (ताक़त) देता है। **(अबू-नईम)**

यानी ग़म को दूर करता है। फरहत लाता है। और फाइदा लौकी का यह है कि उसकी बरूदत (सर्दी) गोश्त की हरारत (गर्मी) को दूर करती है। और गोश्त की हरारत उसकी रतूबत को बन्द कर देती है। इस तरकीब से सालन मोतदिल (नारमल) हो जाता है। **(तिब्बे नबवी)**

भूल पैदा करने वाली चीज़ें : चूहे का जूठा खाना, पीना, तुर्श सेब खाना। सब्ज़ धनिया बकसरत खाना। पनीर खाना। मत्लूब की तरफ़ नज़र करना। गर्दन पर कसरत से पोछने लगवाना। दो औरतों के दरम्यान चलना खटमल और जूं को ज़िन्दा छोड़ देना। क़ुरआन शरीफ़ हमेशा क़ब्रिस्तान में पढ़ना। बैतुल-ख़ला में दीनी मसला पर ग़ौर करना। झूठ बोलने की आदत। हराम लुक़्मा खाने या हराम कमाने। हराम नुत्फ़ा से पैदाइश (यह ही वजह है कि गुस्ताख़े रसूल अपना कहा और अपना लिखा भूल जाते हैं) नशा आवर अशिया के खाने पीने और सूंघने से भूल पैदा होती है। **(जामे कबीर, तिब्बे नबवी वग़ैरह)**

शहद :

हदीस : अबू नईम अलैहिर्रहमा उम्मुल-मुमिनीन हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ि अल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत फरमाते हैं कि "रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम को शहद बहुत ज़्यादा महबूब व मरग़ूब था।"

उलमा-ए-किराम फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम को शहद इसलिए ज़्यादा महबूब था कि हक़ तआला ने फरमाया है **फ़ीहे शिफ़ाउन लिन्नासे।** इसमें ख़ास इंसान के लिए शिफ़ा है। **हुकमा** ने इसके बड़े फ़वाइद लिखे हैं। अगर नहार मुँह उसको खाया जाए तो बल्ग़म को दूर करता है। और मेअदा को धो डालता है और सफाई कर देता है। फुज़लात को खारिज करता है। सुद्दों को खोलता है। मेअदा की इस्लाह ठीक करके उसको एतदाल (नारमल) पर लाता है। मुक़ौवी दिमाग़ है। हरारते गरेज़ी को कुव्वत बख़्शता है। फ़ाज़िले रतूबात बदन को दूर करता है। अगर सिरका मिला कर खाया जाए तो सुफ़रावी पित मिज़ाज को भी

फ़ाइदा करता है। शहद बकसरत खाने से कुव्वते हाफ़िज़ा बढ़ाता है और तनफ़्फ़ुस (सांस) को सही करता है। (तिब्बे नबवी)।

चुकन्दर :

हदीस : मुहद्दिस तिर्मिज़ी अलैहिर्रहमा ने हज़रत उम्मुल-मुंज़िर रज़ि अल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत फरमाई है। वह फरमाती हैं कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम मेरें पास तशरीफ़ लाए। और हज़रत अली रज़ि अल्लाहु अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हम्राह थे और ख़ूशे खुजूर के लटके हुए थे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम उन ख़ूशों में से खुजूरें खाने लगे। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत अली रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु भी खाने लगे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अली! तू न खा। इसलिए कि तू कमज़ोर है। हज़रत उम्मुल-मुंज़िर रज़ि अल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने उनके लिए चुकन्दर पकाए हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अली! इसमें से खाओ कि यह तेरे लिए बहुत मुफ़ीद है।

फ़ाइदा : बाज़ उलमा-ए-किराम ने लिखा है कि उन दिनों हज़रत अली रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु की आँखें दुख रही थीं। और दुखती आँखों की हालत में खुजूर खाना मुज़िर है। नीज़ मालूम हुआ कि चुकन्दर खाने से कमज़ोरी भी रफ़ा होती है। इसलिए हुकमा ने लिखा है कि चुकन्दर मेअदा को साफ करता है। तआम (खाना) को हज़्म करता है। हरारत को तस्कीन (आराम) बख़्शता है। सुद्दों को खोलता है। क़ाते (काटना) बल्ग़म है। रअशा के लिए नाफ़े है। मुक़ौवी बाह है। और मुक़ौवी-ए-बदन है।

मूली : मूली इश्तिहा यानी भूख पैदा करती है। आवाज़ साफ करती है। अम्राज़े हलक़ रफ़ा करती है। बवासीर के लिए मुफ़ीद है। संगे गुर्दा के लिए नाफ़े है। इसका नमक पेशाब को खोलता है और और खाना खा कर चाट लिया जाए तो रियाह के लिए मुफ़ीद है। चेहरे के रंग को साफ़ करता है। इसको मुसलसल खाते रहने से गिरे हुए बालों की जगह नए बाल निकल आते हैं, मूली का पानी सुद्दों को खोलता है। (तिब्बे नबवी)

मूली का नमक : जिस तरह पिस्ता की मिठाई में पिस्ता नहीं होता। गर्मी दानों के नीम सूप में नीम नहीं होता। इसी तरह बाज़ारी मूली के

नमक में मूली नहीं होती, बल्कि नमक बनाते वक़्त मूली क़रीब में भी नहीं रखते। लिहाज़ा तेज़ाब से तैयार करदा मूली का नमक खाने से परहेज़ किया जाए। जब हुकमा ख़ुद क़ीमती अदवियात (दवा) की जगह उसकी मुतबादिल (जगह) सस्ती अदवियात से काम ले रहे हैं। अनाज की पैदावार में खाद की जगह यूरिया हम इस्तेमाल करके अनाज नुमा ज़हर खा रहे हैं। अगर सिरका या मूली का नमक तेज़ाब से तैयार किया जाए। तो सिरका और मूली का नमक बनाने वालों को कौन रोक सकता है? यही हाल ख़ुशनुमा बोतलों में पैक ख़ुशबूदार तेल वग़ैरह का है। लिहाज़ा ऐसी तमाम चीज़ों से बचा जाए जो एक मरज़ को दफ़ा और दूसरे कई अमराज़ को जनम देती हों।

अंगूर के फ़वाइद :

हदीस : हज़रत अबू नईम अलैहिर्रहमा हज़रत मुआविया बिन ज़ैद रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत फ़रमाते हैं कि "रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम मेवा ज़ात में अंगूर को बेहद पसन्द फ़रमाते थे।"

फ़ाइदा : उलमा-ए-किराम ने तहरीर फ़रमाया है कि अंगूर को ज़्यादा पसन्द फ़रमाने में हिक्मत यह है कि अंगूर खाने से ख़ून साफ़ होता है। बदन फ़रबा (मज़बूत) होता है गुर्दा पर चर्बी बढ़ाता है। माद्दा-ए-सौदादी का दाफ़े है। और जली हुई ख़लत को साफ़ करता है।

अनार :

हदीस : शरअतुल-इस्लाम ने यह हदीस तहरीर फ़रमाई है कि हर अनार में एक क़तरा जन्नत के पानी का ज़रूर होता है।"

फ़वाइद : अनार ख़ून को साफ़ करता है। फ़सादे ख़ूने (ख़राब ख़ून) का मुसलेह है। मुक़ौवी बाह है। मेअदा को जिला बख़्शता है। सुद्दों को खोलता है और मुलैयने क़ब्ज़ तबा है। इस्हाल (दस्त) को रोकता है। खाना खाने के बाद अनार खाने से खाना जल्द हज़म होता है। मुक़ौवी जिगर है। (दिल की धड़कन) ख़फ़्क़ान के लिए बेहद नाफ़े है। आवाज़ को साफ़ करता है। बदन को फ़रबा करता है रंग को निखारता है। (यानी अपना जैसा करता है) जब भी खाया जाए थोड़ा ही खाया जाए वरना इसको ज़्यादा खाने के कुछ नुक़्सानात भी हैं।

ख़्वातीन के लिए अय्यामे हमल खाने वाली अशिया : जिस तरह हामिला के ख़रबूज़ा खाने पर बच्चा ख़ूबसूरत पैदा होता है। इसी तरह नारियल, सेब, अनार खाने से भी बच्चा ख़ूबसूरत और तवाना पैदा होता है। ख़्वातीन अय्यामे हमल मुल्तानी मिट्टी, चूल्हे की मिट्टी, या रंगी हुई पैकिट की सुपारी चबाने के बजाए सौंफ़ या नारियल इस्तेमाल फरमाएं। मिट्टी और सुपारी के ज़रर (नुक़सान) से महफ़ूज़ रहेंगी। और सोंफ़ या नारियल के फ़वाइद भी हासिल होंगे कि इसका खाना चेहरे को ख़ूबसूरत, दिमाग़ को ताज़गी, या हाज़मा को जहाँ दुरुस्त रखेगा। बच्चा को ख़ूबसूरत सेहत मन्द फरबा भी। इन अय्याम (दिनों) में अनार, अंगूर वग़ैरह का इस्तेमाल भी फाइदे मन्द है। नारियल पुराना धुला हुआ हरगिज़ न होना चाहिए, ताज़ा हो, अमरूद, अनार, मीठा सेब वग़ैरह नमक की मदद से खाने चाहिए। और हर फ़ुरूट के आख़िर नमक का इस्तेमाल ज़रूरी और पानी का परहेज़ भी ज़रूरी है।

वर्ज़िश : जिस तरह खाना खाने के फौरन बाद सोहबत मना है। और खाना खा कर गुस्ल मुज़िर (नुक़सान) है। इसी तरह खाना खा कर फौरन बाद सख़्त वर्ज़िश और सख़्त मेहनत का काम करना मुज़िर है। कम अज़ कम ख़राबी आँत उतरने, अपेंडिस, और पेट बढ़ने का मर्ज़ पैदा होता है। अल्बत्ता खाना खा कर मामूली मेहनत का काम और दो ढाई सौ क़दम चलना खाने को हज़म करता है।

हदीस : हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम का इरशाद है कि "हज़म करो तआम को ज़िक्र और नमाज़ के साथ। और खाना खाने के बाद उसी वक़्त सो न जाया करो कि तुम्हारा दिल सख़्त हो जाएगा।" यह शब की नमाज़ से क़ब्ल खाने की हदीस थी। **मगर** दोपहर के खाने और नमाज़े ज़ुहर के बाद कैलूला (थोड़ी देर लेटना) करना सुन्नत है।

खानों का चार्ट

आज क्या पक्केगा?

मुरत्तिब :

अनीस अहमद नूरी सिखर

तक़रीबन हर रोज़ आज क्या पकेगा? का जुमला घर के ज़िम्मेदार के सर में दर्द पैदा करता है। इसका एक सबब यह है कि सालन से मुतअल्लिक़ चार पाँच अशिया के नाम ज़ेहन में रहते हैं। और वह भी चन्द दिन क़ब्ल खा चुके होने के सबब इनमें से इंतिख़ाब करना मुश्किल होता है, ख़ुसूसन मंगल, बुध को यहाँ चन्द सालनों के नाम तहरीर किए जाते हैं।

जुमा : क़ोर्मा, पाए, हलीम, शामी कबाब, सफ़ेद क़ीमा, सूखी रोटी का मसाला दार चूरा काले बनोले की खीर, दाल भरी रोटी। सरीद, नरगिसी कोफ़्ते, मीठी या नम्कीन पूरियाँ।

हफ़्ता : क़ीमा, लौकी गोश्त, आलू के वर्क़ मटर गोश्त, मलिका मसूर, दूध सेवइयाँ खड़ा मसाला का गोश्त, ख़ुश्का चावल।

इतवार : इस्टू, दाल मसूर गोश्त, आलू क़ीमा मटर पुलाव, अरवी गोश्त, बैगन का भर्ता, गजर भत्त, सूखी रोटी का मीठा चूंरा, सीख़ कबाब, करम कलिमा की भजिया कोफ़्ते, गाजर गोश्त, कलेंजी, सेवइयाँ मसाला दार, बेसनी रोटी।

पीर : पसन्दे, लौकी के क़त्ले गोश्त में पुलाव, काले उरुद चिकने गोश्त में, बिरियानी मसाला दार, भिन्डी क़ीमा दाल उरुद की गोश्त में, लौकी भर्ता शीर (सेवैइया खोया और मेवह) पराठा।

मंगल : मुर्ग़ गोश्त, मछली के कबाब दाल उरुद फरेरी हरी मिर्च हींग दाल अरहर, छोले पुलाव, बेगन आलू शल्ग़म पालक, चुक़न्दर पालक, मटर आलू, दाल या सब्ज़ी के हम्राह ख़ुश्का चावल, पूदीना के पत्ते, अरवी के वर्क़ मंगोचियाँ (भपोरे) कड़ी फल्की, चिल्ले, दाल मूंग की बिरया आलू खीर, अन्डे का हल्वा, साग भरी रोटी।

बुध : मछली क़ोर्मा, मछली पुलाव, मुर्ग़ बिरियानी बेग़ैर गोश्त का पुलाव, क़ुबूली (दाल चने का पुलाव) ताहिरी (आलू चावल पीले मसाले दार) खिचड़ी भिंडी, आलू गोभी, मूली की भजिया, बेसन की खंडिया, गाजर मटर टमाटर आलू, आलू का भर्ता, शल्ग़म का भर्ता, सेम की फली, दाल मूंग फरेरी, दाल मसूर फ़रेरी, अरवी के पत्तों के पतवे, लौकी घुट्टी, लौकी क़त्ले वाली, मीठे चावल, फ़िरनी, शाही टुकड़े, सूंजी का हल्वा, आलू भरी रोटी।

जुमेरात : क़ोर्मा दाल चना बराय नाम, मटर क़ीमा, आलू गोश्त चुक़न्दर गोश्त, दाल मूंग गोश्त, ख़ीरी, भिन्डी गोश्त, गोभी गोश्त, शल्ग़म गोश्त, टिन्डे गोश्त, ज़र्दा, क़ीमा भरी रोटी।

हिदायात : क़ोर्मा का गोश्त भुनने से पाँच मिनट क़ब्ल जाइफ़ल का सूजी जैसा चूरा बूटियों पर छिड़क दिया जाए। सालिम उरद या दाल चना या छोले जब गलने के क़रीब हों तब गोश्त या चावल में डाले जाएं। मुन्दरजा बाला रोटियों में असली घी इस्तेमाल किया जाए पत्चे भाप से पकाएं। हलीम या पाय वग़ैरह की तैयारी एक दिन क़ब्ल शुरू की जाए।

किस चीज़! को किस चीज़ के बाद खाना मुज़िर है

हदीस : साहिबे सफरुस्सआदत अलैहिर्रहमा ने लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। हरगिज़ जमा न करते थे मछली और दूध को। और हरगिज़ जमा न करते थे तुर्शी और दूध को। और हरगिज़ जमा न करते थे दो गरम गिज़ाओं को और हरगिज़ जमा न करते थे। दो सर्द गिज़ाओं को। और हरगिज़ जमा न करते थे दो क़ाबिज़ (क़ब्ज़ करने वाली) चीज़ों को। और जमा न करते थे दो मुसहिल (क़ब्ज़ तोड़ने वाली) चीज़ों को।

जमा करने का मतलब यह है कि मेअदे में जमा न करते थे। यानी ऐसा कभी नहीं किया कि मछली भी खाई हो और उसके हज़म हो जाने से पहले ऊपर से दूध भी पी लिया हो। वाज़ेह रहे कि हुज़ूरे अनवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम दूध और अंडे को और दूध और गोश्त को भी जमा न फरमाते थे। यानी एक चीज़ हज़म हो जाने से पहले दूसरी चीज़ तनावल या नोशे जान न फरमाते थे। इसी तरह दो मुख़्तलिफ़ तासीर रखने वाली अशिया को भी जमा न फरमाते थे। यानी क़ाबिज़ और मुसहिल और ज़ोद हज़म और देर से हज़म होने वाली। और पका हुआ गोश्त (सालन) और भुना हुआ गोश्त भी जमा न फरमाते थे। और ताज़ा और बासी गोश्त मिला हुआ भी तनावल न फरमाते थे। क्योंकि मेअदा को दो मुख़्तलिफ़ चीज़ों को हज़म करना मुश्किल है। (माख़ूज़ तिब्बे नबवी, हाफ़िज़ इकरामुद्दीन)

शहद और घी एक साथ खाने से इहतियात बर्तें, क्योंकि इससे फालिज का ख़तरा है। दूध के साथ या फौरन बाद तुर्श चीज़ें खाने से दर्दे मेअदा पैदा होने का ख़तरा है। मसलन (इफ़्तारी में दूध के शर्बत के बाद सिकंजबीन पीना दर्द से तड़पाएगा)।

मछली के साथ या फौरन बाद दूध या शहद खाने से जुज़ाम वग़ैरह की बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं। मूली, दही, और पनीर एक साथ इस्तेमाल न करें दर्दे क़ौलंज का बाइस होता है। चावल के साथ सिरका

इस्तेमाल न करें कि मेअदा में सिरका होने से चावल खड़ा रहता है। और दर्दे मेअदा हो सकता है। जिस तरह बर्फ के सख़्त ठण्डे पानी में चीनी नहीं घुलती इसी तरह चावल सिरका में लहसुन, प्याज़ और बादाम मिला कर इस्तेमाल न करें। मना है और दर्द का मूजिब भी होता है। तांबे के बर्तन में खाने की तुर्श चीज़ें न रखें। और न तांबे के बर्तन में रख कर खाएं। केला और दूध एक साथ या कुछ वक़्फ़ा से इस्तेमाल करना सेहत के लिए मुज़िर है। गोश्त के बाद दही खाने से भी दर्दे मेअदा पैदा हो सकता है। **(मेडवीक जंग)**

परेशानी का बाइस सिर्फ़ क़िस्मत ही नहीं होती
कुछ अपनी लग्ज़िशों की कार फरमाई भी होती है
हर चीज़ तो है मना हमें ऐ तबीबे इश्क़
क्या ज़ुअफ़ हो ज़्यादा तो ग़श भी न खाएं हम

ख़ुलासा : मुन्दरजा बाला दोनों इबारात का ख़ुलासा यह निकला कि जब तक पहली ग़िज़ा हज़म न हो जाए दूसरी ग़िज़ा न खाई जाए। अल्बत्ता सालन की तैयारी में गर्म और सर्द अशिया जमा करना दुरुस्त ही नहीं बल्कि सुन्नत है। **मसलन :** गोश्त में लौकी (कद्दू)। ताकि सालन मोतदिल हो जाए। इसी तरह ख़ुजूर के साथ मक्खन या ककड़ी, खीरे के साथ ख़ुजूर का इस्तेमाल सुन्नत है।

जिस तरह कम उम्र के जानवर और बूढ़े जानवर का गोश्त यक्जा पकाने में दुश्वारी पैदा करता है कि अगर बूढ़े जानवर के गोश्त को गलाएं तो कम उम्र जानवर का गोश्त हल्वा हो जाएगा और अगर उसको हल्वा न होने दें तब बूढ़ें जानवर का गोश्त कच्चा रहेगा। इसी तरह खाने के दौरान या कुछ वक़्फ़ा से ज़ोद हज़म और देर पा हज़म होने वाली ग़िज़ा। हज़म होने के दौरान मेअदा को दुश्वारी पैदा करती है। और एक ग़िज़ा खाने के आधा घन्टे या एक घन्टे बाद फिर कोई शय खाने से मेअदा को डबल दुश्वारी पैदा होती है।

जली रोटी :

हिकायत : प्राइमरी की किताब में एक हकीम साहब का वाक़या नज़र से गुज़रा था जो सबक़ से खाली नहीं। वाक़या यूं था कि एक बच्चा के पेट में तड़पा देने वाला दर्द पैदा हुआ। बच्चे के सरपरस्त हकीम साहब को घर पर लाए। दर्द की कैफ़ियत देख कर हकीम साहब ने बच्चा से

दरयाफ़्त किया कि तुमने क्या खाया था। बच्चे ने कहा कि रोटी खाई थी। हकीम साहब ने दरयाफ़्त किया उसके अलावा और क्या खाया था? बच्चे और सरपरस्तों ने कहा कि जनाब इसके अलावा और कुछ नहीं ख़ाया। तब हकीम साहब ने कहा कि रोटी की डलिया ला कर दिखाओ। चुनांचे रोटी की डलिया लाई गई। हकीम साहब ने रोटियों को बग़ौर मुलाहिज़ा किया और बच्चे को दवा तज्वीज़ की कि दिन में तीन मरतबा आँखों में सुर्मा लगाओ। सरपरस्तों ने तअज्जुब से दरयाफ़्त किया कि हकीम साहब दर्द पेट में हो रहा है और इलाज आँख का आख़िर ऐसा क्यों? हकीम साहब ने जवाब दिया कि उसकी निगाह कमज़ोर है, जिसकी वजह से यह रोटी जली हुई न देख सका। जिससे पेट में दर्द वाके़ हुआ।

रोटी जलने का सबब : यह देखा गया है कि आटे के पेंड़े की रोटी बना कर जब तवे पर डाली जाती है। उस वक़्त आटा बाज़ जगह तवे पर चिमट जाता है। वह रोटी तो जैसे, तैसे पक जाती है, मगर दूसरी रोटी डालने से पहले ही वह चिमटा हुआ आटा तवे के रंग का हो चुका होता है। इस तरह दूसरी रोटी उन जगहों से जली हुई पकती है। और दूसरी रोटी का आटा भी मज़ीद जब चिमटता है, तब तीसरी रोटी दूसरी रोटी से ज़्यादा जली नज़र आती है। इस तरह रोटियाँ जलने में इज़ाफ़ा होता रहता है। बाज़ मरतबा हल्की और तेज़ आग से भी रोटियाँ जलती हैं मगर जली रोटी का कुछ हिस्सा तवे पर रह जाने से दूसरी रोटियों को भी जलाने में मदद देता है।

अगर हमारी माँ, बहनें तवे पर हर रोटी डालने से क़ब्ल चिमटा (दस्तपना) और कपड़ा फेर कर अच्छी तरह तवे पर ख़ुश्की के ज़र्रात साफ कर लिया करें तो काले सितारों जड़ी यानी कामदार रोटी न पक्के।

कब और क्या खाना मुज़िर है?

(माख़ूज़ : तरजमा तिब्बे यूसुफ़ी?)

बाद हम्द व सना के मालूम हो कि यूसुफ़ी ने यह रिसाला खाने पीने की अशिया के बाब में लिखा है। और दुआ है कि ऐ ख़ुदा हर एक महरूम व मुफ़्लिस को अपने ख़्वाने नेअमत से हिस्सा पहुँचा।

जिसको तन्दुरुस्ती दरकार हो उसे अच्छी तदबीर पर अमल करना चाहिए। ख़ूब पेट भर कर खाना न खाना चाहिए, सिर्फ़ इतना खाएं कि मेअदा में पहुँच कर बख़ूबी हज़म हो जाए और बदन को कुव्वत हासिल हो, इस क़द्र न खाएं कि उससे तक्लीफ़ पहुँचे और इससे झूठी भूख का आरिज़ा पैदा हो, पस ऐसी हालत में हरगिज़ कुछ न खाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ज़ुअफ़ लाहिक़ हो जाएगा। अगर सच्ची भूख हो तो उस वक़्त खाना खाना चाहिए और उस वक़्त खाना तर्क कर देना चाहिए ज़बकि किसी क़द्र भूख बाक़ी रहे। और जिस वक़्त भूख न हो उस वक़्त हरगिज़ न खाना चाहिए। चिकनी ग़िज़ा से परहेज़ बेहतर है, क्योंकि इससे मेअदा ख़राब हो जाता है। और गर्मी के मौसम में हरारत पहुँचाने वाली ग़िज़ा न खाएं, क्योंकि बैरूनी जिस्म की तरह अन्दरूनी जिस्म भी गर्म हो जाएगा, तो नुक़्सान पहुँचेगा, बीमारी और कमज़ोरी लाहिक़ होगी। और जब हवा में सर्दी हो तो सर्द चीज़ें न खाएं, कि अन्दरूनी हिसस बैरूनी की तरह सर्द हो कर जिस्मी हरारत कम हो जाएगी, हाज़मा ख़राब हो जाएगा। दिन में एक दफ़ा या दो दफ़ा खाने की आदत हो तो उसको तर्क न करें, क्योंकि उसके तर्क से ख़राबी लाहिक़ होती है। ग़लीज़ (गन्दी) यानी सक़ील (जो जल्दी हज़्म न हो) ग़िज़ा के बाद लतीफ़ ग़िज़ा न खानी चाहिए। ग़िज़ा को इस क़दर जल्दी खाना चाहिए कि एक ही वक़्त के अन्दर फ़ारिग़ हो जाएं, यानी पहले लुक़्मा का और आख़िरी लुक़्मा का ज़्यादा फ़ासिला न होना चाहिए। खाना हज़म होने तक और खाना न खाना चाहिए।

मुख़्तलिफ़ क़िस्म के खाने एक ही वक़्त में न खाएं, कि इससे नुक़्सान का इहतेमाल है। नाज़ुक ग़िज़ा को रियाज़त के बाद न खाना चाहिए। और लज़ीज़ ग़िज़ा की आदत न करनी चाहिए, अगर मयस्सर भी हो तो उसको ज़्यादा न खाना चाहिए, क्योंकि उसकी ज़्यादती से ज़्यादा तक्लीफ़े मर्ज़ उठानी पड़ती है। जो खाना ज़ाइक़ा से ख़ाली हो उसको तर्क करें, क्योंकि इससे भूख कर जाती है, दानाओं का तरीक़ा इख़्तियार करना लाज़िम है। मिठास को ज़्यादा न खाएं, कि शिद्दते हरारत से दिल ज़ईफ़ हो जाता है फीकी बे-ज़ायक़ा चीज़ पर नमकीन तेज़ ज़ायक़ा वाली चीज़ खाएं।

अगर कोई नमकीन चीज़ खाएं तो उसके बाद फीकी चीज़ का तुर्श इस्तेमाल करें। अगर तुर्शी खाई हो तो उसके बाद मीठी चीज़ खाएं। और मिठास के बाद तुर्श चीज़ मुफ़ीद है सिरका को चावल के साथ न खाएं, क्योंकि मर्ज़ क़ौलंज पैदा करता है। मूली के हमराह मुर्ग़ी का अण्डा भी सख़्त मुज़िर है। दही और मूली भी एक वक़्त में खाना सेहत को खराब करता है। ख़रबूज़ा को शहद के साथ खाना बीमार कर डालता है दूध और अंजीर भी मिला कर खाना सख़्त मुज़िर है। पनीर के साथ अण्डा भी न खाएं। अंगूर और कला मिला कर भी सेहत को मुज़िर पहुँचाता है। अनार और हरीसा खाना मरीज़ बनाता है। दही के साथ बाक़िला भी खाना नादानी है। समझ दार लोग प्याज़ के हमराह कबूतर के बच्चा का गोश्त भी नहीं खाते। पोदीना के साथ प्याज़ खाना हरारत की आग को भड़काता है। तन्दुरुस्ती को अच्छा समझें तो दूध और मछली भी एक वक़्त न खाएं, क्योंकि इससे मर्ज़े जुज़ाम (कोढ़) पैदा होता है। ज़्यादा तुर्शी खाने से आज़ा सुस्त और कुव्वते बाह बहुत कम हो जाती है। ज़्यादा लोबिया खाना फरबा करता हैं ज़्यादा लहसुन गन्द न खाने की आदत से रतौन्द और बीनाई में कमी आरिज़ होती है।

इलाज बिल-ग़िज़ा

बद अमल बीमार को अमृत भी ज़हर आमेज़ है
सच कहा है सौ दवाओं की दवा परहेज़ है

जहाँ तक काम चलता हो ग़िज़ा से
वहाँ तक चाहिए बचना दवा से
अगर ख़ूं कम बने, बल्ग़म ज़्यादा
तो खा गाजर, चने, शल्ग़म ज़्यादा
जिगर के बल पे है इंसान जीता
अगर ज़ुअफ़े जिगर है खा पपीता
जिगर में हो अगर गर्मी का एसास
मुरब्बा आमला खा या अनन्नास
अगर होती है मेअदा में गरानी
तो पी ले सौंफ या अदरक का पानी
थकन से हों अगर अज़्लात ढीले
तो फौरन दूध गरमा गरम पी ले
जो दुखता हो गला नज़्ला के मारे
तो कर नम्कीन पानी के ग़रारे
अगर हो दर्द से दाँतों के बेकल
तो उंगली से मसूढ़ों पर नमक मल
जो ताक़त में कमी होती हो महसूस
तो मिसरी की डली मुल्तान की चूस
शिफ़ा चाहे अगर खाँसी से जल्दी
तो पी ले दूध में थोड़ी सी हल्दी
अगर कानों में कुछ तक्लीफ़ होवे
तो सरसों तेल फाये से निचोड़े
अगर आँखों में पड़ जाते हों जाले
तो दुखनी मिर्च घी के साथ खाले

तपेदिक़ से अगर चाहे रिहाई
बदल पानी के गन्ना चूस भाई
दमा में यह गिज़ा बेशक है अच्छी
खटाई छोड़ खा दरिया की मच्छी
अगर तुझ को लगे जाड़े में सर्दी
तो इस्तेमाल कर अण्डे की ज़र्दी
जो बंद हज़्मी में तू चाहे इफ़ाक़ा
तो दो इक वक़्त का कर ले तू फ़ाक़ा

❖❖❖

अहकामे दावते तआम

तन्हा शख़्स :

हदीस : इज़ा हज़रल-इशाउ फ़ा बदा बिल-अशाए। यानी जब नमाज़ और खाने का वक़्त साथ ही आए तो पहले खाना खाए। पेट भरने से पहले ही खाने से हाथ खींचना चाहिए। ❖ पेट भरने से पहले ही खाना खाने से हाथ खींचना चाहिए। ❖ खाने के बाद उंगली को मुँह से करना चाहिए। ❖ रोटी के टुकड़े चुन लेना चाहिए। **हदीस** शरीफ़ में आया है "जो कोई ऐसा करेगा उसकी गुज़रान उस्अत होगी। और उसकी औलाद बेऐब व सलामत रहेगी। और वह टुकड़े हूरे ऐन का महर होंगे।" और बर्तन को उंगली से साफ करे कि हदीस शरीफ़ में आया है "जो शख़्स बर्तन पोंछ लेता है तो बर्तन उसके हक़ में यूं दुआ करता है कि ऐ परवरदिगार जिस तरह उसने मुझे शैतान के हाथ से छुड़ाया। तू भी उसे आतिशे दोज़ख़ से आज़ाद फरमा।" ❖ और अगर बर्तन को धो कर उसका धोवन पी जाए तो ऐसा सवाब होगा गोया उसने एक गुलाम आज़ाद किया। उसके बाद कहे।

अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी अत्अम्ना व सक़ाना व कफ़ाना व अना वहुवा सैय्यिदना व मौलाना।

सब तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जिसने खिलाया और पिलाया हमें और काफी हुआ हमारे लिए और पनाह दी हमको और वह हमारा सरदार हमारा साहब है।

मुश्तरक खाने वाला : हम प्याला का ख़्याल रखे ताकि उस से ज़्यादा न खा जाए। अगर खाना मुश्तरक (एक साथ, मिला हुआ) है तब ज़्यादा इहतियात की ज़रूरत है। बल्कि खुद कम खाए। और अपने साथी को ज़्यादा दे। अच्छा खाना उसके सामने बढ़ाए। अगर साथी आहिस्ता आहिस्ता खाता है तो उससे इसरार करे कि अच्छी तरह खुशी से खाए। वग़ैरह।

मुश्तरेका खाने में मक्रूह फ़ेअल : जिस काम से लोगों की तबीअत को कराहत व नफ़रत हो वह न करे। मसलन सालन के बर्तन में हाथ न झटके। बर्तन की तरफ मुँह इतना न झुकाए कि मुँह से जो निकले वह

बर्तन में जाए। अगर मुँह से कुछ निकाले तो मुँह को फेर ले। चिकना निवाला सिरका में न डिबोए। जो निवाला दाँतों से काटा हो उसे बर्तन में न डाले कि इन बातों से लोगों की तबीअत नफ़रत करेगी। और घिनौनी क़िस्म की बातें न करे। **मसला :** कपूरे, ओझड़ी, और आँतें वग़ैरह जिनका खाना मक्रूहे तहरीमी यानी क़रीब हराम है उसे कुरबानी में तक़्सीम न किया जाए बल्कि दफ़्न कर दिया जाए। और अगर भंगी वग़ैरह उठा लें तो मना की हाजत नहीं। **(फ़तावा रज़्वीया शशुम)**।

आदाबे महफ़िले तआम : जिस महफ़िल में खाना खिलाया जाए वहाँ निगाह नीची रखे। और लोगों के निवालों को न देखे। न खाने का सामान लाने वालों पर निगाह जमाए। अगर दूसरे लोग उसका अदब मल्हूज़ रखते हों तो औरों से पहले ख़ुद हाथ न खींचे। अगर औरों के नज़्दीक मोतबर है तो पहले हाथ रोके रखे ताकि आख़िर में अच्छी तरह खा सके। अगर अच्छी तरह नहीं खा सकता तो उज़्र ब्यान कर दे। ताकि दूसरे खाते रहने से शर्मिन्दा न हों। तश्त या सल्फ़ची में अगर हाथ धुलाए जाएं तब लोगों के सामने तश्त वग़ैरह में न थूके। जो शख़्स मुअज़्ज़ज़ हो उसे मुक़द्दम करे। अगर लोग इसकी ताज़ीम करें तो मान ले। और दाहिनी तरफ़ से तश्त को घुमाए। सबके हाथों का धोवन जमा करके फेंके। एक-एक का नहीं। कुल्ली तश्त वग़ैरह में करे या नाली में आहिस्ता करे। ताकि छींट न उड़े। किसी आदमी और फ़र्श पर न पड़े। जो शख़्स हाथ पर पानी डालता है बैठने से उसका खड़ा रहना ऊला तर है।

यह सब आदाब हदीस शरीफ़ में वारिद हुए। इंसान और हैवान में इन्हीं आदाब से फ़र्क़ होता है। कि हैवान जिस तरह उसका जी चाहता है खाता है। बात नहीं जानता। ख़ुदा ने उसको यह तमीज़ ही नहीं दी। और चूंकि इंसान को यह तमीज़ इनायत हुई है। अगर वह इस पर कारबन्द न हुआ तो उसने अक़्ल व तमीज़ का हक़ अदा न किया और वह कुफ़्राने नेअमत का मुर्तकिब हुआ।

अपने काम से या मुलाक़ात के लिए क़स्दन खाने के वक़्त ख़्वातीन अपनी सहेलियों में और मर्द अपने दोस्तों में न जाएं। कि हदीस शरीफ़ में आया है, जो शख़्स बे बुलाए किसी का खाना खाने का क़स्द करे वह जाने में गुनहगार होगा। मगर जिस दोस्त पर एतमाद और जिसके दिल

से आगाह है उसके घर क़स्दन खाने की नीयत से जाना दुरुस्त है। अहादीसे मुबारका से साबित है कि अल्लाह तआला के वह महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम (जो कई कई हफ़्ते कई कई माह सौमे विसाल यानी बेग़ैर इफ़्तार के रोज़े रखने वाले) और महबूब के महबूब सिद्दीक़े अक्बर और फ़ारूक़े आज़म रज़ि अल्लाहु तआला अन्हुम ने मेज़बानी की सआदत बख़्शने के लिए हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु और दीगर ख़ुश क़िस्मत सहाबा के घर तशरीफ़ ले जा कर ख़ुद खाना तलब करके नोश फ़रमाया। यह अम्रे ख़ैर हर मेज़बान की इआनत है बशर्तेकि मालूम हो कि वह राग़िब है।

नज़्रिय-ए-गुस्ताख़े रसूल और नज़्रिय-ए-अह्ले सुन्नत : ऐसे ही वाक़यात से गुस्ताख़े रसूल फ़िर्क़े ने अक़ीदा इख़्तियार किया है कि माली मुश्किलात के सबब अल्लाह तआला के महबूब भूखे रहते थे और मुनाज़र-ए-बरैली में मन्ज़ूर नौमानी ने यहाँ तक जसारत करते हुए बका कि "क्या मुहम्मद फ़ाक़े से न मरते थे।" (मआज़ल्लाह) क़ुदरत ख़ुदा की। दौराने मुनाज़रा गुस्ताख़ों ने जिन को शो की ख़ातिर अपने स्टेज पर सजा कर बिठा रखा था सबसे पहले उन्हीं दो अरब ने **क़द कफ़रतुम।** की सदा बुलन्द की। फ़िर तमाम ही मुसलमानों ने बुलन्द आवाज़ में कहना शुरू किया कि "तुम काफ़िर हो गए।" तौबा करो। चूंकि गुस्ताख़े रसूल हज़ार हीले, बहाने बनाना तो गवारा कर लेते हैं। मगर उन्हें तौबा की तौफ़ीक़ नहीं होती। काश कि गुस्ताख़े रसूल उस पर ही ग़ौर करें तो हक़ीक़त उनके सामने आ जाए कि हुज़ूरे अनवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने अपनी मर्ज़ी और रग़बत से सौमे विसाल यानी बेग़ैर इफ़्तारी के रोज़े रखने शुरू फ़रमाए और हुज़ूर अलैहिस्सलाम को देख कर बाज़ सहाबा ने भी उस पर अमल शुरू कर दिया। लेकिन चन्द ही रोज़े रखने के बाद कमज़ोरी बढ़ना शुरू हो गई तब हुज़ूर पुर नूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि **अय्युकुम मिस्ली।** तुम में कौन है मेरी मिस्ल? और ख़साइसे कुबरा शरीफ़ में **हदीस** उम्मे औस से मरवी है कि घी में हुज़ूर अलैहिस्सलाम के **दम** और **दुआ** से इतनी बरकत पैदा हुई कि थोड़ा सा घी उम्मे औस हुज़ूरे अनवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम के सामने भी फिर हज़रत सिद्दीक़े अक्बर की ख़िलाफ़त, हज़रत

फ़ारूक़े आज़म, हज़रत उस्मान ग़नी, और हज़रत मौला अली रज़ि अल्लाहु तआला अन्हुम की ख़िलाफ़त में जब तक उसमें से निकाल कर इस्तेमाल करती रहें कि हज़रत अमीर मुआविया और हज़रत अली रज़ि अल्लाहु तआला अन्हुम के माबैन जंग हुई और आपस में दो मुसलमानों के झगड़े से उसकी बरकत जाती रही और घी ख़त्म हो गया। इसी तरह का एजाज़ हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु के हक़ में दुआ फरमाने पर हुआ कि दौलत की फरावानी का यह आलम कि तरका में हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम की चार बीवियाँ थीं जिनके हिस्सा में (जो कि आठवाँ बनता है)। अड़तालीस लाख आया और कुल तरिका पाँच करोड़ एक लाख था। इसी तरह के सैंकड़ों वाक़ेआत हैं। **मगर** जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हक़ में ज़िब्रीले अमीन! अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त का पैग़ाम सुनाने हाज़िर हुए। और अल्लाह तआला की यह पेशकश सुनाई कि अगर आप हुक्म दें या आपकी रज़ा हो तो अभी यह पहाड़ सोने के होकर आपके साथ चलें। तो आक़ा व मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने अपने रब के आगे यह आजिज़ी फरमाई कि "मैं इसमें ख़ुश कि एक वक़्त खाऊं तो अपने रब का शुक्र अदा करूं और एक वक़्त न खा कर सब्र अदा करूं।"

दोनों थे इख़्तियार में दुनिया भी फ़ुक़्र भी
देखो तो शाहे दें ने क्या इख़्तियार किया?

इस क़िस्म की दीगर अहादीस से उलमा-ए-अह्ले सुन्नत यह साबित करते हैं। कि हुज़ूरे अनवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम के काशान-ए-अक़्दस में दो-दो तीन-तीन हफ़्ता चूल्हे से धुवां न उठना आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम का इख़्तियारी था। और इसी वजह से आपका एक सिफ़ाती नाम क़ाने भी है। और क़ाने वही होते हैं। जो ख़ुद फ़ाक़ा से रह कर दूसरों का पेट भरते हैं।

इसी तरह औलिया-ए-किराम ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इस सुन्नते मुबारका को इस तरह अपनाया कि हज़रत इब्राहीम बिन अदहम ने सलतन को ठोकर मार कर फ़ुक़्र इख़्तियार किया। और इसी तरह के फ़ुक़्र से हज़ारों तसव्वुफ़ की कुतुब भरी पड़ी हैं।

अल-हासिल : यह कहना ग़लत न होगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला

अलैहि व सल्लम ने ख़ुद न खा कर जहाँ अपने ग़ुलाम तंग दस्त, ग़रीब, मसाकीन की दिल्जोई फरमाई, और तंगदस्ती के ज़रर में कमी की। और यह कि अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त ने अपने महबूब के इस अमल के सबब महबूब के महबूब ग़रीब, मिस्कीन, तंगदस्त, ग़ुलामों को भी तक़र्रुब की सआदत बख़्शी वहाँ आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने मुसलसल हफ़्तों, महीनों न खा कर लोगों पर यह ज़ाहिर फरमाया कि मैं खाने का मुहताज नहीं। खाना मेरा मुहताज है। मैं अगर खाता हूँ तो इसलिए कि तुम्हें खाने का तरीक़ा आ जाए। और अगर पीता हूँ तो इसलिए कि तुम्हें पीने का सलीक़ा आ जाये और अगर किसी के वहाँ जा कर खाता हूँ तो इस लिए कि तुम पर दोस्तों, अज़ीज़ों, अक़्रिबा के हाँ जाकर खाना हलाल जाइज़ हो जाए। बल्कि ज़रूरत पर खाना सुन्नत कहलाए।

मुख़्तार : मुन्दरजा बाला वाक़ेआत की रौशनी में और डूबे सूरज को वापस लाना। चाँद के दो टुकड़े करना। अंगुश्ते मुबारक से पानी के चश्मे जारी फरमाना वग़ैरह वग़ैरह वाक़ेआत बताते हैं कि गुस्ताख़े रसूल का यह अक़ीदा भी सिर्फ़ बुग्ज़े नबी पर मबनी है कि "जिसका नाम मुहम्मद या अली है वह किसी चीज़ का मुख़्तार नहीं।" **(इस्माईल देहलवी तक़्वियतुल-ईमान)**

और इस अक़ीदा पर जो दलाइल दिए गए हैं उन सब के मतलब अय्यारी, मक्कारी से गढ़े गए हैं जो गुस्ताख़ ज़ेहनों के सिवा चार क्लास पास बच्चा भी जिन दलाइल को ग़लत क़रार दे सकता है।

सब कुछ है इख़्तियार ख़ुदा का दिया हुआ
बकते हैं बे अदब कि उन्हें इख़्तियार क्या?

छेः चीज़ों में जल्दी चाहिए : हज़रत हातिम असम ने फरमाया कि जल्दी शैतान का काम है, मगर छेः चीज़ों में जल्दी चाहिए। (१) मेहमान को खाना खिलाने में (२) मुर्दा की तजहीज़ (दफ़न) में। (३) लड़कियों के निकाह में (४) क़र्ज़ अदा करने में (५) गुनाहों से तौबा करने में (६) और **दावते वलीमा** में जल्दी करना सुन्नत है।

मसाइल :

मसला : बाप को बेटे के माल की हाजत है अगर इहतियाज (ज़रूरत) इस वजह से है कि उसके पास रक़म नहीं कि उस चीज़ को ख़रीद सके तब बेटे की चीज़ बिला किसी मुआवज़ा के इस्तेमाल करना जाइज़ है। और

अगर रक़म है मगर चीज़ दस्तियाब नहीं। यानी चीज़ नहीं मिलती, तो मुआवज़ा देकर ले। यह उस वक़्त है कि बेटा नालाइक़ है। और अगर कोई लाइक़ है तो बेग़ैर हाजत भी उसकी चीज़ ले सकता है। **(आलमगीरी, बहारे शरीअत)**

मसला : गेहूँ के साथ आदमी का दाँत भी चक्की में पिस गया उस आटे को न ख़ुद खा सकता है। न किसी जानवर को खिला सकता है। **(आलमगीरी)**।

मसला : खाना! नापाक हो गया तो यह जाइज़ नहीं कि किसी पागल, या बच्चा को खिलाए। न किसी ऐस जानवर को खिलाए जिसका खाना हलाल है। **(आलमगीरी)**

मसला : खाने में पसीना टपक गया या राल टपक पड़ी या आंसू गिर गया वह खाना हराम नहीं है। खाया जा सकता है। इसी तरह अगर पानी में कोई पाक चीज़ मिल गई और उससे तबीअत व नफ़रत पैदा हो गई वह पिया जा सकता है। **(आलमगीरी)**

मसला : मुसलमानों के खाने का तरीक़ा यह है कि फ़र्श वग़ैरह पर बैठ कर खाना खाते हैं। मेज़, कुर्सी पर बैठ कर खाना नसारा का तरीक़ा है। इससे इज्तिनाब (बचना) चाहिए। बल्कि मुसलमानों को हर काम सल्फ़ सालेहीन के तरीक़ा पर करना चाहिए। ग़ैरों के तरीक़ा को हरगिज़ इख़्तियार न करना चाहिए।

मसला : दावते वलीमा सिर्फ़ पहले दिन है, या दूसरे दिन भी यानी दो ही दिन तक यह दावत हो सकती है। इसके बाद वलीमा और शादी ख़त्म। (आलमगीरी) कई दिन तक यह सिलसिला जारी रखना सुन्नत से बढ़ना है। **(बहारे शरीअत)**

मसला : दूसरे के यहाँ खाना खा रहा है साइल ने मांगा उसको यह जाइज़ नहीं कि साइल को रोटी का टुकड़ा दे दे। क्योंकि उसने इसके खाने के लिए रखा है। इसको मालिक नहीं कर दिया है, कि जिसको चाहे दे दे। **(आलमगीरी, बहारे शरीअत)**।

मसला : दो दस्तरख़्वान पर खाना खाया जा रहा है, तो एक दस्तरख़्वान वाला दूसरे दस्तरख़्वान वाले को कोई चीज़ उस पर से उठा कर न दे। मगर जब कि यक़ीन हो कि साहिबे खाना को ऐसा करना नागवार न होगा। तब दे सकता है। **(आलमगीरी, बहारे शरीअत)**।

मसला : खाते वक़्त साहिबे खाना का बच्चा आ गया तो उसको या साहिबे खाना के ख़ादिम, मुलाज़िम को इस खाने में से नहीं दे सकता। **(आलमगीरी)**।

मसला : रोटी को छुरी से काटना नसारा का तरीक़ा है, मुसलमानों को इससे बचना चाहिए, हां अगर ज़रूरत हो मसलन डबल रोटी को छुरी से काट कर उसके टुकड़े कर लिए जाते हैं। तो हरज की बात नहीं, या दावतों में बाज़ मरतबा हर शख़्स को निस्फ़-निस्फ़ (आधी-आधी) शीर माल दी जाती है, ऐसे मौक़ा पर छुरी से काट कर टुकड़े बनाते हैं हरज नहीं कि यहाँ मक़्सूद दूसरा है, इसी तरह अगर मुसल्लम रान भी भुनी हुई छुरी से काट कर खाई जाए तो हरज नहीं। **(बहारे शरीअत)**।

मसला : जिसने हदिया भेजा अगर उसके पास हलाल व हराम दोनों क़िस्म के अमवाल हों, मगर ग़ालिब हलाल है, तो उसके कुबूल करने में हरज नहीं, यही हुक्म उसके यहाँ दावत खाने का है, और अगर उसका ग़ालिब माल हराम है तो न हदिया कुबूल करे, और न उसकी दावत खाए, जब तक यह न मालूम हो कि यह चीज़ जो उसे पेश की गई है हलाल है। **(आलमगीरी)**।

मसला : जो शख़्स उसका मक्रूज़ है, अगर उसने दावत की और क़र्ज़ से पहले भी वह इसी तरह दावत करता था तो कुबुल करने में हरज नहीं। और अगर पहले बीस दिन में दावत करता था, और अब दस दिन में करता है, या अब उसने खाने में तकल्लुफ़ात बढ़ा दिए। तो कुबूल न करे कि यह क़र्ज़ की वजह से है। **(आलमगीरी)**

मसला : अगर खाने पीने की शय में मक्खी गिर जाए तब मक्खी को सालन वग़ैरह में **ग़ोता** देकर फिर सालन वग़ैरह से निकाल कर फेंक दी जाए। कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मक्खी खान, पीने की चीज़ में जब गिरती है। तो बीमारी वाला बाज़ू उसमें डालती हैं। और जिस बाज़ू में शिफ़ा होती है वह बाज़ू ऊपर उठाए रखती है। **लिहाज़ा** दूसरा बाज़ू भी जिसमें बीमारी का तिर्याक़ है वह भी डिबो कर मक्खी निकाल कर फेंक दी जाए और खाने, पीने की चीज़ खा पी ली जाए किसी सुन्नत पर अमल न करना सवाब और उसके बरकात से महरूमी है, मगर उसका मज़ाक़ उड़ाना कुफ़्र है।

मसला : टूटे हुए किनारे की जानिब से कटोरे, प्याले या ग्लास से पानी वग़ैरह पीना मकरूह है।

मसला : सोने से क़ब्ल तमाम बर्तनों को ढाँप कर सोना सुन्नत है। क्योंकि खुला हुआ बर्तन रखने से वबा का असर होता है। और शैतान राह पाता है। अगर बर्तन के छुपाने और ढाँपने के लिए कुछ न मिले तो कोई भी लकड़ी बिस्मिल्लाह पढ़ कर बर्तन के मुँह पर चौड़ाई की जानिब रख दी जाए। धुले बर्तन उल्टे यानी औंधे रखे जाएं।

मसला : रोज़े की हालत में पेट दुंबे वग़ैरह से सीना से ही वापस यानी अगर क़य हो जाए तब वज़ू और रोज़ा न जाएगा। और अगर मेअदे से पलट कर मुँह भर क़य हो तब मग़्रिब तक रोज़ा की हालत में रहना और रमज़ान के बाद एक रोज़ा रखना वाजिब है। घर वाले मामूली क़य पर ही रोज़ा तोड़ देते हैं यह जाइज़ नहीं। बल्कि मुँह भर क़य पर भी मग़्रिब तक कुछ न खाना पीना चाहिए।

मसला : हर मुसलमान को किसी से मांगी हुई चीज़ की ऐसी ही क़द्र करनी चाहिए जैसे वह अपनी चीज़ की क़द्र करता है। बल्कि इससे भी ज़्यादा इहतियात लाज़िम। इससे उन पड़ोसियों को नसीहत हासिल करनी चाहिए जो बर्फ़ तक तोड़ने के लिए पड़ोसी को यह बता कर हमारे हाँ मेहमान आए हैं अपनी ट्रे दे दो। फिर नई ट्रे पर बर्फ़ रख कर तोड़ना जो बर्तन और पड़ोसी से निहायत ही बदसुलूकी की है या किसी से मांगी हुई मज़्हबी किताब लेटे हुए सीने पर रख कर पढ़ना। फिर नींद आने पर किताब कमर के नीचे, कुछ वर्क़ जिल्द से बाहर और बक़िया औराक़ की सिलवटों पर स्त्री फिरी होती है कि बदिक़्क़त भी असल हालत पर औराक़ नहीं आते। या कोई चीज़ माँग कर फिर कुछ दिनों बाद यह कहना कि हमने तो वह चीज़ उसी वक़्त वापस कर दी थी। या पहले की ली हुई चीज़ वापस भी नहीं करनी और कुछ दिन बाद फिर से मांगने आना।

मसला : किसी अज़ीज़ रिश्तादार **या** दोस्त **या** अज्नबी के हां मेहमान बने, और मेज़बान ने अपनी ऐसी लड़की के हाथ खाने या पीने की चीज़ भेजी जिस पर मेहमान बद नीयत यानी ग़लत नज़र डाल सके। ख़्वाह वह लड़की आठ नौ साल **या** ज़ाइद उम्र की हो। अगर मेहमान ने उसका बोसा बद नीयती यानी शहवत से लिया **या** हाथ या जिस्म का

कोई हिस्सा पकड़ा तब उस लड़की की माँ दादी और बेटियों का निकाह उस मेहमान से कभी नहीं हो सकता। ऐसी ही हरकत अगर स्कूल, कॉलेज या मुहल्ले की लड़की से की गई हो तब भी उस लड़की की मां, दादी, और बेटियों से उस नौ उम्र या ज़्यादा उम्र के शख़्स से निकाह नहीं हो सकता यूं ही वह लड़की उस मर्द के बाप और बेटियों से कभी निकाह नहीं कर सकती। हुर्मते मुसाहिरत के मसाइल बहारे शरीअत या सुन्नी बहिश्ती ज़ेवर में देखें।

पर्दा उठवाने का आख़िर यह नतीजा निकला
जिसको बेटा वह समझते थे भतीजा निकला

जब ख़ुदा ने माल दिया है तो उसके फ़ज़्ल व करम और एहसान व नेअमत का असर अह्ले खाना और तुम्हारे जिस्म पर भी ज़ाहिर होना चाहिए। अच्छा खाओ पियो। घर में बीवी शौहर के लिए बन संवर कर रहे। फूहड़ पन, बद सलीक़ी और गन्दगी से दूर भागें कि यह बद बला है।

मसला : अस्र के बाद खाने पीने से बहुत से मर्द और ख़्वातीन परहेज़ करती हैं। यह कोई शरई मसला नहीं अल्बत्ता सूफ़िया तरीक़ा रहा है कि उनके नज़्दीक रात तालिबाने हक़ की ईद है। और ईद से पहले रोज़ा होता है तो अस्र और मग़रिब के माबैन को वह रोज़ा की तरह गुज़ारते हैं और शब बेदारी में मसरूफ़ रहते हैं। अगर यही नीयत रखी जाए कि बुज़ुर्गों का इत्तिबा मक़्सूद है तो हरज नहीं।

मसला : औरत ने ऐसे शख़्स की मुलाज़िमत की जो बाल बच्चों वाला है। इसमें हरज नहीं। जैसा कि उमूमन शहरों में खाना पकाने और घर के काम काज के लिए मा-माएं नौकर रखी जाती हैं। मगर यह ख़्याल रखना ज़रूरी है कि नौ उम्र लड़कों या मर्दों में वह किसी को उसके साथ तन्हा न रखे। और न कुछ देर के लिए भी मर्दों के साथ तन्हा रहने दे।

मसला : अगर ऐसे मकान में जाना हो कि उसमें कोई नहीं तो यह कहना चाहिए। **अस्सलामु अलैना अला इबादिल्लाहिस सालेहीन।**

तरजमा : सलाम हम पर और अल्लाह के सालेह बन्दों पर। फ़रिश्ते इस सलाम का जवाब देंगे। (रद्दुल-मुख़्तार) या इस तरह कहे **अस्सलामु अलैका या अय्युहन्नबीय।**

तरजमा : ऐ अल्लाह के नबी आप पर सलाम। क्या अजब कि यह सलाम कुबूल हो जाए और जवाब में सलामतियों और रहमतों से नवाज़ा

जाए क्योंकि हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम की रूहे मुबारक मुसलमानों के घरों में मौजूद है। (मिर्क़ात)

मसला : ग्लास में बच्चे हुए पानी को अगर वह साफ़ सुथरा हो लोग झूठा कह कर फेंक देते हैं। यह हिन्दुओं की तहज़ीब है। इस्लाम में छूत छात नहीं मुसलमान के झूठे से बचने के कोई माना नहीं बल्कि यह साफ़ और क़ाबिले इस्तेमाल पानी को ख़्वाह मख़्वाह ज़ाए करना और इसराफ़ करना है, और इसराफ़ हराम।

मसला : मर्द को अजनबीया औरत का झूठा, और औरत का अज्नबी मर्द का झूठा मक्रूह है। ज़ौजैन और महारिम यानी महरिम मर्द व औरत के झूठे में हरज नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)।

और कराहत इस सूरत में है जबकि तलज़्ज़ुद यानी लज़्ज़त हासिल करने के तौर पर हो और अगर तलज़्ज़ुद मक़्सूद न हो बल्कि तबर्रुक के तौर पर हो जैसा कि आलिम बा अमल और बा शरअ पीर का झूठा कि लोग उसे तबर्रुक समझ कर खाते पीते हैं इसमें हरज नहीं। (बहारे शरीअत)।

मसला : बच्चों को बिस्मिल्लाह पढ़ाने के मौक़ा पर चाँदी की छोटी-छोटी दवात क़लम और तख़्ती ला कर रखते हैं। यह चीज़ें इस्तेमाल में नहीं आती हैं। बल्कि पढ़ाने वाले को दे देते हैं। इसमें हरज नहीं। (बहारे शरीअत)

बल्कि बेहतर है कि अहसन तरीक़ा पर एक मुसलमान की जो क़ाबिले इज़्ज़त व लाइक़े ताज़ीम है इआनत भी हो गई। और देने वाले की क़ल्बी मसर्रत का सामान भी हाँ सह ज़रूरी है कि रिया न आने पाए।

मसला : सोने चाँदी के बर्तन में खाना, पीना, और उन प्यालों से तेल लगाना **या** उनके इत्र दान से इत्र लगाना इनकी सलाई **या** सुर्मा दानी से सुर्मा लगाना। उनके आईना में मुँह देखना। **या** उनके क़लम दवात से लिखना मर्द औरत दोनों के लिए मना है। औरतों के सोने चाँदी के ज़ेवर पहनने की इजाज़त है। ज़ेवर के सिवा दूसरी तरह सोने चाँदी का इस्तेमाल मर्द व औरत के लिए नाजाइज़ है। सोने चाँदी की आर्सी पहनना औरत के लिए जाइज़ है। **मगर** उस आर्सी में मुँह देखना औरत के लिए भी व जाइज़ है। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

हाँ अगर बर्तन पर सोने चाँदी का सोना और चाँदी मुलम्मा (पानी चढ़ा हो) हो तो उसके इस्तेमाल में हरज नहीं। (हिदाया)

मसला : खाना खाते वक़्त अगर कोई आ जाता है तो रिवाज यह है कि उसे खाने को पूछते हैं, कहते हैं कि आओ खाना खाओ। अगर न पूछें तो तअन करते हैं कि उन्होंने पूछा तक नहीं। यह बात यानी दूसरे मुसलमान को खाने के लिए बुलाना अच्छी बात है। मगर बुलाने वाले को यह चाहिए कि यह पूछना महज़ नुमाइश के लिए न हो बल्कि दिल से पूछे। बल्कि अगर उसे कोई मअकूल उज़्र न हो तो इसरार करके खिलाए कि मुफ़्त का सवाब हाथ आता है। कि वह अपना रिज़्क़ तुम्हारे ख़्वान पर खाएगा। तुम्हारे लिए मक़ामे शुक्र है। यह भी रिवाज है कि जब पूछा जाता है तो वह कहता है, "बिस्मिल्लाह" करो यह न कहना चाहिए यहाँ बिस्मिल्लाह कहने के कोई माना नहीं कि बिस्मिल्लाह पढ़ कर ही मुसलमान खाना शुरू करता है। और वह पढ़ चुका। उलमा-ए-किराम ने इस मौक़ा पर बिस्मिल्लाह कहने को बहुत सख़्त मम्नूअ फ़रमाया बल्कि ऐसे मौक़ा पर दुआइया अल्फ़ाज़ कहना बेहतर है मसलन बारकल्लाहु या उर्दू में कह दे। अल्लाह तआला बरकत दे। ज़्यादा दे। **(बहारे शरीअत वग़ैरह)**

और बुज़ुर्गों का मामूल यह है कि खाने से फ़ारिग़ होकर यह कहते हैं कि खाना बढ़ाओ या बर्तन बढ़ाओ। खाना या बर्तन उठाओ नहीं कहते। खाना बढ़ना, या बर्तन बढ़ना खाने में बर्कत और फ़राख़ी व उस्अत की ज़िम्नन दुआ हो जाती है।

मसला : खाना खाते वक़्त रोटी के चार टुकड़े इस नीयत से करना कि दूसरे इन्हीं सुन्नी मुसलमान, चारों ख़ुलफ़ा के मानने वाले, चारों की ख़िलाफ़त को हक़ जानने वाले समझें और बच्चों के दिलों में भी यह अक़ीदा रासिख़ हो जाए कि चारों ख़ुलफ़ा का मानना फ़र्ज़ है। तो इसमें हरज नहीं। बल्कि अगर राफ़ज़ीयों के सामने उनके चिड़ाने को चार करें तो यह नीयते महमूद है। और इंशाअल्लाह इस पर सवाब पाएगा। हाँ जो मुसलमान सुन्नी ऐसा न करे उसे ऐब लगाना ख़ुद मअयूब है। **(फ़तावा रज़्वीया)**

मसला : राफ़ज़ी (शीआ) के यहाँ कुछ खाना पीना हरगिज़ न चाहिए कि वह अह्ले सुन्नत को क़सदन खिलाने पिलाने की कोशिश करते हैं। **(फ़तावा रज़वीया)**

तो अवामुन्नास में जो यह मश्हूर है कि राफ़ज़ी ऐसा करते हैं वह बे-असल नहीं।

मसला : खाने पीने की चीज़ जो बच्चों का नाम करके भेजते हैं उसमें से माँ बाप खा सकते हैं कि असल मक़्सूद माँ बाप को भेजना होता है। और

चीज़ थोड़ी समझ कर बच्चों का नाम लिया जाता है, हाँ अगर मालूम हो कि देने वाले ने वाक़ई बच्चा ही को दी है। माँ बाप को देना मक़सूद नहीं कि इसमें से खाना हराम है मगर यह कि मुहताज हों। **(वहरुर्राइक़ वग़ैरह)**

मसला : शराब ख़ोर की मोंछें बड़ी-बड़ी हों कि शराब मोंछ को लग गई तो जब तक मोंछें धुल कर पाक न हो जाएं पानी वग़ैरह जिस चीज़ को लगेगी नापाक कर देगी और वह चीज़ जिसको उसने पिया जिस बर्तन में होगी वह बर्तन भी नापाक हो जाएगा। (फतावा रज़्वीया वग़ैरह) अल्लाह तआला इस ख़बीस आदत से तमाम मुसलमानों को बचाए। आमीन!

मसला : बिछौने या मुसल्ले पर कुछ लिखा हुआ हो तो उसको इस्तेमाल करना ना जाइज़ है। यह इबारत इसकी बनावट में हो **या** काढ़ी गई हो **या** रोशनाई से लिखी हो। अगरचे अलग-अलग हुरूफ़ लिखे हों। क्योंकि हुरूफ़े मुफ़रेदा (हुरूफ़ तहज्जी) का एहतराम भी लाज़िम है।

(रद्दुल-मुख़्तार)

अक्सर दस्तरख़्वानों पर जो उमूमन बड़ी दावतों में इस्तेमाल किए जाते हैं उर्दू या फ़ार्सी में अश्आर लिखे होते हैं। ऐसे दस्तरख़्वान को इस्तेमाल में लाना। उन पर खाना खाना न चाहिए। हमने माना कि खाना उतारने वाले खाना उतारते वक़्त इहतियात से पाँव रखेंगे, और लिखी हुई जगह बचा लेंगे। लेकिन कहाँ तक? फिर उस पर रोटी, सालन के बर्तन, डोंगे, डिशें, प्लेटें वग़ैरह तो रखनी ही पड़ेंगी तो इन हुरूफ़ की ताज़ीम कहाँ रही? लिहाज़ा उन से दूर रहना ही ठीक है। यूं ही बाज़ लोगों के तकियों पर इश्क़िया **या** दुआइया अश्आर लिखे होते हैं। उनका भी यही हुक्म है कि इस्तेमाल न किया जाए। कि हुरूफ़े तहज्जी की बे अदबी पाई जाती है। और बाज़ जगह चादरों पर भी अश्आर लिखे पाए जाते हैं। ऐसी चादरों का इस्तेमाल में लाना और भी ज़्यादा बुरा और मम्नूअ कि उन पर आदमी का पैर भी पड़ेगा। **(बहारे शरीअत)**

मसला : खरिया मिट्टी **या** मुल्तानी मिट्टी **या** तीन खरासानी **या** कोई और सूंधी मिट्टी खुश्बूदार खुश ज़ाइक़ा कि हामिला औरतें उसे खाती हैं। अतिब्बा के नज़्दीक सख़्त नुक़सान देह और शरअन उसका खाना हराम है। यूंही चूल्हे की भट और तन्नूर का पेट। अल्बत्ता खाके शिफ़ा शरीफ़ से तबर्रुकन क़दरे चख लेना जाइज़ है। जैसे पान में चूना **या** आजकल कत्था जो तक़रीबन मिट्टी ही होता है। **(सुन्नी बहिश्ती ज़ेवर, जन्नती ज़ेवर)**।

❖❖❖

घरों में बोले जाने वाले

चन्द कुफ़्रिया कलिमात

ख़ुद बचें और दूसरों को बचाएं

इस ज़माने में जिहालत और नई तहज़ीब की नुहूसत की वजह से कुछ मर्द और कुछ औरतें इस क़द्र बेलगाम हैं कि जो उनके मुँह में आता है बक दिया करते हैं। कभी हँसी मज़ाक़, दिल्लगी या ग़ज़ब व ग़ुस्सा के आलम में बसा औक़ात ऐसे कलिमात भी मुँह से निकल जाते हैं जिससे लोग काफ़िर हो जाते हैं। और उन का निकाह टूट जाता है। मगर उन्हें ख़बर भी नहीं होती कि वह काफ़िर हो गए और उनका निकाह टूट गया। हम यहाँ चन्द कलिमाते कुफ़्रिया दर्ज करते हैं ताकि इन कलिमात से लोग ख़ुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। और अगर ख़ुदा नख़्वास्ता यह कुफ़्री अल्फ़ाज़ किसी के मुँह से निकल जाएं तो फ़ौरन ही तौबा करके नए सिरे से कलिमा पढ़ कर मुसलमान हो जाए और दोबारा निकाह करे। इस निकाह में इद्दत की ज़रूरत नहीं। **नक़्ले कुफ़्र कुफ़्र ना बाशद।**

मसला : बिस्मिल्लाह शरीफ़! शराब पीते वक़्त **या** जुआ खेलते वक़्त **या** ज़िना करते वक़्त पढ़ना कुफ़्र है। **मसला :** जो शख़्स यह कह दे कि मैं शरीअत को नहीं मानता। **या** शरीअत का कोई हुक्म **या** किसी सुन्नी मुसलमान का फ़त्वा सुन कर यह कहे कि यह सब हवाई बातें हैं। **या** यह कह दे कि शरीअत के हुक्म और फत्वा को चूल्हे भाड़ में डाल दो। **या** यह कह दे कि मैं शरअ वरअ को नहीं जानता। **या** जानती **या** शौहर का बीवी को किसी हराम काम से मना करने फोटो या फिल्म या बेपर्दगी से रोकने पर बीवी का यह कहना कि दूसरी औरतें भी तो ऐसा करती हैं आग लगी शरीअत सिर्फ़ मेरे ही लिए रह गई है। **या** यह कह दे कि हम शरीअत पर अमल नहीं करेंगे हम लो बरादरी की रस्मों की पाबन्दी करेंगे। **या** कह दे कि बिस्मिल्लाह सुब्हानल्लाह रोटी की जगह काम न देगा। हमें रोटी चाहिए। तो ऐसा कहने वाले काफ़िर हो जाएंगे।

मुहब्बत ख़ुसूमात में खो गई
यह उम्मत रुसूमात में खो गई

मसला : जो शख़्स हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम की जानिब मन्सूब, किसी चीज़ की तौहीन करे **या** ऐब लगाए **मसलन** आपके मुक़द्दस बाल मुबारक को तहक़ीर से याद करे **या** आपके नाख़ुन बड़े-बड़े कहे। **या** आपका लिबास मुबारक को गन्दा और मैला बताए। **या** हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम की सुन्नत की तहक़ीर करे मसलन दाढ़ी बढ़ाना मोंछें कम करना। अमामा बांधना। अमामा का शिमला लटकाना। और कद्दू को इस वजह से नापसन्द बताना कि हुज़ूर को पसन्द था। तो ऐसे हज़रात काफिर हो गए। यूंही किसी ने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम खाना तनावल फरमाने के बाद तीन बार अंगुश्त हाए मुबारक चाट लिया करते थे।" उस पर किसी ने कहा कि यह अदब के ख़िलाफ़ है तो यह कहना भी उलमा-ए-किराम के नज़्दीक कुफ़्र है। और यह इस वजह से कि किसी सुन्नत पर अमल न करना सुन्नत के सवाब से महरूमी **मगर** इसका मज़ाक़ उड़ाना और हक़ीर जानना कुफ़्र है।

मसला : कुरआन शरीफ़ की किसी आयत के साथ मस्ख़रा पन करना कुफ़्र है। जैसे बाज़ दाढ़ी मुंडे कह दिया करते हैं कि कुरआन में **कल्ला सौफ़ा तालमूना** आया है और माना यह बताते हैं कि साफ कराते रहो। **या** अकेले नमाज़ पढ़ने वाले कह दिया करते हैं कि **इन्नस्सलाता तन्हा** और माना यह बताते हैं कि नमाज़ तन्हा प्रढ़ा करो। इन बातों के बोल देने से आदमी काफ़िर हो जाएगा। क्योंकि क़ुरआन शरीफ़ के माना बदल डालना भी है और इसके साथ मस्ख़रा पन मज़ाक़ व दिल्लगी भी। जिस तरह भूक की शिद्दत पर कहना कि मेरी आँतें **कुल हुवल्लाहु** पढ़ रही हैं। (मआज़ल्लाह!)

मसला : रमज़ान के रोज़े न रखने पर कहना कि रोज़े वह रखे जिसे रोज़ी न मिले। **या** यह कहना कि जब ख़ुदा ने हमें खाने को दिया है तो भूखे क्यों मरें। **या** इसी क़िस्म की और बातें बक दें जिन से रोज़ा की हतक या तहक़ीर होती है यह कुफ़्र है।

मसला : किसी मिस्कीन ने अपनी मुहताजी व परेशान हाली को देख कर यह कहा कि "ऐ ख़ुदा फ़लां भी तेरा बन्दा है उसको तूने कितनी नेअमतें दे रखीं हैं, और मैं भी तेरा बन्दा हूँ मुझे किस क़दर रंज व तक्लीफ देता है। आख़िर यह इंसाफ़ है"? ऐसा कहना कुफ़्र है।

मसला : किसी बा असर **या** मालदार आदमी **या** हाकिम की तवज्जोह हासिल करने के लिए लोग कह बैठते हैं कि ऊपर ख़ुदा है नीचे तुम। यह कलिमा कुफ़्र है। (खानिया) क्योंकि ख़ुदा के लिए हद मुक़र्रर करना या मख़्सूस जगह बताना कुफ़्र है।

मसला : किसी से कहा कि इंशाअल्लाह तुम इस काम को करोगे। उसने कह दिया कि "अजी मैं बेग़ैर इंशाअल्लाह करूंगा।" काफिर हो गया।

मसला : कोई शख़्स बीमार नहीं होता। **या** बहुत बूढ़ा है मरता नहीं। इसके लिए यह कहना कि इसे अल्लाह मियाँ भूल गए हैं। **या** किसी ज़ुबान दराज़ आदमी से यह कहना कि ख़ुदा तुम्हारी ज़ुबान का मुक़ाबला कर ही नहीं सकता। फिर मैं किस तरह मुक़ाबला कर सकता हूँ? अल्लाह तआला के लिए दोनों तरह अल्फ़ाज़ बोलने कुफ़्र हैं।

मसला : एक ने दूसरे से कहा कि तू ख़ुदा से नहीं डरता? उसने गुस्सा में कहा "नहीं"। **या** कहा ख़ुदा इसके सिवा क्या कर सकता है कि दोज़ख़ में डाल दे? **या** उसने कहा ख़ुदा कहा है? यह सब कुफ़्रिया कलिमात हैं। **(आलमगीरी)**।

मसला : अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के नाम की तस्ग़ीर करना कुफ़्र है। जैसे किसी का नाम अब्दुल्लाह या अब्दुल-ख़ालिक़ या अब्दुर्रहमान हो उसे पुकारने में आख़िर में अलिफ़ वग़ैरह हुरूफ़ मिला दें। जिन से तस्ग़ीर समझी जाती है। **(बहरुर्राइक़)**।

मसला : बीमारी में घिर कर अल्लाह तआला से कहने लगे या कहने लगी तुझे इख़्तियार है चाहे काफिर मार या मुसलमान मार यह कहना कुफ़्र है। यूंही मुसीबतों से घबरा कर यह कहना कि तूने माल लिया, औलाद ली और यह लिया वह लिया, अब क्या करेगा? इस तरह बकना कुफ़्र है।

मसला : औलाद वग़ैरा के मरने पर रंज और ग़ुस्सा में इस क़िस्म की बोलियाँ बोलने लगे कि ख़ुदा को बस मेरा बेटा ही मारने के लिए मिला था। **या** दुनिया भर में मारने के लिए मेरे बेटे के सिवा ख़ुदा को दूसरा कोई मिलता ही नहीं था। **या** ख़ुदा को ऐसा ज़ुल्म नहीं करना चाहिए था। अल्लाह ने बहुत बुरा किया कि मेरे इक्लौते बेटे को मार कर मेरा घर

बे-चिराग़ कर दिया। इस क़िस्म की बोलियाँ बोल देने से मर्द व औरत काफिर हो जाता है।

मसला : रुसुलुल-मलाइका हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम या हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम या और किसी मुक़र्रब फ़रिश्ते की अदना सी भी गुस्ताख़ी कुफ़्र है। मसलन गैस की लाइन टेन या लाइन टेन के भड़कने पर यह कहना कि इसकी इज़राईल रूह क़ब्ज़ कर रहे हैं। **या** कोई जाहिल अपने किसी दुश्मन या डाकू को देख कर तौहीन की नीयत से कह दे कि "मलिकुल-मौत" आ गए तो वह काफिर हो जाएगा।

मसला : इस्लाम में शक करना, और यह कहना कि मालूम नहीं मैं मुसलमान हूँ या काफ़िर **या** अपने इस्लाम पर अफ़सोस करना। मसलन यह कहना कि मैं मुसलमान हो गया यह अच्छा नहीं हुआ। काश मैं हिन्दू होता। **या** किसी को कुफ़्र की बात सिखाना। **या** यह कहना कि न मैं हिन्दू हूँ न मुसलमान। मैं तो इंसान हूँ। **या** यह कहना कि मैं न मस्जिद से तअल्लुक़ रखता हूँ, न मन्दिर से **या** यह कहना कि मस्जिद और मन्दिर दोनों ढोंग हैं, मैं किसी को नहीं मानता। **या** यह कहना कि काबा तो मामूली पत्थरों का एक पुराना घर है, उसमें क्या धरा है कि मैं उसकी ताज़ीम करूं। **या** कहना कि नमाज़ पढ़ना बेकार आदमीयों का काम है, हमको नमाज़ की कहाँ फ़ुर्सत है? **या** अज़ान की आवाज़ सुन कर यह कहना कि क्या ख़्वाह मख़्वाह का शोर मचा रखा है? **या** यह कहना कि नमाज़ पढ़ना न पढ़ना दोनों बराबर हैं। **या** यह कहना कि नमाज़ पढ़ने का कुछ नतीजा नहीं, बहुत पढ़ ली क्या फाइदा हुआ? या यह कहना कि मैं तो सिर्फ़ रमज़ान में नमाज़ पढ़ता हूँ बाक़ी दिनों में न कभी पढ़ी न पढूंगा। **या** यह कहना कि नमाज़ मुझे मुवाफ़िक़ नहीं आती, मैं जब नमाज़ पढ़ता हूँ तो कोई न कोई नुक़सान ज़रूर हो जाता है। **या** यह कहना कि ज़कात ख़ुदाई टैक्स है, जो मुल्ला लोगों ने मालदारों पर लगा रखा है। **या** यह कहना कि हज तो एक तफ़रीही सफ़र है, या ब्लैक मार्किट का धन्धा है। मैं ऐसा काम क्यों करूँ? वग़ैरह वग़ैरह। इस क़िस्म की तमाम बक्वासें खुला हुआ कुफ़्र हैं। इन सब बोलियों से आदमी क़ाफिर हो जाएगा।

नई तहज़ीब में दिक़्क़त ज़्यादा तो नहीं होती
मज़्हब रहते हैं क़ाइम, फ़क़त ईमान जाता है

मेरे प्यारे इस्लामी भाईयो! प्यारी माओं, बहनों! कुरआने करीम का यह इरशाद **ज़रा** कान लगा कर गौर से पूरी तवज्जोह से सुनो और दिल नशीन कर लो।

या ऐयुहल्लज़ीना आमनुद-खुलू फ़िस्सिल्मे काफ़्फ़तन वला तत्तबेऊ खुतुवातिश्शैताने। इन्नहू लकुम अदुव्वुम मुबीन।

तरजमा : ऐ ईमान वालो! इस्लाम में पूरे-पूरे दाख़िल हो जाओ और शैतान के क़दमों पर न चलो। बेशक वह तुम्हारा सरीह खुला हुआ दुश्मन है। **(सूरः बक़रह आयत न० २०८)**।

ऐ ईमान वालो! यानी मुसलमान मर्दों और औरतों पर लाज़िम है कि इस्लाम के अहकाम का पूरा-पूरा इत्तिबा करें। अपनी पूरी ज़िन्दगी, इस्लामी अहकाम के तहत लाएं। यहाँ तक कि उनके ख़्यालात, उनके नज़िरयात, उनके तौर तरीक़े, उनके मुआमलात उनकी तमाम कोशिशें और अमल के रास्ते सबके सब मुकम्मल तौर पर इस्लामी तालीमात, इस्लामी क़वानीन और इस्लामी दस्तूर के मुवाफ़िक़ हों।

गुस्ताख़े रसूल बनने के असबाब से बचिए :

अज़ीज़ो! इस्लाम सिर्फ़ चन्द अक़ाइद **या** सिर्फ़ चन्द इबादात **या** सिर्फ़ क़वानीन का नाम नहीं वह तो एक जामे व माने **निज़ामे हयात** है। एक मुकम्मल व मुनज़्ज़म दस्तूरे ज़िन्दगी है। इंसानियत के एक-एक शोबा पर और हर-हर गोशा पर हावी है। किसी और दीन या किसी और नज़िरया की पैवन्दकारी उसके साथ निभ ही नहीं सकती।

शैतान के नक़्शे क़दम पर चलना यही है कि इस्लाम में ग़ैर इस्लामी आमेज़िश की जाने लगे। और यहूद व नसारा के तौर तरीक़ (गुस्ताख़े रसूल मौदूदियों की तरह) ग़ैर मुस्लिमों के तर्ज़े ज़िन्दगी को "रौशन ख़्याली" का नाम देकर माडर्न इस्लाम के नाम पर उसे अपने किरदार व गुफ़्तार और निज़ामे हयात पर ग़ालिब कर लिया जाए। मआज़ल्लाह!

(माख़ूज़ सुन्नी बहिश्ती ज़ेवर, जन्नती ज़ेवर)।

मौलाए करीम हमें और तुम्हें हक़ कहने, हक़ बोलने, हक़ समझने, हक़ को कुबूल करने और हक़ पर चलने की तौफ़ीक़े रफ़ीक़ अता फ़रमाए। सदक़ा अपने महबूबे करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम का। आमीन!

नतीजा : गुज़िश्ता कुफ़्रिया कलिमात बक देने के बाद ज़रूरी है कि फ़ौरन तौबा करके कलिमा पढ़ कर मुसलमान हो और अगर शादी शुदा है तब फिर से निकाह करे क्योंकि मुसलमान का मुसलमान से निकाह रहता है काफिर से नहीं। ख़्वाह ऐसे कलिमाते कुफ़्रिया शौहर बके या बीवी इस पर तौबा और कलिमा तैयबा के बाद ही इज़्दवाजी ज़िन्दगी के लिए निकाह फ़र्ज़ है। और इस निकाह में इद्दत नहीं उसी वक़्त उसी शौहर से दो गवाहों के सामने गुज़िश्ता मुहर पर ईजाब व कुबूल होकर निकाह कामिल हो जाएगा। वरना ख़ालिस ज़िना होगा और ज़िना से पैदा शुदा औलाद सलमान रुश्दी गुस्ताख़े रसूल **देव** बन्दी, वहाबी पैदा होंगे जो माँ, बाप, उस्ताज़ बुज़ुर्ग, वली, नबी की गुस्ताख़ी अपना दीनी फ़रीज़ा समझते हुए करते हैं जिसकी एक झलक एक नमूना आप भी मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं।

ज़रूरी वज़ाहत : तवालत से बचने के लिए इन कुफ़्रिया इबादतों के इक़्तिबासात दर्ज करता हूँ। मुकम्मल मज़मून इन किताबों में देखा जा सकता है।

वहाबी देवबन्दी अकाइद के चन्द नमूने :

अक़ीदा : (१) हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम का मज़ार गिरा देने के लाइक़ है। अगर मैं इसके गिरा देने पर क़ादिर हो गया तो गिरा दूँगा। बानी वहाबी मुहम्मद बिन अब्दुल-वहाब नज्दी (औज़हुल-बराहीन)

अक़ीदा : (२) मेरी लाठी मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम से बेहतर है क्योंकि इससे साँप मारने का काम लिया जा सकता है। और मुहम्मद मर गए। उन्हें कोई नफ़ा बाक़ी न रहा। (औज़हुल-बराहीन स० १०)

अक़ीदा : (३) मुहम्मद बिन अब्दुल-वहाब का अक़ीदा था कि जुमला अह्ले आलिम तमाम मुसलमानाने दयारे मुश्रिक व काफिर हैं और उने से क़त्ल व क़िताल करना उनके अम्वाल को उन से छीन लेना हलाल और जाइज़ बल्कि वाजिब है। (माख़ूज़ हुसैन अहमद मदनी) (अश्शेहाबुस्साक़िब स० ४३) कुतुब खाना एज़ाज़िया देवबन्द)।

अक़ीदा : (४) ग़ैब की बातों का जैसा इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम को है ऐसा इल्म ज़ैद व उमर बच्चों और पागलों को, बल्कि तमाम जानवरों को हासिल हैं, रसूल की तख़्सीस नहीं।"

हवाला के लिए देखिए किताब (हिफ़्ज़ुल-ईमान स० ८, मुसन्निफ़ा मौलवी अशरफ़ अली थानवी, शाए करदा कुतुब खाना अशरफ़ीया कम्पनी देवबन्द और कुतुबखाना एज़ाज़िया देवबन्द)।

अक़ीदा : (५) हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम को आख़िरी नबी समझना अवाम का ख़्याल है अह्ले इल्म का नहीं (तहज़ीरुन्नास स० ३, मुसन्निफ़ा मौलवी मुहम्मद क़ासिम साहब नानौतवी शाए करदा कुतुबखाना एज़ाज़िया देवबन्द)।

अक़ीदा : (६) हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी पैदा हो जाए तो फिर भी खातमीय्यते मुहम्मदी में कुछ फ़र्क़ न आएगा।
(तहज़ीरुन्नास स० २५)।

अक़ीदा : (७) शैतान व मलिकुल-मौत को तमाम रूए ज़मीन का इल्म है और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इल्म से ज़्यादा है।" (बराहीने क़ातिआ स० ५५, मुसन्निफ़ा मौलवी ख़लील अहमद अंबेठवी शाए करदा कुतुबखाना इम्दादिया देवबन्द)।

अक़ीदा : (८) नमाज़ में हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ख़्याल गधे और बैल के ख़्याल में डूबने से बुरा हैं।" (सिराते मुस्तक़ीम स० ६७, मुसन्निफ़ा मौलवी इस्माईल देहलवी शाए करदा कुतुबखाना अशरफ़ीया राशिद कम्पनी देवबन्द)।

अक़ीदा : (९) "हर मख़्लूक़ बड़ा हो या छोटा अल्लाह की शान के आगे चमार से भी ज़्यादा ज़लील है।" (तक़्वियतुल-ईमान स० १३ मुसन्निफ़ा मौलवी इस्माईल देहलवी शाए करदा कुतुबखाना अशरफ़ीया राशिद कम्पनी देवबन्द)।

अक़ीदा : (१०) सब अंबिया औलिया उसके रू-ब-रू एक ज़र्रा-ए-नाचीज़ से भी कम्तर हैं।" **(तक़्वियतुल-ईमान स० ४८)।**

अक़ीदा : (११) हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ताज़ीम बड़े भाई की सी कीजिए।" **(तक़्वियतुल-ईमान स० ५२)।**

अक़ीदा : (१२) हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर इफ़्तिरा बांधा कि गोया आपने फरमाया : "मैं भी एक दिन मर कर मिट्टी में मिलने वाला हूँ।"
(तक़्वियतुल-ईमान स० ५३)।

अक़ीदा : (१३) हुज़ूर अलैहिस्सलाम का यौमे मीलाद मनाना कन्हैया के जन्म दिन मनाने की तरह है।" **(बराहीने क़ातिआ स० १५२)।**

ख़लील अहमद देवबन्दी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के लिए उर्दू ज़ुबान का इल्म देवबन्द के उलमा से आना बताते हैं। (बराहीने क़ातिआ स० ३०) बलग़तुल-हीरान नामी किताब स० ८ में हुज़ूर अलैहिस्सलाम का गिरना लिखा और अपने लिए लिखा कि मैं उन्हें गिरने से रोका।" रसूल को दीवार के पीछे का इल्म नहीं। (बराहीन क़ातिआ स० ५५) "रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता।" (तक़्वियतुल-ईमान स० ५०)। यह चन्द हवाले हाज़िर हैं।

आप खुद ही फ़ैसला कर लें कि क्या इन अक़ाइद के हामिल अफ़राद मुसलमान कहलाने के हक़्दार हैं? अगर यह अक़ाइद रखने वाले काफिर व मुर्तद हैं तो उनको मुसलमान मसझ कर नमाज़ में इमाम बनाना क्या कुफ़्र नहीं?

नोट : इस तरह के मज़ीद अक़ाइद देखने हों तो वहाबी मज़्हब" और देवबन्दी मज़्हब" नामी किताबें मुताअला फरमाएं।

इंआम : जिन किताबों के हवाले दिए गए हैं अगर यह किताबें देवबन्दियों, वहाबियों की तस्नीफ़ शुदा नामी किताबें न हुईं तो फ़ी किताब एक हज़ार रुपए इंआम।

मश्वरा : अल्लाह तआला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम के गुस्ताख़ की दस नेशानियाँ इरशाद फरमाएं, आख़िरी निशानी **बाद ज़ालिका ज़मीन** कि वह हरामी है और आगे सज़ा यह सुनाई कि **सनसिमहू अलल-ख़ुरतूम** यानी क़रीब है कि हम उसकी सुव्वर की थूथनी पर दाग़ देंगे।

लिहाज़ा तमाम मुसलमानों को चाहिए कि ज़िना से बचें ताकि गुस्ताख़े रसूल पैदा न हों। (प. २६, सूरः क़लम)।

काफिर को भी काफिर न कहना चाहिए?

मकर अव्वल : अह्ले सुन्नत के उलमा गुस्ताख़े रसूल फ़िरक़ा की कुतुब में सैंकड़ों कुफ़्रिया इबारात दिखाते हैं तब गुस्ताख़े रसूल फ़िरक़ा के पैरोकार कहते हैं कि यह इबारात हमारे बुज़ुर्गों की नहीं हैं। बल्कि हमारे बुज़ुर्गों के नाम से किताबें सुन्नियों ने छाप कर उनको बदनाम करने की कोशिश की है।

जवाब : अगर ऐसी बात है तो किसी **देव** बन्दी, वहाबी आलिम की यह तरदीद (रद) तहरीर में दिखाएं कि इन इबारात से हमारा कोई तअल्लुक़ नहीं, इन तसानीफ़ **या** इन अक़ाइद वाले का काफिर, मुरतद, वाजिबुल-क़त्ल हैं। अगर ऐसी तहरीर नहीं दिखा सकते तो जिसने यह किताबें तस्नीफ़ की हैं **या** जिनके यह गुस्ताख़ाना अक़ाइद हैं अल्लाह तआला उनको दुनिया में भी ज़लील फरमाए। क़ब्र में, मैदाने महशर में और आख़िरत में अज़ाबे अलीम में मुब्तला फरमाए कहो आमीन! जब यह तस्नीफ़ और यह अक़ाइद तुम्हारे नहीं हैं, जिनके भी हैं उनके ही हक़ में कहो आमीन!

मकर दोम : तब गुस्ताख़े रसूल **देव** बन्दी कहते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि किसी मुसलमान पर लानत न करो। और जो अल्फ़ाज़ कहलाना चाहते हो वह अल्फ़ाज़ लानत के हैं।

जवाब : हुज़ूरे अनवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने **मुसलमान** पर लानत करने से मना फरमाया है **मगर** गुस्ताख़े रसूल तो काफ़िर मुर्तद हैं। और मुर्तद को कुरआने हकीम ने क़त्ल करने का हुक्म फरमाया है। फिर क्यों गुस्ताख़े रसूल पर अज़ाब की दुआ से कतराते हो?

मकर सोम : दरासल बात यह है कि हम किसी को बुरा नहीं कहते। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि किसी काफिर को भी काफिर न कहना चाहिए। (और दलील में कहते हैं) कि क्यां ख़बर वह कब मुसलमान हो जाए।

जवाब : हुज़ूरे अनवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने यह कहाँ इरशाद फरमाया है कि बुरे को बुरा न कहो अच्छा कहो? और यह कहाँ इरशाद फरमाया है कि किसी गुस्ताख़े रसूल काफिर को काफिर न कहो? और यह दलील की क्या ख़बर वह कब मुसलमान हो जाए। यह दलील किस उसूल, किस कुल्लिया के तहत दी गई है? यह किस तरह हदीस हो सकती है? यह तो अक़्ल के भी ख़िलाफ़ है कि ख़ुद काफिर तस्लीम कर रहे हैं कि है तू काफिर मगर कहो नहीं। गोया ख़ुद काफिर को काफिर कह कर दूसरों को काफिर कहने से रोक रहे हैं। यह हदीस इसलिए तो नहीं गढ़ी गई कि होस्सामुल-हरमैन में दुनिया के जलीलुल–क़द्र उलमा ने इन गुस्ताख़े रसूल **देव** बन्दियों के कुफ़्र में शक करने तक को कुफ़्र लिखा है? कि कहीं उसकी रौशनी में तमाम मुसलमान **देव** बन्दियों को काफिर कहना शुरू कर दें। इन गुस्ताख़ों को कोई काफिर न कहे। मुम्किन है इसी मक्कारी से हदीस गढ़नी पड़ी हो। रात दिन मुसलमानों को काफिर, मुश्रिक, बिदअती कहने वालों बल्कि अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त और उसके महबूबे आज़म की शाने पाक में सड़ी सड़ी गालियाँ लिख-लिख कर छापने, फ़रोख़्त करने, फ़्री तक़्सीम करने वालों के मुँह से यह बात कितनी अजीब सी लगती है कि "हम किसी को बुरा नहीं कहते।" और ख़ुसूसन उसके मुँह से जो अल्लाह तआला और मख़्लूक़ में सबसे अफ़्ज़ल ज़ात की शाने पाक के गलयर को बुरा कहने पर गुस्ताख़े रसूल कहे कि "हम किसी को बुरा नहीं कहते।" अजीब सा लगता है। गोया गालियाँ बकना नबी वली के लिए मख़्सूस हैं। और गुस्ताख़े रसूल **देव** बन्दियों को बुरा कहने का परहेज़ है। अगर इन गुस्ताख़ों से दरयाफ़्त किया जाए कि फिर बुराई के ख़िलाफ़ अंबिया-ए-किराम ने जिहाद क्यों फरमाया? और तुम परहेज़ करते हो। फिर ज़ानी को संगसार। चोर के हाथ काटने का कुरआने हकीम में हुक्म क्यों है? जब कि तुम क़िसी को बुरा कहना भी पसन्द नहीं करते। और यह कि "काफिर को भी काफिर न कहो" हदीस गढ़ कर ब्यान करना, यूं भी ग़लत है कि अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त ने **कुल** यानी कहो **या ऐयुहल-काफ़िरून** "ऐ काफिरो!" कहने की क़्या सिर्फ़ तर्ग़ीब! बल्कि ऐ काफिरो कहने का हुक्म फरमाया। गुस्ताख़े रसूल **देव** बन्दी बताएं कि अगर काफिर को काफिर न कहें। तो क्या कहें? और

लफ़्ज़े काफिर किसको कहने का हुक्म है? जबकि फ़क़ुहा के नज़्दीक **देव** बन्दियों, वहाबियों के कुछ ज़्यादा ही ख़ैर ख़्वाह।

सदर ज़िया-उल-हक़ का बरमा बौधों के दो हज़ार साल पुराने बुत खाने में जा कर ख़्वाहिश व मिन्नत, मुराद की तक्मील के लिए चालीस मन वज़नी घन्टा तीन बार बजाने और वफ़्द के अरकान वज़रा से भी हुक्म देकर बजवाने और सोने के बुत पर फूल चढ़ाने, और फिर उसी सोने के बुत पर सोना भेंट चढ़ाने जैसे शिर्क व कुफ़्र **से** नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम की शाने पाक में गुस्ताख़ी का कुफ़्र बदरजहा **बदतर** है।

नज़्र मन्नत को शिर्क बता कर
अपना कहा ठुकराते यह हैं
चालीस मन मन्नत का घन्टा
मन्दिर जा के बजाते यह हैं
हार ही क्या है, सोना तक भी
बुत को भेंट चढ़ाते यह हैं
हर मोमिन पर, हर मुस्लिम पर!
शिर्क का फ़त्वा लगाते यह हैं
(अनीस अहमद नूरी)

जाहिलों से दादे तहसीन हासिल करने वाली यह दलील कि "क्या ख़बर वह कब मुसलमान हो जाए।" (मन घड़त हदीस की तरह) बेहूदा है। और यह ऐसी ही दलील है जैसे कोई कहे कि मुसलमान को मुसलमान न कहना चाहिए कि कब वह काफिर हो जाए। (मआज़ल्लाह!) **या** लकड़ी को लकड़ी न कहो कि कब वह जल कर राख हो जाए। **या** पाखाने को पाखाना न कहना चाहिए कि कब उसकी शक्ल अनाज या सब्ज़ी में तब्दील हो जाए **या** मुल्क के सदर को सदर न कहा जाए कि बमों के धमाकों में और मीज़ाइल से अवाम को तबाह करने और मुज्रेमीन को मंज़रे आम आने की रुकावट के सिला में कब वह अज़ाबे इलाही का शिकार हो जाए और उसकी हड्डियों का भी पता न चल सके। **या** नज्द के क़ज़्ज़ाकों (डाकुओं) को जो हाजियों के क़ाफ़िलों को लूटते और क़त्ल करते थे उनको क़ज़्ज़ाक़ न कहना चाहिए। कि क्या ख़बर सलतनते तुर्किया का ज़ोर और ताक़त तोड़ने की ग़रज़ से अंग्रेज़ों के अस्लेहा और रक़म

की इम्दाद पर वह क़ज़्ज़ाक़ किसी मुल्क के बादशाह बन बैठें और बैठते ही –

इबादत और इस्लामी रुक्न पर
हज पर टैक्स लगाते यह हैं
नज्द के क़ज़्ज़ाक़ों की ख़ातिर
हज पर टैक्स बताते यह हैं
क़ज़्ज़ाक़ों की शक्ल जो देखें
अपने बड़ों को पाते यह हैं
होगा लक़ब, इब्लीस का लेकिन
शैख़ुन्नज्द कहलाते यह हैं

(अनीस अहमद नूरी)

मामूली समझ, अक़्ल रखने वाला भी जानता है कि जो आज सोने का काम करता है उसे सुनार कहा जाएगा। और जब भी वह सोनार कपड़े फ़रोख़्त करने लगेगा उसको बज़्ज़ाज़ ही कहा जाएगा। यूंही जब तक लकड़ी रहेगी लकड़ी कहलाएगी और जब जल कर राख हो जाएगी राख कहलाएगी। यूंही पाखाने को पाखाना कहा जाएगा। और जब वह खाद से अनाज या सब्ज़ी की शक्ल इख़्तियार करेगा वह सब्ज़ी या अनाज कहलाएगा। इसी तरह जब तक मुल्क की सदारत सही अदा करता रहेगा सदर कहलाएगा जूंही मुल्क व क़ौम से ग़द्दारी के सिला में अज़ाबे अलीम का शिकार होगा। उससे इबरत लेनी होगी। इसी तरह क़ज़्ज़ाक़ को क़ज़्ज़ाक़ जाना जाएगा और वह जब क़ज़्ज़ाक़ों से बादशाह बन बैठेगा उसको बादशाह कहा जाएगा। और इसी तरह आज जो शख़्स मुसलमान है उसको मुसलमान कहा जाएगा।

अगर मआज़ल्लाह वह कभी गुस्ताख़े रसूल फ़िर्क़े के बहकाने में आने से इस्माईल देहलवी की तक़्वियतुल-ईमान की तरह हुज़ूरे अनवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम को मआज़ल्लाह अपना जैसा **या** बड़ा भाई जानेगा। **या** ज़र्रा-ए-नाचीज़ से कमतर कहे। **या** चमार से भी ज़लील कहे। **या** बद हवास जैसे क़बीह अल्फ़ाज़ों को हुज़ूरे अनवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम की शाने पाक में बकने लगे। **या** इन गुस्ताख़ अक़ाइद वालों को अपना पेशवा या इमाम बनाए। ज़ाहिर है उस वक़्त

उसको काफिर ही कहा जाएगा। और जब बेतौफीकेही तआला वह मुसलमान हो जाएगा फिर वह मुसलमान ही कहलाएगा। यह है इन गुस्ताख़ों के मकर ३ का जवाब –

मकर चहारुम : यह जो बात-बात पर सुन्नी हज़रात कहते हैं कि सुन्नियों का यह अक़ीदा है। और **देव** बन्दियों का यह अक़ीदा है। ऐसा क्यों जबकि हम **देव** बन्दी हज़रात भी तो **अह्ले सुन्नत हन्फ़ी** ही हैं।

जवाब : इसी किताब के गुज़िश्ता सफहात में और वहाबी मज़्हब, **देव** बन्दी मज़्हब नामी किताबों में जो अक़ाइद ब्यान किए गए। अगर वह गुस्ताखाना अक़ाइद १२०० हिज. बारह सौ हिजरी तक के सुन्नियों हन्फियों के अक़ाइद से मिलते जुलते नज़र आते हैं तो फिर वहाबी **देव** बन्दी ही सुन्नी हन्फ़ी हैं। और इस तरह बक़िया आज के तमाम मुसलमान सुन्नी कहलाने का हक़ नहीं रखते।

और अगर वहाबिया, **देव** बन्दीया के गुस्ताखाना अक़ाइद १२०० हिज. (बारह सौ हिजरी) तक के सुन्नियों हन्फ़ियों से मिलते जुलते, नज़र नहीं आएं बल्कि बारा सौ १२०० हिज. सुन्नी हन्फ़ी, बा अदब और उनके मुक़ाबला पर वहाबिया **देव** बन्दीया बे अदब गुस्ताख़ नज़र आएं फिर गुस्ताखे़ रसूल वहाबिया **देव** बन्दीया को सुन्नी हन्फ़ी समझना ऐसा ही है जैसे शराब या पेशाब भरी बोतल पर शरबत या सिर्का का लेबल देख कर उसे शरबत या सिर्का कहना कि सिर्फ़ लेबल लगने से शराब या पेशाब! सिर्का या शर्बत नहीं बन जाएगा।

बुग्ज़ है इनको हर सुन्नी से
ख़ुद को सुन्नी बताते हैं
खुद को सुन्नी, हन्फ़ी बता कर
कुफ़्र पे पर्दा रखाते यह हैं
जैसा मौक़ा वैसा मज़्हब
आदत अपनी रचाते यह हैं
इनकी तरक़्क़ी का यह सबब है
तक़ीया झूठ अपनाते यह हैं
झूठ तक़िया को गर छोड़ें –
मज़्हब देव का गिनवाते यह हैं

वक़्त के धारे पर बहते हैं
इब्नुल-वक़्त कहलाते यह हैं
इनके चक्कर में जो आए!
बन्दी देव की बनाते यह हैं
खुदा की नहीं शैतान की बन्दी
देव बन्दी कहलाते यह हैं
देव बन्दी (शैतान की पुजारन)
शिर्किया नाम रखाते यह हैं
(अनीस अहमद नूरी)

जब गुस्ताखे़ रसूल की गुस्ताखि़याँ या उनके अक़ाइद ब्यान किए जाएं तब ब्यान करने से रोकने के लिए उसके मुँह पर हाथ रख कर गुस्ताखे़ रसूल हज़रत बराए मकर कहते हैं कि

मकर पंजुम : देखो भाई इस क़िस्म की गुफ़्तगू ग़ीबत, चुग़ली कहलाती है।

जवाब : इस मकर का जवाब क़ारेईने किराम मसाइल की रौशनी में समझने की कोशिश करें।

मसला : एक शख़्स नमाज़ पढ़ता है और रोज़े रखता है मगर अपनी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमानों को ज़रर (नुक़सान) पहुँचाता है। उसकी ईज़ा रसानी को लोगों के सामने ब्यान करना ग़ीबत नहीं। क्योंकि उसका मक़्सद यह है कि लोग उसकी हरकत से वाक़िफ़ हो जाएं। और उससे बचते रहें। क्योंकि ऐसा न हो कि उस नमाज़ और रोज़े से लोग धोखा खा जाएं और मुसीबत मुब्तला हो जाएं। **हदीस** शरीफ़ में इरशाद फरमाया कि तुम फाजिर (गुनहगार) के ज़िक्र से डरते हो? जो ख़राबी की बात उसमें है ब्यान कर दो। ताकि लोग उससे परहेज़ करें और बचें।

(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल-मुख़्तार)।

और ऐसे शख़्स का हाल हाकिमे वक़्त तक पहुँचाना कि वह उसे मुनासिब सज़ा दे। और मुसलमानों को उसकी ईज़ा रसानी (तक्लीफ़ पहुँचाने) से बचाए और यह अपनी हरकतों से बाज़ आ जाए चुग़ली और ग़ीबत में दाख़िल नहीं।

(दुर्रे मुख़्तार)।

यह हुक्म फ़ासिक़ व फ़ाजिर का है जिसके शर से बचाने के लिए लोगों पर उसकी बुराई खोल देना जाइज़ है। और ग़ीबत नहीं। अब

समझना चाहिए कि बद मज़्हबों और बद अक़ीदा लोगों का ज़रर **फ़ासिक़ के ज़रर से बहुत ज़ाइद है।** फ़ासिक़ से जो नुक़्सान पहुँचेगा वह उससे बहुत कम है। जो बद अक़ीदा लोगों को पहुँचता है। फ़ासिक़ से अक्सर दुनिया का ज़रर होता है और बद मज़्हब से तो **दीन व ईमान की बर्बादी का ज़रर है** और बद मज़्हब अपनी बद मज़्हबी फैलाने के लिए नमाज़ रोज़ा की बज़ाहिर बहुत पाबन्दी करते बल्कि क़रिया-क़रिया शहर-शहर उसकी तबलीग़ करते फिरते हैं। ताकि उनका वक़ार लोगों में क़ाइम हो। मुसलमानों की निगाहों में उन्हें इज़्ज़त का मुक़ाम मिले। अवामुन्नास उनकी तरफ़ माइल हों और फिर यह उस जाल में अवामुन्नास को चाल से फांस लें कि अब जो गुमराही की बात करेंगे उसका पूरा असर होगा और लोग आसानी से शिकार हो जाएंगे।

और लुत्फ़ यह है कि नमाज़ रोज़ा की तब्लीग़ एलानिया करते हैं और अक़ीदा की तब्लीग़ अन्दरूने खाना। ताकि अवामुन्नास में उनका भ्रम क़ाइम रहे। हालांकि अक़ीदा अमल पर मुक़द्दम है। अक़ीदा दुरुस्त है तो आमाल में भी मक़्बूल, और अक़ीदा ग़लत है तो तमाम आमाल मरदूद। तो कहना यह है कि ऐसे लोगों की बद अक़ीदगी ओर बद मज़्हबी का इज़्हार, फासिक़ों फाजिरों के फ़िस्क़ व फुजूर के इज़्हार से कहीं ज़्यादा है। उसके ब्यान में हरगिज़ दरेग़ न करें। और यह खाम ख़्याली दिल से निकाल दें कि किसी की बुराई करके हम ग़ीबत के गुनाह में क्यों मुलव्विस हों। ग़ीबत बेशक गुनाह है। मगर ऐसों की बुराई का इज़्हार ग़ीबत ही नहीं। **(सुन्नी बहिश्ती ज़ेवर)**

बल्कि गुस्ताख़े रसूल की गुस्ताख़ियों, कुफ़्र और मक्कारियाँ मुसलमानों पर आशकारा करना फ़र्ज़ है ताकि मुसलमान गुस्ताख़े रसूल के जाल में न फंस सकें। कितनी अजीब सी बात है कि जिस गुस्ताख़े रसूल फ़िर्के की फ़ितरत किज़्ब ब्यानी, **झूठ** रोटी सालन से बढ़ कर हो। दो मिनट क़ब्ल जो बात सबके सामने कही हो। साफ़ ढिटाई से उसका इनकार करना उनकी आदत में शामिल हो फिर वही गुस्ताख़े रसूल की गुस्ताख़ियाँ किताबों में दिखाने **या** ब्यान करने को ग़ीबत या चुग़ली बता कर मुसलमानों में अपना वक़ार क़ाइम करने की नाकाम कोशिश करते हैं।

इस तरह गुस्ताख़े रसूल की गुस्ताख़ियाँ ज़ाहिर करने से रोकने वालों

के नज़्दीक थाने या कचेहरी में मुज्रिमों के ख़िलाफ़ मज़्लूमों की फरियाद भी ग़ीबत गुग़ली ही ठेहरेगी। और इसी तरह जजों, क़ाज़ियों, ख़ुलाफ़ा-ए-राशिदीन और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम के मज़्लूमों की फरियाद पर फ़ैसले भी **मकर पंजुम** की बिना पर चुग़ली ग़ीबत की हौसला अफ़्ज़ाई ठेहरेंगे। **(मआज़ल्लाह!)**

इन गुस्ताख़े रसूल **देव** बन्दियों के हज़ारों मकरों में से एक मकर भी ऐसा हरगिज़ कोई भी नहीं साबित कर सकता जो ख़बीसुल-अख़्बस न हो। इन गुस्ताख़ों को मकर, फरेब, दाव धोखा, दग़ा, चाल चलने से इस क़दर मुहब्बत है कि ख़ुद तो करते ही हैं। अपने रब के लिए भी क़ुरआन पाक के तरजमे में लिखने पर बहुत मस्रूर होते हैं। मुन्दरजा ज़ेल दो आयात के तरजुमे पेशे ख़िदमत हैं, हर आयत का आख़िरी तरजमा इमाम अह्ले सुन्नत मौलाना अहमद रज़ा ख़ाँ का है फ़र्क़ मुलाहिज़ा करें।

व मकरू व मकरल्लाहु। वल्लाहु ख़ैरुल-माकेरीन।

तरजमा : और यहूद ने दाव किया और अल्लाह ने दाव किया और दाव करने वालों में अल्लाह बेहतर दाव करने वाला है।

(डिप्टी नज़ीर देवबन्दी)

तरजमा : और मकर किया इन काफ़िरों ने और **मकर** किया **अल्लाह** ने और अल्लाह का दाव सबसे बेहतर है। **(महमूदुल-हसन देवबन्दी)**

तरजमा : और वह चाल चले और ख़ुदा भी चाल चला और ख़ुदा ख़ूब चाल चलने वाला है। **(फ़तह मुहम्मद जालन्धरी, देवबन्दी)**

तरजमा : और काफिरों ने मकर किया और अल्लाह ने हलाक की ख़ुफ़िया तदबीर फ़रमाई और –

तरजमा : अल्लाह सबसे बेहतर छुपी तदबीर वाला है। (इमाम अह्ले सुन्नत मौलाना अहमद रज़ा खान)

इन्नल-मुनाफ़ेक़ीना युख़ादेऊनल्लाहा वहुवा ख़ादेउहुम।

तरजमा : मुनाफ़िक़ीन दग़ा बाज़ी करते हैं अल्लाह से और अल्लाह भी उनको **दग़ा** देगा। **(आशिक़े इलाही मेरठी, महमूदुल-हसन देवबन्दी)**।

तरजमा : ख़ुदा उनको ही धोखा दे रहा है। (डिप्टी नज़ीर अहमद देवबन्दी)।

तरजमा : अल्लाह उन्हीं को धोखा में डालने वाला है। **(फ़त्ह मुहम्मद जालन्धरी, देवबन्दी)**।

तरजमा : वह (अल्लाह) उनको **फ़रेब** दे रहा है। (**मिर्ज़ा हैरत ग़ैर मुक़ल्लिद देहलवी, व नवाब वहीदुज़्ज़मा ग़ैर मुक़ल्लिद**)।

तरजमा : बेशक मुनाफ़िक़ लोग अपने गुमान में अल्लाह को फ़रेब देना चाहते हैं।

तरजमा : और वही उनको ग़ाफ़िल करके मारेगा। (इमाम अह्ले सुन्नत मौलाना अहमद रज़ा खान)।

क़ारेईन! अंदाज़ा लगाएं कि यह ख़ुद को तौहीद का ठीकेदार समझते हुए जब अपने रब को ही मकर फरेब धोखा दाव दग़ा करने चाल चलने वाला लिख रहे हैं। फिर यह गुस्ताख़े हुज़ूर अलैहिस्सलाम की कौन सी तौहीन न करते होंगे। वहाबी **देव** बन्दी यह नज्दी और मौदूदी। ❖ ख़ुदा के मुस्तफ़ा के दीन के ईमान के दुश्मन।

मकर शशुम : जब गुस्ताख़े रसूल या गुस्ताख़े रसूल की तरफ से वकालत करने वाले हर-हर मक्कारी के बा दलील जवाब से ला जवाब होते हैं। और हर तरह से गुस्ताख़े रसूल **देव** बन्दियों वग़ैरह को बुरा कहने पर मज्बूर ही होना पड़ जाए **तो** यह गुस्ताख़ हुज़ूर पुर नूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम को सड़ी-सड़ी गालियों की निशानदेही या गिरफ़्त करने वाले बरैली के उलमा को भी साथ में लपेट कर कहते हैं कि —

"अगर मुझको एक दिन भी हुकूमत करने का मौक़ा मिल जाए तो मैं पहला काम बरैलियों और **देव** बन्दियों के तमाम मौलवियों को एक क़तार में खड़ा करके गोली से उड़ा दूँ।"

जवाब : क़ारेईन आपने देखा कि बात गुस्ताख़े रसूल **या** गुस्ताख़े रसूल के हिमायतों से यह थी कि गुस्ताख़े रसूल के अक़ाइद को कुफ़्रिया कहो या, साबित करो कि यही अक़ाइदे बातिला सहाब। के थे **या** इन इबारात के मुसन्निफ़ हज़रात का नाम लेकर कहो कि अल्लाह तआला इन अक़ाइद वालों को दुनिया में भी ज़लील करे और आख़िरत में भी अज़ाबे अलीम अता करें। **नाम** लेकर कहना तो बहुत दूर की बात है। अल्लाह तआला के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम को सड़ी-सड़ी गालियाँ देने वालों पर कोई हर्फ़ तक आने नहीं देते। अजीब-अजीब मक्कारियों से काम लेते हैं। और अगर यह कभी हर तरह से मज्बूर हो भी जाएं तब भी गुस्ताख़े रसूल **देव** बन्दियों में क़स्दन किया? भूल से भी यह कहने वाला नहीं मिलेगा, कि अगर ख़ुदा मुझे एक दिन के लिए

बादशाह बना दे तो मैं पहला काम यह करूँगा कि तमाम गुस्ताख़े रसूल को एक क़तार में खड़ा करके गोली से उड़ा दूँ।"

अल्बत्ता : यह कहने वाले हज़ारों मिल जाएंगे। और हर जगह मिल जाएंगे। कि गुस्ताख़े रसूल की गुस्ताख़ियों की निशानदेही करने वाले "सुन्नियों यानी बरेलियों को और **देव** बन्दियों को एक क़तार में खड़ा करके गोलियों से उड़ा दूँ।"

और यह भी गुस्ताख़े रसूल **देव** बन्दियों को बुरा कहने से बचने की ग़रज़ से या जान छुड़ाने की मज्बूरी से सुन्नियों के साथ **देव** बन्दियों को एक क़तार में खड़ा करके गोलियों से उड़ा देने का इरादा ज़ाहिर करते हैं। जब कि असल वही अमल हर-हर गुस्ताख़े रसूल के सीने में करवटें लेता है। जो जो उनके बड़े करते आ रहे हैं। मेरे इस्लामी भाईयो! उन गुस्ताख़ों के हज़ारहा फ़ित्नों की तहक़ीक़ के बाद आप बख़ूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन गुस्ताख़ों के सिर्फ़ दो ही महबूब मश्ग़ले हैं एक अल्लाह तआला और उसके महबूब की शाने पाक में हर तरह गुस्ताख़ियाँ करना। और **दूसरा** मश्ग़ला इनके पहले मश्ग़ले में हायल या रुकावट डालने वालों को क़त्ल करना। गुस्ताख़ियों की मालूमात हासिल करने के लिए वहाबी मज़्हब और **देव** बन्दी मज़्हब नामी किताबों को मुताला फ़रमाएं। इसी तरह मौलाना अहमद रज़ा ख़ाँ क़ुदुस सिर्रहू की अल-इस्तिम्दाद, मुफ़्ती अहमद यार ख़ाँ की जा-अल-हक़, अरशदुल-क़ादरी की ज़लज़ला और तबलीग़ी जमाअत नामी किताबों का मुताला फ़रमाएं। इन गुस्ताख़ियों की अह्ले सुन्नत व जमाअत से दुश्मनी और क़त्ल व ग़ारत ग़री पर मालूमात हासिल करने के लिए मुफ़्ती अब्दुल-क़ैय्यूम हज़ारवी की तारीख़ नज्द व हिजाज़ मौलाना मुहम्मद रमज़ान क़ादरी की तारीख़ वहाबिया, इसी तरह साम्राजियत के भयानक साए, तहरीक बाला कोट तहरीक पाकिस्तान औन नेशनलिस्ट उलमा और ज़फ़र अली की चमनिस्तान वग़ैरह का मुताला करने और उनके हवाले जात दुरुस्त पाने पर आप ख़ून के आँसू रोने पर मज्बूर हो जाएंगे। अगर इन गुस्ताख़े रसूल हज़रात की अपनी ही तसानीफ़ से इक़्तिबासात जमा करेंगे तब यहूद इस्लाम दुश्मनी से बदतर इन गुस्ताख़े रसूल फ़िर्क़े के कारनामों पर दस ज़ख़ीम जिल्दें तैयार कर सकते हैं। यहाँ मुख़्तसर और बहुत ही मुख़्तसर चन्द इशारे और वह भी सिर्फ़ क़त्ल से मुतअल्लिक़ तहरीर किए जाते हैं।

मसलन : अरब की आबादियों पर शब ख़ून मार कर लाखों सुन्नियों का **क़त्ल** करके नज्दी वहाबियों का अरब पर क़ब्ज़ा **और** पंजाब के सिखों से जिहाद के बहाने सरहद की सुन्नी मुस्लिम आबादियों का **सफ़ाया** ख़ुद भी किया, और अपने साथी हिन्दू राजा राम तोपची से भी कराया, और पंजाब के किसी सिख के खरोंच भी न आने दी। और ख़ुद सरहद के पठान मुसलमान से लड़ते हुए मारे भी बालाकोट में ही गए। और वहीं पर क़बरें भी हैं। जिन पर आज भी निस्वार की मिन्नतें और भेंट चढ़ाई जाती हैं। क्या "बालाकोट" लाहौर या अमृतसर की तहसील का नाम है? हिन्दू तोपची राजा राम से बड़ी-बड़ी मुस्लिम आबादियों को उड़वा कर उसको भारी इंआमात से नवाज़ना। सरहद की मुस्लिम लड़कियों और मुसलमानों के माल असबाब को ज़बरदस्ती लूट कर अपनी फौज में तक़्सीम करने के अलावा हज़ारहा सुन्नी मुसलमानों के **क़त्ल** से हाथ रंगना। **और** इस बेहूदा कारनामे को अपनी तज़्किरतुर्रशीद, हयाते तैय्यबा और तवारीखे अजीबा वग़ैरह में फख्रिया अंदाज़ में ब्यान करना। तज़्किरतुर-रशीद हिस्सा दोम सफ़: २७० में ख़ूब मज़े ले ले कर ब्यान करना कि इस्माईल शहीद ने पहला जिहाद हाकिम या ग़स्तान **यार मुहम्मद** से किया। इनसे कोई दरयाफ़्त करे कि यार मुहम्मद किस सिख का नाम है? और फिर जिहाद किस से बता रहे हो? **(मुसलमानों से)**।

मुस्लिम क़ौम से करने जिहाद
अंग्रेज़ की ख़ातिर जाते यह हैं

और १८५७ ई० की जंगे आज़ादी के दौरान अंग्रेज़ के मुख़ालिफ़ों को बाग़ी और अंग्रेज़ी कम्पनी को अपनी रहम दिल सरकार बार-बार ही नहीं कहना बल्कि छुप-छुप कर बख़्त ख़ाँ के साथियों को शहीद करना। अपनी उसी तज़्किरतुर-रशीद हिस्सा अव्वल स० ७४, ७५, ७६, में अंग्रेज़ की वफ़ादारी को बहुत ही मज़े ले ले कर ब्यान करना। **और** इसके बाद अंग्रेज़ से मुख़्बिरी करके लाखों सुन्नियों को **फाँसी** दिलवा कर और अंग्रेज़ के दिल में वफ़ादारी का नक़्श क़ाइम करके अपने बेहूदा मज़्हब के मदारिस खुलवाने के लिए राह निकालना। यानी मुसलमानों में इख़्तिलाफ़ात पैदा करने की फ़ैक्ट्रियाँ खोल कर –

शम्सुल-उलमा ख़ाँ का, सर का
ख़िताब अंग्रेज़ से पाते यह हैं

मदरसा, मस्जिद में शिर्क का
सबक़ बिदअत का पढ़ाते यह हैं
शिर्क बिदअत की फ़ैक्ट्री को
मस्जिद, मक्तब बताते यह हैं

और पाकिस्तान बनने से क़ब्ल और बाद मुसलमानों के ख़िलाफ़, हिन्दुओं को भड़का देने वाले ब्यानात के ज़रिया सुन्नियों का **क़त्ल** यानी हिन्दू बाज़ारों और मुसलमानों के मुहल्लों को आग लगाते, और शब ख़ून मार कर मुसलमानों को क़त्ल करते। **और** यह काँग्रेसी गुस्ताख़े रसूल **देव** बन्दी मुल्ला तेज अख़्बार में इस तरह का ब्यान देते कि ऐ मुसलमानों कल क़यामत में तुम हुज़ूर को क्या मुँह दिखाओगे कि तुमने हिन्दुओं के बच्चों, बूढ़ों, और औरतों को भी क़त्ल करने से नहीं छोड़ा वग़ैरह वग़ैरह **और** १६७० ई० ता १६७१ ई० में बंग्लादेश में ग़ैर बंगालियों का जमाअते इस्लामी के दफ़्तरों में ला कर सुन्नियों का **क़त्ल** और इसी तरह अफ़ग़ानिस्तान में डबल पालीसी के ज़रिया मुजाहिदीन पर हमलों से सुन्नियों का **क़त्ल** और कराची में अस्फ़न्दियार, मजीद नदीम वग़ैरह के इश्तेआल अंगेज़ ब्यानात से शीआ, सुन्नी, फ़सादात करा कर और इसी तरह लाहौर में डॉक्टर असरार का यज़ीद की तारीफ़ में ब्यान फिर कुरआन पाक की बेहुरमती की अफ़्वाह से शीआ, सुन्नी फ़साद कराकर सुन्नियों को लाहौर, कराची में **शहीद** कराने के अलावा पाकिस्तान के शहरों, क़स्बों, दिहातों तक में सुन्नियों ही का **क़त्ल** या साबित करता है कि इन गुस्ताख़े रसूल के बच्चे-बच्चे की नज़र सिर्फ़ और सिर्फ़ सुन्नियों को ही क़त्ल करने पर जमी रहती है। गो कि अक्सर बहाने यह बनाते हैं कि उस मस्जिद में दरूद शरीफ़ पढ़ा गया था इस वजह से **क़त्ल हुआ है।**

इसमें शक नहीं कि अक्सर मसाजिद में बज़ाहिर क़त्ल दरूद शरीफ़ पढ़ने की वजह से किया जाता है। जबकि दरूद शरीफ़ तो महज़ आड़ होता है। **और** असल मक़सद इन गुस्ताख़े रसूल काँग्रेसियों का सुन्नियों को **क़त्ल** करना। और मसाजिद अह्ले सुन्नत पर क़ब्ज़ा करना ही होता है।

सोचो तो सलूटों से भरी है तमाम रूह
देखो तो इक शिकन भी नहीं है लिबास में
हर वक़्त, हर जाह, हर पहलू से
नए नए फ़ित्ने उगाते यह हैं

सुन्नी ही को ख़त्म करने की
नई तहरीकें चलाते यह हैं
शीआ सुन्नी के नाम से झगड़े
करते हैं करवाते यह हैं
सुन्नी को जब पाएं जवाबी
परचमे अमन उठाते यह हैं
हिजाज़ पे अह्ले सुन्नत का
क़त्ल से क़ब्ज़ा रखाते यह हैं
सुन्नी मसाजिद तक पे क़ब्ज़ा
मकर व क़त्ल से जमाते यह हैं
हश्र में आगे आज जाएगा
क्या खोते क्या पाते यह हैं

(अनीस अहमद नूरी)

मकर हफ़्तुम : अगर यह इबारात की बात इन गुस्ताख़े रसूल **देव** बन्दियों के मनाज़िरे आलिम तक पहुँचती है। तब **देव** बन्दी मनाज़िर दीगर बहाने बाज़ियों से काम नहीं लेता। **बल्कि** बे-बाकाना तौर पर कहता है कि यह इबारात हमारे बुज़ुर्गों की हैं। एक लफ़्ज़ या एक हरफ़ भी किसी सुन्नी का इसमें शामिल करदा नहीं। **बस** फ़र्क़ इतना है कि आप हज़रात यानी सुन्नी हज़रात इन इबारात को तौहीनी इबारात साबित करते हैं। और हम **देव** बन्दी इन इबारात को हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम की शान में तारीफ़ी समझते हैं। और वैसे भी सुन्नियों को खुद भी सोचना चाहिए कि इतने बड़े आलिमा हो कर किया यह हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम को गाली दे सकते हैं?

जवाब : अगर हक़ीक़त में हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इल्म शरीफ़ को बच्चों, पागलों, तमाम जानवरों और दरिन्दों जैसा इल्म समझना। बक़ौल **देव** बन्दियों के हुज़ूरे अनवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम की शाने पाक में तारीफ़ी जुमला है। तो फिर क्या वजह है कि उलमा अह्ले सुन्नत दौराने मुनाज़रा और कुतुब में वही तारीफ़ी जुमला खुद उसी गलियर यानी जिसने हिफ़्ज़ुल-ईमान नामी किताब में तहरीर किया है। उसी अशरफ़ अली थानवी की शान में कहने **या** लिखने की इजाज़त मांगने पर **देव** बन्दी मौलवियों की बोलती पर सदमा आ जाता है? और क्यों चुप साध लेते हैं?

बल्कि बारहा का मुशाहदा है कि जब भी **देव** बन्दियों के सामने यह कहा जाता है कि मौलाना अशरफ़ अली थानवी को कुल इल्म यानी जितना इल्म अल्लाह तआला को है उतना इल्म तो था नहीं। रहा बाज़ इल्म तो इसमें अशरफ़ अली थानवी की ही क्या ख़ुसूसियत है ऐसा इल्म तो बच्चों, पागलों, दीवानों, बल्कि दुनिया के हर-हर जानवरों (कुत्ते, सुव्वर, पाख़ाने के कीड़ों) और दरिन्दों को भी हासलि है। अगर नहीं है तो वजह फ़र्क़ ब्यान किया जाए।

तब वह गुस्सा से लाल पीले होकर कहते हैं कि इतने बड़े आलिम को गालियाँ बकते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? और जब उसी अशरफ़ अली थानवी की किताब हिफ़्ज़ुल-ईमान में हुज़ूरे अनवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम की शाने पाक में **वही** गाली लिखी दिखाते मैं तब कई बार उस इबारत को आगे और पीछे से पढ़ कर कमाल बेहयाई से कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम की शान में मौलाना अशरफ़ अली थानवी ने जो अल्फ़ाज़ कहे और लिखे हैं तो तारीफ़ की नीयत से लिखें हैं। अगर यह इबारत तौहीनी होती तो क्या ऐसी बात! इतने बड़े आलिम के मुँह या क़लम से निकलती? और जब उन से दरयाफ़्त किया जाए कि अभी ज़रा देर पहले तो यही अल्फ़ाज़ अशरफ़ अली थानवी के हक़ में तौहीनी थे। **अब** किस वजह से यह इबारत तारीफ़ी हो गई? रहा बड़ा आलिम होना वह भी बता दिया जाए कि वह कितना बड़ा आलिम था? क्या शैतान से भी बड़ा आलिम था?

सुनो! सुनो! और ग़ौर से सुनो! अगर यही इबाराती अल्फ़ाज़ सारी **दुनिया** के **देव** बन्दियो को कहने की इजाज़त भी अगर **देव** बन्दी मौलवी दे दें **तब** भी यह इबारात हुज़ूरे अनवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम की शाने पाक में गुस्ताख़ाना ही कहलाऐंगी, और कुरआने मुक़द्दस की सैंकड़ों आयात के हुक्मे कुफ़्र की गिरिफ़्त से नहीं बच सकतीं। कि कुरआने हकीम हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम की शाने पाक में मामूली हल्के लफ़्ज़ तक पर –

वस्मऊ लिल-काफ़ेरीना अज़ाबुन अलीम।

पहले ही से बग़ौर सुनो और काफ़िरों के लिए दर्दनाक अज़ाब है।

(सूरः बक़रा आयत न० १०४)

ला तअतज़ेरू क़द कफ़रतुम बअदा ऐमानेकुम।

बहाने न बनाओ तुम काफिर हो चुके मुसलमान हो कर।

(सूर: तौबा आयत न० ६६)

यहलेफ़ूना बिल्लाहे मा क़ालू। वलक़द क़ालू कलिमतल-कुफ़्रे व कफ़रू बअ्दा इस्लामेहिम।

अल्लाह की क़सम खाते हैं कि उन्होंने न कहा और बेशक ज़रूर उन्होंने कुफ़्र की बात कही और इस्लाम में आकर काफिर हो गए।

(सूर: बक़रा आयत न० ७४)।

देव बन्दियों की गुस्ताख़ियों के मुक़ाबले में कितनी मामूली बात है कि "मुहम्मद ग़ैब क्या जानें।" कहने पर अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त ने उनकी क़सम का भी एतबार नहीं किया। और साफ कह दिया कि बहाने न बनाओ तुम काफ़िर हो चुके इस्लाम लाने के बाद। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ग़ैबी बात कि ऊंटनी फलां जंगल में फ़लां जगह है। उस पर एक शख़्स बोला कि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम बताते हैं कि ऊंटनी फलां जगह है, "मुहम्मद ग़ैब क्या जानें।" (सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम) **और** गुस्ताख़े रसूल **देव** बन्दियों के बुज़ुर्ग सरहद के मुसलमानों के क़ातिल इस्माईल देहलवी तक़्वियतुल-ईमान में अल्लाह तआला की अता से भी इल्मे ग़ैब हुज़ूर अलैहिस्सलाम को मानना शिर्क बताते हैं। बराहीने क़ातिआ में ख़लील अहमद लिखते हैं कि शिर्क नहीं तो कौन सा ईमान का हिस्सा है। **और** अशरफ़ अली थानवी ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को हिफ़्ज़ुल-ईमान में इल्मे ग़ैब माना भी तो साथ ही यह भी लिखा है कि ऐसा इल्म इल्मे ग़ैब तो हर बच्चे हर पागल दीवाने हर-हर जानवर को और दरिन्दों को भी हासिल है इसमें हुज़ूर की कौन सी ख़ुसूसियत है। **(मआज़ल्लाह!)**

इल्मे नबी को बच्चों पागल जानवर जैसा गाते यह हैं

देव बन्दी इबाराते कुफ़्रिया अगर **देव** बन्दियों के नज़्दीक ग़ैर कुफ़्रिया और तारीफ़ी इबारात पर मुश्तमिल हैं तो **फिर** नव्वे साल से आज तक इन इबारात को क़ुरआने हकीम से ग़ैर कुफ़्रिया क्यों साबित न कर सके? और अगर आज तक साबित न कर सके तो **अब** कोई दुनिया का **देव** बन्दी क़ुरआने करीम से साबित करे कि ऐसे अल्फ़ाज़ बोलने की क़ुरआने हकीम ने इजाज़त दी है।

याद रहे कि शैतान और शैतान के बन्दे क़यामत तक भी कुफ़्रिया अक़ाइद को ग़ैर कुफ़्रिया कुरआने हकीम से साबित नहीं कर सकते। और न अपने उलमा को वही अल्फ़ाज़ लिखने की इजाज़त देंगे। हो जिस सीने में ऐसा बुग्ज़ **फट** जाए तो बेहतर है।

बल्कि दुनिया का कोई सरबराहे मम्लिकत, वज़ीर, मजिस्ट्रेट, कमिश्नर, एस पी, सूबेदार, हत्ता कि सिपाही भी खुद को इल्म में पागलों, जानवरों, दरिन्दों, (कुत्तों, सुव्वरों) जैसा या इल्म में उनका हम्सर कहलाना पसन्द नहीं करेगा। बल्कि वह हाकिम जो खुद भी गुस्ताख़े रसूल **देव** बन्दी अक़ीदा का होगा वह **देव** बन्दी मौलवियों की नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम को दी गई सड़ी-सड़ी गालियों को तारीफ़ के कलिमात कहेगा। **मगर** खुद को वह भी नहीं कहने देगा।

जबकि मेरे **प्यारे** इस्लामी भाईयो! अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त ने अपने महबूबे आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम के गुस्ताख़ को कुरआने हकीम में अपनी तौहीद यानी सूरः इख़्लास से क़ब्ल सूरः लहब में गुस्ताख़े रसूल के दोनों हाथ तबाह हों ही नहीं बल्कि उसकी जो रद को भी ख़ूब खरी-खरी सुनाई। सूरः कौसर में **अबतर** और इसी तरह सूरः नून व क़लम में गुस्ताख़े रसूल के दस ख़बीस ऐबों, ख़स्लतों की निशानदेही करके और आख़िरी ऐब ज़िना से पैदा इरशाद फरमा कर गुस्ताख़े रसूल को इस तरह कहना ईमान वालों के लिए अख़्लाक़े कुराअन, अख़्लाक़े इलाहिया **बल्कि** नमाज़ की हालत में उन बातों का दर्द, वज़ीफ़ा मुक़र्रर फरमाया। और जैसा जैसा अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त ने इन गुस्ताख़ों को क़हा वह कहना ईमानी अख़्लाक़ ठेहराया कि कुरआने हकीम में एक सूरः क्या? एक आयत बल्कि एक लफ़्ज़ भी अख़्लाक़ से हट कर नहीं।

मेरे प्यारे इस्लामी भाईयो ! इस अख़्लाक़े इलाहिया पर जिस मुसलमान ने अमल किया बक़सम उसने फलाह हासिल की और **न** वह जलील हुआ **न** रुस्वा। और न इंशाअल्लाह तआला हुज़ूर अलैहिस्सलाम का गुलाम कभी रुस्वा ज़लील होगा। और जिसने गुस्ताख़े रसूल को ऐसा न समझा जैसा कि अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया यानी अख़्लाक़े इलाहिया को छोड़ा वह ज़लील व रुस्वा हुआ। और इस्राईल जैसों के हाथों ज़लील होता रहेगा। और क्यों न हो कि जब उसने अपने

गले से अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम की गुलामी का पट्टा निकाल कर फेंका तो ज़ाहिर है उसका इब्लीस की तरह ज़लील व रुस्वा होना मुक़द्दर बनेगा।

मेरे इस्लामी भाईयो! फिर यह कितनी बेग़ैरती की बात है कि गुस्ताख़े रसूल मुर्तद, वाजिबुल-क़त्ल की गिरिफ़्त करने के बजाए ख़ुद गुस्ताख़े रसूल की निशानदेही करने वालों को बुरा कहना कि देखो देखो! यह मुसलमानों में इंतिशार फ़ैलाने वाली बात कर रहा है। वह कम अक़्ल यह भूल जाता हैं कि गुस्ताख़े रसूल मुसलमान नहीं **बल्कि** वह मुर्तद, वाजिबुल-क़त्ल है। और तअज्जुब की बात यह है कि बेहिस बेग़ैरत उनकी मक्कारी में आ भी जाते हैं। और निशानदेही करने वाली किताब से नफ़रत करके ख़ुद भी गुस्ताख़ों में शामिल हो जाते हैं।

अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को अपने नबी की मुहब्बत व ग़ैरत इनायत फरमाए। **कि** अपने दुश्मन से नबी के दुश्मन को बदतर जानें। आमीन! आमीन! आमीन!

इनके सौ सौ कुफ़्र गिनाएं
एक दो पे बल खाते यह हैं
गोया बक़िया कुफ़्र पे रासिख़
होना अपना जताते यह हैं

अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह

जन्नतुल-बक़ीअ और करबला

नज्दी व इराक़ी यज़ीदी

अज़ पैकरे तंज़ीम व तबलीग़ हज़रत मौलाना मौलवी अब्दुल-माजिद साहब क़ादरी बदायूनी

मुहर्रम नम्बर पेशवा के लिए एक इब्ने अली व बतूल अलैहिमुस्सलाम का मुसलसल तक़ाज़ा है कि मज़्मून भेजूं। मुसलसल अलालत (बीमारी) व शिकायत अमराज़ के सबब आज़ार एक तरफ। **आज कल** तो रूहे ईमान व इरफान और हयाते अक़ीदत व मुहब्बत पर जो सदमा है, उसने निढाल और बेक़रारी नहीं, बल्कि बिस्मिल व पामाल कर दिया है। **आह!** ज़ालिम व फ़ासिक़ नज्दियों के महालिक व मज़ालिम ने ६१ हिजरी का मुहर्रम फिर १३४० हिजरी में पेशे नज़र कर दिया। किस ज़ुबान व क़लम से कहूँ? और लिखू? कि ६१ हिजरी में इराक़ की सरज़मीन पर खानदाने नुबुव्वत व शहज़ादगाने फ़ुतुव्वत का **ख़ून खाक** में मिलाया गया। और जिस्म पैवन्दे ज़मीन किया गया था। और **अब** १३४० हिजरी में चौदहवीं सदी में वह ही ख़ून और वही जिस्म और उन्हें पाक जिस्मों की नूरानी हड्डियाँ हिजाज़ में सरज़मीने मदीना के हुदूद में रौज़-ए-मुतह्हरा के सामने नाना जान के रू-ब-रू ज़मीन से निकाल कर फैंक दी गई। क़बरों में हल चलवा दिए। कुब्बे कटहरे खाक में मिला दिए। यानी इज़्ज़त व ज़ुर्रियते रसूल और रसूल के असहाब और हज़ारों आशिक़ों और वलियों इमामों का नाम व निशान मिटा दिया। यह ज़ुल्म किसने किया? नज्दी यज़ीदियों ने। यह सितम किसने ढाया? किताब व सुन्नत पर अमल। अमल व हुकूमत करने का दावा करने वालों ने, यह क़्यामत किसने बरपा की? अमन व इस्लाह हिजाज़ के मुद्दईयों ने। लार्ड कचेज़ व लाइड जार्ज की रूह की तरवीज करने वाले कौन हुए? नाम निहाद मुसलमान आमिलुल-हदीस वल-किताब मुसलमान।" नज्द के वह मुसलमान जो अपने सिवा दुनिया को मुश्रिक, काफिर समझें। और ख़ालिस तौहीद के इजारा दार बनें। मगर **उन** मुवह्हेदीन का नाम व निशान मिटें जिनकी सर फरोशाना मसाई से आलमे तौहीद आशना हुआ।

(फ़क़ूलू इन्ना लिल्लाहे व इन्ना इलैहि व राजिऊन।)

क्या दुनिया-ए-इंसानियत व तहज़ीब में ऐसी बरबरीयत वहशत व ज़ुल्म की कोई मिसाल किसी नाम के ज़ालिम से ज़ालिम मुसलमान बादशाह के अहदे तज़ल्लुम की मिल सकेगी? **ला वल्लाह** मुझे नज्दी एजेंट और हिन्दुस्तानी सऊदी वहाबी अगर ज़्यादा गालियाँ, को सुने देने चाहें **तो सुनें** कि नज्दी अपने मज़ालिम में यज़ीद लानतुल्लाहे अलैहि से भी दो क़दम आगे हैं। यज़ीद भी मुद्दई तौहीद था आमिल बिल-किताब वस्सुन्नः होने का दावेदार था। उसने भी क़त्ले इमाम आली मुक़ाम अलैहि व अला इबाएहिस्सलाम के लिए अमन व इस्लाह व दफ़ा फ़साद का एलान व वअज़ दिया था। मगर आह मुर्दा इंसानों की "बेहुरमती" उनकी कुबूर को बर्बाद करके उससे भी न हुई। और जो कुछ भी उसने किया वह इमाम को मक्का, मदीना से जुदा करके। **या** जुदा होने के बाद। इराक़ की सर ज़मीन पर न उस सरज़मीन पर जहाँ के "कांटे भी काटे जाने मम्नूअ हैं।" **मगर** इन तबाह ईमान नज्दियों ने जो कुछ किया वह रसूले करीम के जुवार में। मवाजेह हज़रत महबूबे हक़ में। ख़ास अर्ज़े मदीना, और मख़्सूस कता मुक़द्दसा, जन्नतुल-बक़ी में। **फ़ातबिरू या ऊलिल अबसार।** दुनिया के काफिर, नसरानी, मुतअस्सिब, दुश्मनाने इस्लाम ग़ैर हरबी हालत में मक़ाबिर व मसाजिदे इस्लाम व मुस्लेमीन की तख़रीब से हज़र करते हैं (दूर रहते हैं।) **मगर** यह आमिलीने हदीस, अमन व इत्मीनान के अहद में, धड़ा धड़ मसाजिद व मक़ाबिर मिस्मार (गिराते) करते चले जाते हैं। और इन बेहयाओं की चितून मैली नहीं होती। **फ़लनतुल्लाहि अलैहिम अज्मईन।** इराक़ियों में कुछ वह भी थे, और करबला के कार ज़ार में ऐसे भी इराक़ी व शामी निकल आए थे। जिन्हें बेकस सैयद मुसाफ़िरों पर **रहम** आ गया था। और शक़ी से सईद हो गए थे। **मगर** इन नज्दी यज़ीदियों में एक से एक बढ़ कर ज़ालिम है। और मुसलसल क़त्ल व ग़ज़ब, फ़िस्क़ व फुजूर, ज़ुल्म व तअद्दी के बाद भी इनमें एक सईद रूह, रहम व ईमान की तड़प इंसाफ व इंसानियत का जज़्बा दिखाने वाली नहीं। यज़ीद ने जो कुछ किया अव्वल दिन से बिल-एलान कह कर फौजी इज्तिमा के साथ किया। **मगर** इन बुज़्दिल नज्दियों ने जो कुछ किया फ़रेब से। मकर से, झूठ बोल कर, दग़ा बाज़ी करके किया। कल की बात है कि इब्ने सऊद के एलानात गूंज रहे थे कि मैं हुज्जाज में शाह बन कर रहने के लिए नहीं आया हूँ। बल्कि फ़क़त ग़द्दार व ज़ालिम शरीफ़ के मज़ालिम व जराइम का ख़ातिमा करने

को बढ़ा और लपका हूँ। रही हिज़ाज़ की शाही वह जुम्हूर की होगी।

फिर एलान दिया कि मदीना पाक के आसार व शिआइर महफ़ूज़ रहेंगे। **मगर** दुनिया ने देख लिया कि किस तरह तदरीजी मगर मुसलसल फ़रेब कारी व दग़ा बाज़ी से काम लिया गया। और नसरानी अहले सियासत के वादे और उनकी जैसी चालें चल कर मिल्लत को परागन्दा उम्मत को मुंतशिर अज़्मते हरमैन को तबाह व बर्बाद किया। हिजाज़ का बादशाह भी बन गया। और अपनी ना मक़्बूल और नाजाइज़ मुलूकीयत की सिक्का भी चलाने लगा। और तअस्सुब व तक़श्शुफ़ वहाबीयत की एतक़ादी व आदी गुस्ताख़ियाँ करके वक़ार व अज़्मते हरमैन को भी ढाने लगा। तुमने सुना। या नहीं? कि हुक्म दे दिया गया है कि हाजियों की वापसी के बाद गुंबदे ख़ज़रा और शिकब-ए-मुक़द्दसा जो बेकसों का सहारा और आशिक़ों के लिए नक़ाब चेहरा-ए-हबीब है छुपा दिया जाए। उसका पहला क़दम यह हुक्म इम्तिनाई है। जो रौज़ए मुक़द्दसा की जालियों (शिक्बा) को हाथ न लगाने और उसको काबा-ए-हक़ीक़त और क़िब्ला काबा-ए-इबादत की तरफ मुतवज्जेह न होकर दुआ करने के जबरुवत से बढ़ाया गया है। **बताओ!** यज़ीद, हज्जाज़ बिन यूसुफ़, या शरीफ़ हुसैन, किसी ज़ालिम व जाबिर ने भी ऐसा किया था? और ऐसी मुदाख़िलत फ़िल एतक़दियात करके कोई भी शक़्क़ी मुद्दई अमल किताब व सुन्नत हुआ था? मेरा दिल जल रहा है और मैं इब्ने सऊद को दावते मुबाहिला बद दुआ लिख रहा हूँ। और नज्दी यज़ीदीयत को इराक़ी व शामी यज़ीदीयत से मौजूदा दौरे इब्तिला में सख़्त तर जानता हूँ। और हर उस शख़्स से जो मुहर्रम में करबला वाले इमामों के ग़म मनाए इल्तिजा करता हूँ कि वह **दुआ** करे कि नज्दियों से इमाम आली मुक़ाम शहीदे करबला के जद्दे फख़्रे अव्वले व आख़िरीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम का रौज़ा महफ़ूज़ रहे। और दुनिया से यह निशाने रहमत न मिटने पाए और उसके मिटाने के आरज़ू मन्द असहाबे फ़ील की तरह मिट जाएं। ऐ करबला वालो की पाक रूहों कह दो। आमीन! जो क़ाबिल थे दारो रसन के! हाथ में उनके दारो रसन है!

ख़त्म शुद